(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7) सप्तम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का चतुर्थ दिवस (संख्या 4

बृहस्पतिवार

दिनांक 8 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री राधेश्याम बंसीवाल, नव निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष : दौसा निर्वाचन क्षेत्र से नव निर्वाचित श्री राधेश्याम बंसीवाल भारत के संविधान के प्रति शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे।

(श्री राधेश्याम बंसीवाल ने हिन्दी में शपथ ग्रहण की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

राज्य में वर्ष 1983 में खोले गये चिकित्सालय

95. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1983 में कितने चिकित्सालय खोले जाने का सरकार का निश्चय था और अब तक कहां-कहां खोले गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष चिकित्सालयों को खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) :

(1) वर्ष 1983-84 में नये चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दुकान खोलो, दुकान।

एक माननीय सदस्य : शराब की दुकान खोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। उत्तर सुन लीजिये, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें।

Page No 2

(2)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

अंकित न हो।

एक माननीय सदस्य : X X X

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कल्याणकारी राज की व्यवस्था आपने सुन ली। मैं मंत्री महोदय से एक पूरक प्रश्न करना चाहती हूं, यदि उत्तर देने की स्थिति में हों तो वे उत्तर दें।

1982-83 के बजट प्रावधान में जो डिस्पेन्सरीज खोली जानी थीं, जो राशि इस मद में थी क्या वह इस्तेमाल कर ली गई है? वर्ष 1983-84 के बजट का कितना रुपया खर्च कर लिया गया है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें तो दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता स्वयं चिकित्सक हैं, वह स्वयं जानती हैं कि चिकित्सालयों के लिये पूछा है, मैंने जवाब दे दिया है....

(व्यवधान)

आप कृपया सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार नहीं खोलेगी, मैं जानती हूं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने यह पूछा, कितने नये चिकित्सालय खोले जायेंगे। उसका जवाब यह दिया है कि इस का प्रावधान नहीं है। आप डिस्पेन्सरीज का पूछतीं तो उसका जवाब दे देता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लोगों को चिकित्सा सुविधा पहुँचाने की बात है। मैं अब पूछना चाहती हूं....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : डिस्पेन्सरीज को हिन्दी में क्या कहते हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वही पूछती हूं। पूरक प्रश्न पूछती हूं कि डिस्पेन्सरी खोलेंगे या नहीं खोलेंगे?

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : चिकित्सालय की परिभाषा में कौन सा आता है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे सुन लें ताकि भविष्य में प्रश्न पूछें तो गलती न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस चिकित्सालय में 10

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

या 10 से अधिक रोगी शैयाएं हों उसे चिकित्सालय कहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजस्थान की जनता को बता दें कि आप चिकित्सालय नहीं खोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुन नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। अंकित न हो। अगला प्रश्न।

श्री कमलेन्द्र सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

विद्युत मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता (अजमेर) द्वारा घटिया सामग्री का क्रय

96. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अजमेर स्थित अधीक्षण अभियन्ता श्री आर. आर. राय ने आवश्यकता न होते हुए भी इस सम्बन्ध में विद्युत मण्डल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए क्रय प्रक्रिया के विपरीत साढ़े सात लाख रुपये की बहुत ही घटिया एवं हल्के स्तर की सामग्री की खरीद की, जिसको कि काम में लेना नितान्त असंभव है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस घटिया एवं हल्के स्तर की सामग्री को वहां के सहायक भण्डार नियंत्रक ने भी स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट कर दी, लेकिन उसे यह सामग्री स्वीकार करने हेतु दबाया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस खरीद के सम्बन्ध में मुख्य आन्तरिक अंकेक्षक द्वारा 17-5-83 से 28-5-83 तक अंकेक्षण किया गया था एवं 7-4-83 को सतर्कता अनुभाग द्वारा भी जांच की गई थी ? यदि हां, तो कृपया यह दोनों ही जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी प्रारम्भ कर दी गई थी लेकिन मण्डल के उच्चाधिकारियों ने इस जांच को रुकवा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। यह सही है कि श्री आर. आर. राय, अधीक्षण अभियन्ता (अजमेर वृत्त), राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, अजमेर द्वारा लगभग साढ़े सात लाख रुपये की खरीद में अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला)

है। विभिन्न फर्मों द्वारा सप्लाई किये गये सामान में से कुछ सामग्री हल्के स्तर की अथवा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई गई है।

(2) यह सही है कि घटिया एवं हल्के स्तर की सामग्री को सहायक भण्डार नियंत्रक अजमेर ने स्वीकार नहीं किया है।

(3) मुख्य आन्तरिक अंकेक्षक द्वारा दिनांक 15–6–1983 से इस खरीद के मामले की जांच प्रारम्भ की गई थी, जो अभी भी जारी है। मण्डल के सतर्कता अनुभाग द्वारा भी इस प्रकरण में जांच जारी है। सतर्कता अनुभाग द्वारा अभी जांच प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जांच प्रतिवेदन पूर्ण नहीं होने के कारण इसकी प्रति सदन की मेज पर रखने में असमर्थता है। सम्बन्धित फर्मों का भुगतान रोक दिया गया है।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मामले की जांच प्रारम्भ किये जाने की सूचना मिलने पर सतर्कता अनुभाग ने निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को यह सूचित किया कि इस प्रकरण में मण्डल के सतर्कता अनुभाग द्वारा जांच जारी कर दी गई है। अतः इस प्रकरण में दो एजेन्सियों द्वारा एक ही साथ जांच किया जाना उचित नहीं मानते हुए निदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को उनके अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच स्थगित रखने का अनुरोध किया था।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इसमें तीन-चार पूरक प्रश्न हैं। पहला यह कि विद्युत मण्डल ने इस तरह के स्पष्ट आदेश दे रखे हैं, 30–1–82 के आदेश हैं कि कोई खरीद करने से पहले भण्डार नियन्त्रक से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र भण्डार नियंत्रक से लिया गया इन आदेशों के तहत ?

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि यह जो साढ़े सात लाख की सामग्री अभी तक पड़ी हुई है क्या इस सामग्री को खरीदने की आवश्यकता थी, और क्या उस सर्किल में इस सामग्री की आवश्यकता होने के कोई आदेश इन माननीय अधीक्षण अभियन्ता के पास थे ?

तीसरा मेरा सवाल यह है, जब सहायक भण्डार नियंत्रक ने उस सामग्री को घटिया साबित करके स्वीकार करने से मना कर दिया, उसके बाद भी 2 लाख 30 हजार रुपये का चुकारा किया गया है तो उस चुकारे का क्या औचित्य है ?

मेरा चौथा प्रश्न यह है, जब सहायक भण्डार नियंत्रक ने इस माल को घटिया होने के कारण लेने से अस्वीकार कर दिया तो अधीक्षण अभियन्ता ने 3 अधिशासी अभियन्ताओं की एक कमेटी इस माल को पास करने के लिए बनायी तो क्या अधीक्षण अभियन्ता उस कमेटी को बनाने के लिए सक्षम थे, और क्या ऐसी कमेटी भण्डार नियंत्रण के नियमों के अनुरूप बनायी जा सकती है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न प्रस्तुत किये हैं उसमें जो पहला प्रश्न उन्होंने किया है वह सही है। इसमें एस. ई. को जो चार्ज शीट दी गयी है या जिस बाबत जांच की गयी है उसमें यह मुद्दा भी है कि आपने भण्डार नियंत्रक से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र लिये बिना यह माल क्यों खरीदा। दूसरा, उसके खिलाफ यह चार्ज भी है कि जिस माल को जितनी तादाद में खरीदने के लिए उन्होंने एन.ए.सी. लिया था उससे काफी अधिक मात्रा में उन्होंने माल खरीदा। तीसरा मुद्दा भी सही है कि एन.ए.सी. जितनी अवधि के लिए दिया गया था, उस अवधि में माल नहीं खरीद कर बिना उस अवधि के ध्यान में रखे हुए उन्होंने काफी समय तक माल खरीदा। चौथा जो मुद्दा है वह मुख्य है। इसमें लगभग साढ़े सात लाख रुपये का माल घटिया स्तर का है, सब-स्टैण्डर्ड है इसलिए मामले का यह मुख्य मुद्दा है। डिटेल में तो ऑडिटर काम कर रहे हैं और विजिलेन्स भी अपना काम कर रही है इसलिए इनके खिलाफ जांच में जो भी मुद्दे बनेंगे उसके सम्बन्ध में इनके खिलाफ सख्त से सख्त अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

दूसरा एक प्रश्न जो आपने किया कि जब सहायक भण्डार नियंत्रक ने यह शिकायत की एस. ई. को और नियंत्रक को भी कि यह माल घटिया स्तर का है मैं इसको रिकार्ड पर नहीं लूंगा, इसकी जांच की जाय तो उस जांच के बीच में ही उनको भुगतान क्यों किया गया। इसमें मैं यह बताना चाहूंगी कि जो पद्धति अब तक कायम है, शायद सभी डिपार्टमेन्ट में होगी उसके अनुसार जब माल डिस्पेच होता है तो दफ्तर में उस बिल्टी को छुड़ाने के वक्त 90 पर्सेन्ट या 70 पर्सेन्ट, जैसा भी पार्टी के साथ एग्रीमेण्ट होता है, उसको एडवान्स में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए वह भुगतान तो बिल्टी छुड़ाने के साथ ही कर दिया गया। इस मामले में इतनी ही बचत है कि इसमें जो प्रमुख कान्ट्रेक्टर हैं, जिनका माल इसमें इन्वाल्व है उनकी देनदारी 1 लाख 25 हजार बनती है उनके बकाया पैसे के पेटे में भी तीन लाख रुपये जमा हैं तो उस मुद्दे पर हम उस हिसाब से उनकी रिकवरी या डिडक्ट करने की कार्यवाही कर सकते हैं।

तीसरा जो कहा कि शिकायत जब की गयी तो एस. ई. ने इसकी जांच करने की कमेटी बैठाई। मेरी जानकारी में तो न तो कमेटी बैठाई और न जांच प्रारम्भ की गयी। इसकी सहायक भण्डार नियंत्रक ने जो शिकायत यहां पर की, बोर्ड ऑफिस में और कुछ श्रमिक संगठनों ने बाद में की, उसके आधार पर इन दोनों सैल, ऑडिटर्स और विजिलेन्स, ने अपनी जांच प्रारम्भ कर रखी है। इसलिए समिति अधिकृत थी या नहीं थी, इसका इस समय कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछना है, वह यह है, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि तीन अधिशासी अभियन्ताओं की कमेटी के बारे में जानकारी नहीं है। मैं एक पत्र रेफर करना चाहता हूं जो आफिस आफ दी

(श्री कैलाश मेघवाल)

कन्ट्रोलर का है। उसने यह पत्र माननीय श्री राय को असिसटेन्ट कन्ट्रोल शाखा, आर. एस. ई. बी. अजमेर को लिखा है vide his above referred letter, has intimated that a committee consisting of three Executive Engineers of your Circle has been constituted vide your office order No. RSEB : SE : AJC : SEC. II : (F) : D. 65 dated 11-1-83 for inspection of material as and when purchased against the orders placed by your office, in this context has sought clarification in regard to duties/responsibilities of the ACOS as defined in para 4.4 of the Store Manual. यह कमेटी बनायी, इसीलिए मैंने यह सवाल पूछा था कि क्या अधीक्षण अभियन्ता इस तरह की कमेटी बनाने में सक्षम हैं? भण्डार नियंत्रक ने स्पष्ट कहा है कि आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह जानकारी नहीं है जो कि होनी चाहिए। इसके लिए क्यों कहा? इसकी जानकारी होनी चाहिए।

एक दूसरा मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मामले की तफतीश करने के लिए ही स्थापित विभाग है, ऐसे किसी भ्रष्टाचार के मामले में अगर कार्यवाही प्रारम्भ कर देता है तो उस कार्यवाही को प्राथमिकता दी जायेगी, या विभाग को ऐसा अधिकार है कि वह उस भ्रष्टाचार निरोधक, विभाग से यह कह दे कि तुम जांच मत करो, हम कर रहे हैं? इस मामले में स्पष्ट क्षेत्र भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का है, उसने जांच का काम चालू कर दिया। वह विभाग इसीलिए है कि भ्रष्टाचार के मामलों की जो भी शिकायतें हों उनकी जांच प्रारम्भ करे। तो क्या विभाग को उसकी जांच रोकने का अधिकार है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो समिति की सूचना दी वह विभाग की तरफ से मेरे पास नहीं थी लेकिन जैसा आपने बताया, उसको किसी प्रकार विभाग को कमेटी बनाने का कोई अधिकार नहीं था और उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

दूसरी जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की बात कही है इसमें मैंने अधिकारियों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमें अपनी ओर से यह नहीं कहना था कि पहले हम कर लें फिर बाद में आप करें। यह इसलिए हुआ कि जो बोर्ड का विजिलेन्स अनुभाग था उसने काफी समय पहले जांच प्रारम्भ कर दी थी। जांच प्रारम्भ होने के काफी बाद में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के डायरेक्टर ने उनसे कहा कि हम भी जांच करना चाहते है। तो उन्होंने कहा कि हमने पहले जांच प्रारम्भ कर ली हम उसको कम्पलीट कर लेते है उसके बाद आप भी उचित समझें तो अपनी जांच कर लीजियेगा। यह बात ठीक है कि उनको भी यह कह देना चाहिए था कि आप करना चाहते हैं तो कर लें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन को यह आश्वस्त करना चाहती हूं

(श्रीमती कमला)

कि इसकी यह मन्शा नहीं थी कि जो विजिलेन्स सैल बोर्ड का है वह मामले को दबाना चाहता है या ए. सी. डी. को काम नहीं करने देना चाहता। हमने खुली इजाजत दे रखी है कि वह जब भी जांच प्रारम्भ करना चाहें, कर लें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : एक सवाल पूछ लूं। मैं माननीय मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या यह मिस्टर राय वही हैं जो अलवर के कांड में भी थे ?

श्री कैलाश मेघवाल : 50 लाख का घोटाला हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह का प्रश्न नहीं उठा सकते। अलग प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर अलग से प्रश्न उठाकर लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : She is ready.

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

जे. के. सिन्थेटिक्स (कोटा) में श्रमिकों की छंटनी

97. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा स्थित जे.के. सिन्थेटिक्स कारखाने के नियोजकों द्वारा श्रमिकों की छंटनी के विरुद्ध सरकार की ओर से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या सरकार ने जे. के. सिन्थेटिक्स के 3400 श्रमिकों की छंटनी के सम्बन्ध में विवाद को अवैध माना है ? यदि हां, तो उक्त विवाद को न्यायाधिकरण को क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया ?

श्रम मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई :

1—यह कि प्रारम्भिक जांच करने के बाद राज्य सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि व्यवस्थापक ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एन का उल्लंघन किया है। अतः उनको धारा 25-एन का उल्लंघन करने के लिए 'कारण बताओ' नोटिस दिया गया। इस पर नियोजक ने धारा 25-एन के प्रावधानों को चैलेन्ज करते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर राज्य सरकार को नियोजकों के विरुद्ध इस धारा के उल्लंघन के लिए कार्यवाही करने पर रोक लगा दी।

2—संस्थान में कार्यरत श्रम संगठनों और व्यवस्थापकों से समय-समय पर वार्ताएं की गयीं एवं दोनों पक्षों में समझौता करवाने के लिए प्रयास किये गये।

3—चूंकि दोनों पक्षों की सहमति से कोई समझौता सम्पन्न होना सम्भव नहीं हुआ, अतः औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (के) के अन्तर्गत एक विशेष आदेश जारी किया गया। साथ ही औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1958 की धारा 10 (एच) के अन्तर्गत दोनों पक्षों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के मध्य विवादों को न्याय निर्णयार्थ औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर को प्रेषित किया गया।

(2) विवाद को औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1958 की धारा 10 (एच) के अन्तर्गत न्यायाधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि यह लाक आउट इल्लीगल था फिर कोर्ट में इसको क्यों पेश किया गया है सरकार के द्वारा? इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 10 (3) के तहत क्यों नहीं उनको पाबन्द किया गया?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यह लाक आउट नहीं था इसलिए धारा 10 (3) में लाक आउट को बैन करने का प्रश्न ही नहीं उठता था।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के आर्डर को भी मैनेजमेंट नहीं मान रहा है। मंत्री महोदय से पहले ही मैनेजमेंट ने बात कर ली थी, उसी का यह परिणाम है आज उन्होंने छंटनी कर दी और अब दुबारा श्रमिकों से दरख्वास्तें मांगी जा रही हैं। श्रमिक एप्लाई करते हैं तो उसमें यह शर्त लगाई गई है कि आपका स्थानान्तरण कहीं पर भी किया जा सकता है। कोटा, जयपुर और बम्बई कहीं भी भेज सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। आप साफ साफ पूछें तो मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी भी यही कठिनाई है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या यह सही है कि प्रबन्धकों ने श्रमिकों से एप्लीकेशन्स मांगी हैं वापस नौकरी पर लेने के लिए, उसमें यह शर्त निर्धारित की है कि एक तो आपको स्थायी नहीं किया जावेगा? दूसरी शर्त यह है कि आपको, कोटा से बाहर कहीं पर भी भेजा सकता है? तीसरी यह कि जिन दिनों ड्यूटी पर नहीं लिया जायेगा उसका अलाउंस नहीं दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य। प्रश्न पूछिये।

श्री नाथूसिंह : यह श्रमिक कानून की मूल भावना के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पूछा गया है उसी के दायरे में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यह अलग से प्रश्न है।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : हाई कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे हैं प्रबन्धक।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़। प्रश्नकर्ता।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की छंटनी करके और कुछ मजदूरों

(श्री मेघराज तावड़)

को काम पर लेकर मिल चालू की गई है। अभी भी बहुत से मजदूर रह गये हैं। वहां पर धारा 144 लगा कर हड़ताल तुड़वाई गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो श्रमिक रह गये हैं, यह मैनेजमेंट की इच्छा पर ही छोड़ दिया जायेगा कि जिनको चाहे उन मजदूरों को काम पर लें। अगर मैनेजमेंट उनको काम पर नहीं लेता है तो क्या सरकार उसको मजबूर करेगी कि वह मजदूरों को काम पर ले।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही बात है कि यूनियनों के करीब 25 कार्यकर्ता अब्दुल हमीद, मांगीलाल आदि को अभी तक काम पर नहीं लिया गया है और ये लोग छंटनी में हैं? क्या सरकार उनको काम दिलायेगी? और काम दिलायेगी तो कब तक दिलायेगी?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह के श्रमिकों की संख्या है। एक तो वे श्रमिक हैं जिनकी छंटनी कर दी गई। उनकी संख्या 2386 है। दूसरे जो बचे हुए श्रमिक हैं जिनकी छंटनी नहीं की गई है उनकी संख्या बाइस सौ, तेइस सौ के करीब है। इस वक्त जे. के. फैक्ट्री चालू हो गई है। उन लोगों को काम पर लिया गया है जिनकी छंटनी नहीं की गई। मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि जिनकी छंटनी नहीं की गई उनको काम पर नहीं लिया गया है या नहीं लेना चाहते हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे सकता कि जिनकी छंटनी नहीं की गई है उसमें से कितनों को काम पर नहीं लिया गया है। उनकी संख्या मैं नहीं बता सकता।

दूसरी बात यह है कि जो श्रमिक छंटनी किये गये हैं उनके बारे में हाई कोर्ट से स्टे आया हुआ है। छंटनी के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह अनुभव किया कि मैनेजमेंट ने इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 23-एन का उल्लंघन किया है इसलिए उनको नोटिस दिया गया। प्रबन्धकों ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया....

श्री हरीश शर्मा : वे हाई कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं, वे आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। वे किसी की बात नहीं मान रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बिराजिये, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिये।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 25-एन के अन्दर सरकार ने यह माना कि उनकी छंटनी की गई है, वह अवैधानिक है। प्रबन्धकों ने धारा 25-एन का पालन नहीं किया है। उनको राज्य सरकार को लिख कर देना चाहिए था, सरकार से पूछना चाहिए था लेकिन उन्होंने इसकी पालना नहीं की इसलिए यह अवैधानिक है। सरकार ने इस पर प्रबन्धकों को नोटिस देकर पाबन्द किया। इस पर प्रबन्धकों ने उसको

(श्री हीरालाल देवपुरा)

चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि यह सैक्शन वाइड है, यह धारा होनी ही नहीं चाहिए, यह संविधान के विरुद्ध है और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। यह निर्णय दिया कि जिन लोगों की छंटनी की गई है उसके आगे फरदर छंटनी नहीं करें। जिन लोगों की छंटनी की गई है वे लोग यदि जो कुछ भी छंटनी के एवज में उनको मिलना चाहिए, उनको जो इमाल्यूमेंट्स मिलने चाहिए, जो कानून में प्रावधान है उसके आधार पर जो रकम उनको मिलनी है वह रकम अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। उन पर हाई कोर्ट के जजमेंट का कोई असर नहीं होगा। अगर धारा 25-एन को सही माना जाता है तो उन सब लोगों को रखना पड़ेगा जो रिट्रेन्चमेंट बेनीफिट लेकर गये हैं। जब तक हाई कोर्ट का स्टे है और निर्णय नहीं हो जाता है तब तक राज्य सरकार कोई भी कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जो मैंने 2368 श्रमिकों की संख्या बताई है उनके बारे में कार्यवाही करने में आज सरकार के सामने रुकावट है हाई कोर्ट के जजमेंट के कारण।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें। समय नहीं लें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, केवल एक आश्वासन मिल जाय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, अब कोई प्रश्न नहीं।

श्री मेघराज तावड़ : मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि छंटनी किये हुए लोगों को मैनेजमेंट हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद नहीं ले रहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक रेलेवेंट प्रश्न है very much relevant question.

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें, अंकित नहीं होगा।

अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। अंकित नहीं हो।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हीरालाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, बैठ जावें। ऐसा है कि इस समस्या पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कल काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, उसके बाद यह प्रश्न आया है। इस प्रश्न में भी वही प्रश्न उठाये जा रहे हैं, मन्त्री महोदय ने कल भी विस्तार से जवाब दे दिया था आज भी विस्तार से जवाब दे दिया है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि स्थिति स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष आ गई है। अब आगे चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय की बचत करें। मैं नाम पुकारता हूं श्री........

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। आप कहें एक मिनट। आर्डर, बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। समय न लें।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें। अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री अमरा राम।

ग्राम जेरला (बालोतरा) में छात्रावास का भवन

98. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या बालोतरा शहर के समीप ग्राम जेरला में समाज कल्याण छात्रावास भवन का निर्माण कराया जायगा ? यदि हो, तो कब तक ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री दुलाराम) : जी नहीं। ग्राम जेरला में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई छात्रावास ही नहीं चलाया जाता है तो भवन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

× × × माननीय सदस्य के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बालोतरा के अन्दर भवन निर्माण नहीं करने का कारण यह है कि गांव में जमीन अवेलेवल नहीं है। बालोतरा शहर के समीप गाव जेरला में भवन बनाने के लिये जमीन अवेलेवल है। इसलिये ग्राम पंचायत : मूंगडा पंचायत समिति बालोतरा ग्राम जलेरा में भवन बनाने के लिये, छात्रावास के लिये कहा है। जेरला बालोतरा में शामिल हो गया है इसलिये अलग से रेवेन्यू विलेज होने की वजह से जमीन अवेलेवल है। बच्चों को आने जाने की सुविधा होगी। वहां जमीन है क्या वहां भवन बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बालोतरा नगर का प्रश्न है। बहुत से गांव जब आबादी बढ़ती तो नगर के क्षेत्र में आ जाते हैं।

श्री बुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम जेरला की पंचायत अगर जमीन दे देगी तो हम भवन निर्माण करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अमराराम चौधरी : भवन कब तक बना देंगे ? दस-पन्द्रह साल से भवन की प्राब्लम है। कब तक आप करवा देंगे ? वहां पर जमीन है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : राजस्थान के छात्रावासों में छात्र भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं। पढ़ाई नहीं होती है। सब छात्रावासों की यही स्थिति है।

श्री बुलाराम : अध्यक्ष महोदय, जेरला का चल रहा है, सारे राजस्थान के छात्रावासों का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बैठ जाये। इतने आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता ने पूरक प्रश्न पूछा था, मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

श्री बुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति हमें जमीन अवेलेवल करा दे तो हम भवन बनवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री भगवान दास शास्त्री।

श्री सम्पत राम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे छात्रावासों का सवाल नहीं है। बहुत जमीन है। मैं, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय दूसरे सदस्य इसमें बाधा क्यों डाल रहे हैं ? मुझे सुनाई नहीं देता। मैं इजाजत दे रहा हूं।

श्री सम्पत राम : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के छात्रावास खोलना या न खोलना सरकार की नीति पर निर्भर होता है। यदि

(श्री सम्पत राम)

पंचायत समिति किसी वजह से जमीन उपलब्ध नहीं कराये तो क्या सरकार छात्रा- नहीं खोलेगी ? क्या सरकार द्वारा अन्य किसी तरीके से जमीन प्राप्त नहीं की जा सकती ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरी बात और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उसको नहीं समझा। सवाल खोलने का नहीं है भवन बनाने का है।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन सुन लीजिये। राजस्थान में जितने छात्रावास बने हैं आज तक एक भी भवन का निर्माण विभाग द्वारा नहीं हुआ। इस साल एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत 50 छात्रावास भवन निर्माण की बात सोची गई है। यह प्रश्न इस लिहाज से किया है, शहर में तो भवन बन नहीं सकता फिर कहां बनायें। इसलिये ग्राम जेरला का सजेशन दिया है, इसमें विभाग को एतराज नहीं है। पंचायत समिति जमीन दे देगी तो हम भवन निर्माण करा देंगे।

श्री सम्पत राम : फिर मेरा स्पष्ट सवाल है, यह कोई कारण नहीं है कि समाज कल्याण विभाग भवन इसलिये नहीं बनाये कि जमीन नहीं है। बहुत सी जगह इसलिये भी नहीं बने हैं।

श्री दुलाराम : ऐसा कोई मौका नहीं आया कि हमें जमीन उपलब्ध नहीं हुई। किसने कहा कि जमीन उपलब्ध कराते हैं ? इस साल आया है, हमें जमीन चाहिये और पंचायत समिति ने ना नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बालचन्द आर्यवीर : जो भापू का छात्रावास है उसकी क्या हालत है ?

पुष्कर के तीर्थ यात्रियों को बस सुविधा

99. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर से पुष्कर मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थल पुष्कर में बाहर से आये यात्रियों की सुविधार्थ पथ परिवहन निगम की बसें अजमेर नगर रेलवे स्टेशन के सामने नहीं ठहरतीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त स्थान पर परिवहन निगम की बसों का स्टापेज रखवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां।

(2) जी हां। इसका कारण यह है कि जिला प्रशासन द्वारा गांधी भवन पर भीड़ अधिक रहने के कारण निगम वाहनों को रेलवे स्टेशन के सामने नहीं रोकने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(3) यह प्रकरण प्रशासन अजमेर के विचाराधीन है। आज ही मैंने जिलाधीश

(14)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अजमेर से सम्पर्क स्थापित किया था। वे इस बात के लिये सहमत हो गये हैं और शीघ्र ही अधिकारियों को निर्देश दे देंगे ताकि रेलवे स्टेशन पर बसेज रोडवेज की रुकना चालू हो जायेंगी।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, दो तीन सप्लीमेंट्री प्रश्न हैं। उसके बाद में अधिकारी जो विघ्न डालते हैं वह ध्यान में लाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर से पुष्कर रोड पर प्राइवेट एजेन्सी वर्क करती है....

श्री अध्यक्ष : यह विवाद का विषय नहीं है, यह तो स्वीकार कर लिया।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकार किया है कि रोकना चालू की जायेंगी। जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वह रेलवे स्टेशन के पास से जाती हैं। स्टेशन के पास अगर कोई जाता है तो उसको दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। वहां एक अधिकारी हैं जिनको तीन पोर्ट फोलियो दिये हुए हैं, पुलिस, नगर पालिका प्रशासन, उसके साथ नगर दण्डनायक हैं। मुझे शिकायत है, उनको अजमेर की यातायात व्यवस्था का पता नहीं है।

रेलवे स्टेशन के पास आफिस आवर्स के वक्त ही भीड़ रहती है। उसके बाद तो जानवर ही घूमते होंगे इंसान तो कोई घूमता नहीं। अजमेर शहर उस दिन बरबाद हो गया जिस दिन राजस्थान में मर्ज हुआ। उसको आप और वंचित करते जा रहे हैं। वहां बाहर के यात्री आते हैं उनको पहले पुष्कर के लिये गाड़ी मिलती थी....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया।

श्री भगवान दास शास्त्री : आश्वासन का क्या है, लाखों आश्वासन पहले भी मिलते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन ही दिला सकते हैं और क्या कर सकते हैं।

(व्यवधान)

आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भगवान दास शास्त्री : क्या यह सही है, प्राइवेट बस वाले टिकट इश्यू नहीं करते हैं? क्या यह सही है कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। विषयान्तर हो रहे हैं। श्रीमती मल्होत्रा।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : यह विश्वास पिछले सत्र में भी दिया था कि मैं बसें चालू कर दूंगा। आज भी वही बात कह रहे हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यही बात इन्होंने आज कही कि मैंने कलेक्टर से बात कर ली। पिछले 6 महीने से यह कलेक्टर से बात करते रहे और अब यह....

(श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा)

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्या ।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, रोडवेज की बसेज़ को नुकसान हो रहा है । अधिकारियों की वजह से प्राइवेट बस वाले लाखों रुपया कमा रहे हैं, आपके अधिकारियों ने प्राइवेट बसें वहां चलायी हैं और लाखों रुपयों का नुकसान दिया है । यह आज क्यों चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का यह आरोप असत्य है कि मैंने ऐसा कोई आश्वासन दिया था कि बसें रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी । ऐसा कोई आश्वासन मैंने हाउस में नहीं दिया । इसके अलावा माननीय सदस्या उस क्षेत्र की निर्वाचित सदस्या हैं, उन्होंने जब भी यह सवाल रखा मैंने यही कहा कि आपके कलेक्टर इससे सहमत नहीं होते । यदि राजस्थान रोडवेज के अधिकारी बस चलाने से इन्कार करें तब तो मैं निर्देश दे सकता हूं लेकिन जब जिला प्रशासन ही इस बात के लिये तैयार नहीं होता तो मैं क्या कर सकता हूं । जिला प्रशासन के सभी अधिकारी बैठ कर आपस में विचार विमर्श कर यह निर्णय ले लें तो उचित होगा ।

(व्यवधान)

पिछली बार जब यह प्रश्न आया तो मैंने स्वयं जिलाधीश से सम्पर्क स्थापित करके कहा था कि यह अजमेर के सभी लोग चाहते हैं और माननीय सदस्या ने यह प्रश्न रखा है । अब यह प्रश्न फिर सामने आया है तो इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग बुला ली जाय....

श्री अध्यक्ष : 6 महीने तक तो आपने यह किया नहीं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया, अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना सही नहीं है ।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को मीटिंग करके जिलाधिकारियों के साथ इसको जस्टिफाई करवा दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है । ऐसा है कि यह पुष्कर से अजमेर तक बस चलाने के सम्बन्ध में प्रश्न है इसको अधिक नहीं बढ़ा सकते । काफी समय ले लिया । मन्त्री जी ने एक बार उत्तर दे दिया । मैं इस प्रश्न को यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से सीधी पुष्कर बस जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है । श्री यदुनाथ सिंह ।

भीलवाड़ा में प्रधान व जिला प्रमुखों का सम्मेलन

100. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दि. 19, 20 व 21 जुलाई, 1983 को भीलवाड़ा में प्रधान तथा जिला प्रमुखों का कोई सम्मेलन हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्मेलन पर राज्य सरकार का कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि प्रधान तथा प्रमुखों ने इस सम्मेलन में भाग लेने सम्बन्धित यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्राप्त किया है ?

पंचायत राज मन्त्री (श्री शीशराम ओला) :
(1) दिनांक 19 व 20 जुलाई, 1983 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) द्वारा जिला परिषदों के प्रमुखों व पंचायत समिति के प्रधानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन पर राज्य सरकार द्वारा व्यय नहीं किया गया।

(2) सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रधान व प्रमुख इस कार्य के लिये पंचायत समिति एवं जिला परिषद से यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान और प्रमुखों का सम्मेलन था। क्या यह सही है कि इन प्रधानों और प्रमुखों को बुलाने के लिये सरकार की ओर से वायरलैस किये गये ?

दूसरा, क्या यह सही है कि पंचायत समितियों और जिला प्रमुखों ने इस सम्मेलन के सम्बन्ध में विज्ञापन दिये हैं ?

श्री शीशराम ओला : कोई वायरलैस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई। यह तो केवल पार्टी का सम्मेलन था, पार्टी ने सूचना दी।

श्री यदुनाथ सिंह : सोच कर कहिये। वायरलैस की प्रति पेश कर दी जायेगी।

श्री शीशराम ओला : यह पार्टी का सम्मेलन था।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या किसी जिला परिषद् और पंचायत समिति ने इस सम्मेलन से सम्बन्धित विज्ञापन दिये थे ? अगर पार्टी का सम्मेलन था तो इसमें डायरेक्टर, डवलपमेंट ने किस हैसियत से भाग लिया और उन्होंने टी. ए., डी. ए. उठाया ?

श्री शीशराम ओला : यह आपने अपने प्रश्न में नहीं पूछा है कि क्या कोई विज्ञापन भी दिये गये थे ? यों क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय. मन्त्री महोदय इस सवाल को टालना चाहते हैं। मन्त्री महोदय नाटक करके इस सवाल को टालना चाहते हैं।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

(व्यवधान)

राजनैतिक भावना से यह सम्मेलन बुलाया गया था........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह शांत रहें। आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता।

श्री यदुनाथ सिंह : यह ठीक है कि मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा। इसका मंत्री महोदय के पास जवाब नहीं है, तो यह जवाब देने की कृपा करें कि क्या पार्टी के सम्मेलन के लिये विज्ञापन दिये जा सकते हैं ?

श्री शीशराम ओला : यह सवाल नहीं पूछा है, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं पूछ रहा हूं दिये जा सकते हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, आसन पैरों पर है।

किसी कार्य को किया जा सकता है या नहीं यह तो, व्यावहारिक ज्ञान का प्रश्न है इसलिये इस तरह से नहीं पूछा जा सकता कि किन परिस्थितियों में दिये जा सकते हैं किन परिस्थितियों में नहीं दिये जा सकते।

प्रश्नकर्ता।

श्री यदुनाथ सिंह : अधिकारी किस हैसियत से वहां गये ? उन्होंने टी.ए.डी.ए. उठाया या नहीं, जब कि यह पार्टी का सम्मेलन था ?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देने से बच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रिमण्डल के सदस्य प्रांगण में एक दूसरे की राय ले सकते हैं।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, इस सम्मेलन में मुख्य मंत्रीजी थे, दूसरे मंत्रीगण भी थे, मैं स्वयं भी था। तो जहां सी. एम. होंगे, दूसरे मंत्री होंगे वहां प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे, यह जरूरी है कि वहां प्रशासनिक अधिकारी हों।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रधान पंचायत समितियों की जीपें लेकर गये हैं।

(व्यवधान)

पंचायती राज को खिलौना बना रखा है। यह धांधली नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। अव्यवस्था न फैलावें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर। इस प्रश्न के बारे में आप नहीं पूछेंगे।

श्री राजबहादुर (भतरपुर) : क्या पार्टी परपज के लिये गवर्नमेन्ट मशीनरी का इस्तेमाल हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। वह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया माननीय सदस्य शांत रहें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कृपया शांति से बैठें। यह हम सबों के लिये अच्छा नहीं है कि बार-बार आसन साधारण नियमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न और उत्तर दिये जाते हैं उनको शांति से सुने और सदन में व्यवस्था बनाये रखें।

अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री हंसराज, सुश्री पुष्पा जैन, श्री यदुनाथ सिंह।

विशिष्ट शासन सचिव द्वारा पर्यटन निगम के वाहनों का उपयोग

101. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर), **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) व **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुधीर वर्मा, विशिष्ट शासन सचिव ने पर्यटन निगम के वाहनों का उपयोग किया है ? यदि हां, तो किस किस माह में कितने कितने किलोमीटर तक ये गाड़ियां चलीं और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इन गाड़ियों की समय पर और सही रूप में लाग बुक नहीं भरी गई ? क्या निगम की एक गाड़ी

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हंसराज शर्मा)

मय ड्राइवर उनके घर पर तैनात की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि एक गाड़ी की लाग बुक खो गई बताई ? यदि हां, तो कैसे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) श्री वर्मा पर्यटन निगम की गाड़ी किस-किस कार्य के लिये अपने उपयोग में लाने में सक्षम हैं ?

(5) लाग बुक खो जाने की स्थिति में गाड़ी के सही उपयोग की जांच किस प्रकार की गई ?

राज्य मंत्री पर्यटन (श्री बी.डी.कल्ला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित किया जाये ?

श्री यदुनाथ सिंह : पिछले सदन में पूछा था, इसको स्थगित कर दिया गया अब फिर कह रहे हैं कि इसको स्थगित किया जाये....

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में श्री रामकिशोरजी ने यह सवाल उठाया था और इसका उत्तर भी आ चुका है। अब यह कह रहे हैं कि यह सवाल लम्बा है इसलिये इसको स्थगित किया जाये। मंत्री महोदय सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर न हो इसलिये समय की मांग कर रहे हैं। अगले सत्र में जब यह सवाल आयेगा तब निश्चित रूप से मंत्री महोदय की ओर से यह जवाब आयेगा कि निदेशक महोदय का निधन हो गया है इसलिये इस विषय की पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को शर्म आनी चाहिये।....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। प्रश्न को स्थगित किया गया।

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या कारण है ? क्यों इसको स्थगित कर रहे हैं।

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा से सम्बन्धित जो प्रश्न उत्तर आते हैं उसकी पत्रावली निदेशक महोदय अपने पास रखा करते थे। उनके निधन के कारण यह कागज लोकेट नहीं हो पाये हैं इसलिये इसको स्थगित करने के लिये निवेदन किया है। पर्यटन विभाग के सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के रूप में उन्होंने काम किया है। जो गाड़ी यूज में ला गई है—

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं—

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री देवीसिंह भाटी।

(व्यवधान)

कृपया शांत रहें।

Page No 20

(20)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप यह उचित समझते हैं कि किसी अधिकारी की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो जाये, निधन हो जाये तो उसके कारण सरकार का कामकाज ठप्प हो जाये ? सरकार की फाइलें अधिकारी के पास रहें या डिपार्टमेन्ट के पास रहें, जवाब डिपार्टमेन्ट देगा या अमुक अधिकारी देगा। मामला उनका नहीं है। उन से सम्बन्धित नहीं है। मामला किसी दूसरे से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में पत्रावली विभाग में होगी। विभाग अपने पास रखता है....

संसदीय कार्य मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़): अध्यक्ष महोदय ने इसको पोस्टपोन कर दिया है। अगले सत्र में आप पूछ लेना।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जिस प्रकार से गवर्नमेन्ट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसी प्रकार हम को भी प्रोटेक्शन दें। हम को भी अधिकार है। डेमोक्रेसी के सही संचालन, हाउस के सही संचालन के लिये आप बराबर परेशान हैं। हुमको प्रोटेक्शन देंगे तो....

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष का कहना है कि इनको ज्यादा दे रहा हूं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्दिराजी को शिकायत करने के लिये कहते हैं। आपकी शिकायत करने के लिये कहा करते हैं।....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप नयी बातें दिमाग में ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष हैं और आपको, हम को बराबर मानते हैं। नमस्ते भी पहले आप से करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके लीडर ने प्रधान मंत्री से शिकायत की है।....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं।

अगला प्रश्न, श्री देवी सिंह भाटी।...

(व्यवधान)

मैंने निवेदन किया है कि आज इसको स्थगित कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम को प्रोटेक्शन दें। इसको कल ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता और सरकार के प्रतिनिधि से बात कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात करके फैसला तो आपको देना है।....

श्री अध्यक्ष : सरकार की कठिनाई क्या है यह भी मैं सुन लूं। मैंने व्यवस्था दे दी है।

प्रश्न संख्या 102।

राजस्थान ऊन विपणन फैडरेशन की उपलब्धियां

102. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान ऊन विपणन फैडरेशन में मार्च, 1977 से आज तक के क्या लक्ष्य एवं उपलब्धियां रही हैं ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1980–81, 1981–82, 1982–83 व 1983–84 में जिला बीकानेर में कितनी ऊन भेड़पालकों से खरीदी गई ? वर्ष 1983–84 में राजस्थान में ऊन खरीद हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य फैडरेशन खुले बाजार में ऊन की घटी कीमत से प्रभावित भेड़पालकों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है ? वर्ष 1978 से जुलाई, 1983 तक के ऊन भाव का फसलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री राम किशन वर्मा : (1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि०, जयपुर की स्थापना मार्च, 1977 में हुई। राज्य के भेड़पालकों को सहकारिता के आधार पर संगठित कर ऊन एवं जानवर क्रय विक्रय कर उन्हें उचित मूल्य दिलवाना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (संलग्न परिशिष्ट "क") ।

(2) बीकानेर जिले में भेड़पालकों से वर्ष 1980–81 में 1,73,892 किलोग्राम, 1981–82 में 1,21,221 किलोग्राम व वर्ष 1982–83 में 5,295 किलोग्राम ऊन क्रय की गई है। वर्ष 1983-84में वर्तमान में 2600 क्विन्टल का लक्ष्य ऊन क्रय का रखा गया है। वर्ष 1983–84 में राजस्थान में ऊन क्रय हेतु 91.03 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है ।

(3) ऊन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए फैडरेशन भेड़पालकों को सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने जैसे; उनके माध्यम से भेड़ बकरी ऊन क्रय कर कमीशन देने की व्यवस्था, विदेशों में ऊन के आयात पर प्रतिबन्ध करने से उनके स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास कर रही है वर्ष 1978 से जुलाई, 1983 तक कतरण वार ऊन के बाजार भाव सदन के पटल पर रख दिये गये हैं। (परिशिष्ट) "ख" ।

(विवरण एवं परिशिष्ट 'ख' के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने जो सूची दी है उसके अनुसार वर्ष

(श्री देवीसिंह भाटी).

1978 से जुलाई, 1983 लक्ष्य और उपलब्धियों में निरन्तर कमी क्यों आई है उसका कारण बतावें ? दूसरा कारण आप यह बतायें कि भेड़पालकों को सही मूल्य मिलें इसके लिये राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि० की स्थापना की गई, परन्तु आपने जो मुझे सूची दी है उसके अनुसार आपने बताया है कि फरवरी मार्च, 1978 से निरन्तर आपके जो भाव बढ़ाने के प्रयास हैं उनमें कोई प्रगति नहीं हुई है, उल्टे जो फरवरी मार्च, 1978 में 35 रुपये भाव थे वह आज के दिन जुलाई, 1983 में 20 से 22 रुपये आपने बताया, इसका क्या कारण है, इसके लिए आपने क्या प्रयास किये हैं जिससे भेड़पालकों को पूरे पैसे मिल सकें और बिचौलियों से बचाया जा सके ?

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : कभी भेड़ देखी है।

श्री रामकिशन वर्मा : भेड़ नहीं देखी तो आपको देख कर ही भेड़ मान रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : आप सबको....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : आप सबको, मंत्री जी, भेड़ मान रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सबको भेड़ मान रहे हैं. यह आपत्तिजनक है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझे भेड़ कैसे कह दिया यह इनका क्या नाप-तौल है ?

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : मंत्री जी को भेड़ों की याद आती होगी।

श्री महाराम चौधरी : मैंने कहा आप तो भेड़ ऊन...

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न का उत्तर आने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है उससे मुझे ठेस लगी है इस पर घोर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। शान्त रहें। विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्होंने केवल इतना सा पूछा था कि आपने कभी भेड़ देखी है। महारामजी ने इतना सा पूछा कि आपने भेड़ देखी है इसका जवाब यह नहीं हो सकता कि आप भेड़ हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने तो भेड़-पालक कहा है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है, गलत है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

मैं सदन की कार्यवाही देख लूंगा और उचित कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज मंत्री महोदय।

श्री रामकिशन वर्मा : भारत सरकार के आयात करने की वजह से जो हमारी ऊन थी उसकी कीमत कम मिलती थी लेकिन अब राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिख दिया है। कुछ पर्सेन्टेज ऊन के आयात के कारण कमी रही है, यह कारण है कि ऊन के भाव पहले के मुकाबले बढ़े हैं।

श्री देवीसिह भाटी : कहां बढ़े हैं?

श्री रामकिशन वर्मा : ऊन के भाव बढ़ने से भेड़पालकों को ज्यादा लाभ मिलने लगा है।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सप्लमेन्ट्री प्रश्न था उसके अनुसार मैंने यह पूछा है कि 78–79 से आपके जो लक्ष्य रहे हैं, उनमें निरन्तर कमी आने का क्या कारण है, यह बतायें?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामकिशन वर्मा वर्ष 1978–79 में यह कारण था कि जो बिचौलिये हुआ करते थे वे ज्यादा मुनाफा बीच में ही काम लेते थे और भेड़पालकों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। यही वजह थी।

श्री देवीसिह भाटी : लक्ष्य और उपलब्धियों में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन वर्मा : इसी वजह से सहकारी समितियों का गठन किया गया ताकि भेड़पालकों का उचित लाभ मिल सके। बिचौलियों के कारण उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। सहकारी समितियों से पूरा लाभ मिलेगा।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर नहीं है। मैंने तो यह पूछा वर्ष 1978–78....

श्री अध्यक्ष : आप तो धीरज से पूछिये इतनी उतावल क्या है। धीरे-धीरे प्रश्न पूछें ताकि सदन समझ सके।

श्री देवीसिह भाटी : यह 1978–79 के अन्दर जो लक्ष्य रखा 6600 क्विन्टल, इसी प्रकार वर्ष 1979–80 में, 1981–82, 82–83 में निरन्तर इन लक्ष्यों में कमी क्यों आई, इसका क्या कारण है? एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि ऊन फैडरेशन की स्थापना गई ताकि भेड़पालकों को बिचौलियों से बचाया जा सके और उनको सही दाम मिल सके फिर आपके

(श्री देवीसिंह भाटी)

लक्ष्य और उपलब्धि में कमी क्यों आती जा रही है ?

श्री रामकिशन वर्मा : बिचौलियों से बचाने के लिए ही फैडरेशन की स्थापना की थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। प्रश्नकर्ता।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा प्रश्न स्पष्ट है। इन्होंने खुद बताया कि ऊन फैडरेशन की स्थापना सन् 1977 में इसलिए की गई थी ताकि भेड़पालकों को बिचौलियों से बचाया जा सके। फिर यह लक्ष्यों में निरन्तर कमी क्यों आती जा रही है ? फिर फैडरेशन की उपयोगिता क्या हुई, भेड़पालकों को क्या फायदा मिला ? इसका उत्तर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये, माननीय सदस्य। धीरज रखें। मंत्री महोदय।

श्री रामकिशन वर्मा : एक तो 1981–82 में बिचौलिये थे और अब भी हैं, बेचारे भेड़पालक अनपढ़ हैं, बिचौलियों की बातों में आकर माल उन्हें बेच देते हैं। इसी कारण से हम लक्ष्य पूरे नहीं कर पाये।

श्री अध्यक्ष श्री रामधन।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया कि सहकारी समितियों के माध्यम से ऊन लेते हैं, यह बात अब भी सही नहीं है। बीकानेर के अन्दर कुछ फर्जी सोसायटी हैं उनसे ही विभाग पर्चेज करता है। मैं खुद ऊन ले जाने वालों में से हूं इसलिए मेरे खुद का यह अनुभव है। फर्जी सोसायटी से ये ऊन लेते हैं। भेड़पालकों को एक पर्सेन्ट भी नहीं मिलता है। इस तरफ मंत्री महोदय ध्यान देंगे कि सीधे ही भेड़पालकों से ही ऊन पर्चेज करें और उनका जो कमीशन है, उनका जो हिस्सा है वह पूरा मिलें यह आप कर सकेंगे क्या ?

श्री रामकिशन वर्मा : फर्जी सोसायाटी होगी तो उसकी जांच करवा लूंगा। गलत पायी गयी तो उसको हटा दिया जायेगा।

श्री महाराम चौधरी : राजस्थान के अन्दर जो टोटल ऊन उत्पादित होती है उसमें से कितने प्रतिशत आपके फैडरेशन के जरिये खरीदी जाती है ? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रतिशत तो आप देख लें। इन्होंने जितनी ऊन खरीदी है उसको उसमें से कम कर दें।

श्री रामकिशन वर्मा : मेरे पास इस समय विवरण उपलब्ध नहीं है। यह अलग प्रश्न है। आप मेरे से मिल लें, मैं बता दूंगा।

श्री महाराम चौधरी : अलग से प्रश्न नहीं है। जब कि भेड़पालकों को प्रोत्साहन देने के लिये....

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है....

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बिचौलियों की बात बतायी उनके कारण ऊन का लक्ष्य से कम उत्पादन हुआ है या किसी कारण से भेड़ों की मृत्यु दर भी बढ़ती हुई पायी गयी है ?

श्री रामकिशन वर्मा : मैं पूरा सुन नहीं सका। आप दुबारा पूछ लें।

श्री रामकंवार बैरवा : मंत्री महोदय क्या बिचौलियों की वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है या भेड़ों की मृत्यु दर ज्यादा हो गयी है ?

श्री रामकिशन वर्मा : पिछले 5 वर्षों में भारी मात्रा में ऊन का आयात हुआ है इस वजह से भी फैडरेशन ज्यादा ऊन नहीं खरीद पाया। उस वजह से भी ऐसा लग सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री यदुनाथ सिंह : भेड़ों की मृत्यु दर बढ़ी क्या ?

श्री महाराम चौधरी : वे सब भेड़ें खा गये।

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : ऊन क्रय करने का काम पहले विभाग किया करता था। फैडरेशन बनने के बाद ऊन क्रय करने का काम फैडरेशन करता है। क्या फैडरेशन लक्ष्य के आधार पर ऊन इसलिये क्रय नहीं कर पाया कि जिला स्तर पर पर्चेजिंग आफिसर नहीं थे ? जिला स्तर पर पर्चेजिंग आफिसरों को नियुक्त करने के लिये 80 से अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामकिशन वर्मा : जहां तक मेरी जानकारी है, सब जगह पर अधिकारी नियुक्त हैं। अगर कहीं नहीं होंगे तो अधिकारी नियुक्त कर दिये जायेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : ऊन पर्चेजिंग आफिसर कहां कहां पर हैं, यह आपको जानकारी है ? आपने सब जगह ऊन पर्चेजिंग आफिसर की नियुक्ति नहीं कर रखी है इसलिये ही जो ऊन क्रय करने का

(श्री नन्दलाल मीणा)

लक्ष्य रखा गया था वह पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि 1982–83 में केवल 136.92 क्विटल ऊन क्रय की गयी है इसके लिये कौन जिम्मेदार है।

समाज कल्याण मन्त्री, (श्री दूलाराम) : आपकी गड़बड़ी है।

श्री अध्यक्ष : बाधा न डालें, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जैसलमेर में जहां भेड़ें इतनी ज्यादा हैं वहां पर तो ये क्रय करते ही नहीं हैं।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : कोई आफिसर ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति दे रहा हूँ। आप कृपया धैर्य रखें।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों से राजस्थान में लगातार अकाल पड़ने से भेड़पालक अपनी भेड़ों को वहां से लेकर निकल गये हैं और राजस्थान से बाहर चले गये हैं इसलिये उनकी ऊनाई बाहर हुई ? एक बात। दूसरे, राजस्थान के अन्दर ऊन का उपयोग बहुत कम किया जाता है इस वजह से भी क्रय कम की गयी है। क्या आप राजस्थान के अन्दर बीकानेर की तरह से अलग अलग जिलों, जहां पर गुंजाइश है, में ऊन आधारित उद्योग लगाना उचित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा भेड़ बाड़मेर और जैसलमेर में है। जो फैडरेशन ऊन क्रय करती है ·····

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : अब तो जयपुर में भी आ गयी हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : यह फैडरेशन है कहां पर ? इसका पता ही नहीं है। हमारे यहां पर तो यह ऊन क्रय करता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री रामधन चौधरी : बीकानेर में ही खरीदी जाती है। ढाई प्रतिशत कमीशन और दिया जाता है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : जहां तक ऊन खरीदने का प्रश्न है वह तो सहकारी समितियों के माध्यम से ही खरीदी जाती है। मिल का प्रश्न है तो वह चूरू में लगायी थी लेकिन फेल हो गयी। वैसे यह उद्योग विभाग का काम है, मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : 1983–84 के अन्दर एक किलो भी ऊन नहीं खरीदी गयी है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न 119 का जवाब दिला दें। एक भी पूरक प्रश्न नहीं करूंगा।

श्री महाराम चौधरी : भेड़ ये खा गये। ऊन ये खा गये ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत बाधा उपस्थित करते हैं। अंकित नहीं हो।

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। केवल सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 119

बारां, दौसा, हनुमानगढ़ को जिला बनाने का निर्णय

119. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) व श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बारां, दौसा व हनुमानगढ़ को जिला बनाने का मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति में विलंब के क्या कारण हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री राजस्व, (श्री जयकृष्ण शर्मा) : जी नहीं। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्यों नहीं करेंगे।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री दूलाराम) : कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 28

(28)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत बीजरोल खेड़ा (जालौर) के सरपंच द्वारा प्रस्तुत शिकायत

117.श्री सूरज पाल सिंह :(भीनमाल)व

श्री रामदेव सिंह (घोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दरमियान राजस्व अभियान, ग्राम बीजरोल खेड़ा,जिला जालौर, तहसील सांचौर में मौके पर ग्राम पंचायत बीजरोल के सरपंच श्री मांधाराम रेबारी एवं श्री रूड़ाराम भूतपूर्व सरपच ने गांवाईनाड़ी की पटवारी द्वारा खातेदारी देने की शिकायत की थी ? क्या यह भी सही है कि इसकी शिकायत जिलाधीश जालौर को भी उक्त सरपंचों ने पेश की थी ? यदि हां, तो कब एवं उस बारे में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सरपंच श्री माधाराम रेबारी ने उक्त पटवारी के विरुद्ध राजस्व मन्त्री के पास दिनांक 23-7-1983 को शिकायत पेश की थी ? क्या यह भी सत्य है कि राजस्व मंत्री ने पत्र सं.1515 दिनांक 23-7-1983 के द्वारा रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल को शीघ्र जांचकर, जांच रिपोर्ट मंगवाई थी ? यदि हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सरकार उक्त पटवारी के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों के कारण उसको तहसील सांचौर से बाहर शीघ्र तबादला कर उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराना उचित समझेगी ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि पटवारी श्री रूपसिंह के विरुद्ध सांचौर हल्के की भी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनके बारे में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(5) उक्त पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का रिकार्ड का सबूत प्राप्त होते हुए भी अब तक उनको मौअत्तिल क्यों नहीं किया गया है ? अब उनको मौअत्तिल कब तक कर दिया जावेगा ? क्या सरकार दरमियान जांच उनको मुख्यालय जालौर स्थानान्तरण करना न्यायसंगत समझेगी ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। एक शिकायत प्राप्त हुई है जो प्राथमिक जांच हेतु तहसीलदार सांचौर को भेजी गई है। बाद जांच अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(2) पटवारी के विरुद्ध प्राथमिक जांच को जाकर आरोप पत्र दिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार जारी है। दोषी पाये जाने पर उचित दण्ड पटवारी को दिया जावेगा। स्थानान्तरण पूर्व में ही अन्यत्र किया जा चुका है।

(राजस्व मन्त्री)

(3) जी हां। सरपंच द्वारा शिकायत की गई थी जिस पर प्राथमिक जांच तहसीलदार सांचौर से सम्पन्न करवाई जा चुकी है तथा विभागीय जांच की कार्यवाही पटवारी के विरुद्ध विचाराधीन है।

(4) जी हां। जांच विचाराधीन है।

(5) जी हां। उक्त पटवारी श्री रूप सिंह का स्थानान्तरण अन्य तहसील में किया जा चुका है। उसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विभागीय जांच की कार्यवाही विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत शेरपुर के ग्राम भठेरडा की खातेदारी व गोचर भूमि पर जयपुर उद्योग का कब्जा

118. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत शेरपुर के ग्राम भठेरडा की खातेदारी व गोचर भूमि पर जयपुर उद्योग का कब्जा है? यदि हां, तो कितनी खातेदारी की भूमि और कितनी गोचर भूमि पर? क्या उक्त भूमि का मुआवजा दे दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर उद्योग द्वारा ग्राम भठेरडा की गोचर भूमि तत्कालीन सरपंच से मिलकर उद्योग के नाम कराली गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गोचर भूमि पर अभी तक उद्योग का कब्जा नहीं हुआ है? क्या सरकार द्वारा उक्त अवैध कार्यवाही को निरस्त किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राजस्व रिकार्ड में इस गांव की 12 बीघा 4 विस्वा भूमि इस उद्योग के नाम अंकित है।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है।

(3) ग्राम भठेरडा की कोई गोचर भूमि उद्योग के नाम नहीं हुई है। अतः इसको निरस्त करने की कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

निवाई के पहाड़ में चेजा पत्थर निकालने के खनन पट्टे

119. **श्री द्वारका प्रसाद बैरवा** (निवाई) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निवाई के पहाड़ में चेजा पत्थर निकालने के खनन पट्टे कितने लोगों को कितने कितने वर्ष के लिए दिये गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री द्वारका प्रसाद बैरवा)

(2) क्या पहाड़ के खनन पट्टे स्वीकृत करते समय खनिज विभाग के नियमों का पालन किया गया था ?

(3) क्या खनन के ठेकेदार नियमानुसार डैड रेन्ट समय-समय पर जमा करा रहे हैं? यदि हां, तो स्वीकृत तारीख से अब तक कितनी राशि खनिज विभाग में जमा हुई है ? यदि राशि बकाया है, तो अब तक नियमानुसार क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि निवाई के एक चेजा पत्थर के ठेकेदार के विरुद्ध हजारों रुपयों का डैड रेन्ट बकाया है फिर भी उसकी लीज का नवीनीकरण कर दिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि निवाई पहाड़ में वृक्ष आदि नहीं होने के बावजूद भी रिजर्व फारेस्ट की परिधि में खनन क्षेत्र को ले लिया गया है ?

(6) क्या सरकार निवाई चेजा पत्थर के ठेके अनुसूचित जाति के लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत देने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) निवाई पहाड़ में 9 व्यक्तियों को 14 खनन पट्टे खनिज चेजा पत्थर के दिये हुए हैं। 14 खनन पट्टों में 8 पांच वर्ष की अवधि के लिये व 6 दस वर्ष की अवधि के लिये दिये हुए हैं। सूची परिशिष्ट 'क' पर है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। खनन पट्टों की प्रारम्भ अवधि से अब तक रुपये 3,04,480/- की राशि डैड रेन्ट व अधिक अधिशुल्क के रूप में जमा हुई है। वर्तमान में चालू तिमाही के डैड रेन्ट की कुल राशि रु. 5111/- बकाया है, जिसकी वसूली हेतु नियमानुसार नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी. टी. शीट में यह प्रोटेक्टेड फारेस्ट में दिखाया हुआ है।

(6) चेजा पत्थर की खानें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार आवंटित की जा सकती हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

पंचायत क्षेत्र में पटवारी की नियुक्ति

120. **श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक पटवारी की नियुक्ति

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

की जाती है ? कृपया पाली जिले की प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कहां-कहां कौन-कौन पटवारी और कब से कार्यरत है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धित तहसील के निवासी पटवारी को उसी तहसील क्षेत्र में पदस्थापन करने में भेदभावपूर्ण और भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिला है ? यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि पटवारी के मुख्यालय पर पटवार घरों के अभाव में इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को भारी कठिनाई उठानी पड़ती है, साथ ही सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार पटवार घरों का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पटवारी की नियुक्ति पटवार मण्डल में की जाती है । एक पंचायत में एक या एक से अधिक पटवार मण्डल हो सकते हैं । पाली जिले के पटवारियों की सूची संलग्न है ।

(2) यह आवश्यक नहीं है कि पटवारी का पदस्थापन निजी तहसील में ही हो ।

(3) जी नहीं । कई स्थानों पर पटवार घर उपलब्ध हैं । जहां पटवार घर उपलब्ध नहीं है वहां पटवारियों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर में किराया भत्ता दिया जाता है । उपलब्ध बजट के अनुसार नये पटवार घरों का निर्माण भी कराया जाता है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला सवाई माधोपुर में सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन

121. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 25–6–1982 व 30–6–1982 को ग्राम पंचायत महस्वा तहसील टोडाभीम, जिला सवाईमाधोपुर में सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर तथा आवंटन के समय सलाहकार समिति के कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ प्रार्थना-पत्र दिनांक 25–6–1982 को नाबालिग होने, अधिक भूमि होने, बाहर होने, सरकारी सेवा में होने के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा निरस्त कर दिये थे किन्तु पुनः उन्हीं व्यक्तियों को दिनांक 30–6–1982 को आवंटन कर दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन को तथा किस-किस आधार पर ?

(श्री रामकिशोर मीणा)

(3) दिनांक 30-6-1982 को हुई आवंटन सलाहकार समिति की बैठक के समक्ष आवंटन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ? इनमें से कितने प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये ? कृपया खारिज किये गये प्रार्थना-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गैर मुमकिन तलाई का भी आवटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(5) क्या इन आवंटनों के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है और उसकी जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आवंटन की कार्यवाही दिनांक 25-6-82 व 30-6-82 को विद्यालय भवन में जो पंचायत भवन से कुछ ही दूरी पर है उसमें उपस्थित सभी लोगों के जल से ग्राम में की गई। दिनांक 25-6-82 को उप जिलाधीश हिण्डौन की अध्यक्षता में आवंटन समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री उदयचन्द, प्रधान, पंचायत समिति टोड़ाभीम।

2. श्री नवलसिंह, तहसीलदार, टोड़ाभीम।

3. श्री बाबूलाल जैन, विकास अधिकारी, पंचायत समिति टोड़ाभीम।

4. श्री सुखराम, सदस्य, अनुसूचित जाति, पंचायत समिति टोड़ाभीम।

दिनांक 30-6-82 को उप जिलाधीश हिण्डौन की अध्यक्षता में आवंटन समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री चेतराम मीणा, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, टोड़ाभीम।

2. श्री उदयचन्द, प्रधान, पंचायत समिति टोड़ाभीम।

3. श्री नवलसिंह, तहसीलदार, टोड़ाभीम।

4. श्री बाबूलाल जैन, विकास अधिकारी, टोड़ाभीम।

5. श्री सुखराम, सदस्य, अनुसूचित जाती, पंचायत समिति टोड़ाभीम।

(1) श्री नारायण लाल सरपंच बावजूद उपस्थिति कमेटी में हाजिर नहीं हुए।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) दिनांक 30-6-1982 को हुई आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 242 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया। 161

(राजस्व मन्त्री)

व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र खारिज किये गये। सूची प्राप्त न होने से प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। शिकायत तथ्यहीन व निराधार पाई गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

बांसवाड़ा जिले में मार्बल प्लांट

123. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) बांसवाड़ा जिले में मार्बल पत्थर कहां-कहां निकलता है तथा जिले में कितने मार्बल प्लांट कहां-कहां लगे हुए है ?

(2) क्या उक्त मार्बल प्लांट्स में काम करने वाले मजदूरों को सरकार द्वारा मान्य वेतन दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि त्रिपुरा सुन्दरी मार्बल प्लांट, बांसवाड़ा में कार्यरत श्रमिकों से 8 घण्टे से भी अधिक कार्य लिया जाता है तथा इन श्रमिकों को उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती ?

(4) क्या सरकार इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में मार्बल पत्थर मुख्यतः त्रिपुरा सुन्दरी, ओडा बीसी, भीमें कुण्ड, विथलदेव, पाटन, पल्लाई, आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। जिले में सिर्फ एक मार्बल कटिंग का प्लांट हैं जो त्रिपुरा सुन्दरी में लगा हुआ है।

(2) मान्य वेतन का भुगतान नहीं करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) प्रश्न नहीं उठता। यदि कोई शिकायत आई तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

डूंगरपुर जिले के खनन पट्टे

124. **श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में किस-किस प्रकार का खनिज किन-किन स्थानों पर निकलता है ? क्या सरकार खानों को लीज या आवंटन निर्धारित प्रणाली का पालन करके देती है ?

(2) क्या यह सही है कि पाल सुराता में मार्बल के पट्टे जिले से बाहर के व्यक्तियों

(३५)

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)

को दिये गये हैं तथा स्थानीय ग्रादिवासियों की दरख्वास्तों तक को खारिज किया गया क्या ये पट्टे वन विभाग की भूमि पर दिये गये हैं ?

(3) क्या डूंगरपुर जिले के बलवाड़ा पाल एवं ग्रास-पास के क्षेत्र में पट्टी, कातला की ज्यादातर लिजेज ग्रादिवासिग्रों के नाम हैं परन्तु उसका पूरा मुनाफा सवर्ण लोग उठाते हैं एवं ग्रादिवासियों को उस पर मजदूरी भी नहीं मिलती ? यदि हां, तो सरकार उसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में पाये जाने वाले खनिजों की सूची परिशिष्ट "क" पर है। राज्य सरकार खानों की लीज का ग्रावंटन निर्धारित प्रणाली की पालना करके ही करती है।

(2) जी नहीं। पाल मुराता में मार्बल के पट्टे के लिये कोई भी ग्रावेदन पत्र प्राप्त नहीं हुग्रा है, न वर्तमान में कोई ग्रलग पट्टा चालू है।

(3) जी हां। जहां तक इन खान पट्टों का लाभ सवर्ण लोगों द्वारा उठाये जाने का प्रश्न है, शासन के पास इस तथ्य की कोई शिकायत ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

झालावाड़ जिले की चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जे

125. **श्री बालचन्द ग्रार्यवीर** : (डग) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में कितनी चरागाह भूमि है तथा उस भूमि पर कितने व्यक्तियों ने कितने समय से ग्रनधिकृत कब्जे कर रखे हैं ? कृपया तहसीलवार एवं ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कब्जा हटाने हेतु कब-कब क्या-क्या प्रयास किये गये तथा कितने व्यक्तियों के कब्जे हटा दिये गये ? शेष भूमि पर से कब तक ग्रनधिकृत कब्जे हटा दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में 52447 हैक्टेयर चरागाह भूमि है। इस भूमि में से 6107 व्यक्तियों ने लगभग 12657 बीघा चरागाह भूमि पर ग्रनधिकृत कब्जे कर रखे हैं।

तहसीलवार एवं ग्रामवार सूची विस्तृत होने के कारण इस ग्रल्प समय में प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व ग्रधिनियम, 1956 की धारा 91 एवं इसके ग्रन्तर्गत बने नियमों के तहत कार्यवाही की जाकर चरागाह भूमि पर से ग्रतिक्रमण हटाने के

(राजस्व मन्त्री)

लिए कार्यवाही की जाकर 4107 अतिक्रमियों के कब्जे हटाने के आदेश दिये गये तथा 148 अतिक्रमियों को सिविल जेल की सजा दी गई। शेष भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

बाड़मेर, जैसलमेर जिलों की गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे

126. श्री अमीन खां (शिव) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में गोचर भूमि पर पिछले 6–7 वर्षों से लोगों ने बिना जरूरत नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो तहसील व ग्रामवार सूची मय रकवा के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन-जिन लोगों ने व्यापारिक दृष्टि से गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं उन्हें हटायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। नियमानुसार बेदखल की कार्यवाही करदी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश कोटा को निर्देश

127. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने जिलाधीश कोटा को अपने पत्र डी. ओ. न. एफ. 7(6) रेवेन्यू बी. 71 दिनांक 23–3–71 के द्वारा दिशा निर्देश दिया है कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में भी भूमि के वर्गीकरण के आधार पर कृषि भूमि की सीलिंग सीमा तय की जावे ? यदि हां, तो क्या इस दिशा निर्देश की पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या अनुशासनहीनता के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(2) क्या यह सच है कि आज तक भी चम्बल कमाण्ड क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक घोषित किया जावेगा ? यदि नहीं, तो कृपया घोषणा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 23-3-71 द्वारा जिलाधीश, कोटा को यह सूचित किया गया था कि सीलिंग सीमा निर्धारित करते समय भू-प्रबंध अभिलेख की प्रविष्ठियों का ध्यान रखा जावे। इससे प्रवाप्त होने वाला क्षेत्र कम हो जावेगा। उक्त निर्देशों के अनुसार ही सन् 1975 तक कोटा संभाग में सीलिंग

(राजस्व मन्त्री)

प्रकरण के निर्णय दिये गये किन्तु इसके पश्चात् राजस्व मण्डल के निर्णय आर. आर. डी. 1976 पृष्ठ 593 की अनुपालना में समस्त चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की भूमि को सिंचित मानकर निर्णय दिया गया है। और राज्य सरकार ने भी सन् 1977 के पश्चात् चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की भूमि के सम्बन्ध में भूमि के वर्गीकरण के आधार पर निर्णय न देने का निर्देश दिया और समस्त चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की भूमि को सिंचित मानकर निर्णय देने के लिये निर्देशित किया और इसी आधार पर सन् 1975 तक हुए कोटा संभाग के निर्णयों को निरस्त कर रीओपन करने के आदेश तत्कालीन राज्य सरकार के निर्देशों के आधार पर दिये गये।

चूंकि समस्त निर्णय राज्य सरकार के आदेश एवं राजस्व मण्डल के निर्णयों में दिये गये निर्देशों के अनुसार किये गये हैं, अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(2) जी नहीं। नवम्बर, 1957 में अधिसूचना के द्वारा कोटा/बून्दी के गांवों को कालोनी क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है।

(प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

कोटा जिले के इटावा कस्बे में सहायक जिलाधीश कार्यालय

128. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

परिवादों की संख्या, भौगोलिक स्थिति तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए क्या सरकार का कोटा जिले के इटावा कस्बे में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं, क्योंकि उस क्षेत्र के मुकदमें बहुत अधिक नहीं हैं व उप तहसील इन्द्रगढ़ का भाग बून्दी जिले में मिलाये जाने के फलस्वरूप और भी कम हो गये हैं।

ग्राम किशमीदेसर (बीकानेर) की रोही के खसरा नम्बर

129. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर के ग्राम किशमीदेसर की रोही के खसरा नं. 251 व 247 में कितनी-कितनी भूमि खातेदारी, गैर खातेदारी, आराजीराज, श्मशान भूमि अथवा अन्य प्रकार की है? कृपया नाम,

(श्री देवीसिंह भाटी)

पता, खसरा नम्बर व विभाजन खसरा नं. रकबा मय नक्शे के सदन के पटल पर रखें।

(2) कृपया उक्त रोही के खसरा नम्बर 251/701 तक स्थिति नक्शा में इंगित कर सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) गाँव किसमीदेसर की रोही के खसरा नं. 251 में खातेदारी भूमि 205 बीघा 19 बिस्वा व गैर खातेदारी 271 बीघा 5 बिस्वा, आराजी राज 9 बीघा 12 बिस्वा है तथा खसरा नं. 247 में 8 बीघा 3 बिस्वा श्मशान भूमि व 2 बीघा 17 बिस्वा गैर मुमकिन सड़क है। खातेदार व गैर खातेदारों के नाम पता सहित सूची व संम्बन्धित खसरों के नक्शों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) खसरा नम्बर 251 का मिन नं. 701 है। खसरा नम्बर 251 का नक्शा की प्रति सदन के पटल पर रखदी गई है।

(नक्शों की प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पंचायती राज सम्मेलन घोषणाओं की क्रियान्विति

130. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज के बीकानेर सम्मेलन के समय यह घोषणा की गई थी कि माध्यमिक विद्यालय, पंचायत समितियों के अधीन होंगे ? यदि हां, तो उपरोक्त घोषणा की क्रियान्विति कब से करदी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषदें उपरोक्त बोझ को सहन करने एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा को अपने अधीन ही रखेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि जब से प्राथमिक विद्यालयों को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन दिया गया तभी से इनके स्तर में गिरावट आई है ? यदि हां, तो क्या फिर भी सरकार माध्यमिक स्तर की शिक्षा को इन्हें देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं।

भीलवाड़ा जिले के विकलांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति

131. श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बन्सीलाल पटवा)

(1) भीलवाड़ा जिले में सन् 1981-82 व 1982-83 में किन-किन विकलांग छात्र-छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति दी गई ?

(2) क्या इस वर्ष छात्रवृत्ति में कटौती की गई ? यदि की गई, तो कितनी और क्यों ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार भीलवाड़ा जिले में विकलांग छात्र-छात्राओं को वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार योजना के अन्तर्गत 599 छात्रों को रु० 2,09,720/-का एवं भारत सरकार योजनान्तर्गत 52 छात्रों को रु० 18,680/-का एवं वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार योजनान्तर्गत 545 छात्रों को रु० 1,94,720/-का एवं भारत सरकार योजनान्तर्गत 65 छात्रों को रु० 31,000/-का भुगतान किया गया सूची प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

झालावाड़ जिले की निजी शिक्षण संस्थाओं को सहायता

132. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कितनी निजी शिक्षण संस्थाओं को कितनी सहायता (अनुदान) दी जा रही है ? कृपया स्कूलवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) जिले में इनमें से ईसाई मिशनरीज द्वारा चलाये जा रहे स्कूल कितने हैं ?

(3) क्या इनकी भारतीय संस्कृति विरोधी गतिविधियां सरकार के ध्यान में आई हैं ? यदि हां, तो फिर अनुदान देने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित मात्र 3 संस्थाएं हैं जिन्हें निम्न दर से अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है :—

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत

1. हैदरिया माध्यमिक विद्यालय, सुनेल (उच्च प्राथमिक स्तर तक) 70 प्रतिशत अनुदान

2. श्री सुधाकर बाल मन्दिर, झालावाड़ 50 प्रतिशत

संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत

1. श्री राधेश्याम पूर्व प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय भवानी मण्डी (झालावाड़)

80 प्रतिशत अनुदान

(शिक्षा मन्त्री)

(2) जी, कोई नहीं।

(3) जी, नहीं।

बाड़मेर के पावर हाउसेज में बिजली उत्पादन की क्षमता

133. श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर शहर में दोनों, नये व पुराने पावर हाउसेज में कुल कितने इंजन लगे हुए हैं तथा इन सबकी पृथक्-पृथक् कितने किलोवाट बिजली उत्पादन की क्षमता है ?

(2) उपरोक्त इंजिनों में से कितने चालू हालत में हैं तथा चालू इंजनों पर वर्ष भर में कितना फ्यूल उपयोग में लिया जाता है ? कृपया चालू इंजनों पर 1-4-1982 से 31-3-1983 तक कितना फ्यूल कन्जूम हुआ और इस अवधि में ये इंजन किन-किन दिनों में काम में लिए गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि जब से हाईडल पावर चालू हुई है तब से इंजिनों का प्रयोग बहुत ही कम हो गया ? लेकिन स्टाफ उतना का उतना लगा हुआ है ? यदि नहीं, तो स्टाफ में क्या कमी की गई है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर शहर में दोनों नये व पुराने पावर हाउस में लगे हुये इंजनों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :—

क्र. सं.	नाम पावर हाऊस	इंजन का नाम	स्थापित क्षमता	उत्पादन क्षमता	विशेष विवरण
1.	पुराना पावर हाउस.	लिस्टर ब्लैक स्टोन	335 कि. वा.	50 कि. वा.	कार्य योग्य नहीं व मरम्मत योग्य नहीं है।
2.	,,	एम ए एन	640 कि. वा.	80 कि. वा.	,,
3.	नया पावर हाउस	दियूज I	1000 कि. वा.		,,
4.	,,	,, II	1000 कि. वा.	200 कि. वा.	इंजन की बियरिंग खराब होने पर लोड पर नहीं लिया गया है। चालू हालत में।
5.	,,	स्कोडा	1000 कि. वा.	200 कि. वा.	

(ऊर्जा मन्त्री)

(2) उपरोक्त इंजनों में से क्रम संख्या 5 में दर्शाया गया एक इंजन चालू है। चालू इंजनों पर वर्ष भर में फ्यूल उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि पन बिजली की सप्लाई कितने समय तक उपलब्ध नहीं होती। दिनांक 1.4.82 से 31.3.83 की अवधि में यह इंजन 31 दिन चला जिससे कुल 133 घन्टे 10 मिनट उत्पादन किया गया। उपरोक्त चालू इंजन स्कोडा पर 1.4.82 से 31.3.83 तक 889 लीटर मोबिल आयल, 12,920 लीटर एल.डी.ओ. तथा 74 लीटर एच.एस.डी. फ्यूल खर्च हुआ।

(3) जी हाँ। यह सही है कि जब से हाईडल पावर चालू हुई है तब से इन इंजनों का प्रयोग कम हुआ है। जी नहीं, उत्पादन स्टाफ के सभी 31 कर्मचारियों को सब स्टेशन व लाइनों के रख रखाव व उपभोक्ता शिकायत कार्य में लगा दिया गया है।

पं. स. सुमेरपुर एवं पाली में घरेलू बिजली के कनेक्शन

134. श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सुमेरपुर एवं पाली में घरेलू एवं काश्त के लिए बिजली के कनेक्शन लेने हेतु कई प्रार्थना-पत्र पिछले पांच वर्षों से विभाग में पेन्डिंग चले आ रहे हैं? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले में बिजली के कनेक्शन देने में घोर अनियमितता चल रही है तथा कई जगह पिछले एक वर्ष के प्रार्थना-पत्र के कनेक्शन दे दिये गये? यदि हां, तो पंचायत समिति-सुमेरपुर एवं पाली के कनेक्शन अभी तक नहीं देने के क्या कारण हैं?

(3) क्या पिछले कई वर्षों से पड़े प्रार्थना-पत्रों के कनेक्शन शीघ्र दे दिये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सुमेरपुर एवं पाली में घरेलू एवं काश्त के लिए बिजली के कनेक्शन्स लेने हेतु पिछले 5 वर्षों में प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्रों का विवरण संलग्न सूची "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, पाली जिले में बिजली के कनेक्शन्स देने में कोई घोर अनियमितता नहीं चल रही है। कनेक्शन्स देने में वरीयता सूची ग्रामवार रखी जाती है। विभिन्न उप-मदों में उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप विभिन्न श्रेणी के कनेक्शन देने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युत निगम एवं व्यावसायिक

(ऊर्जा मन्त्री)

बैंकों से ऋण सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत एस. पी. ए. योजनाएं चालू हैं—वहां के ग्रामों में सन् 1979–80 से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अनुसार कृषि कनेक्शन दिए जा सके हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में उस अनुपात में विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जा सके हैं।

(3) समूचे राज्य में काफी बड़ी संख्या में कृषि एवम् घरेलू कनेक्शनों हेतु आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। अतः इन पंचायत समितियों में बकाया सभी प्रार्थना-पत्रों को कब तक कनेक्शन्स दे दिये जावेंगे–इसकी निश्चित अवधि बतलाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर व उस क्षेत्र में अतिरिक्त कनेक्शन देने की तकनीकी व वित्तीय सहायता पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

चित्तौड़गढ़ जिले की पं. स. अरनोद के ग्रामों की स्वीकृत परियोजना

135. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति अरनोद के 152 गांवों को विद्युतीकरण के लिए परियोजना स्वीकार की है? यदि हां, तो अब तक इस परियोजना के कितने गांवों में विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति अरनोद का पूर्ण विद्युतीकरण कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अरनोद के 153 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना वर्ष 1980-81 में स्वीकृत कराई गई। उक्त योजना में 22 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 74 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विद्युतीकरण का कार्यक्रम आगामी वर्षों में वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। अतः प. स. अरनोद के पूर्ण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

पं. स. मुख्यावास पर छात्राओं का मिडिल स्कूल

136. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(८५)

(श्री हेमाराम चौधरी)

क्या सरकार वर्ष 1983-84 में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यावास पर छात्राओं का मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्ष 1983-84 में छात्राओं के मिडिल स्कूल खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

बांसवाड़ा जिले के ग्राम झरणिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव

137. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के गांव झरणिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव जिला विकास अभिकरण के माध्यम से भेजा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गांव झरणिया में प्राथमिक विद्यालय का भवन पक्का बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष सरकार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) भवन बना हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

मारवाड़ जंक्शन में लेखाकार के पद का सृजन

139. **श्री भैरू सिंह गुर्जर** (खारची) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि.) मारवाड़ जंक्शन (खारची) जिला पाली के कार्यालय में लेखाकार का पद है ? यदि नहीं, तो क्या यहां लेखाकार के पद की आवश्यकता नहीं है ?

(2) क्या मारवाड़ जंक्शन में लेखाकार के पद की मांग की गई है ?

(3) क्या विद्युत मण्डल, मारवाड़ जंक्शन में लेखाकार का पद सृजित करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यहां लेखाकार का पद कब तक सृजित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि.) मारवाड़ जंक्शन (खारची), जिला पाली के कार्यालय में अभी लेखाकार का पद नहीं है। मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा) ने अपने पत्र दिनांक 26.8.83

(ऊर्जा मन्त्री)

द्वारा इस उप खण्ड कार्यालय में लेखाकार के पद की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए लेखाकार के पद का सृजन करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विचाराधीन है।

बीकानेर जिले में नये विद्युत संबंधों के लिये सर्विस वायर की कमी

140. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक कुल कितना मीटर सर्विस वायर दिया गया ? उसका कहां-कहां उपयोग किया गया तथा जुलाई 1983 तक कितना शेष रहा ? कृपया मंडलवार विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नए विद्युत संबंध केवल मात्र इस कारण कई महीनों तक रुके रहते हैं कि सर्विसवायर उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले के अधिशाषी अभियन्ता (डी. डी.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बीकानेर एवं अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) रा. रा. वि. म. बीकानेर को वर्ष 1981-82 से 83-84 तक वर्षवार निम्न प्रकार सर्विस वायर दिया गया :—

वर्ष	अधिशासी अभियन्ता (डी.डी.)	अधिशासी अभियन्ता (निर्माण)
1981-82	37850 मीटर	17500 मीटर
1982-83	6500 ,,	6000 ,,
1983-84 (जुलाई 1983 तक)	8400 ,,	8000 ,,
योग :	52750 मीटर	31500 मीटर

वर्ष 1981-82 व 82-83 में जो सर्विस वायर उपलब्ध कराया गया-उसे नये विद्युत कनेक्शन देने एवं सर्विस लाइनों के रख रखाव में उपयोग किया गया। वर्ष 83-84 में जो सर्विस वायर उपलब्ध कराया गया उसमें से अधिकांश तूफान के कारण क्षतिग्रस्त सर्विस लाइनों को बदलने हेतु तथा कुछ वायर नये कनेक्शन देने में उपयोग में लिया गया है। जुलाई, 1983 के अन्त में सर्विस वायर शेष नहीं रहा।

(2) पिछले दो वर्षों में सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए सर्विस कनेक्शन के

(ऊर्जा मन्त्री)

निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ही सर्विस वायर उपलब्ध कराया जाता रहा है, परन्तु कभी कभी सर्विस वायर की कमी होने पर कुछ कनेक्शन देने में विलम्ब अवश्य हुआ है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सर्विस वायर को समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

बालकृष्ण विद्याभवन कांकरोली से सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवा अवधि में व्यवधान

141. गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बालकृष्ण विद्याभवन, कांकरोली, जिला उदयपुर के राज्य सरकार के अधिकार में लेने के समय दिनांक 23 मई, 1951को उक्त संस्थान में कौन-कौन व्यक्ति किस-किस पद पर कार्यरत थे ?

(2) उक्त में से कौन-कौन व्यक्ति किस-किस पद पर भूतपूर्व मेवाड़ राज्य व अन्य विभागों की सेवा से आये और कौन-कौन व्यक्ति किस-किस पद पर कब-कब से संस्थान में नियुक्त हुए ? कृपया पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थान के राज्यधिकार में लेने के पश्चात् कौन-कौन व्यक्ति कब-कब सेवानिवृत्त हुए ? सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवा अवधि दर्शाते हुए उन्हें देय पेंशन राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान से सेवानिवृत्त व्यक्तियों में से कई व्यक्तियों को सेवा अवधि में व्यवधान होते हुए भी राज्य सरकार के एग्रीमेन्ट के अनुसार उनकी सेवा व्यवधान को निरन्तर सेवा मानते हुए पेन्शन लाभ दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन को ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) दिनांक 23-5-51 को बालकृष्ण विद्याभवन कांकरोली जिला उदयपुर में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की उनके पदनाम सहित सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(2) संस्थान में सभी व्यक्ति कांकरोली ठिकाना की सेवाओं से आये थे।

(3) सेवानिवृत्ति की स्थितियों एवं उनको दी गई पेंशन की राशि के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पं. समिति नागौर और मूंडवा में डिस्पेन्सरियों को स्वीकृत बजट

142. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूण्डवा जिला नागौर के बालाजी, डिस्पेन्सरी, गुढाभगवानदास, डिस्पेन्सरी सिणोद एड पोस्ट, उपकेन्द्र सथेरए, रायधनु, त्रिरलोका कुड़ची पाचोड़ी डिस्पेन्सरी के सम्बन्ध में वर्तमान समय की निम्न सूचना सदन की मेज पर रखें–नाम संस्थान, स्वीकृत पद, रिक्त पद, स्वीकृत बजट, बैड संख्या।

उत्तर

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सार्वजनिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भ्रष्टाचार गबन

143. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक चिकित्सालय, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में सेवारत किस-किस चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध वर्ष 1980 से अब तक भ्रष्टाचार व गबन तथा अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त शिकायतों में से कितनी जांच के दौरान सही पायी गयीं और ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्राप्त 3 शिकायतों में से जांच के दौरान एक निराधार पाई गई। अन्य दो शिकायतों की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं, जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

झालावाड़ जिले में डाक्टर्स के रिक्त पद

144. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़ जिले में कितने डाक्टर्स के पद किन-किन स्थानों पर कितने समय से रिक्त चल रहे हैं और उनके भरने हेतु अभी तक क्या-क्या प्रयास किये गये ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

कनिष्ट विशेषज्ञों के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रार्थना भिजवाई जा रही है। चिकित्सकों (सी. ए. एस.) की भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चयन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये हैं। चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पदों को भरा जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

बीकानेर जिले में रेफरेल हास्पिटल

145. **श्री सुरजाराम** (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में अभी तक कितने और कहां-कहां रेफरल हास्पिटल खुल चुके है ?

(2) क्या नोखा प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र को क्रमोन्नत कर रेफरेल हास्पिटल बनाया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कार्यरत चार में से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर को उच्चीकृत कर रेफरल अस्पताल की सुविधा प्रदान कर दी गई हैं।

(2) छटी पंचवर्षीय योजना तक संभव नहीं हैं। स्वीकृत योजना के अनुसार केवल 25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ही क्रमोन्नत करने का प्रावधान हैं।

भीण्डर में रेफरेल हास्पिटल का भवन निर्माण

146. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रेफरल हास्पीटल, भीण्डर जिला उदयपुर के विस्तार हेतु भवन निर्माण हेतु कोई समिति का गठन किया गया ? यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त समिति के सदस्यों ने भवन बनाने हेतु गोकुल जी नाई एवं चतुर्भुज जी की आराजी की जमीन क्रय कर, गोकुल नाई की जमीन की रजिस्ट्री भंवरलाल जी कोठारी, जिला प्रमुख एवं सरफअली के नाम से करवाई एवं श्री चतुर्भुज की जमीन की रजिस्ट्री मोहन लाल चौधरी के नाम से कराई गई ? यदि हां, तो कृपया रजिस्ट्रीज की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या गोकुल नाई की जमीन पर अस्पताल का भवन बन गया या मोहन लाल चौधरी उस जमीन को स्वयं दबा कर बैठ गया ? यदि हां, तो इस जमीन को पुनः अस्पताल को कब प्रदान कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) श्री भंवरलाल कोठारी तत्कालीन जिला प्रमुख के नाम कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। श्री चतुर्भुज के जमीन की रजिस्ट्री श्री शरफअली के नाम से करवाई एवं गोकुल नाई की जमीन की रजिस्ट्री श्री गोवर्धन लाल श्री शंकरलाल श्री मनोहर लाल एवं श्री रूपलाल के नाम से कराई गई है। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त जमीन पर अस्पताल भवन निर्माणाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में उपयोजना क्षेत्र के लिए धन राशि का आवंटन

147. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में उपयोजना क्षेत्र के लिए कितनी-कितनी राशि का किस-किस-किस मद में आवंटन किया गया है ? कृपया मदवार राशि आवंटन का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1982–83 में आवंटन की तुलना में कितनी राशि वास्तविक व्यय हुई तथा कितनी शेष रही ? कृपया मदवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में उपयोजना क्षेत्र के लिये क्रमश: 5695·19 व 6180·49 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। मदवार आवंटित राशि का ब्यौरा संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) वर्ष 1982-83 में आवंटन की तुलना में कुल अनन्तिम व्यय 5003·64 लाख रुपये एवं बचत 691.55 लाख की रही। व्यय का मदवार ब्यौरा संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

महालेखाकार से अभी विभिन्न विभागों के मिलानशुदा आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं। अत: वास्तविक व्यय एवं बचत दर्शाया जाना सम्भव नहीं है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

झालावाड़ नगर में अनुसूचित जाति के छात्रावास का सुधार

148. श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ नगर में अनुसूचित जाति का छात्रावास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक उसकी मरम्मत करा दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि छात्रावास में पीने के पानी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक व्यवस्था सुधारने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) छात्रावास भवन में पीने के पानी के लिये कुआं है जहां से शुद्ध जल प्राप्त होता है।

जयपुर में दलित वर्ग के परिवारों को भूमि का आवंटन

149. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या नगरीय एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जे. डी. ए. द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सुविधा व पुनर्वास के लिये 400 वर्गगज भूमि नीलाम न करने का फैसला किया गया है? यदि हां, तो 400 वर्ग गज के भू-खण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किस-किस व्यक्ति को अलाट किये गये हैं? अथवा अलाट करने का फैसला किया गया है?

(2) जयपुर के किस एरिया में व कितनी संख्या में दलित वर्ग के परिवारों को बसाने की योजना है? विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 400 वर्ग गज तक के भूखण्ड लाटरी से आवंटित करने का निर्णय लिया गया है जो सभी वर्गों पर समान रूप से लागू है।

(2) केवल दलित वर्ग के लिये कोई योजना प्राधिकरण में विचाराधीन नहीं है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की नवीन आवासीय योजनाओं में निम्न प्रकार भूखंड सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया हुआ है:—

क्र. सं.	नाम योजना	आरक्षित भूखण्ड
1.	वैशाली	1000
2.	त्रिवेणी	80
3.	अयोध्या	359
4.	मालवीय नगर रीस्टालमेन्ट कच्ची बस्ती योजना	680
5.	सालाना डूंगर स्केलटल हाउसिंग योजना	415
6.	लालकोठी स्केलटल हाउसिंग योजना	300
		2834

घुमक्कड़ जातियों को बसाना

150. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने किन-किन जातियों को घुमक्कड़ जाति माना है? कृपया अनुसूची के गजट नोटिफिकेशन की प्रति अथवा विभागीय प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य सरकार उक्त जातियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान करती है?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(3) क्या यह सही है कि घुमक्कड़ जाति को स्थायी रूप से बसाने हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति अनुसार आवासीय भूखण्ड व कृषि भूमि, सम्बन्धित ग्राम में बसने के लिए, बिना स्थाई निवास के सबूतनपेश किए, आवंटित करने के निर्देश जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो कृपया ऐसे निर्देशों की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार इस पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र ही भूमि आरक्षित कराने का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) घूमन्तु जातियों के परिवारों के आवास के लिये कच्चे मकान निर्माण कराने हेतु 500/– रुपये अथवा पक्के मकान निर्माण कराने के लिये 750/– रुपये प्रति परिवार सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त छात्रों के लिये पूर्व मैट्रिक/उत्तर मैट्रिक छात्रवृति दी जाती है व विभिन्न स्थानों पर 21 सरकारी व 2 अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं जिनमें क्रमशः 888 व 218 छात्रों को लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इन छात्रावासों में छात्रों को भोजन, वस्त्र, आवास, पुस्तकें, स्टेशनरी, फीस आदि की सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं।

(3) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

(4) प्रश्न का सम्बन्ध समाज कल्याण विभाग से नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

आवासन मन्डल की आवंटन आरक्षण की प्रक्रिया

151. श्री दाऊलाल जोशी (दोगोद) व श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवंटन/आरक्षण की प्रक्रिया को परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार प्रक्रिया परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन लिये जाने की पद्धति पूर्व में रही है ? यदि हां, तो क्या इस परिवर्तित प्रक्रिया पर राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त परिवर्तित प्रक्रिया को लागू भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(3) क्या यह सही है कि पूर्व प्रक्रिया में आवंटन/आरक्षण किए जाते समय कालोनी के मकानों की लम्बाई, चौड़ाई एवं भुगतान पद्धति का विकल्प लिया जाता था, परन्तु नई प्रक्रिया में इसका कोई प्रावधान नहीं है ?

(4) क्या यह नई प्रक्रिया पूर्व के व बाद के आवेदकों पर भी लागू की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकार की प्रक्रिया में परिवर्तन बोर्ड के नियमानुसार किया जाता है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। आवंटन/आरक्षण की प्रक्रिया में परिवर्तन के बारे में बोर्ड की दिनांक 10.11.81, 15.12 81 एवं 12.4.82 को हुई क्रमशः 94 वीं, 95वीं एवं 97वीं बैठक में निर्णय लिया गया है जिसे अनुमोदन के लिए बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को पत्र सं. 2226 दिनांक 17.7.82 के द्वारा निवेदन किया गया है, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) उक्त परिवर्तित प्रक्रिया को मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की दिनांक से लागू कर दिया गया है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

उदयपुर नगर में आवासन मंडल द्वारा आवंटित मकान

152. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में आवासन मण्डल ने अब तक कितने लोगों को मकानों का आवंटन कर दिया व कितने आज भी आवंटन की प्रतीक्षा में हैं ?

(2) उदयपुर नगर की आवंटियों की मय 1983 मार्च तक की बकाया राशि की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या आवासन मण्डल का केन्द्रीय कार्यालय ही किस्तों का हिसाब रखता है जिससे राजस्थान के अन्य शहरों से लोगों को हिसाब देखने एवं त्रुटि सुधार हेतु जयपुर आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें सुधार कर डिवीजन हैड क्वार्टर पर क्षेत्रानुसार रिकार्ड रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जून 83 तक उदयपुर में 3087 पंजीकृत आवेदकों को मकान आवंटित/आरक्षित किये जा चुके हैं, तथा 3020 शेष पंजीकृत आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं।

(2) उदयपुर नगर में मार्च 1983 तक जिनके कब्जा पत्र जारी किये गये,

(आवासन मन्त्री)

ऐसे आवंटियों की संख्या 1874 है। मार्च 1983 तक की बकाया की राशि की सूचना समय की कमी के कारण अभी एकत्रित नहीं हो सकी है। अत: सूचना सदन के पटल पर अभी रखना संभव नहीं है।

(3) अभी तक राजस्थान आवासन मण्डल का हिसाब केन्द्रीय कार्यालय में ही रखा जा रहा है? कम्प्यूटर द्वारा बन वाये वार्षिक खाते आवंटियों को भिजवा दिये जाते हैं और उस पर यदि कोई एतराज प्राप्त होते हैं तो त्रुटि सुधार केन्द्रीय कार्यालय के रजिस्टर एवं अन्य रेकार्ड में कर लिया जाता है और उसकी सूचना सम्बन्धित आवंटियों को दे दी जाती है। त्रुटि सुधार हेतु आवंटियों को विभिन्न शहरों से यहां आने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य पत्र व्यवहार द्वारा ही पूर्ण कर लिया जाता है। अभी कोई विचार डिविजनल हैडक्वार्टर पर लेखे रखने का नहीं है। अभी राज्य सरकार ने आवासन मण्डल को केवल मकानों के आरक्षण एवं आवंटन के कार्य का विकेन्द्रीकरण करने के निर्देश दिये है।

आवासन मंडल की जैतारण व सुमेरपुर को योजना

153. श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) व श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जैताराण व सुमेरपुर नगर के हाउसिंग बोर्ड की योजना लागू है? यदि हां, तो जैतारन व सुमेरपुर नगर के मकान बनाने की योजना का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि जैतारण व सुमेरपुर नगर में कई लोगों ने हाउसिंग बोर्ड में मकानों हेतु राशि जमा करायी है? यदि हां, तो कितने व किन-किन लोगों ने कितनी राशि जमा कराई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त पैरा नं. 2 के अनुसार जिन लोगों ने राशि जमा कराई है उनको मकान बनाकर कब तक दे दिये जायेंगे?

(4) अगर उपरोक्त लोगों के अलावा और कोई व्यक्ति राशि नहीं जमा कराये तो भी क्या उपरोक्त व्यक्तियों को हाउसिंग बोर्ड मकान बनाकर मुहैया करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जमा कराई गई राशि सम्बन्धित व्यक्ति वापस उठा सकते हैं?

उत्तर

(1) जैतारण व सुमेरपुर में आवासन मण्डल की योजना लागू नहीं है। सामान्यतया किसी स्थान के लिए 200 पंजीकृत आवेदकों के होने पर ही वहां योजना

(आवासन मन्त्री)

प्रारंभ की जाती है। जैतारण के लिए पंजीकरण हेतु केवल 34 आवेदक हैं, अतः वहां पर योजना प्रारंभ करने का प्रश्न नहीं उठता। सुमेरपुर के लिए पंजीकरण करने हेतु 153 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः यहां पर भविष्य में और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर तथा भूमि की उपलब्धि की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना प्रारंभ करने अथवा न करने के बारे में विचार किया जायेगा।

(2) जैतारण व सुमेरपुर नगरों के लिए पंजीकरण कराने हेतु जिन लोगों ने राशि जमा कराई है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'अ' व 'ब')।

(3) इन नगरों में यदि योजना प्रारंभ की गई तो भूमि उपलब्ध होने की दशा में लगभग 1–1/2 से 3 वर्ष के अन्दर मकान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा।

(4) 200 या उससे अधिक आवेदक पंजीकृत होने पर योजना लागू की जाती है। इससे कम होगे पर योजना नहीं होने के कारण मकान बना कर देना संभव नहीं है। आवेदक जमा कराई राशि वापस लेना चाहेंगे तो वापस कर दी जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

आवासन मंडल की तलमंडी (कोटा) योजना

154. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर में कौन-कौन सी योजनाओं में कब-कब से मकान पूर्णतया निर्मित हैं तथा उनको समय पर आवंटन न करने का क्या कारण है ?

(2) तलमंडी योजना में कौन-कौन से ग्रुप के कितने-कितने मकानों का कार्य कब-कब से शुरू हुआ, उनमें से कितने पूर्ण हैं व कितने कबसे अपूर्ण हैं ? अपूर्ण पड़े रहने के क्या कारण रहे तथा अब वे कब तक पूर्ण करा दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) इस आशय का योजनावार ब्यौरा सलंग्न परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) इस आशय का वर्गवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है। अपूर्ण मकानों को शीघ्र पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(ब्यौरा एवं विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

डूंगरपुर शहर में आवासीय भवन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

155. श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1981 में राज्य आवासन मण्डल द्वारा डूंगरपुर शहर में आवासीय भवन पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की दरख्वास्तें आई तथा इस हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल को भवन निर्माण हेतु जमीन प्राप्त नहीं हुई थी तथा इससे पूर्व ही दरख्वास्तें मांग ली गई थीं और जरूरतमन्द लोगों को अभी तक मकान नहीं दिए गए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि वर्ष 1981 में डूंगरपुर शहर के लिए आवासीय योजना हेतु प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे, तथा इसमें 571 आवेदकों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं। मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।

(2) जी हां, आवासन मण्डल के द्वारा जिस नगर/स्थान पर मकानों की मांग का अनुमान लगाने के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जाता है तथा वहां पर सामान्यतया 200 आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर योजना बनाने पर विचार किया जाता है, तत्पश्चात् भूमि प्राप्त करने आदि की कार्यवाही की जाती है।

राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्ग

156. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) व श्री हीरालाल आर्य (गोपल्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जिनके मार्गों का शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है ? यदि हां, तो राज्य में कौन-कौन से मार्गों पर कितने-कितने भाग का कब-कब राष्ट्रीयकरण किया गया ? कृपया मार्गों के प्रतिशत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 अप्रेल, 1982 से अगस्त 1983 तक के कहां कहां किन-किन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया ?

(3) घोषित नीति के अनुसार राज्य में शत प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण कब तक करना था ? यदि उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्या कारण रहे ?

(4) राज्य में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पथ परिवहन द्वारा समुचित व्यवस्था न कर सकने व बसों की दुर्दशा हानि की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार इस नीति पर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पुनर्विचार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के किसी भी जिले के शत प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं किया गया है। जिलेवार कुल मार्ग लम्बाई एवं राष्ट्रीयकृत मार्गों की लम्बाई का प्रतिशत दर्शाते हुये मानचित्र संलग्न है।

(2) 1 अप्रेल 1982 से अगस्त 1983 तक निम्न मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है :—

क्र. सं. मार्ग का नाम	राष्ट्रीयकरण की तिथि	जिला
1–बहरोड़-शाहजहांपुर वाया जाट बहरोड़	26.8.83	अलवर/जयपुर
बहरोड़-गूगलकोट (रा. बोर्डर) वाया मांजरी कलां		
नीमरान-शाहजहांपुर (रा. बोर्डर) वाया-मांढ़न		
बहरोड़-बानसूर वाया-सोडावास		
बहरोड़-माढ़न (रा. बोर्डर) वाया कनवास, बीरनवास		
बहरोड़-भिवाड़ी (रा. बोर्डर) वाया जीजोरावास		
2–कोटपूतली-रायपुर वाया पनियालामोड़	26.8.83	अलवर/जयपुर
कोटपूतली-नाराणपुर वाया-बानसूर		
शाहजहांपुर-नारायणपुर वाया घाटा बादरोल		

(3) इस प्रकार की कोई नीति नहीं है।

(4) परिवहन निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री भार की उपलब्धता की दृष्टि से समुचित बस सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तथा बसों की दशा भी सुधारी जा रही है। जिसकी वजह से दैनिक निरस्तीकरण एवं ब्रेक डाउन्स में अपेक्षित कमी लाई गई है। निगम को हो रही हानि का कारण संचालन व्यवस्था में कमी नहीं है, वरन डीजल, आयल, अतिरिक्त कल पुर्जे, टायर ट्यूब्स, चेसिस आदि की कीमतों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि व कर्मचारियों की देय महंगाई भत्ते में समय-समय पर होने वाली वृद्धि से खर्चों में बढ़ोतरी है।

(मानचित्र के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

परिवहन निगम डिपो, बीकानेर

157. श्री सुरजाराम (नोखा) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को पिछले दो वर्षों में प्रतिवर्ष कितना घाटा किन-किन कारणों से हुआ ? घाटा पूर्ति हेतु निगम ने क्या-क्या साधन एवं उपाय किये ? क्या उसमें सफलता हासिल हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) इस वक्त निगम के पास कितनी बसें चालू हालत में हैं, कितनी बेकार पड़ी हैं और कितनी नई बसें कहां से खरीदने का अनुबंध किया है ? उन में से बीकानेर जिले के डिपो को कितनी नई बसें उपलब्ध करवाई जायेंगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम के अन्य खण्डों के मुकाबले बीकानेर खण्ड में स्टाफ जैसे, ड्राइवर, परिचालक तथा अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों का अनुपात अन्य खण्डों के मुकाबले कितना है ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम को पिछले दो वर्षों में प्रतिवर्ष मुख्यतः डीजल, आयल, अतिरिक्त कल पुर्जे, टायर ट्यूब, चेसिस आदि की कीमतों में एवं कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में समय-समय पर हुई वृद्धि से निम्न प्रकार घाटा हुआ है :—

वर्ष	घाटा (लाखों में)
1981–82	1103.89 (प्रोवीजनल)
1982–83	669.71 (,,)

घाटे की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से निगम द्वारा निम्न उपाय किये गये हैं जिनकी वजह से माह अप्रैल, 1983 से निगम लाभ की स्थिति में आ गया है :—

1. संचालन में नियमितता लाई जाकर निरस्तीकरण व ब्रेकडाउन्स में कमी लाई गई है जिसकी वजह से अधिक यात्री परिवहन किये जाकर राजस्व में वृद्धि हुई है।

2. टिकट प्रणाली एवं निरीक्षण प्रणाली में पर्याप्त सुधार कर इन्हें राजस्व मूलक बनाया गया है।

3. कम आय देने लाने वाली सेवाओं का क्षेत्रवार यात्रा भार की दृष्टि से सर्वेक्षण कराकर उनकी समय सारिणी में तदनुसार परिवर्तन कर आर्थिक बनाया गया है तथा अनार्थिक परिचक्रों को बन्द कर दिया गया है।

4. कम आय देने वाले बुकिंग कार्यालयों को बन्द कर उनके स्थान पर बुकिंग एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं।

5. यात्रियों को केवल बुकिंग से ही टिकट जारी करने की प्रणाली का विकास किया गया है।

6. बिना टिकट यात्रा की आदत में सुधार लाने की दृष्टि से बिना टिकट पाये

(राज्य मन्त्री, यातायात)

जाने पर यात्रियों से पूरे मार्ग का किराया अधिभार सहित वसूल किये जाने की प्रणाली अपनाई गई है।

7. लम्बी दूरी की सभी प्रकार की सेवाओं में आरक्षण सुविधा प्रारम्भ कर राजस्व आय बढ़ाई गई है।

8. मुख्यालय स्तर से रोकड़ व्यवस्था (Cash Management) को नियन्त्रित करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

9. राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनाधिकृत वाहनों के संचालन को नियन्त्रित करने की दृष्टि से संयुक्त चैंकिंग प्रणानी प्रारम्भ की गई है।

10. अधि श्रम भत्ते एवं बकाया रेस्टों के भुगतान को नियन्त्रित किया गया।

11. डीजल की खपत को कम करने की दृष्टि से प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है व वाहनों में गति नियन्त्रक लगाये गये हैं।

12. खर्चे पर नियन्त्रण की दृष्टि से खरीद व नियुक्तियों आदि पर कठोर नियन्त्रण किया गया है तथा लम्बित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है।

13. आगारों के खर्चों को नियन्त्रित करने की दृष्टि से प्री-आडिट की नई व्यवस्था लागू की गई है।

(2) वर्तमान में निगम के पास 1912 वाहनें चालू हालत में है तथा 164 बसें विभिन्न आगार कार्यशाओं में मरम्मताधीन हैं 200 नई बसें खरीदने की योजना है। अभी अनुबन्ध नहीं किया है। नई बसें आगारों को आवन्टित करने बावत पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती वरन् आवश्यकतानुसार वाहनें, 10 साल से अधिक पुरानी हो जाने पर रिप्लेस की जाती हैं जिनमें नई बसों के साथ-साथ पुर्ननवीनीकृत वाहनें भी होती है।

(3) निगम के अन्य सम्भागों के मुकाबले बीकानेर सम्भाग में स्टाफ का अनुपात दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न हैं।

(मानचित्र के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

सीकर आगार में सुविधायें

159. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज. परिवहन निगम के सीकर आगार में एकीकृत बस स्टेण्ड स्थापित किये जाने के पश्चात् से यात्रियों के लिये समुचित सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है? यदि हां, तो कृपया अब तक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अब तक उपलब्ध करवाई गई सुविधा यात्रियों की आवक संख्या एवं सीकर की आबादी के अनुपात में पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार समुचित एवम् पर्याप्त व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय रोडवेज प्रशासन की निष्क्रियता एवम् निजी अवैध वाहनों के बहुतायत से राष्ट्रीय मार्गों पर सवारियां उठाने के कारण निगम को नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या कारगर कदम उठा रही है ?

(4) क्या वर्तमान बस स्टेण्ड पर वर्षा के कारण पानी भर जाता है जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है ? क्या यह भी सही है कि यातायात मन्त्री ने अपने प्रवास के दौरान इस समस्या को तत्काल हल करने का आश्वासन एवम् अधिकारियों को आदेश भी दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां । अब तक उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण संलग्न है ।

(2) जी हां ।

(3) यह सही नहीं है कि स्थानीय रोडवेज प्रशासन की निष्क्रियता से निगम को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन यह सही है कि निजी अवैध वाहनों के यातायात से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सवारियां उठाने के कारण निगम को भारी नुकसान हो रहा है । राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत वाहनों के संचालन को नियन्त्रित करने की दृष्टि से संयुक्त चैकिंग प्रणाली प्रारम्भ की गई है तथा पुलिस एवं परिवहन विभाग के स्तर से इसकी रोकथाम हेतु कदम उठाये जा रहे हैं ।

(4) जी हां । पानी के भराव को दूर करने के लिये निगम द्वारा स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से बस स्टेण्ड की चार दीवारी बनवाने, वाटर सर्विसिंग ड्रेन व मिट्टी भराई का कार्य करवाने हेतु एष्टीमेट प्राप्त कर लिया गया है जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाकर पी. डब्लू. डी० से डिपोजिट वर्क के आधार पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित प्राइवेट बसों के किराये में बढ़ोतरी

160. श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अनुसूचित

(श्री गोविन्द आमलिया)

जाति/अनु. जनजाति के प्राइवेट मोटर ओनर्स से बसें अनुबन्ध पर ले रखी हैं? अगर हां, तो क्या उन मालिकों को निगम की बसों तथा उनकी खुद की बस का प्रति किलोमीटर खर्चा आता है उससे भी कम किराया दिया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में इन मोटर मालिकों ने विधान सभा के सामने इनकी बसों का किराया बढ़ाने के लिए धरना दिया था तथा यातायात एवं परिवहन मन्त्री ने सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था कि तत्काल 20 पैसा प्रति किलो मोटर किराया बढ़ा दिया जायगा? अगर हां, तो यह किराया कब बढ़ाने का इरादा है? और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के मोटर मालिकों ने पिछले लम्बे समय दिनांक 5–7–83 से हड़ताल कर रखी है? क्या यह भी सही है कि यातायात मन्त्री से मिले, उन्हें ज्ञापन दिये परन्तु अभी तक उन्हें कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया गया?

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें सेवा में लगने के कितने समय बाद रोड पर से हटा दी जाती हैं? डूंगरपुर जिले के डिपो में ऐसी कितनी बसें हैं जो हटने लायक है परन्तु फिर भी रोड पर मजबूरन चलाई जा रही हैं?

उत्तर

(1) जी हां। निगम ने प्राइवेट ओनर्स की बसें अनुबन्ध पर ले रखी हैं। निगम द्वारा जो राशि इन बस मालिकों को प्रति कि. मी. दी जा रही है, वह उनकी संचालन लागत से कम नहीं है।

(2) जी हां। केवल किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था।

(3) जी हां। ऐसे 74 वाहनों में से 29 वाहन हड़ताल पर हैं। उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया तथा जो भी कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जा सकती है वह भी उन्हें बतलाई गई।

(4) परिवहन निगम में सामान्यतया 10 साल बाद बसें संचालन से हटा दी जाती हैं। डूंगरपुर आगार में वर्तमान में 2 बसें हटने लायक है। लेकिन डूंगरपुर आगार को संचालन हेतु वर्तमान में 53 अनुसूचित सेवायें आवंटित हैं जिनके लिये 53+5 (अतिरिक्त) कुल 58 वाहनों की आवश्यकता है जब कि उक्त आगार को 63 वाहन आवंटित है। इस प्रकार बसें मजबूरन नहीं चलाई जा रही हैं।

पाली जिले के पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ना

161. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

(1) सरकार द्वारा पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी, व देसूरी पंचायत समितियों में जून, 1980 से 1983 के मध्य विभिन्न रूटों पर कितनी नई बसें परिवहन निगम द्वारा व निजी मालिकों द्वारा चलाने के परमिट दिये गये ? कृपया रूटवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समितियों में ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जहां बसें नहीं जाती हैं एवं सरकार उन्हें बसों से जोड़ने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जून, 1980 से 1983 के बीच इन पंचायत समितियाँ में दो प्राइवेट बसों को परमिट स्वीकृत किये गये हैं। परिवहन निगम को कोई परमिट नहीं दिया गया है। जिन प्राइवेट बसों को परमिट दिये गये है उनका रूट वार विवरण निम्न प्रकार है :—

कार्य का नाम	बस नम्बर
1. बाली, राणी, देसूरी (सदडी तक सुविधा)	आर. जे. वाई. 4853 आर. जे. क्यू 7223

बस नम्बर आर. जे. वाई. 4853 का परमिट उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था जिसके स्थान पर श्री प्रभुलाल मिस्त्री को परमिट स्वीकृत किया गया था। किन्तु उनके द्वारा निर्धारित मोडल की बस प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण परमिट जारी नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत मुख्यालय जहां बसें नहीं जाती
मारवाड़ जंक्शन	1. गुडाराम सिंह 2. बोरी मादा 3. कराडी 4. बालनी
राणी	1. इन्द्रा चारण 2. जीवन्द कला
देसुरी	1. बछोद 2. दूदापुरा 3. माडीगर

(2) पंचायत मुख्यालय करोडी, व जीवन्द्र कला को बस सेवा से जोड़ने हेतु मार्गों का सर्वेक्षण कराया गया है जिन पर प्राधिकार की आगामी बैठक में विचार किया जावेगा। शेष पंचायत मुख्यालयों को जोडने के लिए भी मार्गों का सर्वेक्षण कराया जावेगा।

पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसुरी पंचायत समितियों के केवल जोड़न,

(यातायात मन्त्री)

धोणराव व देसूरी पंचायत मुख्यालय ही निगम की सोजत-पाली तथा उदयपुर-पालना वाया घारभुज राष्ट्रीकृत मार्ग की बस सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

जिला बांसवाड़ा के विभिन्न मार्गों को बस से जोड़ना

162. श्री पूंजीलाल (घाटोल) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा से जगतपुरा वाया माही डेम, भूगड़ा, खमेरा घाटोल; देलवाड़ा बसें चलती थीं ?

(2) क्या यह सही है कि 1981 से यह बसें जगपुरा नहीं जा रही हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों के नागरिकों ने नियमित बसें चलाने की मांग जिलाधीश, बांसवाड़ा व आर. टी. ओ., उदयपुर से की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी मांग की गई थी कि उक्त बसें जगपुरा से 13 किलोमीटर आगे बस स्टेन्ड गनोड़ा तक चलाई जावें ?

(5) क्या यह भी सही है कि गनोड़ा बस स्टेण्ड उदयपुर-बांसवाड़ा राष्ट्रीय मार्ग पर है ? यदि हां, तो इसे उक्त बस मार्ग से जोड़ने के लिये नागरिकों की मांग पर क्या कार्यवाही की गई ? और, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। चार स्थायी परमिट स्वीकृति किये गये थे किन्तु मार्ग लाभप्रद नहीं होने के कारण परमिट धारियों द्वारा परमिट सरेण्डर करवा दिये गये व नवीनीकरण भी प्राप्त नहीं किये गये। वर्तमान में केवल एक वाहन स्थायी परमिट पर चल रही है।

(2) जी हां। रास्ता खराब होने के के कारण बसें जगपुरा तक नहीं जा रही हैं।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री पूंजीलाल मीणा का एक पत्र दिनांक 27–1–83 को आर. टी. ओ. उदयपुर को प्राप्त हुआ था तथा इस आशय का एक पत्र जिलाधीश बांसवाड़ा का दिनांक 3–6–83 का आर. टी. ओ. उदपुर को प्राप्त हुआ था। इन पत्रों पर कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी बांसवाड़ा को मार्ग का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिये गये थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि भूगडा से खमेरा तथा देलवाड़ा से जगपुरा के बीच का रास्ता खराब होने के कारण बसें पूरे मार्ग पर नहीं चल सकतीं। इस कारण बसें बांसवाड़ा से भूगड़ा तक ही चलती हैं।

(4) जी हां। परन्तु जगपुरा से मोटा गांव तक रास्ता कच्चा होने केकारण गनोठा

(यायायात राज्य मन्त्री)

तक बसें जाना सम्भव नहीं है। वस्तुतः जगपुरा से गनोडा स्टेण्ड 18 किलोलीटर है। जिस में जगपुरा से मोटा गांव 1 कि. मी. का कच्चा रास्ता है।

(5) जी हाँ। गनोठा बस स्टेण्ड उदयपुर-बांसवाड़ा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर है। जगपुरा से मोटा गांव रास्ता कच्चा होने के कारण गनोडा बस स्टेण्ड उक्त मार्ग से जोड़ना सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति सांचौर में विकास अधिकारी का पदस्थापन

166. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) व श्री रामदेव सिंह (धोद) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचौर में जब से पंचायत समिति का गठन किया गया है, अब तक विकास अधिकारी का पदस्थापन नहीं किया गया है? वर्तमान पंचायत समिति की अवधि में विकास अधिकारी का पद कितने समय तक रिक्त रहा है और क्यों? अब उक्त पंचायत समिति में विकास अधिकारी का पदस्थापन कब तक कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांचौर में श्री सांखला विकास अधिकारी का पोस्टिंग सरकार द्वारा किया गया था? अगर हां, तो कब एवं उन्होंने सांचौर में कितने समय तक कार्य किया?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री सांखला विकास अधिकारी, सांचौर को उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती जिलाधीश जालोर ने छुट्टी दिलवाकर सांचौर से कार्यमुक्त कर दिया और सांचौर पंचायत समिति दफ्तर का चार्ज एक जूनियरमोस्ट एस. डी. आई. श्री पुखराज बोकडिया को सुपुर्द करवा दिया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि श्री सांखला विकास अधिकारी सांचौर ने उसे जबरदस्ती छुट्टी दिलवाने के बारे में सरकार को पत्र भी लिखे थे? अगर हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त एस. डी. आई. को पंचायत समिति सांचौर की वित्तीय शक्तियां दी गईं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त अनियमित कार्यवाही को नियमित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री पुखराज बोकडिया एस. डी. आई. ने कार्यवाहक विकास अधिकारी सांचौर के पद पर रह कर अनेक वित्तीय अनियमितताएं बरती हैं? अगर हां, तो क्या? इस बारे में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की जावेगी?

(पंचायतीराज राज्य मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान पंचायत समिति, सांचौर का गठन दि. 4-1-82 से किया गया था। गठन के पूर्व से ही श्री पी. डी. भार्गव विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्हें दिनांक 30-11-81 के आदेश से राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया।

श्री भार्गव के निलम्बन के पश्चात श्री गुलाब सिह, कृषि प्रसार अधिकारी को कार्यवाहक विकास अधिकारी के रूप में चार्ज दिलाया गया। इसके पश्चात दिनांक 13-8-82 के आदेश से श्री मिट्ठूलाल सांखला को विकास अधिकारी के पद पर पद स्थापित किया गया। उन्होंने दिनांक 2-11-82 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री सांखला के लम्बे समय से बिना अवकाश अनुपस्थित रहने तथा अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रधान के अनुरोध पर जिलाधीश, जालोर द्वारा श्री सांखला के वापस लोटने तक के लिये अस्थाई व्यवस्था के रूप में श्री पुखराज बोकड़िया, शिक्षा प्रसार अधिकारी को विकास अधिकारी सांचौर के पद का अतिरिक्त चार्ज दिलाते हुए वित्तीय अधिकार प्रदत्त किये गये।

श्री मिट्ठूलाल सांखला के अनुपस्थिति-काल में ही आदेश दिनांक 9-8-83 के द्वारा उनका पंचायत समिति, रेलमगरा (उदयपुर) में स्थानान्तरण किया जा चुका है और उनके स्थान पर श्री श्याम सुन्दर कल्ला को आदेश दि. 17-8-83 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांचौर के पद पर पद स्थापित किया जा चुका है।

(2) जी हां। दिनांक 13-8-82 के आदेश के द्वारा राज्य सरकार ने श्री मिट्ठूलाल सांखला का पंचायत समिति, साँचौर में विकास अधिकारी के पद पर पद स्थापन किया था और वह दि. 2-11-82 से 23-4-83 तक कार्यरत रहे।

(3) जी नहीं। श्री सांखला बिना किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत कराये अपने पद से अनुपस्थित थे। प्रधान, सांचौर के निवेदन करने पर एवं पशु मेला सांचौर का महत्वपूर्ण कार्य चलने से जिलाधीश, जालौर द्वारा वरिष्ठ प्रसार अधिकारी श्री पुखराज बोकड़िया को वित्तीय अधिकार देते हुए दिनांक 23-4-83 के आदेश द्वारा कार्यवाहक विकास अधिकारी का कार्य सुपुर्द करवाया गया था। श्री सांखला को जबरदस्ती अवकाश दिलवाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई सूचना नही है।

(4) जी नहीं।

(5) श्री बोकड़िया द्वारा कार्यवाहक विकास अधिकारी के रूप में की गई किसी वित्तीय अनियमितताओं की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

Page No 63

(63)

पंचायत आजन्दा (केशवराय पाटन) के सरपंच के भ्रष्टाचारों की जांच

167. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)** : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, पंचायत आजन्दा, पंचायत समिति केशवराय पाटन के विरुद्ध अनाज के बदले काम की योजना में किये गये भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच चल रही है ? यदि हां, तो कब से और किस अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में जिलाधीश बून्दी द्वारा आजन्दा सरपंच के खिलाफ थाने में रपट दर्ज कराने के निर्देश दिये गये ? यदि हां, तो रपट दर्ज कराई गई या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच, ग्राम पंचायत, आजन्दा के विरुद्ध जांच जून, 1981 से विचाराधीन है। सरपंच के विरुद्ध विस्तृत जांच उप जिलाधीश, बून्दी द्वारा कराई जा रही है।

(2) जी हां। किन्तु दस्तावेजों में कमी पाये जाने के कारण पुलिस में रपट दर्ज नहीं हो पाई है। कमी दूर कर शीघ्र ही रपट दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान होटल निगम का पर्यटन विकास निगम में विलीनीकरण

168. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान होटल निगम का विलीनीकरण राजस्थान पर्यटन विकास निगम में किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का क्या मत है ?

(2) राजस्थान होटल निगम द्वारा कितने होटल राजस्थान में संचालित हैं और क्या निगम कोई नवीन होटल स्थापित करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

ग्राम देवगढ़ (प्रतापगढ़) की "प्रयास" नामक संस्था को अनुदान एवं सहायता

169. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ तहसील के ग्राम देवगढ़ में "प्रयास" नामक संस्था को वर्ष

(श्री नन्दलाल मीणा)

1981-82 एवं 1982-83 में किन-किन कार्यों के लिये सरकार से आर्थिक अनुदान व सहायता दी गई ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, प्रतापगढ़ के विकास अधिकारी द्वारा यह लिखने के पश्चात् कि संस्था को किसी प्रकार का बजट आवंटित न किया जाय, माह जनवरी, 1983 के पश्चात् संस्था को कितनी राशि किस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई ? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में "प्रयास" नामक स्वयं सेवी संस्था के लिये रामपुरिया डिस्पेन्सरी हेतु 23,000/- रुपये तथा देवगढ़ सहायता चौकी हेतु 8500/- रुपये का आवंटन राज्य सरकार के स्तर से किया गया था ।

(2) विकास अधिकारी प्रतापगढ़ का कोई पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ । माह जनवरी, 83 के पश्चात् कोई राशि आवंटन नहीं की गई ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है :—

(1) सुश्री पुष्पा जैन—गत 20 अगस्त को धौलपुर जिले में ग्राम कोटड़ा में पुलिस द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह व एक अन्य व्यक्ति को डाकुओं के नाम पर मार देने के विषय में,

(2) श्री हरीश शर्मा—राज्य में स्थित 8 पोलीटैक्निक महाविद्यालय से निकले हुये डिप्लोमा इन्जीनियरों या तकनीशियनों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार तथा भारी बेरोजगारी के विषय में,

(3) श्री बालचंद आर्यवीर—गत 2 अगस्त को मकराना के पास बोरवड कस्बे में समाज कंटकों द्वारा अनुसूचित जाति के कुछ कच्चे पक्के मकानों को तलाश कर देने के विषय में,

(4) श्री रामकंवार बैरवा—कोटखावदा, चाकसू व अन्य गांवों में नटों के पास से मधू नामक एक लड़की के बरामद होने व अन्य लड़कियों को छुपाये रखने के विषय में,

(5) श्री यदुनाथ सिंह—सर्वे एवं इन्वेस्टीगेशन डिवीजन सिंचाई को भरतपुर से करौली ले जाने के निश्चय से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री गोपाल पचेरवाल—गत 18 जुलाई को ग्राम खेड्या भानं तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी में पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर रामलक्ष्मण मीणा की हत्या के विषय में,

(7) श्री राजबहादुर—भरतपुर शहर में नगर परिषद की अनुमति बिना भारी संख्या में अनधिकृत मकान बनाने और पुरातत्व की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के विषय में,

(8) श्री नन्दलाल मीणा, श्री भूपाल सिंह—गत फरवरी, 1983 में भू-आवंटन समिति द्वारा तहसील छोटी सादड़ी ग्राम पंचायत बसेड़ा, जिला चित्तोड़गढ़ द्वारा अनियमित आवंटन किये जाने के विषय में,

(9) श्री त्रिलोकसिंह—सीकर में बस स्टेण्ड का स्थान बदलने से जनता को होने वाली भारी असुविधा के विषय में,

(10) श्री रामकिशोर मीणा : ग्राम सेवा सहकारी समिति, बनियाना, दोखा तथा गंगापुर के विकास अधिकारी द्वारा फर्जी ऋण विवरण करने तथा सब्सिडी देने के विषय में,

(11) श्री हंसराज शर्मा : गत 2 वर्षों में जिला सवाई माधोपुर में नादोली पंचायत समिति क्षेत्र में मुख्य मन्त्री सहायता कोष में वसूल की गई राशि की रसीद न देने के विषय में,

(12) श्री मेघराज तावड़ : आदिम जाति सेवक संघ के अन्तर्गत चल रहे निराश्रित बाल गृह, सुखेर, तहसील गिरवा, पंचायत भुवाणा में प्रभावशाली लोगों द्वारा गत एक सितम्बर को अनाथ बालकों पर किये गये हमले के विषय में,

(13) श्री श्रीतमल जैन : खैरथल निवासी श्रीमती आशा गुप्ता को दहेज की मांग के कारण गत 2 अगस्त को जलाकर मार देने की घटना के विषय में,

(14) श्री देवी सिंह भाटी व श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1981 में आयोजित संयुक्त कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा में बीकानेर जोन के अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार करने के विषय में,

(15) श्री महाराम चौधरी : राज्य के विभिन्न जिलों में सूखा सम्भावित कार्यक्रम क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, सीमान्त काश्तकार एवं लघु काश्तकारों की राजस्व भूमि को नियमित न करने के विषय में,

(16) सर्वश्री भरोसीलाल व वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अनुसूचित जाति के जिन 80 परिवारों को बसों के लिए ऋण दिये गये थे, उनकी बसों में पिछले दिनों हड़ताल होने के विषय में,

(17) श्री नाथू सिंह : गत 23 अगस्त को जिला जोधपुर, तहसील ओसियां के ग्राम डोवरा में श्री भैरू राम व कुछ अन्य लोगों पर गोली चलाये जाने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(18) **श्री बंशीलाल पटवा** : भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के बरसात के कारण ढह जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्रान्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगले सत्र में लिया जायगा, यह भी कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी इन्हें आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है :

(1) **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : नगर परिषद, कोटा द्वारा संचालित किशोरपुरा गौशाला में लगभग 350 गायों की असमय मृत्यु के विषय में।

(2) **श्रीमती विद्या पाठक** : राज्य में बढ़ते हुए महिलाओं पर बलात्कार, अत्याचार, दहेज के कारण हत्या और बच्चों का अपहरण की घटनाओं के विषय में,

(3) **श्री मालाराम** : खेतड़ी जलप्रदाय योजना में जल संकट के विषय में,

(4) **श्री हीरालाल आर्य** : पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल कस्बे में पेयजल की समस्या के विषय में,

(5) **श्री दाऊदयाल जोशी** : नगर पालिका सांगोद, जिला कोटा में हरिजनों की गत दो माह से हड़ताल के विषय में,

(6) **श्री घनश्याम तिवाड़ी** : सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में श्मशान भूमि पर कुछ लोगों द्वारा नाजायज कब्जों के विषय में,

(7) **श्री छीतर लाल आर्य** : अटरू तहसील में ग्राम चरडाना में भारी संख्या में बीमारियों के फैलने के विषय में,

(8) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : चांदपोल, जयपुर स्थित अनाज मण्डी के चारों ओर नगर परिषद् द्वारा अवैध निर्माण की अनुमति देने के विषय में।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : श्री मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम कृषि विश्वविद्यालय बदल दिये जाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय में एक मंत्रिमण्डलीय समिति गठित की गई है और आगामी कार्यवाही होने तक पूर्व स्थिति बनाई रखी जायगी।

(श्री अध्यक्ष)

(2) **श्री त्रिलोक सिंह व श्री मेघराज तावड़** : बगड़िया बाल विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अध्यापकों को हटा देने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है, राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि विज्ञान संकाय खुलवाकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलाये व सेवा मे हटाये गये अध्यापकों को पुनः सेवा में लिया जावे।

(3) उपरोक्त विषय में ही श्री घनश्याम तिवाड़ी ने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस विषय में भी सरकार ने उपरोक्त सूचना दी है। अतः मै इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अब मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारू वह माननीय सदस्य बोलें। जिन स्थगन प्रस्तावों पर मैंने व्यवस्था दे दी है, उनमें नं. 2 पर श्री हरीश शर्मा का जो स्थगन प्रस्ताव है—पोलीटैक्निक महाविद्यालय से निकले हुए डिप्लोमा इंजीनियरों या तकनीशियनों के बारे में, उसमें वह चाहते हैं, इन्होंने प्रार्थना की है कि उसे अस्वीकार कर दिया जाय। इसको अस्वीकार किया जाता है। राज्य सरकार को आवश्यक जानकारी हेतु भेजा जा रहा है।

माननीय सदस्य यदि बोलना चाहते है तो दो मिनट के लिए सदन में चर्चा उठा सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अब मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं, वह माननीय सदस्य दो दो मिनट में अपनी बात कहें। माननीय सदस्य जानते हैं कि आज की कार्य सूची काफी लम्बी है, इसलिए कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ आर्डर में सब समय चला जायगा, मेरा अनुभव बताता है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं चला जायगा समय, जिंदगी चली जायगी। पिछले सत्र में घना गोली कांण्ड के बारे में घोषणा की थी। इसके बारे में मैंने आपको प्रिविलेज मोशन पेश किया है। फिर सरकार भाग जायगी। वहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : उस पर व्यवस्था देंगे।

श्री यदुनाथसिंह व्यवस्था कब देंगे? व्यवस्था कब मिलेगी, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था देकर ही जाऊंगा।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव है इसी के बारे में।

श्री यदुनाथसिंह : आज ही व्यवस्था देंगे? फिर चले जायेंगे। लोग परेशान हो रहे हैं। केस लगाये जा रहे हैं। हमारे लोग परेशान हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ी देर पश्चात् मुझ से मिलने का कष्ट करें। सब समस्याओं का निवारण करूंगा।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से कई बार मिल चुका हूं इसके बारे में।

श्री राजबहादुर : इस विषय पर कल मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। यहां पर एश्योरेंस दिया गया है 4 मार्च को "मैं घोषणा करता हूं—

श्री अध्यक्ष : वह बात मेरे ध्यान में आ गई है। माननीय सदस्य, इस बारे में कुछ व्यवस्था करूंगा। मैं यह आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रिविलेज मोशन मूव कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज मोशन पर आज विचार करूंगा। बाद में व्यवस्था दूंगा। माननीय सदस्य, धैर्य रखें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

आपको कोई शंका हो तो कुछ समय पश्चात् आप बतायें। मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं, उनका मैं निवारण करूं। इसके पहले मैं नाम पुकारता हूं।

माननीय श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कल मैंने एक प्रस्ताव दिया था। हां हां, उसे रिजेक्ट कर दिया। आज बोलने का मौका दे दें। कल समय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मैं ऐसा समझता हूं, शायद आप मूड में नहीं हैं। डिप्टी स्पीकर के मामले का क्या रहस्य है?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आपने दो दिन पूर्व यह प्रश्न उठाया था। उसके पश्चात् मैंने सत्तारूढ़ दल से भी विचार विमर्श किया, अल्पकाल के लिए आप से भी विचार विमर्श किया। उसमें स्थिति यह बनती है कि माननीय सदस्यों को सूचना पूर्व में प्रसारित करनी होगी। वह सूचना, जिसे रीजनेबल नोटिस कहते हैं, कम से कम 6 दिन की होना आवश्यक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी दे दें।

श्री अध्यक्ष : 6–7 दिनों तक अब शायद सत्र चले, न चले, इसलिए मैं समझता हूं कि....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

यह मुझे सम्भव नहीं लगता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके सामने रूल क्वोट करना चाहता हूं, जिसमें लिखा है।

"The election of a Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix and the Secretary shall send to every member notice of this date."

श्री अध्यक्ष : यही तो नोटिस देना पड़ता है। यही तो कठिनाई आती है....

(व्यवधान)

बातें न करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : "(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Deputy Speaker of the Assembly, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice......"

इसमें, अध्यक्ष महोदय, कहीं 6-7 दिन की व्यवस्था नहीं है।....

मुझे कहने दीजिये।

6-7 दिन की व्यवस्था का भी जैसा आपने कहा उसको यदि सही मान लें, तो यह प्रश्न तो कोई नया नहीं है। पिछले सत्र में लगातार इस प्रश्न को उठाया, लगातार आपसे इस बात की मांग की, डिप्टी स्पीकर का चुनाव करवाया जाय। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह सत्र आरम्भ हुआ उसके दूसरे दिन यह प्रश्न उठाया गया था। आप दूसरे दिन भी नोटिस देते तो मैम्बर सब यहां उपस्थित थे। इसमें लम्बे-चौड़े नोटिस की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिये 5 दिन का सदा ही सैशन होगा और सदा 5 दिन का सैशन होता है तो आपके 6-7 दिन कभी पूरे नहीं होंगे और डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का काम नहीं है। यह तो अध्यक्ष को निर्णय करना है। हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें डिप्टी स्पीकर के चुनाव कराने के सम्बन्ध में आपके निर्णय से महरूम रहना पड़ रहा है। अब क्या परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूं कि उन परिस्थितियों से आप प्रभावित नहीं होंगे और न होना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद यह चुनाव नहीं होता है तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे आप प्रभावित हो रहे हैं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कारण दिया है वह कारण तो आप भी मन में सोचते होंगे कि सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो थोड़ा बहुत आप अवश्य सोचते होंगे। डिप्टी स्पीकर का चुनाव न कराना हाउस के ऊपर रिफ्लेक्शन है। हाउस के ऊपर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रिप्लेवशन हो किसी बात से तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप चुनाव नहीं करा सकते ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है इस बारे में । अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल को पढ़ा । रूल का मतलब यह नहीं है कि अधिवेशन हो रहा हो तभी चुनाव हो । ऐसा कहीं नहीं है । उसमें सिर्फ यह है कि नोटिस दिया जायगा । यह नहीं है कि अधिवेशन चल रहा हो तभी इलेक्शन हो—

"The election of a Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix..."

Not essentially during the session; it can be outside the session also. आप डेट फिक्स कर दीजिये, हम सब लोग आ जायेंगे वोट डालने ...

श्री अध्यक्ष : आगे पढ़ लीजिये । उसमें यह प्रक्रिया है, उसमें एक प्रस्ताव लाया जायगा सदन के समक्ष । उस प्रस्ताव के माध्यम से चुनाव होगा । और जब सदन की बैठक, पार्टी नहीं, हो रही है तो....

श्री राजबहादुर : प्रस्ताव तो अभी आ जायगा, हुजूर, इस बहाने फिर सैशन तो हो जायगा पर इससे इस पार्टी में फ्रेक्शन हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इसमें संवैधानिक स्थिति यह है, मुझे भी इसमें थोड़ा खेद है कि यह प्रक्रिया कम से कम 7 दिन पहले से होनी चाहिए, मिनिमम 7 दिन का तो रीजनेबल नोटिस जिसको कहते हैं वह होना चाहिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यही तर्क दे सकता हूं, मैं यहीं का उदाहरण दे सकता हूं, पहले दिन बिजनेस लिस्ट में निकला कि दो दिन बाद में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, केवल दो दिन से ज्यादा का नोटिस नहीं दिया गया विधान सभा में, चाहे आप पुराना रिकार्ड देख लें । जितने भी डिप्टी स्पीकर चुने गये, केवल दो दिन का नोटिस दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : अब क्या करें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कल करवा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कल तो एक बजे तक तो वह प्रस्ताव आना चाहिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रिलेक्स कर सकते है । कार्य संचालन में दुविधा हो तो रिलेक्स कर सकते हैं टाइम....

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं, कल समाचार पत्रों में था कि यू. पी. के माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निश्चित कर दी उसके पश्चात् शायद कुछ प्रस्ताव वगैरह भी आ गये । उसके बाद में सदन में आपस में विचार-विमर्श करके कुछ कठिनाई आ गई....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह रूल्स की कठिनाई नहीं थी....

श्री अध्यक्ष : वह कठिनाई बाद में अपने यहां उपस्थित हो जाय तो ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वहां विरोधी पक्ष ने यह मांग की कि अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होता है तो उपाध्यक्ष विरोध पक्ष का होना चाहिये। इस पर वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में बैठकर बात-चीत की जायगी। यहां तो वह प्रश्न नहीं है, यहां तो किसी प्रकार का विवाद नहीं है। आप अगर चाहें तो अब भी हाउस में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसका तो मतलब यह है कि आप जान-बूझकर ऐसा कर रहे हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वय ने फर्माया कि रीजनेबल नोटिस होना चाहिये। इसका मतलब यह है कि अपने यहां 200 माननीय सदस्य हैं, कई निर्दलीय हैं, कई पार्टियों से बन्धे हुये हैं, किसी की भी इच्छा हो सकती है कि वह भी डिप्टी स्पीकर के चुनाव में खड़ा हो। वे सब के सब हाजिर नहीं हैं। किसी को पता नहीं है। रीजनेबल नोटिस का मतलब यह है कि 7 दिन का नोटिस तो देना चाहिये जिससे राजस्थान जैसे विशाल प्रदेश में, अगर कहीं जैसलमेर, बाड़मेर और दूर बैठे हुये माननीय सदस्य हैं वह भी आकर फार्म भर सकें, वह अपना क्लेम कर सकें। जीत हार दूसरी बात है, लेकिन खड़े होकर वह अपना क्लेम तो कर सकते है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि....

श्री यदुनाथसिंह : विधान सभा का सेशन चल रहा है तो हर माननीय सदस्य का कर्तव्य है कि वह उपस्थित रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह पार्टियां हैं, उनके लिये जिम्मेदारी है। निर्दलीय रहें न रहें उनकी मर्जी पर है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो सदन की परम्परा है कि हर माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित रहें, इस बात की आवश्यकता है, यह अपेक्षा है इसलिये यह बहाना लेना. . .

श्री अध्यक्ष : कई कारण हो सकते हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कारण हो सकते है। हमें तो कोई लगता नहीं।

श्री अध्यक्ष : रीजनेबल नोटिस में तो समय....

श्री भैरोंसिह शेखावत : रीजनेबल का मतलब है, अगर कोई आपत्ति कर दे तब रीजनेबल का प्रश्न आता है....

श्री अध्यक्ष : आपत्ति तो अपने मुख्य सचेतक महोदय और पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने ही कर दी तो दूसरों की तो बात क्या है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ये तो प्रोम्प्टेड है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या ? आप होंगे, मैं तो नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत अध्यक्ष महोदय, ये समझे ही नहीं। अब ये प्रोम्प्टेड का मतलब भी नहीं समझे और खड़े हो गये। अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय की हालत तो आपने स्वयं देख ली। मुख्य सचेतक समझे ही नही और बोल रहे हैं। क्या मैंने कहा, उसका मतलब क्या है ? उनको तो आप जानते हैं कि उनकी बात को हाउस और सरकार सीरियसली लेती नहीं। आप उनकी बात को क्यों सीरियसली ले रहे हैं, इससे तो उनका महत्व और बढ़ जायगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को मजाक में न टाला जाय। हमें खेद है कि हम बार बार इस प्रश्न को उठाते हैं। सबसे ज्यादा खेद इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, इस वाजिब मांग की आप उपेक्षा कर रहे हैं। चुनाव कराना आपके अधिकार में है, हम तो केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और....

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : आप खेतसिंह जी को निर्विरोध उपाध्यक्ष बना देंगे क्या ? तब तो....

श्री अध्यक्ष : कल कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुलाने की कोशिश करूंगा। उसमें कल यदि निर्णय हो जाता है तो....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने यह तय किया था कि 9 तारीख को 3.00 बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। उसके नोटिस भी हमारे पास आ गये हैं। विरोधी दल के नेता महोदय भी उसमें होंगे और हम भी होंगे, उस वक्त गंभीरतापूर्वक इस विषय पर विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपको एक बार निर्णय लेना पड़ेगा, आप इसको ज्यादा अवोइड नहीं सकते। ज्यादा अवोइड नहीं करें यह हमारी रिक्वेस्ट है।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह बात तो आपको बुरी लगेगी, अध्यक्ष महोदय, आप सदन के सदस्यों से तो यह अपेक्षा करते हैं कि नियमों का वह पालन करें। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप नियमों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं ? आपको किसने अधिकार दिया है कि आप डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करवायें ? रूल्स में प्रावधान है, स्पीकर के लिये लाजमी है, जो लाजमी चीज है वह स्पीकर नही कर रहे हैं तो हम किसको कहें ? हमसे तो अपेक्षा करते हैं कि नियमों का पालन करें तो हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप भी नियमों का पालन करें।

श्री अध्यक्ष : नियमों का ही पालन कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : ने तो, अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च उदाहरण पेश किया है।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लोग अध्यक्ष महोदय की जो प्रतिष्ठा है उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : कभी नहीं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह दीजिये कि आप डिप्टी स्पीकर का चुनाव करा देंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारा दल जितना अध्यक्ष महोदय के आदेशों का पालन करता है, जितना मान-सम्मान हमारा दल करता है आप उसका एक प्रतिशत भी नहीं करते, श्रीमान्।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मर्जी आये तो करिए साहब पर, अध्यक्ष महोदय, है तो बहुत खेदजनक बात। अध्यक्ष महोदय, हम तो खुद कुछ कर नहीं सकते, विरोध पक्ष में बैठे हैं, अल्पमत में हैं,हम तो केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आप हमारी रिक्वेस्ट को टाल दें तो ठीक है।....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक हो रही है उसमें कोई निर्णय हो सके...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर यदि कोई सर्वोच्च विधान सभा के अध्यक्ष हैं, तो वह राजस्थान की विधान सभा के अध्यक्ष हैं। सारे सदन के माननीय सदस्यगण आपमें, आस्था और निष्ठा रखते हैं, और आपको निष्पक्षता में विश्वास रखते हैं, इसलिये जो काम सरकार के अलावा आपके जिम्मे है वह आपको निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भय के कर उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना चाहिये। यदि आपको कोई योग्य व्यक्ति नजर नहीं आता हो और सब, यदि मन्त्रिमण्डल के इच्छुक हों तो मैं अपनी सेवायें आपके समक्ष समर्पित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के माननीय नेता और सदन के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उनको मैं कल कार्य सलाहकार समिति के समक्ष रखूंगा। जो निर्णय होगा उसी के अनुसार कार्यवाही की जायगी। मुझे खेद है, मैं खेद व्यक्त करता हूं कि जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी उसको समय पर मैं नहीं कर सका, करना चाहिये था, लेकिन कुछ कारण ऐसे है, मैंने प्रयत्न किया, लेकिन उपाध्यक्ष का पद ऐसा है कि निर्विवाद कोई बैठ जाय किसी नाम पर....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पण्डितजी का नाम आया है।

श्री अध्यक्ष : पण्डितजी का नाम आया है, इसलिए फिर....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब काम शुरू करें।

श्रीमती विद्या पाठक : आप सुन तो लें मैं कुछ मतलब की बात कहना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहती हूं कि हम यहां विधान सभा के सदस्य जो स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं, वह रिकार्ड में एण्ट्री के लिए ही नहीं देते। हम अपने वोटर्स से और राजस्थान की जनता से कमिटेड होते हैं, उनके दुःख तकलीफ की बात यहां करना चाहते हैं। मुझे बहुत ही खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि महिलाओं से बलात्कार और अत्याचार की घटनायें, बच्चों, को उड़ाने की घटनायें हो कभी रिकवर करना....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दूंगा। मैंने राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु आपका प्रस्ताव भेज रखा है। आपका प्रस्ताव देर से आया इसलिए सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाना तो मेरे लिये कठिन होगा लेकिन आपको आज ही अवसर दे रहा हूं। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया आपके प्रस्ताव को मैंने राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है। यह व्यवस्था का प्रश्न तो है नहीं लेकिन आपका सुझाव है वह उपयोगी है, ठीक है, और उपयुक्त है।

श्रीमती विद्या पाठक : बड़ी वाइड इम्पोर्टेन्स का पाइन्ट है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अब इस तरह इस पर, माननीय सदस्या, चर्चा नहीं होगी।

श्रीमती विद्या पाठक : आप इस पर सरकार से वक्तव्य दिलायें। इसको आप कल के लिए रख सकते हैं ? बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, बहुतों के स्थगन प्रस्ताव हैं। इस पर सरकार से वक्तव्य दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। समय ना लें, माननीय सदस्या। मैं अब कार्य शुरू करना चाहता हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने महत्व का है, इस पर कल वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। वेश्म में मिलने का कष्ट करें। आज और कल काफी वक्तव्य रखे गये हैं। कठिनाई मेरी यह है कि जो एक जनरल प्रोब्लम है, उसको रखा है। स्थगन प्रस्ताव किसी एक घटना से सम्बन्धित होता है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, 48 प्रतिशत जनसंख्या से सम्बन्धित विषय है। इस पर कल वक्तव्य दिलाने का आश्वासन दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती विद्या पाठक : इस पर कल वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय ना लें, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का फिर पर्पज क्या है ?

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पहले मैं इस कार्य का सम्पादन कर लूं उसके बाद में आपको अवसर दूंगा। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। मैं कोई इस प्रश्न के बारे में नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैंने 5 तारीख को एक प्रस्ताव दिया है इस विधान सभा में, अब्दुल गफ्फार खां को जो हरेस कर रखा है पाकिस्तान की सरकार ने ....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : सदन से प्रस्ताव पारित किया जाय या राज्य सरकार इस पर प्रस्ताव लाये। वह मैंने प्रस्ताव दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपने जो माध्यम अपनाया वह उचित नहीं है, माननीय सदस्य। अलग से मुझसे बात करें। अंकित न हो।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पेण्डिग है अभी। इस विधान सभा की फिर रेलेवेन्सी क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्रीमती विद्या पाठक : × × ×

श्री अध्यक्ष : समय ले रही हैं, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन की तरफ से यही सहूलियत कर रखी है कि माननीय सदस्य दो दो मिनट में जिन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार कर दिया है उन पर कहना चाहें तो कह सकते हैं लेकिन इस कार्य को शुरू करने में भी मुझे करीब आधा पौन घण्टे का समय लग गया। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि पहले मैं इस कार्य का सम्पादन कर देना हूं उसके पश्चात् अगर आपकी कोई कठिनाई होगी तो मैं सुनने की कोशिश करूंगा। कृपया आसन के साथ सहयोग करें। इस तरह समय लेंगे तो फिर मैं यह व्यवस्था कर दूंगा कि सीधे जो आज की कार्य सूची है उसको हाथ में लिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : कोई दिन ऐसा जाता होगा कि अखबारों में या अन्य स्थानों पर इस तरह की सूचना नहीं मिले, महिलाओं पर अत्याचार नहीं किये जाते है। आप भी पढ़ते हैं, आप भी चिंतित हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री महावीरप्रसाद जैन : एक महिला के साथ कुछ हुआ तो पूरा महाभारत छिड़ गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अंकित न हो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शायद अपनी बात नहीं कहना चाहते, मुझे ऐसा लगता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। कृपया बैठ जायं। व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी उस व्यवस्था में जो खतरा है, उसकी बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप समय लेंगे तो ---

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल आपके चेम्बर में भी बात हुई थी कि उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी उससे कुछ परिस्थितियां विकट हो जायेंगी। वहां आपने यह व्यवस्था दे दी कि जो पूर्व में स्थिति थी वह बनी रहे।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में माननीय सदस्य कह देंगे। मुझे सरकार ने सूचित कर दिया है, मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूर्व स्थिति बनी रहनी चाहिये, का मतलब आज जो आर्डिनेन्स है वह लेप्स हो गया।

श्री अध्यक्ष : अब यह संवैधानिक स्थिति क्या बनती है उसके बारे में तत्काल नहीं कह सकता। विपक्ष के नेता महोदय अब क्या कानूनी स्थिति बनती है, उस पर मैं वर्तमान में कहने की स्थिति में नही हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गड़बड़ हो जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा है ---

श्री अध्यक्ष : कृपया समयसीमा का ध्यान रखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी यहीं हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव भेजा है आपने कार्यवाही के लिए, उसके दो बिन्दु उनके ध्यान में लाऊं ताकि उस नाते वह कार्यवाही करने में ठीक रूप से निर्णय कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से कोटा में जो नगर परिषद द्वारा गौशालायें चलाई जा रही हैं उन गौशालाओं में लगातार गऊओं की मौतें होती चली जा रही हैं। गौशालायें केवल इसलिए हैं कि जो पशु आवारा घूमते हैं, उनको लाया जाये। उनका मालिक यदि ले जाय तो बहुत अच्छा है वरना उनकी नीलामी कर दी जाए। परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन महीने में 70 गायें, 40 बछड़े और 15 बैल इस गौशाला में, किशोरपुरा की गौशाला में मर गयीं। मुझको जब शिकायत मिली तो मैं उस स्थान पर गया। मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि चिकित्सा का व्यय उन गौशालाओं के लिए तय है। मैंने जब चौकीदार से पूछा कि क्या पिछले एक साल में कोई भी डाक्टर यहां बुलाया गया है तो मुझको सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जग

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वह चौकीदार कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहा कि पिछले कुछ समय या साल भर में डाक्टर ने उस गौशाला के दर्शन किये या नहीं किये। एक गाय पड़ी थी, 12 दिन से पड़ी थी, उसका पिछला पुट्ठा गल गया था, मरने की स्थिति में थी, उसका प्रसव हुआ था, उसका बछड़ा था, उसको दूध नहीं मिल रहा था, वह भी मरने की स्थिति में था। दो गायें और मरने की स्थिति में थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय को कि बड़े परिमाण में गायें वहां मर रही हैं। तीन-चार लाख रुपये का बजट है इस गौशाला के लिये और बन्दा धर्मपुरा गौशाला के लिये। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, पिछले कुछ वर्षों में व्यय नहीं हुआ और सारा बजट था उसको फिक्स्ड डिपोजिट में इकट्ठा कर दिया गया। उसका उपयोग उस गौशाला की गायों की चिकित्सा के लिये बिल्कुल नहीं हो पाता है। चारे के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की तो बड़ा आश्चर्य हुआ यह जानकर कि चारा जो 6 महीने से वहां इकट्ठा था, बरसात में भीग गया, बिल्कुल काला हो गया, खाने के लायक नहीं था। ऐसा चारा नहीं खातीं तो वे गायें जिन्दा रहतीं। उस चारे से लगातार वे मरती चली जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो के ल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं इसीलिए कहना चाहता हूं एक तरफ तो केन्द्रीय स्तर पर गाय की चरबी इश्यू सारे देश में चल रहा है, दूसरी ओर गौशाला में गायें मर रही है। कोटा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण कोटा में स्थिति भयंकर हो सकती है। लगातार अखबारों में बात छप रही है। लोगों के ध्यान में आ रही है। नगर परिषद द्वारा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे यहां पर एक प्रकार का टैक्स धर्मादा का वसूल किया जाता है। हमारे यहां पर एक हजार की चुंगी पर एक रुपया धर्मादा का लिया जाता है। इस प्रकार धर्मादा का कुल मिला कर आज तक 24 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है। इस 24 लाख रुपये का जो उपयोग इन गौशालाओं में होना चाहिये, वह आज तक नहीं हो रहा है।

दूसरी बात जो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वह है चारे की खरीद के बारे में। चारे की खरीद में ठेकेदार के लोगों का हाथ है। मैं इसकी चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता हूं कि किन मन्त्री का हाथ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, किन किन का वरद हाथ है जिसके कारण खराब चारा लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उनका वरद हाथ होने के कारण कोई

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इन्क्वायरी उसके खिलाफ में नहीं हो रही है। इस कारण चारे के अभाव में, खली के अभाव में, पौष्टिक आहार के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में लगातार गायों की मौतें हो रही हैं। और पिछले कुछ दिनों में वहां 350 गायों की मौतें हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी हालत है तो या तो जो गौशाला में गाय हैं वह नीलाम कर दी जातीं या वह वापस लौटा दी जातीं तो उचित रहता। दोनों ही स्थिति नहीं होने के कारण पशु मर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन बेजुबान असहाय पशुओं की इस प्रकार मौतें नहीं होने दें। आप उनकी थोड़ी चिन्ता करें, उनकी चिकित्सा की आप व्यवस्था करें, उनके अच्छे आहार की व्यवस्था करें। आप यह पैसा किस के लिये बचा रहे हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा बचा कर आपने फिक्स्ड-डिपोजिट में रखा है उसका किन किन कामों में उपयोग हुआ है। उसके माननीय सदस्य दाऊ दयाल जी ने एक सवाल उठाया है, आज वहां पर अनाप-शनाप पैसा खर्च हो रहा है, बेकार की चीजों में। भ्रष्टाचार के लिये उस पैसे का उपयोग हो रहा है वह तो मैंने देखा है पर जिसके लिये यह पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उनके लिये उपयोग में नहीं आ रहा है। गायों की मौतें हो रही हैं इसलिये उनको बचाया जाये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। बैठ जायें।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पांच तारीख को दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री छीतरलाल आर्य : आपने व्यवस्था दी थी, अध्यक्ष महोदय, पांच तारीख को मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैं नाम से सम्बोधित करता हूं। नाम से सम्बोधित करता हूं। आप बैठ जायें। माननीय सदस्य, इस तरह आप अव्यवस्था नहीं फैलायें। बैठ जायें।

श्री छीतरलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय; मन्त्री महोदय से जवाब दिलाने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री छीतर लाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री छीतर लाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर। यह क्या बात हुई कि आप जब मन चाहे खड़े होकर बोलने लग जायं और सदन के अन्दर बाधा खड़ी कर दें।

श्री छीतर लाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव दिया, वैसे अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से यह समस्या निरन्तर होती है मगर इन तीन वर्षों से जिस गति से यह निरन्तर बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और बच्चों का अपहरण होना, बच्चों का गायब कर देना और बाद में उनकी हत्या कर देना, इससे सारे अखबार भरे पड़े हैं। इस विधान सभा के पटल पर भी रोज कम से कम 4–6 स्थगन प्रस्ताव इस तरह से चर्चा के विषय होते हैं। आश्चर्य होता है कि क्या हमारा सदन और हम लोग सिर्फ इस बात को नजीर के रूप में ही देखना चाहते हैं कि इसकी जानकारी करके एक अच्छे कथानक के रूप में रखें, इस बात को समाप्त करके अनसुनी कर देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी जितनी चर्चा इस बात पर होती है उतनी उतनी यह घटनायें बढ़ती जा रही हैं। स्वयं मुख्य मन्त्री के जिले में बालकों का अपहरण हुआ और रोजाना बहुत से अन्य स्थानों पर अपहरण हो रहे हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं फिरोती के लिए और जब फिरोती नहीं मिलती है तो फिर बच्चों की हत्या कर देते हैं। पर आज दिन तक एक भी केस पिछले तीन सालों में नहीं चलाया है। आज दिन तक सरकार ने किसी की रैस्पान्सिबिलिटी फिक्स करके अदालत को दिया हो, ऐसी जानकारी ही प्राप्त नहीं होती है।

इसी तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, दहेज की वजह से चाहे आशा देवी हत्या कांड बाबत हो, 1-2 वर्ष से सी. आई. डी. जांच कर रही है उस किरणदेवी हत्याकांड की बात हो, अजमेर की सोमवती देवी के हत्याकान्ड का केस ले लें, इतना ही नहीं जयपुर में भी पिछले एक महीने में कम से कम छः घटनायें ऐसी हुई हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा सरकार का प्रशासन, इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतनी बड़ी पुलिस होने के बावजूद कोई व्यवस्था आज दिन तक इन मामलों में नहीं

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

कर पाये, किसी भी केस में किसी की रेस्पान्सिबिलिटी ही फिक्स न हो सकी है। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में भी महिलाओं की संख्या कम होने के कारण शासन की ओर से भी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, बिना कोई प्रेशर के इस बात को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है। इसलिए इस सदन की समुचित भावना सरकार के पास नहीं पहुंच पाती है। हर अखबार में यह खबरें छपती हैं. हर व्यक्ति इस बात से सहमत होता है कि बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार बहुत जघन्य अपराध है लेकिन इस विषय पर सरकार की निष्क्रियता है। आज माननीय अध्यक्ष महोदय भी इन्स्टीट्यूशनलाइज्ड हैं। पुलिस प्रांगण में, पुलिस की अकादमी में बलात्कार हुआ पर कोई नहीं पकड़ा गया हालांकि लोगों के नाम भी आ गये थे। अभी परसों ही इस विषय में चर्चा थी। इसी तरह एक जैमन काण्ड है. एक पुरुष एक बीवी के होते हुए तीन तीन शादियां कर लेता है पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कर्मचारी संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि इस काण्ड में जयपुर जेल के डी. आई. जी. पी. के भी स्टेटमेंट रिकार्ड हुए थे पर आज दिन तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। उसको भी दबा दिया गया है। इसमें एक महिला कृष्णा जैमन है वह भी लिप्त है, उसको सस्पेन्ड किया गया है। उसे किस लिये सस्पेन्ड किया गया है? वह सिर्फ ड्यूटी से एब्सेन्ट है। इसलिये सस्पेन्ड नहीं किया है कि वह इस काण्ड में शामिल है। तो इस प्रकार सरकार प्रोत्साहन दे रही है। श्रीमन, आज तक जैमन गिरफ्तार नहीं हो सका। इसमें कइयों की एन्टीसिपेट्री बेल भी हो चुकी है पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। इस तरह से सरकार आज प्रोत्साहन दे रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : इसीलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह विषय वृहद है इस पर लम्बी चर्चा होनी चाहिये।

सभी माननीय सदस्याओं ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव दे रखे है। क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और सरकार द्वारा, सदन की ओर से भी महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस विषय को गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। इसको किस्से के रूप में ही न लें इसमें माननीय सदस्यों की भावनायें जुड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो सभी माननीय सदस्यों की भावना जुड़ी हुई है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फिर आधा ही रह

(श्रीमती विद्या पाठक)

गया है सरकार से क्या कार्यवाही होगी, आसन ही बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम। माननीय सदस्या, आसन को बीच में नहीं लाये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष, इसमें आपसी भावना भी तो जुड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों की भावना जुड़ी हुई है।

माननीय सदस्य श्री मालाराम।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य। पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल कस्बे में पेयजल की समस्या के विषय में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मांगरोल कस्बा पीपल्दा क्षेत्र में सबसे बड़ा नगर है। उसकी आबादी करीब 20–25 हजार है। इस नगर में पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नागरिक पीने के पानी को प्राप्त करने में भारी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस नगर में एक नल योजना पहले लागू हुई, वह आज के करीब 15-20 वर्ष पहले की गई थी। उस वक्त उस नगर की आबादी करीब 10–12 हजार की थी। वहां पर जो टंकी है उसकी क्षमता भी उस वक्त केवल 30 हजार लीटर की थी। कनेक्शन भी करीब 150 से 200 के बीच में थे। अब चूंकि उस नगर की आबादी 20–25 हजार की हो गई और कनेक्शन की संख्या 500–700 के आस पास की है, किन्तु आज भी बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें अभी तक नल योजना नहीं है। पानी के कनेक्शन नहीं दिये गए हैं। लोगों ने इसके लिए प्रार्थना पत्र दे रखे हैं वह प्रार्थना पत्र आज भी पेन्डिंग हैं। आज भी लोगों को पीने के पानी की आवश्यकता है। उनके लिये करीब डेढ़ लाख लीटर पानी की आवश्यकता है। लेकिन बार बार नागरिकों की प्रार्थना पर भी जो टंकी है उसकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही है। आज दिन तक उसकी क्षमता नहीं बढ़ी है। फलस्वरूप लोगों के यहां पानी नहीं पहुंच पाता है। पानी केवल एक समय करीब 10–15 मिनट के लिये ही दिया जाता है, वह भी ठीक तरह से नहीं आता है। इसलिए लोगों ने पीने के पानी को प्राप्त करने के लिए खड्डे खोद रखे हैं। उन खड्डों के कारण कीचड़ फैल जाता है। कभी कभी उन खड्डों में बच्चे जाकर गिर जाते हैं। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसलिए मैं सरकार को आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पीने के पानी जैसी मानवीय चीज के लिए उनकी उपेक्षा नही करें। हम बार बार सरकार के अधिकारियों को लिख रहे हैं लेकिन पता नहीं सरकार ने क्यों उपेक्षा की नीति

(श्री हीरालाल आर्य)

अपना रखी है। इसके साथ ही सरकार पानी की उपलब्धता जल्दी कराये। उसके लिए कठोर शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी पीने के पानी की व्यवस्था वहां की जनता के लिए करे।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम। खेतड़ी जलदाय योजना में जल के संकट के विषय में।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी नगरपालिका क्षेत्र में 8-10 जगह ऐसी हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। तीन-तीन, चार-चार दिन तक तो टंकी बिल्कुल सूखी पड़ी रहती है और लोग त्राहि-त्राहि करते हैं। वहां के वाटर वर्क्स का जो ए. ई. एन. है, और एक्स. ई. एन. है सबको लिख-लिख कर दिया परन्तु आज तक यह समस्या हल नहीं हुई है। आज दिन तक पानी की समस्या हल नही कर सके है। और लोगों जो बराबर बिल दे रहे हैं। यह नहीं कि बिल नहीं ले रहे है, वे बराबर पैसा जमा करा रहे हैं किन्तु पानी की समस्या बहुत भयंकर है, कम से कम ऐसी 10 पंचायतें हैं, 8-10 पंचायतें हैं जहां पानी की भयंकर समस्या है। इस लिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि यह पानी की समस्या आम आदमी की है। दरअसल में तो एक दिन में कम से कम दो बार पानी आना चाहिए। 3-3, 4-4 दिन तक भी पानी नहीं आए तो लोग कैसे जीयेंगे। यह भयंकर समस्या है पानी की।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

आप इतने आतुर क्यों हो रहे हैं, मुझे ध्यान है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, को ा जिले की एक महत्वपूर्ण नगरपालिका सांगोद में गत डेढ़ महीने से हरिजन हड़ताल पर हैं। सारा सांगोद नगर सड़ रहा है। दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार से सब प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी हरिजनों की न्यायोचित मांगों को स्वीकार करवाने में असमर्थ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनका 4 सूत्री मांग पत्र 28-9-83 को उन्होंने पेश किया जिसको पढ़ने के बाद माननीय मन्त्री महोदय में अगर थोड़ी भी आत्मीयता है तो यह जो मांगें हैं कोई महत्व नहीं रखती उनको तुरन्त स्वीकार करेंगे।

(व्यवधान)

Page No 84

(८५)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मन्त्री महोदय, कृपा करके एक नजर इधर। श्री जनार्धन गहलोत, मन्त्री महोदय से सम्बन्धित प्रश्न है, कृपा करके उनको सुनने दें, बातचीत तो बाद में कर लेना....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि 4 सूत्री मांग पत्र है उनको 6 साल से ठंडी और गर्म कोई वर्दी नहीं मिली। 6 साल पहले उन हरिजनों को वर्दी दी गई थी उसके बाद आज तक नगरपालिका सांगोद ने वर्दी नहीं दी। दो साल से उनको मकान किराया भत्ता नहीं मिला। उनको दो साल से किसी प्रकार का कोई एरियर नहीं मिला। साथ ही दो महीने व्यतीत हो गए, नगरपालिका की आर्थिक स्थिति सक्षम होते हुए भी उनको वेतन नहीं मिल रहा है। उनका पाप केवल एक ही है कि वहां उन्होंने इन्टक....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर लूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय दिया था। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : समाप्त कर रहा हूं, इंटक की सदस्यता को समाप्त करके उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता स्वीकार की है, इस पाप के कारण उनकी जायज मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को सोचना चाहिए। नगरपालिकायें केवल एक पार्टी की बपौती नहीं हैं। इन नगरपालिकाओं म केवल जबर्दस्ती....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : डन्डे के आधार पर चलें। इसी कारण से आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद भी उनकी मांगें स्वीकार नहीं कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपसे निवेदन करूंगा हरिजनों, जिनके नाम पर वोट लेते हैं, की तुरन्त मांगें स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : (अनुपस्थित)।

(श्री अध्यक्ष)

श्री छीतर लाल आर्य। अटरू तहसील के ग्राम चरडाना में भारी संख्या में बीमारियों के फैलने के विषय में।

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अटरू तहसील के ग्राम चरडाना में उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। वहां पंचायत मुख्यालय है, वहां की आबादी करीब तीन हजार है, फिर भी यातायात का कोई साधन नहीं है, वहां के बीमार लोगों को छोटी सी बीमारी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है। कभी-कभी तो वहां बीमार मौत के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार से वहां के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहां इस समय भयंकर मलेरिया फैल रहा है, काला बुखार फैल रहा है लेकिन वहां किसी प्रकार की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब कि अटरू तहसील में वर्ष 1983–84 में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने वाले गांवों की सूची में चरडाना गांव का नाम भी है इसके बावजूद बाकी 9 गांवों में तो सब सैन्टर्स खोल दिए गए हैं लेकिन चरडाना गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजनैतिक मतभेदभाव है वहां की जनता के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। इस प्रकार से यह राजनैतिक भेदभाव करना सरकार के लिए एक अच्छी बात नहीं है। मनुष्य मात्र और उसके जीवन में बीमारी से सम्बन्धित मसला है, इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। वहां की जनता ने अगर कोई इस सरकार के खिलाफ या अरुचिकर कार्य किया है तो केवल यही कि उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार को नहीं चुनकर केवल भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति को चुना है, यह राजनैतिक मतभेद की बात है। मैं सरकार और इस सदन को चुनौती देता हूं कि या तो उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए नहीं तो वहां की जनता मेरे नेतृत्व में आन्दोलन करेगी और एजीटेशन करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका एक स्थगन प्रस्ताव दिनांक 5 सितम्बर का था। किसी पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा महिला के साथ दुर्व्यवहार का प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उसमें न तो इन्सपेक्टर का नाम लिया जाएगा, न महिला का नाम लिया जाएगा केवल जो घटना है, उसे आप संक्षेप में सदन के समक्ष रख सकते हैं।

श्री छीतर लाल आर्य : जी हां।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की स्थिति अब राजस्थान में बहुत खराब हो चुकी है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है राजस्थान के लिए। आज राजस्थान में ही नहीं पूरे

(श्री छीतर लाल आर्य)

हिन्दुस्तान में महिला जगत में इस प्रकार की आम धारणा बन चुकी है कि महिलाओं की इज्जत कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न अस्पतालों में सुरक्षित है, न घरों में सुरक्षित है, न थानों में सुरक्षित है । इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण सदन के सामने उपस्थित करना चाहूंगा । अजमेर में अलवर गेट थाने में 9 अगस्त को वहां के पुलिस इन्सपेक्टर के द्वारा बलात्कार किया गया जब कि महिला को यह कहकर लाया गया कि उनकी पुत्र वधु के गहनों की चोरी हो गई है, उस सम्बन्ध में उससे पूछताछ करनी है उसके बावजूद उसके साथ बलात्कार किया गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से राजस्थान में पिछले सत्र से लेकर अब तक बलात्कार की कई घटनायें हुई हैं, उनको मैं गृह मन्त्री के ध्यान में लाना चाहूंगा । एक तो 26 तारीख को सुजानगढ़ अस्पताल में नसबन्दी कराने आई महिला....

श्री अध्यक्ष : आर्डर ।

श्री छीतर लाल आर्य : किसी का नाम नही लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । एक घटना के बारे में आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था, अन्य घटनाओं पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री छीतर लाल आर्य : किसी सरकारी कर्मचारियों का नाम नहीं बताऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आप विषयांतर हो रहे हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । समाप्त कीजिए ।

श्री छीतर लाल आर्य : मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा । सुजानगढ़ के अन्दर 26 तारीख को नसबन्दी कराने आई महिला के साथ बलात्कार किया ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । अलग प्रश्न है ।

श्री छीतर लाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य ।

श्री छीतरलाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करता हूं । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री छीतर लाल आर्य : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । अंकित नहीं हो रहा है । मुझे बाध्य नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री छीतरलाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है ।

(व्यवधान)

आप उनको ओर उत्साहवर्धन कर रहे हैं । अफसोस की बात है, माननीय सदस्य, मैंने जो छूट दी उसका आसन की ओर से बार-बार निवेदन किये जाने के बाद में भी आप दुरुपयोग कर रहे हैं । बड़े दुःख की बात है, माननीय सदस्य । मुझे कहते हुए खेद है—

श्री छीतरलाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

सदन की कार्यवाही को इस तरह से न लें । माननीय सदस्य, यह दुरुपयोग है जो माननीय सदस्यों का अधिकार है उसका ।

(व्यवधान)

श्री छीतरलाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज क्योंकि आप बहुत ही उत्सुक थे कल....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इसको अस्वीकार कर दिया था । यह मान हानि कारक मामला है । इसके अन्दर कई प्रश्न जुड़े है । मैंने कहा था कि सरकार से जानकारी लेकर बाद में व्यवस्था दूंगा । आज आपने आग्रह किया, आपने आक्रोश व्यक्त किया, तो मैंने आपको अनुमति दी । यह न कहें, यह सदस्यों के लिये शोभाजनक नहीं....

श्री छीतर लाल आर्य :×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । डाक्टर उजला अरोड़ा । चांदपोल जयपुर में स्थित अनाज मण्डी के चारों ओर नगर परिषद् द्वारा अवैध मकानों की अनुमति देने के विषय में ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के परकोटा का इतिहास प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : इतिहास में न जायें, जो समस्या है उसको सदन के समक्ष दो मिनट में रख दें । आर्डर ! माननीय सदस्या,

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अपनी बात कह लूं । मेरे एक शब्द कहते ही आप बीच में टोकेंगे तो मैं अपनी बात नहीं कह सकूंगी । मेरी बात कह लू ।

पुरातत्व विभाग की यह प्रापर्टी है नगर परिषद की नहीं है । अनाजमण्डी में नगर परिषद ने अनुमति दी । जब पूछा कि आप अनुमति कैसे दे रहे हैं तो भूतपूर्व मन्त्री,

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया.

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, ने कहा कि अनुमति दे दी तो दे दी। नगर विकास प्राधिकरण से कहा, तुम्हारे क्षेत्र में आता है उन्होंमे इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अधिकारियों की मिलीभगत से, मन्त्री महोदय के प्रभाव से मन्डी में, भूत-पूर्व मन्त्री श्री श्रीराम गोटेवाला....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नाम नहीं लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : भगवान का नाम है, ले लेती हूं। अच्छा आप ही हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा।

अभी इन्हीं दिनों इस सरकार के आने के बाद अब तो नहीं है, वहां पर परमिशन दे दी। मण्डी के दो तरफ तो, परकोटे की दीवार लगती है। दो तरफ दीवार की बाउण्डरी खिची हुई है। उन सदस्य, जिन्हें परमिशन दी गई, ने परकोटे का हिस्सा तोड़ा और परकोटे की दीवार को तोड़ कर दरवाजा खोल दिया। जब दुकानें बन रही थी तब मना किया किन्तु अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस समय यह बन चुकी, स्थिति परसों की आप देखें, वहां पर निरन्तर चोरियां हो रही हैं। मण्डी में केवल दुकानें ही नहीं है, वहां दुकानों पर लोगों ने रिहाइशी मकान बना लिये है, अधिकांश लोग वहां पर रहते हैं। वहां पर कोई दुकान ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मकान नहीं बना हो और जिस पर आदमी नहीं रहता हो। जिनकी मण्डी में दुकान हैं अधिकांश तो वही लोग रहते हैं ऊपर। उन्होंने मुझ से सम्पर्क करके कहा कि वहां पर स्त्री और पुरुषों का रहना मुश्किल हो गया है, पता नही, कौन सी दुकान का, कौन से मकान का ताला टूटेगा। पिछले पांच-छः महीने, से जब से यह दुकानें बनी है, तब से वहां पर चोरियों का तांता लगा हुआ है। कभी किसी दुकान का ताला टूटा मिलता है, कभी किसी का माल गायब, कभी किसी मकान का ताला टूटा मिलता है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रही थी कि परकोटे को बन्द करवाया दुबारा। मन्त्री महोदय यहां पर बैठे हैं वह आदेश दे सकते हैं जानकारी कर सकते हैं। वह सड़क की तरफ दरवाजा खुलवायें। मण्डी की तरफ का दरवाजा तत्काल बन्द करायें। यह आपने भी उचित कार्यवाही के लिये भेजा है। चाहे कोई भी सज्जन हों यह जिन्होंने अनधिकार चेष्टा की है उनका दरवाजा उधर से बन्द कराने की तत्काल कार्यवाही करें। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि वह यदि उचित समझें तो मौका भी देख लें।

मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं, और साथ में यह निवेदन करती हूं कि जयपुर की इस प्राचीनता के साथ भविष्य में खिलवाड़ न करें आपके अधि-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कारी, इस बात से भी आप उन्हें आगाह करें,

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा। मेन होल में गिर कर दो बच्चों की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

श्री महाराम चोधरी (नागौर) : मैं पहले बोल दूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जयपुर शहर में जो होल बने हुए हैं उनके ढक्कन खुले होने के कारण कई बच्चों की गिर कर मृत्यु हो गई। यह घटना 12 अगस्त की है। 12 अगस्त को राजा पार्क से दवा लेकर अपने पिता और बड़ी बहन के साथ 8 साल की बच्ची कृष्णा दोपहर 12 बजे मोती डूंगरी रोड़ पर गई। वहां नाला है। वहां पट्टी नहीं थीं। परिणाम स्वरूप वह गिर गई और गिरने के बाद पानी के बहाव से बहकर आगे निकल गई। उसका पिता उस सारी स्थिति में बेबस होकर वहीं मेन होल में गिर गया। उसकी बहन असहाय होकर चिल्लाती रही। वहां के लोग दौड़कर आये, लेकिन उसको बचा नहीं सके।

इसी प्रकार की एक घटना अभी 6 तारीख को मानसरोवर नगर में हुई है। जहां 2 साल का बालक सुनील ढक्कन खुला होने के कारण मेन होल में गिर कर मर गया। आप कल्पना करिये, दो वर्ष का बालक और मेन होल में गिर जाये तो कोई बचा नहीं सकता। यह घटनायें यह मृत्यु क्यों हुई, उसके पहले स्थान-स्थान पर जो दुर्घटनायें हुई हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सबको रोकने के लिए नागरिकों ने हाई-कोर्ट के दरवाजे खटखटाये। एक महिला, जो विश्वविद्यालय में काम करती है, ने सारे जयपुर शहर का सर्वेक्षण किया। इस प्रकार के सैकड़ों खुले हुए ढक्कन या नालियां देखीं तो हाई कोर्ट में गई। जस्टिस दिनकरलाल मेहता ने यह आदेश दिया कि मेन होल तुरन्त बन्द कर दिये जाऐं। यह निर्णय जुलाई में हुआ है। उसके बावजूद यह दुर्घटनायें इस निर्णय के बाद हुई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनकी अकर्मण्यता को देख कर हमारे राज्य के सबसे बड़े आदमी राज्यपाल महोदय ने भी चिन्ता व्यक्त की।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। चर्चा समाप्त हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा : अन्तिम सुझाव....

श्री अध्यक्ष : लम्बी-चोड़ी चर्चा नहीं होगी। यह प्रस्ताव था वह हो गया आप सुझाव अन्य माध्यम से लायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : साधारण सी बात है जिसको एक मिनट में कहा जा सकता था

(श्री अध्यक्ष)

पर उदाहरणों के साथ आपने इतना लम्बा चौड़ा समय ले लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुझाव देना चाहता हूं कि क्या किया जाना चाहिए, जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह काम किया गया है 304 (ए) ग्राइ. पी. सी. की धारा के अन्तर्गत उनके खिलाफ चालान पेश किया जाना चाहिए। वह 304 (ए) आई. पी. सी. क्या है यह मैं आपको पढ़-कर सुना देता हूं....

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। माननीय सदस्य, कानून सब जानते हैं।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री भंवर लाल शर्मा : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। ग्रार्डर, ग्रार्डर। ग्रार्डर प्लीज।

श्री भंवर लाल शर्मा : एक मिनट साहब। दो लाइन पढ़ूंगा। I will read only one....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। मैं अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, दो लाइन पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री जयकृष्ण शर्मा।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थान प्रस्ताव दिया हुआ था....

श्री अध्यक्ष : मैं किसी स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। न इस प्रस्ताव में क्या स्थिति है उसको कहने का अवसर दे रहा हूं। यदि माननीय सदस्यों को कोई शिकायत है तो कृपया मुझसे मेरे वेश्म में आकर मिलें।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही होने दीजिए, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया नियमों का पालन करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम 5 तारीख से स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं

(श्री देवीसिंह भाटी)

और वह लगातार सरकार की जानकारी के लिए भेजे जा रहे हैं ।....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री देवीसिंह भाटी : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । इस संबंध में कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं ।

अंकित न हो ।

श्री महाराम चौधरी : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मेरा नाम पुकार लिया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात कहेंगे; माननीय सदस्य । श्री हरीश शर्मा ।

श्री हरीश शर्मा : एक मिनट में, साहब ।

आज प्रदेश में 8 पोली टैक्निक महाविद्यालय हैं इन से हर वर्ष एक हजार छात्र उत्तीर्ण होकर निकलते हैं । उसमें इन्जीनियर्स भी होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स और टेक्निशियन्स भी होते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि सरकार का एक छात्र के ऊपर कम से कम 65 हजार रुपया खर्चा आता है एक साल में किन्तु इनकी व्यवस्था तो देखिये, मैं तो कहता हूं कि मूर्खता तो देखिये, आज लेखाकार, क्लर्क और अन्य पोस्ट के लिए जाते हैं लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स, जो इन्जीनियर्स हैं, को अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स के द्वारा बुलाया जाता है और पोस्टल आर्डर मंगाये जाते हैं 25–25 और 30-30 रुपए के । यह दुःख की बात है, यह शर्म की बात है कि अनेक डिपार्टमेन्ट्स उनसे पोस्टल आर्डर तो मंगा लेते हैं, रुपया हजम कर जाते हैं और उनके पास परिणाम तक नहीं पहुंचाते हैं । अभी दो-तीन महीने पहले आर एस.ई.बी. ने चार हजार लड़कों का इन्टरव्यू लिया और पोस्टल आर्डर मंगवा लिए, रुपया हजम कर गए, रिजल्ट नहीं निकाला । इन सब की भी यदि आर.पी.एस.सी. द्वारा परीक्षायें ले ली जायें तो क्या आपत्ति है ? जब आर.पी.एस.सी. आवश्यकतानुसार अलग अलग डिपार्टमेन्ट को सूची भेजता है तो इनके साथ अन्याय क्यों ? आप सोचिए, एक छात्र पर परीक्षा का कितना भार

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री हरीश शर्मा)

पड़ता है। सारे लड़कों को जयपुर आना पड़ता है। जयपुर आने जाने का भार, ठहरने और रहने का अलग भार है, रिश्वत का अलग भार है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष, इस स्थिति में इस तरह की सारी परीक्षायें आर.पी.एस.सी. के द्वारा ही ली जानी चाहिए। आपने इसको रिजेक्ट किया है, इसका क्या किया जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अव्यवस्था है।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायें। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैंने व्यवस्था दे दी है। सब व्यवस्थायें मुझे जुबानी याद नहीं हैं। कृपया बैठ जायें। आर्डर, आर्डर।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उसको क्यों रिजेक्ट किया है ?

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम नहीं, मैंने रिजेक्ट किया है या स्वीकार किया है।

श्री महाराम चौधरी : आपने अस्वीकार किया है। अस्वीकार करने वालों को आपने बोलने का मौका दिया है। मुझे भी आप बोलने का मौका दीजिए। आप देखिए तो सही। आपने उसको अस्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने सरकार से जानकारी चाही है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। सरकार के पास जानकारी नहीं है तो ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास आ ही नहीं सकता जो सरकार के विरोध में न हो।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें, घटना क्या घट रही है।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं ले। कृपया बैठ जायें।

श्री महाराम चौधरी : एक मिनट में घटना क्या घट रही है वह मैं बता दूं। एक मिनट। आप इसका महत्व तो समझें। घटना गांव में यह घट रही है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। अंकित न हो, अंकित न हो, अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें। आर्डर, आर्डर। बैठ जायें।

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, नियमों का उल्लंघन न करें। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। आसन पैरों पर है।

कृपया बैठ जायें।

श्री नाथूसिंह : अण्डर रूल 158

श्री अध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। प्लीज। आसन पैरों पर है। मैं अगला बिजनेस ले रहा हूं उसके बाद....

श्री नाथूसिंह : अगला बिजनेस लें उसके पहले पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

(व्यवधान)

यह सदन कौन चला सकता है इस तरह से अगर हर बात के ऊपर पाइन्ट आफ आर्डर आये। कोई अवसर तो हो

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ग्रध्यक्ष)

ऐसा कि पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठाया जा सकता है। ग्रासन ग्रपने पैरों पर है। ग्रार्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : फिर तो ग्रगला बिजनेस शुरू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। यह क्या तरीका हुग्रा, माननीय सदस्य। इस तरह सदन चलाया जा सकता है क्या ?

ग्रार्डर, ग्रार्डर।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शार्ट टाइम चलता है तो ऐसा ही होता है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप तो चला ही रहे है, माननीय ग्रध्यक्ष।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। बैठे बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री नाथूसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। ग्रध्यक्ष महोदय, 18–8–83 को जोधपुर हाउस में जो घटना घटी जिसमें राजस्थान के मुख्य मन्त्री इनवाल्व हैं, जिसमें राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी इन्वाल्व हैं...

श्री ग्रध्यक्ष : यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है।

श्री नाथूसिंह : प्रिविलेज मोशन है।

श्री अध्यक्ष : ग्रापने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था।

श्री नाथूसिंह : इस संदंभ में 18–8 को दिया है मैंने।

श्री ग्रध्यक्ष : हां मुझे दिया है तो वह विचाराधीन है। इसमें पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर क्या हुग्रा ?

श्री नाथूसिंह : वह निवेदन करना चाहता हूं ग्राप सुनें तो सही। एक मिनट ...

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं नहीं। ग्रार्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य मत्री इनवाल्व हैं, चीफ सैक्रेटरी इनवाल्व हैं ग्रौर पुलिस भी इनवाल्व है...

श्री अध्यक्ष : ग्रंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

× × × माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने डिस्अलाऊ किया है। यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।....

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। जितने भी स्थगन प्रस्ताव हैं उनके ऊपर मैं निर्णय लूंगा। कृपया बैठ जायें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल तक भी आप इस पर निर्णय दे देंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। इस तरह नहीं उठा सकते। निर्णय लूंगा। यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल के बाद तो सेशन खतम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। आप बिराज जायें पहले।

श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल इतना है....

श्री अध्यक्ष : आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बाधा डालने का सवाल नहीं है लेकिन प्रिविलेज मोशन के सम्बन्ध में कभी तो कोई निर्ण हो गया आपका ?

श्री अध्यक्ष : होगा साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप बता दें इस हाउस में आपने कभी प्रिविलेज मोशन का कोई निर्णय किया है ?

श्री अध्यक्ष : किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक भी बता दें। एक भी नहीं हुआ है इस हाउस में। या तो एक वाजपेयी का हुआ है या फिर देवी सिंह जी का निष्कासन करना था वह आपने कर दिया। सरकार के खिलाफ कोई विशेषाधिकार का लिया हो वह बता दें। विशेषाधिकार का प्रश्न सरकार के खिलाफ लिया हो तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : सरकार के खिलाफ तो आ ही नहीं सकता। मैंने निवेदन कर दिया कि प्रिविलेज मोशन हैं वह मेरे विचाराधीन है। मैं उस पर विनिश्चय दे दूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं आपको।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं दखल नहीं कर रहा, अपने अधिकार की बात कहे बिना नहीं रहूंगा, अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन करना यह है कि प्रिविलेज मोशन का प्रासिजर रूल में दिया हुआ है। आप सुनते नहीं हैं और हम उठा नहीं पाते हैं तो प्रिविलेज मोशन देने का क्या अर्थ है ? आपकी किसी एक में भी कन्सेन्ट हुई ? मैं समझता हूं, आपने कन्सेन्ट रूल 157 के अन्दर, 158, 159 के अन्दर दी तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : आपने स्वयं फर्माया कि दो में तो मैंने दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह दो कौनसे ? एक तो जिसमें आपको एक मैम्बर को बाहर निकालना था और दूसरा वाजपेयी जी के खिलाफ आपने यहां पर डिस्कस किया है। बाकी आपने सरकार के खिलाफ कोई प्रिविलेज मोशन आया है....

श्री अध्यक्ष : इसमें जितने मामले आते हैं उन में मैं तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं मामले तो बहुत आये हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कौनसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वह प्रस्ताव था विपक्ष के नेता श्री कमलेन्द्र सिंह....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दो कौन थे ? एक वो जिसमें एक मैम्बर को यहां बाहर था और दूसरा, वाजपेयी जी के खिलाफ आपने यहां पर डिस्कशन किया। बाकी सरकार के खिलाफ कोई प्रिविलेज मोशन आया हो।

श्री अध्यक्ष : जितने मामले आते हैं उनमें तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं मामले तो बहुत आये हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कौनसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वह प्रस्ताव था विपक्ष के नेता श्री कमलेन्द्र सिंह ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, सरकार के खिलाफ नहीं था, सरकार के प्रतिनिधि के खिलाफ नहीं था। यह मोशन जाता है मुख्य मन्त्री के खिलाफ, बाकी मोशन आते हैं मन्त्रियों के खिलाफ। माननीय सदस्यों की मानहानि के प्रश्नों के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी तो फैसला हो। माननीय सदस्य, जो बान्दीकुई से आये है, मांग कर रहे हैं, आपकी कन्सेन्ट तो उनको मिल नहीं रही है। आप बता दीजिये दूसरा रास्ता कौनसा है जिससे विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : मैंने अर्ज किया, विशेषाधिकार के जितने प्रश्न हैं उनके ऊपर कल मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो मैं पूछ रहा था।

श्री अध्यक्ष : तो यह आसानी से आप पूछ सकते थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसानी से आप भी कह सकते थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य की कितनी उत्सुकता है, वह भी तो मुझे मालूम करनी पड़ती है····

श्री नाथूसिंह : तीन दिन से मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आज आपने इतना रोष व्यक्त करके कह दिया, तो फैसला कर देंगे ।

श्रीमती विद्या पाठक : यह खराब प्रथा पड़ जायेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ट्रेडिशन खराब हो जायेगा ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : आप उत्सुकता जानना चाहते हैं तो मेरी भी उत्सुकता है । एक विशेषाधिकार प्रश्न मैंने आपको प्रस्तुत कर रखा है उसको भी उत्सुकता वाले विशेषाधिकार प्रस्तावों में सम्मिलित करके उस पर निर्णय लिया जाये । वह नाथद्वारा के विधायक के विरुद्ध है ।

श्रीमती विद्या पाठक : पिछले सत्र में माननीय लॉ मिनिस्टर के विरुद्ध मैंने प्रिविलेज प्रस्ताव दिया था····

श्री बाल चन्द आर्यवीर : एक प्रिविलेज मोशन मैंने भी दे रखा है ।

श्रीमती विद्या पाठक : न तो हम प्रेस में स्टेटमेंट दे सकते है न जनता में दे सकते हैं कि यह स्थिति है । आपने उसको रोक रखा है, आगे की सारी कार्यवाही ब्लाक हो गई है ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दूंगा जितने भी विचाराधीन हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो हुआ कुछ फैसला ।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं मानता हूं अस्थिरता की स्थिति मेरे लिये भी ठीक नहीं है । कल तक स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल सदन तो होगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं होगा । कार्यसूची के अनुसार जितने दिन निश्चित है, होगा ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री जयकृष्ण शर्मा ।

व्यवस्था का प्रश्न अधिसूचना सदन पटल पर रखने में बिलम्ब

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि अधिसूचना जो सदन की मेज पर रखी जाय वह जिस समय जारी हो उसके बाद में पहले सत्र में रखी जानी चाहिये । लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

महोदय से कहना चाहता हूं कि यह उस विषय की अधिसूचना सदन की मेज पर रख रहे हैं जिसकी कल बहुत अधिक यहां पर चर्चा हुई। ट्रैक्टर ट्राली के सम्बन्ध में कर मुक्ति का प्रस्ताव। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कल चर्चा की थी मैंने उसके साथ और जोड़ना चाहता हूं। विधान सभा के पिछले सत्र के समय माननीय मुख्य मंत्री जी श्री शिवचरण माथुर ने बजट के समय यह भाषण करते हुए कहा था, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना भूल गया। अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि यहां पर आम तौर से किसानों की कुछ कठिनाइयों के संबध में बात कही जाती है। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार ने बड़ी गम्भीरता से विचार किया और यह निर्णय लिया राज्य सरकार ने कि राज्य में कृषि के महत्व और किसान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृषि के कार्य में उपयोग में आने वाली ट्राली, जो ट्रैक्टर के द्वारा संचालित की जाये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब सदन के समक्ष

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। जब कोई पत्र सदन की मेज पर रखें उस वक्त क्या उसके औचित्य के बारे में, उससे जनता की कितनी कठिनाई दूर होंगी, यह सब प्रश्न उठाये जा सकते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट। आप बिराजें। मैं अपनी बात....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विशेषाधिकार का हनन इसलिये है कि 24–3....

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव आता है इसके लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विशेषाधिकार का प्रस्ताव इसलिये नहीं दिया, कोई फैसला होने वाला नहीं है। आज ही आपके मुख से निकला है कि कल फैसला होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 24 मार्च को यह निर्णय हो गया और अधिसूचना 8 अगस्त को 5 महीने बाद निकली, जिस ट्रैक्टर ट्राली कर से मुक्ति किसानों को मिलनी चाहिये थी, जिसकी घोषणा सदन में मुख्य मंत्री महोदय ने कर दी उसकी क्रियान्विति 5 महीने बाद हुई, अधिसूचना निकाली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं यह अधिसूचना जारी होने के पश्चात् भी आदेश जिलों में नहीं गये हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस अधिसूचना के पश्चात् जिन्होंने ट्रैक्टर ट्राली पर कर वसूल किया है उनको वापिस आप करने वाले हैं। यह अभी भी लिया जा रहा है, मुश्किल यह है।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्नों की मैं अनुमति, माननीय सदस्य, आपको नहीं दूंगा। इसके संबंध में यदि आप प्रश्न उठायें अन्य किसी माध्यम से, तो व्यवस्था की जायेगी। मंत्री जी पत्र सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (गुप 7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या प. 9 (2) गृह-7/81 दिनांक 8-8-83 जिसके द्वारा राज्य में कृषि कार्यों हेतु उपयोग में आने वाले ट्रैक्टरों द्वारा संचालित ट्रालियों को अधिरोपित कर के संदाय से छूट दी गई है।

(2) अधिसूचना सं. प. 9 (2) गृह-7/81 दिनांक 8 अगस्त, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान नियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री वृज सुन्दर शर्मा, वित्त मंत्री जी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री वृज सुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित लेखे एवं प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) वित्त लेखे वर्ष 1981-82

(2) विनियोग लेखे वर्ष 1981-82

(3) वर्ष 1981-82 के लिये भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(4) वर्ष 1981-82 के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति का दसवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सभापति जन लेखा समिति।

श्री माणकमल मेहता (सदस्य, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग लेखे 1976-77, वित्त लेखे 1976-77 तथा वर्ष 1976-77 के लिये भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट पंचायत एवं विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको अनुमति है या नहीं। नाम उनका दिया हुआ है।

श्री माणकमल मेहता : आप कहें तो वापस पढ़ देता हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : अनुमति ले लीजिये आसन से।

श्री माणकमल मेहता : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से....

श्री अध्यक्ष : अनुमति प्रदान की गई।

श्री माणकमल मेहता : मैं यह पुनः आपके समक्ष पढ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग लेखे 1976–77, वित्त लेखे 1976–77 वर्ष 1976–77 के लिये भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट पंचायत एवं विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

आधे घन्टे की चर्चा

श्री पी. एस. अहलूवालिया को घीया पत्थर के खनन का ठेका

(तारांकित प्रश्न संख्या 94
दिनांक 7 सितम्बर, 1983)

श्री अध्यक्ष : श्री पुष्पा जैन। घीया पत्थर के खनन पट्टे सम्बन्धी प्रश्न सं. 94 पर आधे घन्टे की चर्चा उठायेंगी। इस संबंध में माननीय श्री नाथूसिंह का एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। माननीय श्री नाथूसिंह भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : मूल प्रश्न मेरा भी था। मैंने समर्थन भी किया है। मैं भी हिस्सा लेने की अनुमति चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री कैलाश मेघवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

कृपया समय का ध्यान रखें।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, कल दिनांक 7-9-83 को क्वेश्चन नं० 94 का उत्तर जो सरकार ने दिया है, मैं समझती हूं, सरकार ने अपने आपको एक्यूज्ड् के माफिक खड़ा किया है, अपने आपको एक मुल्जिम करार दिया है। अध्यक्ष महोदय, सवाल था, "क्या यह सही है कि पी. एस. अहलूवालिया को ग्राम देवपुरा (तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा) के निकट घीया पत्थर (सोप स्टोन) का खनन पट्टा दिये जाने की स्वीकृति हुई है ?" इन्होंने कहा, "जी हां, यह स्वीकृति शासन के आदेश क्रमांक प 2 (184) खान/ग्रुप-2/82 दिनांक 12-10-82 द्वारा क्षेत्र 400 हैक्टेयर के लिये जारी की गई। लेकिन इस क्षेत्र में आरक्षित वन होने के कारण इसे कम कर क्षेत्रफल 230.097 हैक्टेयर के लिये संशोधित स्वीकृति आदेश क्रमांक प 2(184)खान/ग्रुप-2/82 दिनांक 14-6-83 द्वारा जारी की गई।"

अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा सवाल किया, "क्या यह सही है कि यह पट्टा स्वीकृत किये जाने से पूर्व इस क्षेत्र के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई नीति निर्णय संबंधी विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गई ? यदि हां, तो कब कब और किस प्रकार से प्रसारित हुई है ?" जवाब आता है, "नियमानुसार आवश्यक नहीं होने के कारण कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गयी।"

(सुश्री पुष्पा जैन)

सवाल नम्बरतीन था, "क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में खनन पट्टा लेने के लिये कई व्यक्तियों अथवा संस्थानों के आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो किन-किन के, क्यों और कब कब ?" जवाब दिया दिया, "उदयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट के खनन पट्टे क्षेत्र से विरोधित होने एवं जी. एस. आई. के आरक्षित क्षेत्र में पड़ने के कारण सर्वश्री कल्याण मल टांक एवं एम. एस. सिंघवी के आवेदन पत्र क्रमशः आदेश क्रमांक 2(277) खान/ग्रुप-2/81 दिनांक 17-11-81 एवं प 2 (83) खान/ग्रुप-2/81 दिनांक 7-8-81 द्वारा अस्वीकृत किये गये।" अध्यक्ष महोदय, एक ही खनन पट्टा एक ही जगह का दो पार्टियों ने मांगा। उनके आवेदन पत्र आपने खारिज कर दिये क्योंकि वह क्षेत्र आपने आरक्षित कर दिया। श्री अहलूवालिया को उसी जगह का पट्टा आपने इसलिए दे दिया कि आपको उसको देना था। उसका कोई डी-आरक्षण नहीं किया, आपने उसका कोई डीरिजर्वेशन नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जवाब आया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थीं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मेजर मिनरल कन्सेशन रूल्स के रूल 58 का बी पार्ट पढ़ना चाहूंगी :

"The date from which the area shall be available for grant is notified in the official Gazette atleast thirty days in advance."

30 दिन पहले कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, कोई विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सीधे आसान तरीके से कह दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि इनको यह अधिकार कैसे प्राप्त हो गया कि खनन पट्टे की जमीन इन्होंने यह कह कर रिजेक्ट कर दी थी कि यह खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता क्योंकि जी. एस. आई. को इन्होंने यह दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जरा बताना चाहूंगी कि यह एरिया किन पर्पजेज के लिए रिजर्व किया गया था। यह एरिया जी.एस. आई. को बहुमूल्य खनिज निकालने के लिए दिया गया था कि वहां वहां पर सर्वे करें, अगर वहां पर बहुमूल्य खनिज पाये जाते हैं तो राजस्थान की वहबूदी बढ़ेगी। उन सब को इन्होंने नहीं करवाया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने श्री कल्याण मल और श्री सिंघवी का आरक्षण क्यों खारिज किया। जब श्री अहलूवालिया ने दरख्वास्त दी, सभापति महोदया,

(1.42 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

यह पत्र है, अभियन्ता भीलवाड़ा का, जब अहलूवालिया ने अपनी दरख्वास्त दी तो उन्होंने अपनी नोटिंग दी है, कार्यालय से जो नोटिंग जारी हुई है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से यह लिखा है "सर्वमान्य चित्र पर अंकित क्षेत्र में आकार व वर्तमान में सम्पूर्ण आरक्षित क्षेत्र भारतीय भूगर्भित सर्वेक्षण विभाग द्वारा आरक्षित क्षेत्र खनिज

(सुश्री पुष्पा जैन)

कोयर आदि दिनांक 18.10.75 एवं दिनांक 11.9.1959 के अन्तर्गत आने से विरोधित होता है जैसा कि संयुक्त मानचित्र में दर्शाया गया है। "नीचे उन्होंने अपनी नोटिंग में लिखा है," सर्वश्री कल्याण मल टांक का पत्र प्राप्त हुआ जो कि शासन के आदेश क्रमांक (2277)/ख़ान ग्रुप–2/81, दिनांक 17.11.1981 से क्षेत्र रिक्त होने के कारण अस्वीकृत किया गया। इस क्षेत्र के कुछ भाग पर सर्वश्री एम. एस. सिंघवी का खनन पट्टे का आवेदन पत्र भी आया जो कि शासन के आदेश क्रमांक 4228 जयपुर दिनांक 7.8.1981 को अस्वीकृत किया गया।" सभापति महोदया, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जिस जगह पर आपने खनन पट्टा इन दो पार्टियों को देने से इन्कार किया और जिन कारणों के आधार पर आपने इन्कार किया वह कारण दूर किये बिना आपको यह अधिकार कैसे प्राप्त हो गया था कि आप वह खनन पट्टा श्री अहलूवालिया के हक में दे दें जब तक कि आपका कोई खास इन्ट्रेस्ट उसमें न हो। सभापति महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि यह खनन पट्टा इन्होंने क्यों दिया....

श्री भरूसिंह गुर्जर (खारची) : दो मिनट ठहरिये। कानून मन्त्री से राय ले लें।

सुश्री पुष्पा जैन : एक मिनट।

सभापति महोदया खनिज अभियन्ता ने साफ तौर से इन्कार कर दिया था, श्री अहलूवालिया पर क्योंकि बकाया है, वह इर्रेवोकेबल एटार्नी हैं, और पावर आफ एटार्नी हैं, अमरनाथ

(1.45 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

राजपुरोहित के इर्रेवोकेबल पावर आफ एटार्नी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि 20280 रुपया डेड रेन्ट का इन पर बकाया था। जब तक वह 20280 रुपया नहीं चुका देते पावर आफ एटार्नी के नाते, क्योंकि इर्रेवोकेबल पावर आफ एटार्नी थे लिहाजा सारी रेस्पान्सिबिलिटी राजपुरोहित की श्री अहलूवालिया पर आती है। जब तक वह रुपया चुकता नहीं हो जाता तब तक आपने यह कैसे कह दिया कि उन पर कोई बकाया नहीं था? क्योंकि आपको पट्टा देना था, आपको श्री अहलूवालिया के हक में खान देनी थी लिहाजा आपने यह लिख दिया कि उन पर कोई बकाया नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि अमरनाथ राजपुरोहित के पावर आफ एटार्नी होने के नाते 20280 रुपया इन पर आज भी बकाया है उसको एक तरफ रखकर इन्होंने गलत तरीके से, नियमों को ताक पर रखकर, यह पट्टा दे दिया। अध्यक्ष महोदय, पट्टा देते वक्त साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि यह पट्टा क्यों दिया गया। "आज दिनांक 25.3.1983 को दोपहर पर निदेशक महोदय खान एवं भूविज्ञान का ट्रंकाल प्राप्त हुआ। उन्होंने फोन पर निर्देश

(सुश्री पुष्पा जैन)

दिया कि खनन पट्टा खनिज सोप स्टोन निदेशालय, उदयपुर श्री पी. एस. अहलूवालिया के पक्ष में स्वीकृत कर संविदा निष्पादन तुरन्त करा दिया जाय।" अब क्यों करा दिया जाय, इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं भी पार्टी से पूरी करा ली जायें। निदेशक महोदय ने निर्देश दिये हैं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश लिखित में अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा संलग्न कर भेजे जा रहे हैं। यह पत्र इन्हें जारी करने की आवश्यकता क्या हुई ? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोगों का इन्ट्रेस्ट था, यह एक रास्ता बनाना चाहते हैं। इसके लिए इनका रास्ता साफ हो जाय। इसके पीछे इनके जो मंसूबे थे वह बहुत बड़े थे। अध्यक्ष महोदय, किसी मामूली आदमी ने यह पट्टा देने के लिए स्वीकृति नहीं दी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, राजस्थान के मुख्य मंत्री के आफिस से यह टेलीफोन जारी किया गया जिस टेलीफोन को सुनकर निदेशक महोदय ने अभियन्ता जी को आदेश लिखकर दे दिये....

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मन्त्री के यहां ऐसे ही राज काज के काम होते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : यही तो मैं कह रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो कह रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, श्री एस. पी. एल. श्रीवास्तवा, डायरेक्टर आफ माइन्स एण्ड जियालाजिकल सर्वे, गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान ने डायरेक्टर आफ माइन्स एण्ड जियालाजिकल सर्वे, उदयपुर ब्रांच के श्री डी. एल. भार्गव को लिखा;

"Dear Mr. Bhargava, I have received a telephonic direction from the Chief Minister level that the agreement in respect of the grant of a Mining Lease for soapstone near village Deopura district Bhilwara in favour of Shri P. S. Ahluwalia may please be done immediately. You may please ensure that his agreement is executed and I may be intimated accordingly.

अध्यक्ष महोदय, यह सूचना आने के बावजूद भी मैं आभार करूंगी उस अभियन्ता का कि उन्होंने एक पत्र जारी किया और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर से लिख दिया कि "श्री अहलूवालिया, जो कि अमरनाथ राजपुरोहित के इरवोकेबल पावर आफ एटॉर्नी होल्डर हैं, पर 20280 रुपये डेड रेन्ट के खनिज लाइम स्टोन के बकाया हैं।" इस पत्र के बाद लिख रहे हैं नीचे, "आपसे यह निर्देश चाहे गये थे कि पार्टी पर उक्त बकाया है, इस कारण बकाया जमा नहीं होने से कान्ट्रेक्ट सम्पादन कराया जाय अन्यथा नहीं परन्तु आपके वहां से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। इस कार्यालय के पत्र की प्रति शासन को पढ़ायी गयी, उनके यहां से भी 10-3-1983 को तार के

(सुश्री पुष्पा जैन)

द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए कि प्रथम बकाया राशि वसूल की जाकर सूचना भेजें। इस कारण दिनांक 10-3-1983 को पार्टी से कान्ट्रेक्ट कर सम्पादन नहीं कराया जाय।" फिर नीचे उन्होंने कहा, "अमरनाथ राजपुरोहित द्वारा दी गयी पावर आफ एटार्नी की जांच कराने हेतु निदेशालय में भेज दी लेकिन इस क्रम में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।" -यह पत्र अर्धशासकीय दिनांक 21-3-1983 को स्वयं श्री अहलूवालिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, खुद अहलूवालिया पार्टी दस्ती यह लेटर लेकर जाते हैं इस निर्देश के साथ कि मुख्य मंत्री स्तर से कान्ट्रेक्ट शीघ्र सम्पादन के निर्देश प्राप्त हुए हैं एवम् संविदा का सम्पादन कराया जाकर आपको पढ़ाया जाय। इस निवेदन के साथ ही इस मामले में अन्तिम प्रस्ताव निदेशालय ने ही शासन से पठाये गये थे इस कारण उस क्षेत्र से सम्बन्धित जांच नयी डीड के आधार पर करवायी जाकर पत्रावली भी अधीक्षण खनिज अभियन्ता वृत्त उदयपुर को राजस्थान राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षर कराने हेतु भिजवाने की व्यवस्था करवायी जाय। अध्यक्ष महोदय, इस पत्र को पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं समझती कि और कोई बात बताई जावे। अध्यक्ष महोदय, आपको यह अधिकार कैसे प्राप्त हो गया? चाहे मुख्य मंत्री का रिश्तेदार हो या दुनियां की कोई भी हस्ती हो, कानून अगर है तो कानून सब के लिए है। गरीब और अमीर चाहे वह मंत्री हो या सड़क पर चलने वाला साधारण गरीब हो, कानून की नजर में सभी बराबर हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ आप यह कहते हैं कि वह जगह चूंकि आरक्षित है लिहाजा उसको पट्टा नहीं दिया जा सकता है। दूसरी तरफ आप एक व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए वह पट्टा दे देते हैं तो इसके पीछे नीयत क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूं, इस अहलूवालिया के साथ दूसरे पार्टनर कौन कौन हैं? श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन खनिज मन्त्री के सचिव की पत्नी इसकी एक पार्टनर है। दूसरी इसकी पार्टनर श्रीमती सत्यवंतीजी, तत्कालीन खनिज मन्त्री की भी इसमें पार्टनर है। ये इसकी सायलेंट पार्टनर है, स्लिपिंग पार्टनर हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आरोप है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस सब की आपके पास कोई पत्रावलियां हैं क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, खनिज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर दे दीजिएगा, मेरे पर आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष : सदन में कोई भी आरोप लगाना चाहें, किसी को आरोपित करना चाहें तो उसकी पत्रावलियां होनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी पत्नी पर आरोप लगाया गया है, आप मुझे अवसर देवें सफाई देने का। अभी देंगे या बाद में देंगे, अध्यक्ष महोदय?

(व्यवधान)

श्री हरि सिंह : आपके लिए नहीं कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहा है।

सुश्री पुष्पा जैन : कहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर अभी देंगे या बाद में देंगे ? अगर अभी दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, श्रीमान्। बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : बाद में दे देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, अभी दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि अपनी बात समाप्त करने दीजिए माननीय सदस्या को, उसके बाद में आपको अवसर दे दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अब सवाल इसमें कई पैदा होते हैं, अध्यक्ष महोदय, आखिर यह पट्टा क्यों दिया। जैसा कि मैंने कहा कि आपके नाम से नहीं, आपने बेनामी पार्टनर बना कर अपने आपको लाभ पहुंचाने के लिए श्री अहलूवालिया को अगुआ बनाया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, ये लाइन साफ करना चाहते थे। अगले पट्टों के लिए जो आवेदन पत्र दिया गया है, श्री विजयसिंह पुत्र श्री देवेन्द्रसिंह, जो इस समय मन्त्री हैं और इस विधान सभा के सदस्य बने बैठे हैं, की दरख्वास्त है। इनकी दरख्वास्त मैं आपको पढ़ देना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। ये अहलूवालिया के साथ हैं क्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अहलूवालिया के साथ नहीं है....

श्री अध्यक्ष : उसी खसरा नम्बर, उसी प्लाट की है क्या ? उसी आदेश से दिया गया है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके साथ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, फिर अलग प्रश्न है। अहलूवालिया का प्रश्न है, दूसरे मामलों को अन्य तरीके से उठाना चाहिए।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : क्या फर्माया ? क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह खनन पट्टा मिल जाय तो उसके बाद वाला रास्ता खुल जावे, दूसरे लोग भी पट्टा ले लें। उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें इसका उल्लेख किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री हरीसिंह : You cannot go on presumptions.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Are you casting aspersions on Shri Devendrasingh ?

श्री हरीसिंह : अगला रास्ता साफ हो जावे इसलिए यह किया गया है, यह तो कोई बात नहीं हुई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने कहा नहीं कि हो जायगा, आगे के एप्लीकेंट आप हैं । आप कह दीजिए कि आप एप्लीकेंट नहीं हैं ।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता खुल जायगा । हो क्या जायगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह कहिये कि आप एप्लीकेंट नहीं है । आप बतायें कि आप एप्लीकेंट नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, ऐसा है, किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : हर एक को अधिकार है ! दी है या नहीं, यह अलग बात है । लेकिन एप्लीकेशन देने का तो अधिकार है, क्या मन्त्री की लड़की को अधिकार नहीं है ? मन्त्री का लड़का भी दे सकता है ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आपको किसने कहा बोलने के लिए । आपको बहुत भारी पड़ेगा बोलना । इसमें आपका भी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या । आसन पैरों पर है ।

श्री मोहनलाल मोदी : किसी भी व्यक्ति को अधिकार है....

सुश्री पुष्पा जैन : आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आप तो खुद उसमें हिस्सेदार हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो वे हिम्मत से कहें कि मेरे लड़के है ? कहें तो सही कि वे आवेदक नहीं हैं ।

श्री मोहनलाल मोदी : हर एक को अधिकार है इसके अन्दर आवेदन का....

श्री त्रिलोक सिंह : फिर गाय बकरी बछड़े के नाम पर भी खरीदो यही मतलब हुआ इसका ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। आर्डर प्लीज,

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि....

श्री हरीसिंह : नहीं मेरे को मालूम है, मेरे को सारा केस पता है। यह गलत है उसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जो सदन के समक्ष विचारणीय बिन्दु हैं उन्हीं तक अपने आपको सीमित रखें। माननीय सदस्या, अभी जो विचारणीय विषय है उसी तक अपने आपको सीमित रखें। इसके आगे क्या परिणाम होने वाले हैं, जायज नाजायज होंगे ये सब अलग से प्रश्न होते हैं। इस मामले के बारे में जो कुछ कहना है, वही कहिये उसमें क्या नतीजा निकलेगा, उसका क्या कुप्रभाव होगा, कौन कौन व्यक्ति उसमें होंगे, यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : भूत के साथ भविष्य भी जुड़ा हुआ है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अगर कानून कोई होता, इन्साफ कोई होता तो जिस आधार पर श्री कल्याणमल टांक और एम. एस. सिंघवी के आवेदन इन्होंने खारिज किए थे, वही वजूहात मौजूद थे तो मैं पूछना चाहूंगी, मंत्री महोदय, आपसे कि इन वजूहातों के मौजूद होते हुए आपने श्री अहलूवालिया के हक में पट्टा रिलीज कैसे किया ? अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कुछ कहा तो आप नाराज हो गए। मैं फिर चार्ज लगाना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय, श्री अहलूवालिया XXX वही व्यक्ति है, अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े राजनेताओं को अपने प्रभाव में लेकर यह अपना काम निकलवाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्या, मैंने जैसा निवेदन किया है····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, विषय से हट कर जो बात कही है उसको कार्यवाही से हटाया जावे। माननीय सदस्या, मान हानिकारक मामले यहां बिना पूर्व सूचना के, बिना नियमों का आश्रय लिए कृपया न उठावें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि क्यों उस आरक्षण को आपने समाप्त कर दिया। जो एरिया आपने रिजर्व कर रखा था उसको आपने समाप्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कायदे से स्टेट गवर्नमेंट उस आरक्षण को समाप्त कर ही नहीं सकती। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी मंजूरी लेनी चाहिए थी और तीस दिन पहले इनको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था कि

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(सुश्री पुष्पा जैन)

हम यह लीज ग्राण्ट करने वाले हैं लिहाजा और कोई आवेदन पत्र देना चाहता तो देता। इन्होंने कोई तीस दिन पहले गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, इसको कोई डी-रिजर्व नहीं किया और चुपचाप मनमाने तौर पर इसका पट्टा रिलीज कर दिया। मैं पूछना चाहूंगी मंत्री महोदय, यह वजूहात होने के बावजूद, किसी व्यक्ति की बकाया होने के बाद, एरिया रिजर्व होने के बाद एन ओ सी लेकर पट्टा क्या दिया जा सकता है ? यदि नहीं दिया जा सकता है तो आपने श्री अहलूवालिया को कैसे दे दिया ? अध्यक्ष महोदय, मेरा चार्ज है कि जो टेलीफोन मुख्य मंत्री कार्यालय से आया वह टेलीफोन मुख्य मंत्री की पत्नी श्रीमती सुशीला माथुर ने किया था। मुख्य मंत्री की पत्नी श्रीमती सुशीला माथुर के टेलीफोन पर सारे कार्यालय के अफसर लाचार हो गए। लाचार होने के बाद भी निदेशक ने फिर भी कहा कि इसमें आपने टेलीफोन कर दिया मुझे लिख कर नहीं कहा। इसके बावजूद इन्होंने यह पट्टा दिया वह बिल्कुल गलत तरीके से दिया, मनमाने तरीके से दिया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि यदि आपको राजस्थान की गरीब जनता का ध्यान है, यदि गरीब जनता की आप बहबूदी चाहते हैं, यदि आप चन्द पैसों की झंकार पर चलने वाले लोगों के हिमायती नहीं हैं तो मैं निश्चित रूप से मांग करती हूं कि यह फैसला आप निरस्त कीजिए ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : और श्री अहलूवालिया को जो पट्टा आपने दिया है उसे रद्द करेंगे और भविष्य में इस तरीके से जो पट्टे के लिए आवेदन दिए गए हैं उनको आप कभी मंजूर नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे अवसर देंगे, अध्यक्ष महोदय। मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष : पहले इनको सुन लें, इसके बाद में कह दें। वे कोई नई बात कह दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, बात तो वही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया। मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री नाथूसिंह : हम भी आप पर चार्ज लगायेंगे, एक साथ उत्तर दे देना।

श्री अध्यक्ष : कृपया, जो बात कही गई है, उसकी पुनरावृत्ति न करें और नए कोई तथ्य हों तो वह बताने का कष्ट करें।

श्री नाथूसिंह : नए तथ्य ही हैं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। यह मामला इसलिए गम्भीर है कि यह एक साधारण खनन पट्टा देने का मामला नहीं है। इस मामले में राजस्थान के मुख्य मंत्री इन्वाल्व्ड हैं, इस मामले में राजस्थान के मंत्री लोग इस मामले में राजस्थान के बड़े बड़े लोग और मैं तो कहूंगा कि विधायक भी इन्वाल्व्ड हैं, अध्यक्ष महोदय ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कमला भाई मीणा (लखाड़िया) : सब विधायकों का नाम कैसे ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। कृपया शान्त रहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब इस खनन पट्टे के लिए एप्लाई किया गया तो उस अहलूवालिया ने एप्लाई नहीं किया, पहले इसका प्लान चाक–आउट किया और उस प्लान को चाक–आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका मेरे बगल में बैठे हुए माननीय सदस्य श्री मोदीजी की थी।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आपने यह बात अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं कही है। कृपया विषयान्तर नहीं हों। जो समस्या है, जो अपने सामने विचारणीय विषय है उसी तक अपने आपको सीमित रखें। विषयान्तर होकर मानहानिकारक कोई बात कहते हैं तो यह नियम-विरुद्ध होगा।

श्री नाथूसिंह : विथ प्रूफ बोलूंगा अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, इससे यह सिद्ध होता है, मिस्टर अहलूवालिया के नाम से जो पट्टा जारी किया गया, जैसा माननीय सदस्य बोल रहे थे, उसमें लिखित में किसी की पार्टनरशिप डीड नहीं है। मैं भी यह स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें कुछ साइलेंट पार्टनर हैं, वे साइलेंट पार्टनर कौन हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा (खनिज मंत्री) : अब तो आप बन जाओ।

श्री नाथूसिंह : इस बात से जाहिर होता है कि पट्टा जारी करने के लिये मुख्य मंत्री स्तर से डायरेक्टर के पास टेलीफोन गया। उस डायरेक्टर ने डरते हुए यह किया क्योंकि उसे मालूम था जो खनन पट्टा जारी कर रहे हैं वह कानून के अनुसार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह खनन पट्टा जिस क्षेत्र में जारी किया गया है उसके लिये 17 5. 82 को एप्लीकेशन लगी, जो कर्मचारी एप्लीकेशन लेता है उसने उस समय नोट लगाया कि यह क्षेत्र जी.एस.आई के आरक्षित

(श्री नाथूसिंह)

क्षेत्र में पड़ता है। कुछ क्षेत्र इसमें से वन विभाग में आरक्षित है, इसलिये इस क्षेत्र का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद खनिज अभियन्ता ने इसी तरह का नोट डायरेक्टर को भेजा। अधीक्षण अभियन्ता ने भी इसी तरह का नोट भेजा। एक बार नहीं जब दुबारा एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो उन्होंने वापस इसी तरह का नोट भेजा कि वन विभाग में आरक्षित है, जी.एस.आई. में आरक्षित कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, 18.10.75 और 11.9.69 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है जिनके द्वारा इस क्षेत्र को जी.एस.आई द्वारा आरक्षित किया जाता है उसमें कुछ आवश्यक शर्तें इस स्थान का पट्टा जारी करने के लिये होती हैं। कानून के अनुसार विधान के अनुसार, नियमों के अनुसार उसमें शर्तें यह होती है कि वन विभाग में आरक्षित नहीं होना चाहिये, जी.एस.आई में आरक्षित नहीं होना चाहिये, उस स्थान के मामले में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिये। यह भी एक शर्त है, डिस्प्यूटेड नहीं हो, आरक्षित नहीं हो। इसके पश्चात् एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है एप्लीकेशन इन्वाइट की जाती है कि इस क्षेत्र के लिये सरकार खनन पट्टा इश्यू करेगी। किसी तरह की विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई, एप्लीकेशन इन्वाइट नहीं की गई बल्कि इसका उल्टा हुआ। जो पहले एप्लीकेशन लगा रखी थी कुछ लोगों ने, जैसे मिस्टर कल्याण मल टांक थे, उनकी एप्लीकेशन आदेश संख्या 4-2 (277) खनि ग्रुप 2/81 दिनांक 17.11.81 से अस्वीकृत कर दी। दूसरी एक एप्लीकेशन इसके बाद लगायी गयी। एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी। जब वह अस्वीकृत कर दी तो दूसरे ने कोशिश की। हो सकता है अब नियमों में ढील दे दी गई हो, कुछ और प्रावधान कर दिया गया हो तो मुझे पट्टा मिल जाय। दूसरे व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगायी उसको इन्होंने पत्र संख्या प–2/83/खनि/ग्रुप–2/82 दिनांक 7.8.81 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया। अध्यक्ष महोदय कुल, लोगों की कान्फ्रेंस हुई –

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसको पढ़कर सदन के समक्ष रख देता हूं। कृपया आप अपने आपको....

श्री नाथूसिंह : उसी पर बोल रहा हूं,

श्री अध्यक्ष : नहीं बोल रहे हैं आप। कुछ लोगों की कांफ्रेंस हुई....

श्री नाथूसिंह : मैं आरोप किस पर लगा रहा हूं. यह नहीं कह सकता हूं क्या ?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में अनियमित कार्यवाही हुई है....

श्री नाथूसिंह : यही कह रहा हूं.

श्री अध्यक्ष : नियमों का उल्लंघन हुआ है, यह आपकी शिकायत है, उसके कारण जनता में रोष है। कृपया अन्य व्यक्तियों को इसमें....

श्री नाथूसिंह : किसी का नाम लिया मैंने ?

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं, मैंने सावधान किया है आपको।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जी.एस. आई. ने उस क्षेत्र को आरक्षित करते समय अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, बहुमूल्य खनिज है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुमूल्य, बहुत महंगा खनिज है इसलिये जी.एस.आई में उस क्षेत्र को आरक्षित किया। यह कोई साधारण मामला नहीं था। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इसको देखते हुए खनिज अभियन्ता ने रिपोर्ट दी है, उसमें कहा है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य खनिज है, इसलिये इसको जी.एस. आई. ने आरक्षित किया हुआ है। इसका पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं करना, उस क्षेत्र में एप्लीकेशन इन्वाइट नहीं करना, आरक्षित क्षेत्र नहीं मानना, केन्द्र से इसकी स्वीकृति नहीं लेना, सब कानूनों, सारे नियमों, विधानों का उल्लंघन करना और मुख्य मंत्री के फोन के आधार पर पट्टा देना। जो खनिज विभाग के डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने आपको बचाने के लिये लिखा है मुझे ट्रंककाल प्राप्त हुआ। ट्रंककाल वर्ड यूज किया है अपने आपको बचाने के लिये। हो सकता है इसमें आगे जांच हो जाये क्योंकि नियमों के अनुकूल नहीं है: सारी रिपोर्ट नीचे से यह बता रही है कि यह मामला नियमों के अनुकूल नहीं है इसलिये उसने नोट लगा दिया। जो आदेश खनिज अभियन्ता को दिये उसमें लिखा है कि मुझे सी.एम. लेवल से ट्रंककाल प्राप्त हुआ है, मुझ से कहा गया है तुरन्त....

श्री अध्यक्ष : रिपोटिशन नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : मैं रिपोटिशन नहीं करना चाहता हूं। मेरे पास यह आदेश की कापी है। आप चाहें तो मैं इसको सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें। खनिज अभियन्ता को डायरेक्टर ने जो आदेश दिये हैं उसमें मुख्य मंत्री के लिये कहा है, माननीय मुख्य मंत्री के लेवल पर मुझे पत्र प्राप्त हुआ है, यह मेरे पास पत्र की कापी है।

श्री अध्यक्ष : यह पढ़ दी गई है।

श्री नाथूसिंह : इसलिये पढ़ कर सुनाने में मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उसने अपने आपको बचाने के लिये यह रेफर कर दिया, इससे स्पष्ट है, जितनी रिपोर्ट आयी हैं उनसे स्पष्ट है, यह जो खनिज का पट्टा दिया गया है यह गैर कानूनी, अनियमित रूप से सारे नियमों को ताक में रख कर दिया गया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, सारे नियमों को एक तरफ रख कर इस तरह से पट्टा देने के पीछे कोई न कोई दुर्भावना है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को, विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का इरादा इसमें झलकता है। अध्यक्ष महोदय, एक डिस्पेरिटी है। पहले जिन लोगों ने एप्लाई

(श्री नाथूसिंह)

किया उनको पट्टा नहीं दिया, नियमों का उल्लंघन किया, विशेष लोगों को पट्टा दिया गया, इससे सिद्ध होता है कि यह पट्टा देने के पीछे बहुत बड़ी लेन देन हुई है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रहा हूं। प्रश्न तो पूछूंगा। इसमें लेन-देन हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें महत्वपूर्ण साइलेंट पार्टनर है, इसलिये यह मामला बहुत गम्भीर है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में नियमों में जितने जितने भी प्रावधान हैं, पट्टा जारी करने से पहले क्या उनका पालन किया ? यह पहला मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने जो दो व्यक्तियों का पहले खनन पट्टा कैन्सिल किया उनका आधार क्या है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न है इस क्षेत्र के बराबर वाला बहुमूल्य क्षेत्र है, जो कि आरक्षित है और भी क्षेत्र आरक्षित है, उसके लिये, उसके आस पास के एरिया के लिये और भी एप्लीकेशन लगी हैं, जिन जिन लोगो ने एप्लीकेशन दी हैं, क्या उसी आधार पर उनको खनन पट्टा जारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैसर्स मेवाड़ मिनरल्स, भीलवाड़ा के नाम से वहां एप्लीकेशन लगी है, इसमें भी इसी तरह से जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, क्या उसको भी गैर कानूनी रूप से खनन पट्टा दिया जायगा ? तो मैं मंत्री महोदय से सदन में यह भी आश्वासन चाहूंगा कि इस फर्म को....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। समय बहुत हो गया है।

श्री नाथूसिंह : पट्टा देने के पूर्व आप उन कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस फर्म में पार्टनर श्री विजय सिंह आत्मज श्री देवेन्द्रसिंह जी राजपूत हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वह अलग एप्लीकेशन है, माननीय सदस्य, अलग हैं, अलग एप्लीकेशन है,

श्री नाथूसिंह : यह पार्टनरशिप डीड मेरे हाथ में है। दोनों ने एप्लीकेशन दी है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिनिस्टर का लड़का अगर कोई खान का काम करता है तो कोई जुर्म थोड़े ही है।

श्री नाथूसिंह : क्योंकि यह प्रभावकारी नहीं है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : लड़का, भाई, कोई माइनर है, किसी भी मिनिस्टर का लड़का कोई धंधा कर सकता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। सरकार के तौर पर उत्तर दें तब ये सब बातें कही जा सकती हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री का लड़का तस्करी करे। मंत्री का लड़का गैर कानूनी रूप से खनन का पट्टा ले फिर उसकी आप वकालत कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं कैलाश मेघवाल का नाम पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : आर्डर। माननीय, सदस्य कृपया शांत रहें। आसन पैरों पर है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का लड़का है इसलिये मैं चाहता हूं कि यह पट्टा कैंसिल किया जाय और इसकी पूरी जांच की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। भाषण समाप्त हुआ।

श्री कैलाश मेघवाल, जो तथ्य सदन के समक्ष आ गये है उनके अलावा अन्य कोई नये तथ्य हों तो कृपया स्पष्ट करें। आपका भाषण बहुत ही संक्षेप में होना चाहिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतनी उदारता चाहूंगा, जो तथ्य आये हैं....

श्री हरिसिंह : आपने जो काम किये हैं उनका भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा एक भी काम डा. हरिसिंह जी बता दें जो राज्य के हितों के प्रतिकूल हो तो मैं त्याग पत्र दूंगा। आपकी सरकार के पचासों बता सकता हूं, आप त्याग पत्र देने के लिये तैयार हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब को बैठा दीजिये, इनके इन्जे-

(श्री कैलाश मेघवाल)

वशन लग रहे हैं। मैं एक भी रिपीट नहीं करूंगा लेकिन इतनी उदारता चाहूंगा कि जो तथ्य रखे गये हैं उनमें कुछ संशोधन और एडीशन कर सकूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन समय पांच मिनट का है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बहुत ग्रेविटी से कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर जो उत्तर दिया गया उसके आखिरी खण्डका जवाब पढ़ दूं। वह पढ़ा नहीं गया। नया तथ्य है। वह आखिरी खण्ड (4) में है, "श्री अहलूवालिया का इस खनन पट्टे के लिये आवेदन पत्र दिनांक 17-5-85 खनिज अभियन्ता, भीलवाड़ा कार्यालय में प्राप्त हुआ। खनिज अभियन्ता ने अपने पत्र दि० 1-6-82 द्वारा इस आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के प्रस्ताव निदेशक के पास भेजे। निदेशक ने इसकी स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास इस आधार पर भेजे कि जी. एस. आई. द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसरण में स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये, पाइन्टेड सवाल में यह करना चाहता हूं कि यह जो खनन पट्टा जिस क्षेत्र का दिया गया यह जी. एस. आई. के लिये सुरक्षित था। अब इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का यहां पर हवाला दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अहलूवालिया के इस प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जी. एस. आई. को कभी भी कोई पत्र नहीं लिखा गया है। मैं चुनौतिपूर्वक कहना चाहता हूं, माननीय खनिज राज्य मन्त्री जी इसका जवाब दें, अहलूवालिया का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, उसके सन्दर्भ में क्या कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये जी. एस. आई. को पत्र लिखा गया? अध्यक्ष महोदय, हुआ यह है, मैं यह प्रश्न इसलिए रखूंगा कि उदयपुर मिनरल सिंडीकेट डवलपमेंट नाम से एक फर्म है जिसका सोप स्टोन का खनन पट्टा यहां पर 1941 से है। 1971 में इसका पहला रिन्यूअल हुआ और 1981 में दूसरा रिन्यूअल हुआ तो उस समय 15-10-75 और 11-9-69 के आधार पर कुछ क्षेत्र जी. एस. आई. के लिये रिजर्व किये गये थे जो कि भारत सरकार को यह जो एक्ट है इसके तहत सैक्शन 18 में यह अधिकार है, जब 1981 में रिन्यूअल के लिये दरख्वास्त लगी तो उस रिन्यूअल की दरख्वास्त में वह क्षेत्र था जो जी. एस. आई. के लिये रिजर्व था। तो उस रिन्यूअल को स्वीकार करने के लिये पत्र लिखा गया कि जी. एस. आई. में यह क्षेत्र आता है। आप इसका क्या जवाब देते हैं? जी. एस. आई. ने जवाब भेजा, मैं चाहता हूं कि सदन की मेज पर वह पत्र रखा जाय। अगर सरकार ईमानदार है और कहना चाहती है कि कोई गड़बड़ नहीं हुयी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, वे पूरे तथ्य सदन की मेज पर रखे जायें। ऐसा एक पत्र लिखा गया था जी. एस. आई. को उस पत्र के जवाब में जी. एस. आई. ने लिखा कि

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस क्षेत्र में तो अपना कार्य कर चुके हैं। और इसको आप रिव्यूअर्ल में इन्कलूड करते हों तो हम को कोई एतराज नहीं है। ये क्षेत्र है जिन पर हमें काम करना है। यह एक ऐसा पत्र है। दुर्भाग्य है, अध्यक्ष महोदय, सरकार भ्रष्टाचार को गड़बड़ियों को, अनियमितताओं को छिपाने के लिये किस सीमा तक यह सरकार असत्य कथन इस सदन के सामने कर सकती है। इस के बाद 1–6–82 की रिपोर्ट है उस के बाद लगातार रिपोर्ट्स हैं। इसमें एक बात स्पष्ट है कि यह क्षेत्र जी. एस. आई. के लिये रिजर्व था। क्षेत्र के लिये क्या प्रावधान है, अध्यक्ष महोदय, वह मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह आपने पढ़ दिये।

श्री कैलाश मेघवाल : वह आपने नहीं पढ़े इस लिये पढ़ देना चाहता हूं।

रिजर्व क्षेत्र के लिये आप निकालें मेजर मिनरल कन्सेशन रूल्स जिनमें आपको किसी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह नियम 59 में है—

Availability of certain areas for grant to be notified.

बहुत ध्यान से यह शब्द इसलिए पढ़ना चाहता हूं, माननीय खनिज राज्य मन्त्री जी, 59 और 60 की व्याख्या करते हुए, आप इस सदन में जवाब दीजिये कि आपको इसके बारे में क्या कहना है—

In the case of any land, which is otherwise available for the grant of a prospecting licence or a mining lease but in respect of which the State Governemnt has refused to grant a prospecting licence or a mining lease on the ground that the land should be reserved for any purpose, the State Government shall, as soon as such land becomes again available for the grant of a prospecting licence or mining lease, grant the licence or lease after following the procedure laid down in rule 52.

रूल 52 का एक सेक्शन तो माननीय विधायिका ने पढ़ा था।

श्री हीरालाल देवपुरा : 58 है, 52 नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : 59 पढ़ा है मैंने। 59 में बताया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : लास्ट में 58 है।

श्री कैलाश मेघवाल : आप जवाब दीजिए तो समझ कर दीजिए। मैं यह

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपको देना चाहूंगा। आप स्वयं इसको देखिये। कन्फ्यूज मत कीजिये।

59 में कहा गया है कि अगर कोई क्षेत्र सुरक्षित है। सुरक्षित क्षेत्र के लिये प्रार्थना पत्र आया और उसको मना कर दिया गया। बिल्कुल साफ भाषा है। है। किसी उद्देश्य के लिये सुरक्षित है अगर वह रिक्त होता है तो आपको 58 का प्रासीजर अडाप्ट करना चाहिये। 58 में है प्रोसीजर :

"The date from which the area shall be available for grant is notified in the Official Gazette at least thirty days in advance."

आप यह पढ़ लीजिये, आफिसियल गजट में अगर यह डी-रिजर्व हो जाता है और अगर किसी माईनिंग लीज के लिये, ग्रान्ट के लिये अवेलेबल है तो आपको गजट में नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद नियम 60 कहता है कि अगर यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और कोई प्रार्थना पत्र आ जाता है तो वह प्रि-मेच्योर होगा और उस पर कोई विचार नहीं होगा। यह नियम 60 पढ़ लीजिये फोर प्रि-मेच्योर एप्लीकेशन....

"Application for the grant of a prospecting licence or a mining lease in respect of the areas in which no notification has been issued under rule 58 or rule 59 shall be deemed to be premature and shall not be entertained and the fee, if any, paid in respect of any such application shall be refunded."

अध्यक्ष महोदय, यह तो रूल्स है। फिर एक्ट का एक सब्सटेंशियल सैक्शन आप पढ़िये, खनिज राज्य मन्त्री जी, खनिज मन्त्री जी, माफ कीजिये राज्य मन्त्री कह दिया। इस सैक्शन 90 की....

श्री अध्यक्ष : मेरे विचार से ज्यादा कानून पढ़ने से मुख्य जो विचारणीय विषय है वह गौण हो जायेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, कानून इसलिये बना हुआ है कि उसके तहत लाइसेंस दिये जायें। 19 यह कहता है कि अगर 58, 59 और 60 की पालना नहीं हुई, अगर इसकी पालना नहीं हुई...

श्री अध्यक्ष : आपने दो मिनट का समय ले लिया। दो मिनट में बात कहनी हो तो कह दें।

श्री कैलाश मेघवाल : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एबइनिसियो वोइड है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं वह सैक्शन आपके सामने इसलिये पढ़ रहा हूं कि बिना इन सैक्शन्स के जो चर्चा कर रहे है हम, वह पूरी नहीं होगी। इसका निचोड़ इस सैक्शन में यह है—

"Any prospecting licence or mining lease"....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी गहराई में कानूनी पक्ष में नहीं जा सकते। यदि किसी पार्टी को एतराज है और कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है तो न्यायालय में इस मामले को ले जा सकते हैं। जो मुख्य प्रश्न है....

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान का मुख्य मन्त्री पक्षपात करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो आपको ज्यादा मालूम है जनार्दनसिंह जी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सैक्शन पढ़ देता हूं। यह मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि—

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, कानून के विस्तार में न जायें, इसके लिये अदालत है। यहां पर मुख्य बिन्दु, जो विचारणीय है, ले आयें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इतनी देर में तो पढ़ लेता। मैं क्षमा चाहता हूं कहते हुए, अध्यक्ष महोदय, जब हम कोई बात रखते हैं तो आप कहते हैं कि नियमों के अनुसार बोलिये जो कानून में बात है वह बोलिये। आज जब मैं कानून रेफर कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उस वक्त यहां के नियमों का हवाला देता हूं। यह तो कानून है।

श्री कैलाश मेघवाल : तो यह भी नियम है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह तो कानून है, इसके लिये अदालतें बनी हुई हैं। कोई अनियमित कार्यवाही हुई है तो आप संक्षेप में बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक्ट की यह धारा 19 है इसमें लिखा कि अगर इन नियमों की अनुपालना में कोई पट्टा खनन का नहीं दिया गया है, और दे दिया गया है तो वह एब इनीसियों वोइड होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या इस नियम की पालना यह सरकार करने को

(श्री कैलाश मेघवाल)

तैयार है। अध्यक्ष महोदय, आज से पांच दिन पहले पट्टाधारी श्री रमेश जिन्दल निवासी देवली, जो छाबड़िया तहसील का रहने वाला है, ने इसी क्षेत्र में देवपुरा और छावड़िया की सीमा में एक पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र दिया था। उस पट्टे को यह कह कर खारिज कर दिया है कि यह जी. एस. आई. के लिये सुरक्षित है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, खनिज मंत्री इसका जवाब देंगे कि खनिज विभाग में बेनामी ट्रान्जेक्शन कानूनी ढंग से चल रहे है, वह कानूनी ढग है? इरवोकेवल पावर आफ अटर्नी। इरवोकेबल पावर आफ अटार्नी मैंने इनको दे दी तो वह इनकी हो गई। ऐसी इरवोकेवल पावर आफ अटर्नी जब होती है, उसमें यह स्पष्ट लिखा होता है कि इसके बारे में कोई लेना-देना है, कोई नुकसान-लाभ है, जो भी हर्ज बर्ज है इसके लिये पावर आफ अटर्नी होल्डर जिम्मेदार है। यह एक तथ्य है। अधीक्षण अभियन्ता ने भी यह लिखा है कि इस व्यक्ति के खिलाफ इरवोकेबल पावर आफ अटर्नी है, जिसका रेफरेन्स माननीय विधाधिका ने यहां पर किया है। जिसका रेफरेन्स माननीय विधायक ने दिया, उस व्यक्ति के पक्ष में वह पावर आफ अटर्नी उसके पट्टे में होते हुए भी आपने यह पट्टा क्यों दिया यह मैं पूछना चाहता हूं उस क्षेत्र क लिये। यह भी पूछना चाहता हूं इसी क्षेत्र के लिये, इसमें यह भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात इसमें है। माननीय खनिज मंत्री प्रद्युम्नसिंह जी भी सहमत होंगे और आप भी सहमत होंगे, इस खनिज में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यह भी एक नियम है। इसके पहले यह प्रार्थना पत्र आया है उसको आपने खारिज कर दिया तो क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि व्यक्ति-व्यक्ति में भेद करके कोई इस तरह की दरख्वास्त पेश करे और उसमें भी वह मुद्दे हों तो दूसरे लोगों के साथ पक्षपात करे. . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : और ऐसा करने वाला व्यक्ति राजस्थान के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा रह सकता है, वह सारे कानून की अवहेलना कर के, व्यक्ति व्यक्ति में भेद करके पक्षपात करके एक व्यक्ति को पट्टा दे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री कैलाश मेघवाल : इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष, जब हम नियमों की पालना नहीं कर सके हैं, आखिर विधान सभा में हम प्रश्न उठाते हैं, सबेरे भी एक प्रश्न आया था, अनियमितता हुई है गलती हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तथ्य ही अपने आप में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आपने काफी कह दिया, माननीय सदस्य।

Page No 119

(119)

श्री कैलाश मेघवाल : व्यक्ति व्यक्ति में भेद करने वाला मुख्य मंत्री के यहां से टेलीफोन गया है। क्या ऐसा व्यक्ति राजस्थान के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार रखता है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण करेंगे।

आर्डर आर्डर।

एक माननीय सदस्य : मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा He is championing the cause of immoratily and corruption.

श्री अध्यक्ष : आर्डर बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री प्रद्युम्नसिंह, राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन का स्पष्टीकरण

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या पुष्पा जैन, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य नाथूसिंह जी ने मेरी पत्नी पर आरोप लगाया, इस लीज के अन्दर, कुमारी पुष्पाजी ने यह बात कही, मेरी पत्नी बेनामी रूप से पार्टनर है और इन्हों ने संशोधन किया, माननीय नाथूसिंह जी ने कि वह बेनामी पार्टनर है। यह दो बातें आपके समक्ष रखी हैं और सदन के रिकार्ड में भी हैं। मैं आपके माध्यम से आप से निवेदन करना चाहूंगा और विपक्ष के नेता महोदय से भी निवेदन करूंगा कि परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इन डायरेक्टली नामी, बेनामी मेरी पत्नी, किसी रिश्तेदार का भी इसमें नाम साबित कर दें तो सदन से त्याग पत्र दे दूंगा, और नहीं तो यह दोनों माननीय सदस्य सदन से त्याग पत्र दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मंत्री महोदय

सुश्री पुष्पा जैन : आप इसकी जांच करा लें। सब मालूम पड़ जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आपकी चुनौती स्वीकार करूंगी जांच करायेंगे तो।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री नाथूसिंह : जांच कराएंगे फिर पता चलेगा।....

श्री अध्यक्ष : श्री मोदी। संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री मोहनलाल मोदी का स्पष्टीकरण

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है कि इस के अन्दर जिस वक्त लीज के लिये एप्लाई किया गया उस वक्त भी कुछ किया तो माननीय विधायक ने मेरा नाम लिया

(श्री मोहनलाल मोदी)

है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा कहीं भी इसमें किसी प्रकार लीज एप्लीकेशन जब दी उस वक्त मेरी नॉलेज में नहीं था और न मेरी जानकारी में कोई बात थी। यह बिलकुल असत्य भाषण इन्होंने किया है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी बिलकुल हमारे मुख्य मन्त्री जी के

(व्यवधान)

आप सुनिये। आप सुनें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायें। आपने जो भी बात कही माननीय सदस्य ने शांति से सुनी। आप भी उनकी बात को शांति से सुनें।

श्री मोहन लाल मोदी : आज राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय शिवचरण माथुर ने....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर...

श्री यदुनाथ सिंह : क्या इनकी सीट यहां पर है ?

श्री मोहन लाल मोदी : जी हां। यहीं पर है। आप लोगों पर कन्ट्रोल करने के लिये सीट यहीं पर रखी गयी है।

अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर

श्री मोहन लाल मोदी : मैं निवेदन करना यह चाह रहा हूं, माननीय मुख्य मन्त्री शिवचरण माथुर, जो राजस्थान में इतनी उन्नति कर रहे हैं, राजस्थान —

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है। बाधा नहीं पहुंचायें।

श्री मेघराज तावड़ : इन्हें लाइसेन्स दे रहे हैं, यह उन्नति कर रहे हैं।....

श्री यदुनाथ सिंह : राजस्थान को तहस नहस कर दिया उस आदमी के लिए कह रहे हैं कि इतनी उन्नति कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। अव्यवस्था न फैलायें।

श्री यदुनाथ सिंह : इनको असत्य बात कहने से रोका जाये।

श्री मोहन लाल मोदी : आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

आप विषयान्तर न हों, माननीय सदस्य। स्पष्टीकरण तक ही सीमित रहें।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं इतनी ही बात कह रहा हूं कि वे राजस्थान का विकास कर रहे हैं। आप एक मिनट सुनिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय नाथूसिंह।

श्री मोहन लाल मोदी : गलत आरोप लगा कर इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस लीज में किसी तरह की अनियमितता मेरी जानकारी में नहीं हुई है।....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। श्री यदुनाथसिंह, श्री चन्द्रवीर सिंह। कृपया बाधा न पहुंचायें।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मुख्य मन्त्री, राजस्थान के मुख्य मन्त्री के पास कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जा सकता है। उसकी शिकायत सुनने का मुख्य मन्त्री को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : यह अधिकार नहीं हो सकता कि आप अपने प्रभाव से अपने लोगों को लीज दें, पट्टे दें लोगों को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह बाधा पैदा न करें।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने एक बात कही पावर आफ एटर्नी, उसका कौन जिम्मेदार है? ....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, उनको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कही गयी है अमरनाथ पुरोहित के जिम्मे 20,000/-....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मुद्दे की बात नहीं कह रहे हैं। विषय से परे हटते जा रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य अपने विचार सदन के सामने रख रहे हों और उसमें कोई विषय से हट कर कोई बात कह रहे हों तो यह आसन का अधिकार है या आसन के ध्यान में यह बात लाई जा सकती है कि माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कार्यवाही कुछ माननीय सदस्य कर रहे हैं, एक माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे, कुछ बातें कह रहे थे, तो यह उचित नहीं है कि उसमें किसी तरह से बाधा पैदा की जाये और उनको अपनी बात कहने से रोका जाये। माननीय सदस्य।....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कोई पाइंट आफ आर्डर इसमें नहीं।...

(व्यवधान)

आर्डर। बैठ जायें।

माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर काफी चर्चा हो गयी है। मन्त्री जी इसका जवाब देंगे। कृपया आप अपने को स्पष्टीकरण तक ही सीमित रखें।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं एक ही बात कहना चाहता हूं...

श्री यदुनाथ सिंह : पाइंट आफ आर्डर...

श्री अध्यक्ष : अगर नहीं चलाना है, तो मैं स्थगित कर दूं। आर्डर, बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्या ने यह कहा कि अमरनाथ पुरोहित के जिम्मे बीस हजार रुपया बाकी था। वह रुपया...

(व्यवधान)

एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नन्दलाल मीणा, श्री बन्शीलाल पटवा को नाम से सम्बोधित करता हूं।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे तो बोले नहीं हैं।..

श्री अध्यक्ष : नहीं, ये बोले हैं। मैंने माननीय सदस्यों को इतना निवेदन कर दिया। उसके पश्चात् इस तरह की घटनायें नहीं होनी चाहिए।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि बाकीदार को कोई नोटिस न देना कि तुम्हारे जिम्मे कोई रुपया बाकी है।

(व्यवधान)

राज्य के कानून के अन्तर्गत बाकीदार की लीज केन्सिल की जा सकती है। उसको नोटिस दिया जाता है और उसका जो एटर्नी है, पावर आफ एटर्नी को यह कहकर ..

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

आर्डर प्लीज। कृपया बातें न हों।

(व्यवधान)

श्री पी. एस. अहलूवालिया को घीया पत्थर के खनन का ठेका (ता. प्र. स. 94 दिनांक 7 सितम्बर, 1983)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने आधे घन्टे की चर्चा में जी. एस. अहलूवालिया को जो खनन पट्टा दिया गया था, उस सम्बन्ध में चर्चा उठाई। आपकी अनुमति से, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नाथूसिंह जी, जिनका इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है, ने भी कुछ बातें रखीं और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष महोदय, यह जी. एस. अहलूवालिया को जो खनन पट्टा जारी किया गया है वह एक साधारण सा मामला था, कोई इसमें महत्वपूर्ण बात नहीं थी। चूंकि इस मामले में मुख्य मन्त्री की ओर से आदेश चला गया इसलिए यह मामला इतना महत्वपूर्ण बना कर यह मानने लगे कि यह सारा मुख्य मन्त्री के आदेश के द्वारा ही किया गया है और इसमें नियमों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार इसके पीछे कई प्रकार की शंकाएं व्यक्त की गई है मुख्य मन्त्री जी के प्रति। अन्य लोगों के प्रति भी शंकाएं व्यक्त की गई हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सारी शंकाएं निर्मूल और निराधार हैं, इसमें किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं था जिस पर शंका की जा सके, इसमें किसी प्रकार की पार्टनरशिप की बात की जा सके। यह एकदम निराधार है। जो फैक्ट्स इस केस के है उनको यदि देखा जाय तो ये बातें कहीं भी नजर नहीं आती हैं। कहा जाता है, जी. एस. अहलूवालिया को उस क्षेत्र के अन्दर पट्टा दिया गया जो क्षेत्र जी. एस. आई के लिए रिजर्व था। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, सारा मामला इसी पर निर्भर करता है। 58 रूल गौर से, तसल्ली से, अपने आपको शान्तचित्त रख कर अगर पढ़ा जाय, यदि प्रेज्यूडिस होकर पढ़ेंगे तो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कोई अर्थ नहीं निकलेगा यदि शान्ति से पढ़ा जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है वह स्वयं स्वीकार कर लेंगे, एक करेक्शन जरूर किया था जो रूल 58 को आपने 52 कर दिया था, उसको करेक्ट जरूर किया था और मैं ने डिस्टर्ब नहीं किया था क्योंकि 58 रूल एकदम क्लियर है, मैं निवेदन करना चाहूंगा—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे, बैठे न बोलें, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आप सुनें : मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आपको....

(व्यवधान)

"No area which was previously held or wihch is being held under a prospecting licence or a mining lease."

जी. एस. आई. के लिए जो एरिया रिजर्व था, जी. एस. आई. को न तो प्रोस्पेक्टिग लाइसेन्स दिया गया था और नही माइनिंग लीज दी गई थी। केवल मात्र उस एरिया के लिए एक विशेष खनन का सर्वे करने के लिए कि उस एरिया में माना जाता है लेड और जिंक है या नहीं। न प्रास्पेक्टिंग लाइसेन्स दिया गया न माइनिंग लीज दी गई थी इसलिए रूल 58–59 के बारे में यह कहना कि बिना आरक्षित घोषित किए, बिना विज्ञप्ति जारी किए खजन पट्टा दे दिया, यह सही नहीं है। यह रूप को पढ़ने से स्पष्ट हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, —

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैंने जो पहले निवेदन किया है कि अगर रूल को शान्ति के साथ पढ़ें तो इसका मतलब समझ में आ जायेगा। अगर प्रिज्यूडिस होकर पढ़ेंगे दिमाग में कोई बात पढ़ कर उसका कोई अर्थ निकालेंगे तो दूसरी बात का कोई अर्थ नहीं रहता। जहां तक जी. एस. अहलूवालिया को खनन पट्टा देने की बात कही जाती है इससे पूर्व गोलेछा को इसी क्षेत्र के अन्दर पट्टे दिये गये थे किस आधार पर जी. एस. आई. ने एक पत्र दिनांक 23-11-1981 को लिखा कि हम एक पर्टीकयूलर ब्लाक साउथ ब्लाक जोधपुरा को छोड़ कर बाकी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जी. एस. अहलूवालिया की एप्लीकेशन आई, उस एप्लीकेशन में....

श्री हरिसिंह : गोलेछा को कौन सी तारीख को दिया गया ?

एक माननीय सदस्य वह प्रद्युम्नसिंह जी के रिश्तेदार हैं इसलिए....

श्री प्रद्युम्नसिंह : 1941 की चीज है इनके पास

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आप हर बात पर आरोप लगा रहे है। यहां पर कइयों को खनन पट्टे दिये जाते हैं। हर खनन पट्टे पर मन्त्री पर या मन्त्री के रिश्तेदार पर आरोप लगा देंगे, उसका तो कोई अन्त नहीं है। खनन पट्टे तो सबको मिलेंगे, उधर के लोगों को भी मिलेंगे, और इधर के लोगों को मिलेंगे तो उस पर कोई आरोप लगा दें तो यह गलत बात है। इसलिये जो गोलेछा को दिये है वह मैं आपको बता देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गोलेछा की डेट बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक्सपन्ज इस तरह के व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेंगे, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप भी एप्लाई करें। यदि नियमों में आता है तो आपको भी दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, गोलेछा को 6 दिये गये है। एक 30-6-80 को, 6 एप्लीकेशन थी, 27-11-80 और दूसरा भी 27-11-81, माह में अलग-अलग, तीसरा 3-6-82 को, चौथा 23-16-81 को पांचवा 3-6-82 को और छठा 7-11-81 को दिया गया। ये पट्टे गोलेछाज को इसके पहले दिये हैं। जी. एस. आई ने 25-11-81 का जो लैटर दिया उस पत्र के माध्यम से जोधपुरा साउथ ब्लाक में कहा कि इससे हम प्रोस्पैक्टिव वर्क करेंगे। उसको छोड़ने के बाद यह पट्टा दिया। इसके अलावा यहां पर बड़े जोर शोर से यह बात भी कही जा रही है कि वहां पर बहुत बड़ा भंडार मिलने वाला है। हमने 1975 में जी. एस. आई. को पट्टा दिया, आज 1983 तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि वहां पर बहुत बड़ा भंडार मिलने वाला है इसलिए इसको नोटीफाई करने की जरूरत थी। उसमें कोई इतना बड़ा एरिया एकदम नहीं मिल जाता है, जो फ्री एरिया था और जो पहिन्ट आउट करते हैं इसमें मिलेगा उसमें माइन्स के लिए जो भी दरख्वास्तें आती हैं उनको कन्सीडर कर स्क्रूटिनाइज कर उनको दिया जाता है।

दूसरा आक्षेप यह था इस केस को रिकमण्ड किया गया, नियमों के आधार पर नहीं किया गया। अहलूवालिया को भी स्क्रूटिनाइज करके दिया गया है, गोलेछा के देने से पहले दो केसेज के अन्दर सिंगल

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

एण्ड सन्स था, जिनके लिए कहा गया कि एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। उनकी एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट की गई थी, इस इम्प्रेशन में की गई थी क्योंकि यह एरिया रिजर्व था। जब यह केस डायरेक्टर, डी. एम. जी. के पास गया तो उन्होंने कहा पहले भी दिया हुआ है, इस बार भी दे दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 12 अक्टूबर, 1982 को इसके पट्टे की सैंक्शन जारी की गई।

एक यह बात कही जाती है कि अहलूवालिया के अन्दर बकाया थी, उसको ओवर लुक कर दिया। अगर कोई बकाया होती है तो पट्टा नहीं दिया जाता है। मैं इसको स्वीकार करता हूं। पट्टा देने से पहले हम देखते हैं कि पार्टी में कोई बकाया तो नहीं है। अगर बकाया होती है तो नया पट्टा नहीं देते हैं। लेकिन क्या यह बकाया अहलूवालिया में थी या अन्य में? इस चीज को माननीय सदस्यों ने देखा नहीं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इरवोकेबल पॉवर ऑफ एटार्नी उनकी थी। मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें इरवोकेबल पावर आफ एटार्नी उनकी नहीं थी। उनको जो थी वह for speci al purpose and that was only for signing papers and execution of lease deeds. इतनी सी लिमिटेड पावर आफ एटार्नी थी, उसका पर्पज था, उसको एग्जामिन किया, हमारे जो लीगल एड़वाइजर थे उनके द्वारा जांच की गयी। उन्होंने सलाह दी कि यह रुपया अहलूवालिया से वसूल होने का नहीं है उनकी इस में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिये इसको मानकर रिकमंड किया और उनको नियमानुसार लीज स्वीकृत की गयी।

जहां तक मुख्य मन्त्री के बीच में आने की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह किस स्टेज पर आते हैं। 12-10-82 को अहलूवालिया को लीज ग्रांट हो गयी और पट्टे की स्वीकृति मिल गयी। 6 महीने के अन्दर उसको लीज डीड एग्जीक्यूट करनी थी। अध्यक्ष महोदय, अहलूवालिया ने लीज डीड को एक्जीक्यूट किया 28-3-82 को यानि 12-10-82 से 28-3-82 विद इन दी सिक्स मन्थस आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। 6 महीने में लीज डीड एक्जीक्यूट कर दी गयी। तब उन्होंने एक एप्लीकेशन दी 18-4-82 को सी. एम. को यह कह कर कि लीज डीड एक्जीक्यूट कर दी है और डी. एम. जी. के आफिस में है। उसको केवल रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना है वह नहीं की जा रही है जिससे मुझे कब्जा नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए इसलिये करें। मुख्य मन्त्री ने इस पर लिखा Departmental comments be asked for also and necessary action be taken. यह लैटर जो भेजा उसके ऊपर एक चिट्ठी आ गयी, उस बात को लेकर कहा जा रहा है। तो सी. एम तो इस स्टेज पर आये है जब कि उसको सारी चीज मन्जूर हो गयी थीं और केवल मात्र रजिस्ट्रेशन के लिए डीड को भिजवाने की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बात थी। अगर उस स्थिति में किसी को प्रिवेलेज हैं, मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता महोदय स्वीकार करेंगे उन्होंने ऐसा किया होगा, जब ऐसे वाकये होते हैं ऐसी शिकायत आयी होगी तो निश्चित रूप से विभाग को जांच के लिए, कमेंट्स के लिये भेजी होगी। सी. एम. ने इसमें कौन सा गुनाह कर दिया और कौन सी ऐसी बात हो गयी जिस पर यह आरोप लगा दिया गया कि सी. एम. श्री इसमें इन्वाल्व हैं और भ्रष्टाचार की बात हो जाती है। हर सी. एम. और हर मन्त्री, जो कि यहाँ पर काम करने के लिये बैठेगा, कोई शिकायत आयेगी तो जांच के लिये भेजेगा। जब किसी की तकलीफ की बात आयेगी तो डिपार्टमेंट को मुख्य मन्त्री को उचित आदेश देने होंगे। इसलिये मुख्य मन्त्री ने आदेश दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हर बात को शांति से सुनें, पीसफुली हर बात को लेना चाहिए। किसी तरह के पुर्वाग्रह के तौर पर अगर दिमाग ही बना लिया है कि ऐसा हुआ है और उसी को मानकर चलेंगे तो इसका कोई अन्त नहीं है। लेकिन शांति से देखेंगे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है, कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं था, कोई इर्रेगुलेरिटी नहीं हुयी है। अहलूवालिया को मिलने का अधिकार नहीं था, या क्यों दिया गया उसमें क्या था ? तो ऐसी कोई बात नहीं है।

दूसरी बात आपने कही इससे बाद की दरख्वास्त को क्यों खारिज कर दिया गया। मैं बताऊंगा कि क्यों खारिज की गयी। वह लास्ट डेट को हमारे यहां पर आयी थी। हमारे यहां पर एक समय निश्चित होता है 6 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का। लास्ट डेट को एप्लीकेशन मेरे पास आती है। अगर मैं उसको स्वीकृत कर देता हूं तो स्टेट अब मेरे पर यह चार्जेज आयेंगे कि मैंने लास्ट डेट को उसको क्यों स्वीकृत कर दिया, इसमें मन्त्री का क्या है। इसलिये मैंने कहा कि क्योंकि आज लास्ट डेट हो चुकी है इसलिये मैं इसको मन्जूर नहीं करूंगा। इसलिये मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं है कि स्वीकृति देने में भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप तसल्ली से देखेंगे तो इसके अन्दर किसी तरह की कोई अनियमितता, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह...

एक माननीय सदस्य : आप जिन्दा मक्खी निगलने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, चर्चा यों समाप्त नहीं कर सकते..

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाय कि यह टेलीफोन किसने...

(सुश्री पुष्पा जैन)

(व्यवधान)

17-5-82 को आवेदन किया 14-5-83 को मन्जूर किया। 6 महीने गुजर गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आपको पहले समय दे दिया है। आपने अपनी बात कह दी है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मन्त्री महोदय...

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच कराये। इसकी सारी पत्रावलियां सदन की मेज पर रखी जायं...

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहती हूं..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुयी। अब कोई प्रश्न नहीं होगा।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री कैलाश मेघवाल : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री कैलाश मेघवाल : ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुयी। अंकित न हो।

माननीय सदस्य, मैंने सुन लिया है और सारे सदन ने भी सुन लिया है....

(व्यवधान)

अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री कैलाश मेघवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे चैम्बर में आमंत्रित

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

करता हूं। यहां इस पर चर्चा नहीं होगी। जो कानूनी मुभे हैं उन पर इतनी लम्बी चर्चा नहीं हो सकती है। अंकित नहीं हो।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे कुछ मसले उत्पन्न हुए हैं। अगर उनका जवाब नहीं आयेगा, उनका स्पष्टीकरण नहीं होगा तो क्या मतलब है मामला यों का यों रह गया है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, काफी बातें हो चुकी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : इतने माकूल जवाब के बाद भी क्या कोई बात रह जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी अनुमति से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सब की तरफ से एक ही सवाल पूछ लें।

श्री यदुनाथ सिंह : सब की तरफ से कैसे? हम तो अलग हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय ने कहा कि जिन दो आदमियों की एप्लीकेशन खारिज की हैं इसलिए खारिज की हैं....

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं मैंने तो एक के लिए ही कहा है। जो कि लास्ट वाली है क्या नाम बताया रमेशचन्द। मुझे पूरा ध्यान नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो दो के बारे में आपने क्या कहा? उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। दूसरा है जो यह कल्याणमल वाला ...

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरे के बारे में मैंने नहीं कहा है उसका मुझे ध्यान ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसका उत्तर नहीं दिया है आपने कि उनकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की गयी....

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो गोलेछा से पहले की दी है। एक तो सिंघल की है और दूसरे है कोई मिस्टर टांक उनकी एप्लीकेशन आयी थी वह 23/11/81 से खारिज की गयी। 25/11/81 को जब यह आ गया था उसके बाद नहीं की है। उससे पहले यह नहीं आया था इसलिये रिजेक्ट कर दी थी।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बताऊंगा, मेरी जिम्मेवारी है। आज मैं कहूंगा कि 23/11/81 को जी.एस.आई ने यह लिखा, जोधपुर साउथ ब्लाक के अलावा सारा एरिया फ्री है इसको आप लीज पर दे सकते हैं। यह उन एप्लीकेशनों को खारिज करने से पहले नहीं आया था। एक तो यह बात थी, जिस इम्प्रेशन में डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा उदयपुर माइन्स सिंडीकेट, उदयपुर वालों की तरफ से काफी लम्बा चौड़ा एरिया में कार्य चल रहा था उस एरिया की भी ओवरलेपिंग होती थी इसलिये हमने नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है, आपने कहा कि जी.एस आई के द्वारा लिखा हुआ आया था कि आप दे सकते है। तो क्या अगर जी.एस.आई के द्वारा लिखा हुआ नहीं आता तो आप पट्टे नहीं दे सकते थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि हम दे सकते थे, लेकिन एक बात खुली तो कोई गुनाह नहीं कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे सकते थे तो उनको क्यों नहीं दिया गया ? मैं इसी प्रश्न के आधार पर यह कहूंगा कि पक्षपात हुआ है। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती थी तो दो को क्यों नहीं दिया, गोलेछा को क्यों दे दिया गया और फिर अहलूवालिया को क्यों दे दिया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट कहा कि इस इम्प्रेशन में नहीं दिया। इस इम्प्रेशन में दिया कि ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने भी कानून की किताब पढ़ी है जी.एस.आई एरिया में कोई पांबदी नहीं थी फिर क्यों नहीं दिया ?

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने पहले ही कहा कि गलती हो सकती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह रहे हैं कि गलती हो गयी तो एडमिट करिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : गलती का मतलब यह इन्टरप्रिटेशन लिया गया कि....

(व्यवधान)

यह मिस इन्टरप्रिटेशन था। ऐसी कोई बात नहीं थी

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूं कि आज वह एप्लाई करते हैं तो हम दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची बहुत लम्बी है, इन्होंने बहुत समय इसमें ले लिया....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर यही हमको दण्ड देना है तो हाउस एडजोर्न करके कर दीजिए। इतना बड़ा स्केण्डल है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा कहां समाप्त हो गयी ? इतना बड़ा स्केण्डल सामने निकला है ...

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : तथ्यों के विपरीत वक्तव्य दिया है ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : सारी पत्रावली सदन के समक्ष रखिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : गोलेछा का इम्प्रेशन नहीं। जो उस समय खनिज मंत्री थे, नहीं देना चाहते थे, वह गोलेछा को देना चाहते थे इसलिए इम्प्रेशन लिया अपने हित के लिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। चर्चा समाप्त हुई इस प्रश्न पर।

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : XXX

श्री नाथूसिंह : XXX

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : XXX

श्री कैलाश मेघवाल : XXX

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य। कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है, माननीय सदस्य, कुमारी पुष्पा जैन व श्री कैलाश मेघवाल सब का मिलाकर मुद्दा यह था कि अहलूवालिया को गलत दिया है। उसके बाद में विपक्ष के नेता महोदय

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

ने, हालांकि उसका रेफरेन्स था प्रश्न के अन्दर, कहा कि उनको तो रिजेक्ट कर दिया और इनको दे दी। मंत्री महोदय ने काफी हद तक, जहां तक मेरा अनुमान है, यह साबित कर दिया कि अहलूवालिया को ठीक दिया। तो, विपक्ष के नेता महोदय, अब वह अहलूवालिया वाला पक्ष गौण हो जाता है और नया मुद्दा आ जाता है कि उनको क्यों रिजेक्ट किया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गौण नहीं होता, अध्यक्ष महोदय।

श्री यदुनाथ सिंह : गौण कैसे हो सकता है ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कोलिंग अटेंशन मोशन है। उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आप रूल 59 पढ़ कर फैसला दीजिए। सदन को भ्रमित किया गया है, सदन को गुमराह किया गया है, सदन में असत्य कथन किये गये हैं। आप रूल 59 पढ़ लीजिए, आप दूसरी लाइन को पढ़ लीजिए....

अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया....

श्री सुश्री पुष्पा जैन : जब पट्टा दिया गया उस समय खनिज मंत्री कौन था ? उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। ऑर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैंने इजाजत नहीं दी है।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित न हो। माननीय सदस्य कृपया, बैठ जायें।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण कीजिए। इस तरह सभी कानूनी प्रश्नों पर यहां विस्तृत चर्चा करके किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। ऑर्डर। क्वेश्चन एक ही रह गया, या तो अदालत में जायें या दोबारा आयें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दोबारा आयें या नहीं आयें, अध्यक्ष महोदय, हाफ एन आवर डिस्कशन का मतलब यह तो नहीं कि हम क्वेश्चन भी नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि हाफ एन आवर का मतलब है, आधा घण्टा, लेकिन इसमें डेढ़ घंटा लग गया है। माननीय सदस्य, अन्य किसी तरीके से उठायें इस प्रश्न को।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और करना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने जो कहा, उसी पर पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अहलूवालिया की एप्लीकेशन पर लिखा, जिसे आपने पढ़ कर सुनाया, इस पर डिपार्टमेण्ट से कमेन्ट्स मांगे जायें और नैसेसरी एक्शन लिया जाय? टेलीफोन किसने किया?

श्री हीरालाल देवपुरा : टेलीफोन की बात तो है नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड में है। रेफारेन्स किसने दिया, यह मैं उसका लैटर पढ़कर सुनाता हूं। टेलीफोन किसने किया? यह बताइये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आप से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक अहलूवालिया ही नहीं, सैंकड़ों, हजारों आदमी राजस्थान के अन्दर हैं, जिनके साथ कोई न्याय नहीं होता है। उनकी इस प्रकार की एप्लीकेशंस आती हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री जी को एप्लीकेशन दे दी और अगर मुख्य मंत्री जी ने लिख कर दे दिया कि इस पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई तो यह कोई अन्याय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से पूछना चाहता हूं। माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने प्रश्न उठा दिया, अब अहलूवालिया का प्रश्न तो गौण हो गया....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त की...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : पैरवी कर रहे हैं। उनकी पैरवी कर रहे हैं जो कि रिजेक्ट हो गयी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : टेलीफोन किसने किया?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मैं अब, माननीय सदस्य, कार्यवाही स्थगित करता हूं।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 134

(134)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करूंगा। ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री कैलाश मेघवाल : ×××

श्री नाथू सिंह : ×××

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्सुक नहीं हैं तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मंत्रियों के वक्तव्य आदि आदि सब समाप्त करके सीधे विधायी कार्य पर आ जाते हैं।

ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

कार्यवाही चलाना चाहते हैं या नहीं। माननीय सदस्य ? अंकित न हो। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री नाथू सिंह : ×××

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

अगला विषय, अगर माननीय सदस्य लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री रघुवीर सिंह कौशल।

(व्यवधान)

नाम से सम्बोधित करूंगा, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : राजस्थान की जनता के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अध्यक्ष महोदय। लाइन बना रहे हैं आगे के लिए। यहां आपको नहीं तो किसको कहें ? हम कहां कह सकते हैं अपनी बात, जनता की बात ? जनता की बात यहीं कह सकते है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित न हो।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सुश्री पुष्पा जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था फैला रही हैं। माननीय सदस्या। ऑर्डर, ऑर्डर। क्योंकि समय काफी हो गया है और 3 वक्तव्य आने को हैं, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर के रूप में और दो स्थगन प्रस्तावों के ऊपर वक्तव्य, इन तीनों के लिए मैं साढ़े तीन बजे तक का समय निश्चित करता हूं। साढ़े तीन बजे यह सब वक्तव्य आदि समाप्त समझे जायेंगे। अब मैं माननीय सदस्य श्री रघुवीर सिंह का नाम पुकारता हूं उनके ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक जानकारी अर्ज करना चाहूंगा। राज्य मंत्री महोदय ने चैलेंज किया है कुमारी पुष्पा जैन को कि या तो वह इस्तीफा दें या मैं इस्तीफा दूंगा। इस सम्बन्ध में आप क्या कह रहे हैं ? आप जांच करेंगे या कोई और जांच करेगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पुनः दोहराता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय को अंकित करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय को अंकित कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला विषय ले लिया है। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जांच करेंगे क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप ही जांच करा लीजिये। आपको निष्पक्षता का पता लग जायेगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विपक्ष के नेता महोदय। श्री रघुवीरसिंह कौशल। संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारा) : अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में ही कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, गत सत्रों में....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माइन्स में तो मंत्री महोदय एक्सपर्ट हैं। अपन तो डाक्टरी में एक्सपर्ट है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किसानों को कृषि विभाग द्वारा शुद्ध खाद व बीज की उपलब्धि

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैंने गत सत्र में खाद और बीज अशुद्ध मिलने के सम्बन्ध में कई बार प्रश्न उठाये थे और आपने कृपापूर्वक मुझे उन पर बोलने

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

का समय दिया। इस बार विभाग की ओर से विशेष रूप से कृषि आदान सप्ताह मनाया गया है जिसमें हमें यह उम्मीद थी कि किसानों के काम में आने वाली चीजें शुद्ध मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी किन्तु जो हालत पहले थी वही हालत आज भी है।

मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सत्र में संकर ज्वार के बीज के अशुद्ध होने के सम्बन्ध में चर्चा उठाई थी। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गत सत्र में उस ज्वार काण्ड की इन्क्वायरी बैठा दी। उस इन्क्वायरी से, अध्यक्ष महोदय, यह बात निर्विवाद रूप से आ गयी है...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। आधे घन्टे का समय निर्धारित है और 3 वक्तव्य लिये जाने हैं। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मुझे कल भी नहीं बोलने दिया गया था।

श्री अध्यक्ष : कुछ समय सीमा तो बांधनी पड़ेगी। आप अपने विषय पर आ जायं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बात तो रखूंना साहब, जो बात रखनी है मुझे किसानों के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष : मैं प्रक्रिया के नियमों की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रक्रिया के नियमों के अनुसार मंत्री जी का ध्यान जो कुछ भी है अभाव–अभियोग उनकी तरफ आकर्षित किया जाना चाहिये। इसमें लम्बा भाषण नहीं होता है। आज समय का अभाव है। इसलिये ऐसी छूट नहीं दी जा सकती। माननीय सदस्य, जो आपकी शिकायत है वह पढ़ कर सुना दीजिये, इस प्रस्ताव पर वह वक्तव्य देंगे। उस सीमा से बाहर नहीं होनी चाहिये चर्चा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं।

गत वर्ष ज्वार सारी खराब आयी, 40 लाख रुपये की ज्वार आपकी खराब आयी। जर्मीनेशन पर्सेन्टेज किसी किसी का 30 पर्सेन्ट 80 पर्सेन्ट तक आया, यह रिकार्ड प्रूफ है। अब, अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न उठता है कि जब सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी का सर्टिफिकेट लग जाता है, तब बीज खरीदने वाला कोई दोषी नहीं रहता। इधर सीड इन्सपेक्टर केवल उस ज्वार या उस बीज का ही नमूना ले सकते हैं जो बीज के लिये सर्टिफाइड हो, जिसमें सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी का बिल्ला लग रहा है उसका ही सेम्पल ले सकते हैं, उसके लिये अधिकृत हैं। एक तरफ तो सेम्पल ये उसी का लेंगे जिस पर यह लगा हुआ है, सर्टिफिकेशन एजेन्सी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है और दूसरी तरफ उसका चालान इस आधार पर नहीं कर सकते,

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

उसके लिये यह डिपार्टमेन्ट जिम्मेदार नहीं है क्योंकि सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इन दोनों बातों में किस बात को माना जाय। पिछली बार 40 लाख रुपये की ज्वार खराब आई उसमें एक ही बहाना है कि सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। लेबोरेटरी में सारी ज्वार अमानक सिद्ध हो गई, सब स्टेन्डर्ड सिद्ध हो गई। तो मेरा यह निवेदन है कि इस सारी गड़बड़ में सही बात कौनसी है, सरकार इस पर विचार करे। आपने 60 पर्सेन्ट वाली बात कही। 60 पर्सेन्ट में भी 80 पर्सेन्ट ज्वार अमानक सिद्ध हुई। मैंने मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दिया था कि उन्होंने उसकी इन्क्वायरी बैठाई। उससे सारे तथ्य सामने आयेंगे कि सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी, आपके सीड कार्पोरेशन ने कितना बड़ा घपला किया है, कितनी बड़ी अनियमितता की है। वहां से अच्छा बीज यदि लाये थे सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी का तो यहां आकर वह खराब सिद्ध हो गया। उसका सर्टिफिकेशन इस साल क्यों हुआ? मंत्री महोदय इस साल लोट नं. 160 ज्वार मैं खुद ले गया हूं। मैंने खुद ने अपने खेत में बोया लेकिन ज्वार नहीं उगी। मैंने सीड कार्पोरेशन के अधिकारियों और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों को ले जाकर खेत बताया कि ज्वार का सेम्पल यह है आपकी ज्वार फेल हो गई। आपका 160 नम्बर का लोट, 110 नम्बर का लोट इस प्रकार से आपके 6-7 लोट इस साल भी फेल हो गये है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सीड कार्पोरेशन का ही बीज क्यों फेल होता है और संस्थाओं का फेल क्यों नहीं होता है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

चर्चा समाप्त कीजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एन. एफ. सी. का बीज सब स्टेन्डर्ड नहीं होता है, सीड कार्पोरेशन का ही बीज क्यों सब स्टेन्डर्ड होता है? जितना खराब बीज मिल रहा है बाजार में उसको बन्द करने के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। इनसेक्टीसाइड सेम्पल लेने के बाद जितने सब स्टेन्डर्ड सिद्ध होते हैं उनके चालान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। फर्टिलाइजर के 120 नमूने सब स्टेन्डर्ड सिद्ध हुये और चालान 2 के हुये। मैंने पिछली बार भी पूछा था इनसेक्टीसाइड्स के फरवरी, 1983 तक 2163 नमूने लिये गये, जांच हुई 235 की और चालान किया 18 का, यह गड़बड़ी कहां है? यह गड़बड़ी है, आपके अधिकारी मैन्यूफैक्चरर्स से मिले हुये हैं। इसलिये पिछली बार तो 10 हजार क्विटंल जो गेहूं था उसको बीज बताकर आपके एन. एफ. पी. ने नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। इसी प्रकार से पेस्टीसाइड्स के मामले में मिले हुए हैं। यह एक इसका उदाहरण है, आपके डिप्टी डाइरेक्टर प्लान्ट प्रोटेक्शन यह गड़बड़ी करते हैं।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मैं एक बात पूछना चाहता हूं जब यह सिद्ध हो जाता है कि सब–स्टेन्डर्ड है तो उसका चालान न करने के लिये दोषी कौन है? क्या सीड इन्सपेक्टर ने चालान करने के लिए परमिशन नहीं मांगी? क्या डिप्टी डायरेक्टर प्लान्ट प्रोटेक्शन ने इसकी परमिशन दी?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसलिये मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसमें लायबिलिटी फिक्स कीजिये। जो खराब बीज खरीदते हैं, जो चालान नहीं करते हैं उनके ऊपर अगर लायबिलिटीज फिक्स नहीं करेंगे तो यह बराबर चला रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री देवेन्द्रसिंह (राज्य कृषि, मंत्री) : माननीय रघुवीर सिंह जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार शुद्ध खाद, बीज, कीटनाशक औषधियां उपलब्ध कराने के लिये जिम्मेवार है। इस वर्ष इसके तहत 18666 क्विंटल बाजरा, 1702 क्विंटल ज्वार राजस्थान सीड्स कार्पोरेशन ने सप्लाई किया है और नेशनल सीड्स कार्पोरेशन और प्राइवेट एजेन्सी से कुल मिलाकर इस वर्ष 47,413 क्विंटल सीड सप्लाई किया है। राजस्थान में हमने हमेशा यह सतर्कता बरती है कि शुद्ध चीजें, शुद्ध खाद, शुद्ध सीड्स, शुद्ध कीटनाशक औषधियां किसानों को मिलें। इस सम्बन्ध में क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठाया, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अन्ता, शाहपुरा गांव में शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई, हमने उसी वक्त हमारे यहां के अधिकारियों को भेजा। अधिकारियों को ही नहीं भेजा उनकी रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने श्री रघुवीरसिंह जी कौशल को चिट्ठी लिखी कि हमने यह जांच कराई है, इसमें हमारा विभाग कहता है कि कोई गलती नहीं है। इसके बाद भी आपको आपत्ति हो तो आप हमें बता दें। हम उस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यह चिट्ठी इसके साथ संलग्न है····

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

मंत्री महोदय, उसकी जांच हो गई है और सब स्टेन्डर्ड सिद्ध हो गया है। सीड्स कार्पोरेशन का फर्जी जवाब है। संकर ज्वार का बीज लेबोरेटरी में सब स्टेन्डर्ड सिद्ध हुआ है। मन्त्री महोदय, 110 नम्बर लोट, 104, 106 नम्बर लोट सब–स्टेन्डर्ड सिद्ध हुये हैं····

श्री देवेन्द्रसिंह : पहले मुझे तो सुन लीजिये ···

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह पत्र मेरे पास आया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का पत्र है उन्होंने लिखा है कि सब स्टेन्डर्ड सिद्ध हो गया है....

श्री देवेन्द्र सिंह : इसके बाद यह बात कही जाती है कि ज्वार खराब होती है सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी का चालान नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय, सीड कार्पोरेशन या नेशनल सीड कार्पोरेशन का सीड सर्टिफिकेट लगा होता है उसी सीड का चालान किया जाता है। प्राइवेट सीड का चालान नहीं किया जाता....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पत्र लिखा है, जांच की गई। सीड सब स्टेन्डर्ड है या नहीं....

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम उसी का चालान कर सकते हैं जिस पर सीड सर्टिफिकेट है। आम आदमी या काश्तकारों के बीज का चालान हम नहीं कर सकते। जो सीड राजस्थान सीड कार्पोरेशन, नेशनल सीड कार्पोरेशन द्वारा सप्लाई किये जाते हैं उसी के नमूने लेते हैं चाहे नेशनल सीड कार्पोरेशन हो या राजस्थान सीड कार्पोरेशन का हो, उन केसेज का चालान किया और लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी को बख्शा नहीं जावेगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सीड कार्पोरेशन का एक भी चालान किया तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि आप मन्त्रीजी का उत्तर सुनना नहीं चाहते और आपकी बात कहना चाहते हैं। मैं इसको समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र सिंह : आपने ज्वार के बारे में कहा, गत वर्ष यहां पर जो ज्वार उपलब्ध थी वह खराब थी, मैंने उसको स्वीकार किया। मगर स्वीकार नहीं करता तो इनक्वायरी नहीं बैठाता। उसके बाद आप स्वयं कहते है कि जांच बैठायी, एक भी दाना ज्वार किसी काश्तकारों को नहीं दिया, तीन हजार क्विंटल बीज अमान्य कर दिया, कितना ही नुकसान उठाना पड़े कार्पोरेशन को लेकिन काश्तकार को एक दाना भी नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : कह दीजिए कि ठीक है। किस्सा खतम हुआ।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप इम्पार्टेन्ट इश्यू पर भी विचार नहीं करने देंगे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस पर मन्त्रीजी एक मिनट में फर्मा दीजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य उत्सुक नहीं हैं और....

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज। कह दीजिये, ठीक है किस्सा खतम।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। चर्चा इस पर समाप्त हुई। मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य।

(व्यवधान)

आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

(व्यवधान)

अंकित न हो। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। आसन पैरों पर है। अव्यवस्था फैलाने के लिये मैंने अनुमति नहीं दी है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करता हूं। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। कृपया....

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका है क्या हाउस चलाने का!

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप हमें धमकी देते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते तो और कोई विकल्प क्या है। यह कोई तरीका है क्या हाउस चलाने का। आर्डर प्लीज। बैठ जायं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मुझे बाध्य न करें नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये...

(व्यवधान)

आर्डर। आर्डर!

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप हमको धमकी देते हैं और हमको डराते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे आपको निवेदन करने का और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार है।

आर्डर। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो अवहेलना करेंगे उनको नाम से सम्बोधित करूंगा और आगे की कार्यवाही करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : X X X

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : इस तरह इजाजत नहीं दे सकते। नहीं-नहीं, यह क्या इजाजत हुई। एक आदमी अपनी बात कह दे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री त्रिलोक सिंह : X X X

एक माननीय सदस्य : हम सुनना चाहते हैं और....

श्री त्रिलोक सिंह : X × X

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य इसमें किसको एतराज है। इसीलिए वक्तव्य दिलाया। लेकिन नियमों के अनुसार मैं कार्यवाही करना चाहता हूं। यह तो नहीं कि आप चाहें जब बोल लें।

श्री महाराम चौधरी : आपने जो व्यवस्था दी है वह सर्वोपरि है परन्तु दुःख इस बात है कि आफिसर्स गैलेरी में बैठे लोग हंस रहे हैं। आपकी इस व्यवस्था पर ऑफिसर्स गैलेरी में आफिसर्स हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हमें दुःख है इस बात का। कोई भी विषय पर आप व्यवस्था दे दें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। बैठ जायं। माननीय सदस्य।

अगला विषय।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम जो बात कहना चाहते हैं वह सुनी नहीं जाती।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आप स्वयं सन्तुष्ट हैं क्या? बता दीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के वक्तव्य से आप स्वयं सन्तुष्ट हैं क्या?

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 142

(142)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूरा करवा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, आप स्वयं अनुभवी हैं। इस तरह से इस सदन की कोई कार्यवाही चलाई जा सकती है। जब आपने बात कही, शान्तिपूर्वक मन्त्रीजी ने, माननीय सदस्यों ने सुनी। जब वह उत्तर देने को तैयार हुए तो बीच बीच में कई माननीय सदस्य खड़े हो करके टोकने लगे, यह कौनसी व्यवस्था है, मुझे यह बता दीजिये। इस तरह से सदन में वाद–विवाद चलाया जा सकता है क्या ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उत्तर तो पूरा करवा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हम तो सुनना चाहते हैं। कौन नहीं सुनना नहीं चाहता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो बात आपको जचे उसको तो सुनना चाहते हैं और दूसरी बात नहीं सुनना चाहते। नियमों के अन्दर ऐसा प्रावधान है, किसी माननीय सदस्य का यदि आसन नाम पुकारता है, तो उनको सदन को सुनाने का अवसर होता है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इम्पार्टेन्ट इश्यू पर आप समय नहीं दे रहे हैं और अनइम्पार्टेन्ट पर ज्यादा समय दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जाय। अगर सदन में अव्यवस्था फैलायेंगे तो दबाव की स्थिति में मैं कोई सुविधा देने वाला नहीं हूं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप तो खुद किसान परिवार से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यह तो किसानों के साथ घोर अन्याय है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उत्तर पूरा आ जाय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उत्तर नहीं आयेगा। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। उत्तर नहीं आयेगा। अगर आप चाहें तो अगला वक्तव्य हो सकता है।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी कड़ाई तो आप करते नहीं हैं कभी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इतने समय में तो मन्त्रीजी का वक्तव्य पूरा हो जाता ।

श्री महाराम चौधरी : मन्त्रीजी की यही इच्छा थी, स्टेटमेन्ट पूरा नहीं देना चाहते थे, किसानों और आम आदमी से संबंधित है इसलिये····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सूरतगढ़ में····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, अंकित न हो ।

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : सूरतगढ़ में मुख्य मन्त्री पर हमला करने के आरोप में छात्रों की की गई गिरफ्तारी के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : × × ×

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह इतने महत्व का विषय नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16-8-83 को····

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमन्त्री पर हमले पर तो आप दिला रहे हैं वक्तव्य और इन्हें नंगा करके····

(व्यवधान)

व्यवस्था नहीं दे रहे हैं ।

श्री महाराम चौधरी : इसमें ग्रामीण जनता की काफी शिकायतें हुयी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । गृह राज्य मन्त्रीजी ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : दिनांक 16-8-83 को महामहिम राष्ट्रपतिजी को····

श्री नाथूसिंह : मुख्य मन्त्रीजी के साथ यह घटना हुई है वही आकर वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगर आप शान्ति से सुनना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इनको भी मैं मना कर देता हूं ।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मन्त्रीजी से सम्बन्धित घटना है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया इतना लाइटली नहीं लें सदन की कार्यवाही को । माननीय सदस्य, आप नियमों से परिचित हैं ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

शासकीय वक्तव्य

सूरतगढ़ में मुख्य मन्त्री पर हमला करने के आरोप में छात्रों की की गई गिरफ्तारी

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : दिनांक 16.8.83 को महामहिम राष्ट्रपतिजी की गंगानगर यात्रा के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्थान सूरतगढ़ पधारे थे। विरोधी पार्टियों द्वारा दिनांक 17.8.83 को एक प्रतिनिधि मण्डल प्रातः करीब 7.30 बजे व 200 लड़कों का एक जुलूस श्री गुरू शरण छाबड़ा भूतपूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रेस्ट हाउस में, जहां माननीय मुख्य मन्त्री जी ठहरे हुए थे, नारे लगाते हुए पहुँचे। प्रतिनिधि मण्डल के नेताओं ने मुख्य मन्त्री जी को ज्ञापन देने व कामर्स की कक्षायें खोलने के बारे मिलने की इच्छा जाहिर की जिस पर गुरू शरण छाबड़ा भूतपूर्व विधायक के नेतृत्व में 5 नागरिकों का प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला।

उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन मुख्य मन्त्री ने दिया परन्तु वे नेता तत्काल मांगें मन्जूर करने पर जोर देते रहे। बाद में इन नेताओं ने बाहर आकर अपने साथियों को उकसाया और माननीय मुख्य मन्त्री जी का घेराव करने व बाहर नहीं जाने देन हेतु इन प्रर्शनकारियों को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। जब मुख्य मन्त्री जी की कार रेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंची तो इन व्यक्तियों ने कार का बम्पर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गये। परन्तु पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। जब मुख्य मन्त्री जी माननीय राष्ट्रपति जी को लेने हवाई अड्डे पर जा रहे थे तो चुंगी नाके के आगे रेलवे फाटक एअर पोर्ट जाने वाली सड़क के पास स्थानों में छिपे शरारती तत्वों ने मुख्य मन्त्री जी की मोटर पर पथराव प्रारम्भ कर दिया जिससे माननीय मुख्य मन्त्री जी के अलावा 9 व्यक्तियों को चोटें आई एवं गाड़ी के शीशे आदि टूट गये। मोटर के साथ चल रहे पुलिस दल ने इन उपद्रवियों को छोड़ कर मोटर को एअर पोर्ट तक पहुँचाया। पुलिस की ओर से कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। अतः किसी भी छात्र एवं विरोधी दल के व्यक्ति के चोट आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस घटना में अभियोग संख्या 161/83 धारा 147, 148, 149, 307, 340 353, 332 ताजीरात हिन्द थाना सूरतगढ़ में पंजीबद्ध किया जा कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान में कुल 25 अभियुक्त नामजद हुए जिनमें 6 छात्र हैं। जिनमें से 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हनुमानगढ द्वारा जमानत पर छोड़ा जा चुका है। शेष सात अभियुक्तों की अग्रिम जमानत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हनुमानगढ द्वारा 2-9-83 को स्वीकृत की जा चुकी है।

इन सभी में से 18 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 3-9-83 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। बाकी का चालान आज प्रस्तुत किया जा रहा है। इस समय नगर में सर्वत्र शान्ति है और जन जीवन सामान्य है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह राज्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप दफा 307 को गौर से पढ़ें। आपने जो 307 आई पी सी इन लोगों पर लगायी है, बेहतर होगा, आप मुझे बतायें कि 307 की धारा की क्या मंशा है, उसको पूरा करने के लिए कौन-कौन सी चीजें होनी चाहिये ? अगर आप वह देख लें तो अपने आप वह केस क्लियर हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कानूनी विषय में विधान सभा में विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती है। यह ही पर्याप्त है कि इन्होंने यह बता दिया कि 307 है। 307 आई.पी.सी का उल्लेख कर दिया है। यह पर्याप्त है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, किसी की हत्या का केस बनाया जाय और जैसा कि अभी गृह राज्य मन्त्री ने स्वयं अपने बयान में बताया, वहां पर गुरूशरण छावड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मन्त्रीजी को ज्ञापन देना चाहता था। यह सही है कि लोकतन्त्र में लोगो को मुख्य मन्त्री से मिलने का अधिकार है और किसी तरह का ज्ञापन देने का अधिकार है इससे आप इंकार नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जो वहां किस लिये जा रहे थे, पहले मैं थोड़ा सा इसके परिप्रेक्ष में जाना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समय का अभाव है। आप पूरक प्रश्न पूछ सकती हैं संक्षेप में।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ के अन्दर एक आरिफ सिनेमा है जो आज से 20 साल से वहां चल रहा था। जैसे ही राज्य सरकार ने घोषणा की कि नया सिनेमा बनने पर वहां पर पहले साल में मनोरंजन कर की पूरी छूट होगी, दूसरे साल में 75 प्रतिशत छूट होगी और तीसरे साल में 50 प्रतिशत की मनोरंजन कर की छूट होगी, उस सिनेमा के मालिक सांसद मनफूलसिंह जी के रिश्तेदार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी भी माननीय सदस्य का नाम नहीं लें। नाम लेने के पहले पूर्व सूचना देना बहुत जरूरी है।

सुश्री पुष्पा जैन : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगी।

वर्तमान सांसद हैं उनके एक रिश्तेदार है जो कि आरिफ सिनेमा के मालिक हैं। वह आरिफ सिनेमा के नाम से 20 साल से चल रहा है। उन्होंने नगरपालिका और यू. आई. टी में दरख्वास्तें दीं और सब जगह दरख्वास्ते दीं कि मैं अपने सिनेमा घर की मरम्मत कराना चाहता हूं क्योंकि उसमें टूट फूट हो चुकी है। उसके लिए उन्होंने एस. डी. एम. हनुमानगढ़ को इतला दी कि मैं अपने सिनेमा को मरम्मत के कारण कुछ दिन के लिये बन्द कर देना चाहता हूं। सिनेमाघर की मरम्मत की गयी।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्या, विषयान्तर हो रही हैं। ग्राप उस दिन की उस घटना के संबंध में कुछ प्रश्न पूछ सकती हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछ रही हूं। यह दफा 307 जो लगायी गई है, क्यों लगायी गई है? ग्रगर मैं यह नहीं बतलाऊंगी तो यह बात स्पष्ट नहीं हो सकेगी।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। माननीय सदस्या, संक्षेप में।

सुश्री पुष्पा जैन : ग्रध्यक्ष महोदय, जब यकायक मुख्य मन्त्रीजी उस सिनेमा घर का उद्घाटन करने के लिये गये उस ग्रारिफ सिनेमा में नये नाम से कहकर उसमें 'नमक हलाल' पिक्चर लगी हुई थी। उस पुराने ग्रारिफ सिनेमा का उद्घाटन करके जब मुख्य मन्त्रीजी ने गलत काम किया तो जनता उसका विरोध करना चाहती थी। वहां की जनता के मन में प्रतिशोध था, विरोध था, उन्होंने कहा कि ये ग्राज एक गलत सिनेमा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह पुराना सिनेमा है। यह सरासर धोखा धड़ी की जा रही है, वहां की जनता के साथ। मुख्य मन्त्रीजी उससे उत्तेजित हो गये ग्रौर सांसद महोदय उत्तेजित हो गये। उन्होंने यकायक यह षड़यन्त्र रचा ग्रौर उन लोगों को फंसाने के लिये उन्होंने वहां के डी. एस. पी रामगोपाल को हिदायत दी कि वह उन लोगों के खिलाफ में पुलिस थाने में एक एफ. ग्राई. ग्रार. लॉज करे। ग्रध्यक्ष महोदय, रामगोपाल डी. एस. पी. ने जो एफ. ग्राई. ग्रार. 309 की बनायी है।

(व्यवधान)

मैं ग्रापको उसका मुलाहिजा कराऊंगी।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं इतना लम्बा भाषण देने की इजाजत नहीं दूंगा। ग्राप चाहें तो दो तीन प्रश्न पूछ सकती हैं। विस्तार में जाना सम्भव नहीं होगा।

सुश्री पुष्पा जैन : हां, ग्रध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछ रही हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय, श्रीमान डी. एस. पी. साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन व्यक्तियों में से श्रीमान मुख्य मन्त्रीजी से बातचीत कर बाहर ज्ञापन देने भेजा गया ग्रौर बाकी को गेट पर ही रखा गया। इन व्यक्तियों ने श्रीमान् मुख्य मन्त्रीजी से बात चीत कर बाहर ग्राकर उनके साथ जो लड़के थे उनको उकसाया व तोड़ फोड़ करने व रास्ता रोकने के लिये कहा। इतने में श्रीमान् मुख्य मन्त्रीजी व उनकी पार्टी के सदस्य रेस्ट हाउस से रवाना होकर कारों में बाहर निकले तो वह लोग कार का रास्ता रोक कर बीच में बैठ गये जिन्हें पुलिस फोर्स की हमदाब से दूर हटाया गया। श्रीमान मुख्य मन्त्रीजी व उनकी पार्टी के सदस्य छवि सिनेमा गृह का उद्घाटन कर हवाई ग्रड्डे की तरफ साढ़े ग्राठ बजे सुबह

(सुश्री पुष्पा जैन)

जा रहे थे तो उन लोगों ने रास्ते में बड़ी लाइन के चुंगी से अगले फाटक के पास रंगमहल साइट में कारों व अन्य वाहनों पर नुकसान पहुंचाने व जान से मारने की गरज से पथराव एकदम शुरू कर दिया। पथराव करने में श्री गुरुशरण छावड़ी, बलराम वर्मा, सुगनपुरी, हनुमान जोशी, कई नाम हैं इसमें। इस प्रकार इन लोगों ने उन लोगों को जान से मारने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, डी. एस. पी. ने अगर झूठा केस बनाकर पेश किया है तो उस डी. एस. पी. ने अपनी ड्यूटी अन्जाम नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें। अपराध पर अनुसंधान हो रहा है। इसमें आप विस्तार में जायें तो उचित नहीं है। सिर्फ एक दो प्रश्न पूछ सकती हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे मन्त्री महोदय से यह सवाल पूछने दें कि दफा 307 में जान से मारने की नीयत से मुकदमा बनाया, यह साबित कहां हुआ है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो सभी बातें तथ्यों पर आधारित होती हैं। वह तो तथ्य आने पर पता चलेगा। अब मैं चर्चा समाप्त करता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि अगर उन डी. एस. पी. की जानकारी में यह था कि मुख्य मन्त्रीजी को जान से मारने की मंशा से यह मजमा बनाया जा रहा है तो मैं मन्त्रीजी से कहना चाहूंगी कि तुरन्त उनको मजमा बनाते समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वहां पर सैकड़ों पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी थे और राज्य सरकार के अधिकारी भी थे तो उनको हिदायत क्यों नहीं दी गई कि आपको जान से मारने का खतरा था, और उनको बीच में ही क्यों नहीं रोक लिया गया? उनको पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो हम समझते कि वास्तव में कोई जान से मारने का षड़यंत्र किया गया था। ऐसा नहीं हुआ, इससे पता चलता है कि अध्यक्ष महोदय, रामगोपाल को हिदायत करके 307 का केस बना कर जबर्दस्ती विभिन्न पार्टी के लोगों को परेशान किया गया।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्या। मन्त्रीजी उत्तर दें।

सुश्री पुष्पा जैन : उस डी. एस. पी. को पहले पता था तो उसने पहले गुरुशरण छावड़ा को गिरफ्तार नहीं किया तो डी. एस. पी. को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : उस डी.एस.पी. ने सही ड्यूटी अन्जाम क्यों नहीं दी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, चर्चा समाप्त हुई। साढ़े तीन बजे विधायी कार्य शुरू हो जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं । भाषण नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जान से मारने की बात ही नहीं है । उसको मार कर कौन पाप अपने सर मोल लेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । साढ़े तीन बजे विधायी कार्य शुरू होगा ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो ले लें । आखिर कुछ तो आप करने दें ।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : C.I.D. से इसकी जांच करायी जाये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । अंकित न हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

एक माननीय सदस्य : चोरी और सीना जोरी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । अंकित नहीं हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो । आर्डर । आर्डर आर्डर ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है ।

विधायी कार्य । आर्डर आर्डर ।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य । व्यर्थ में समय ले रहे हैं ।

श्री मेघराज तावड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री मेघराज तावड़ : XX

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। अव्यवस्था न फैलायें। मैंने इजाजत नहीं दी है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : हम सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु यहां पर बैठे हैं इसलिए उसी दृष्टि से मैं कार्य कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि नियमों के अनुसार कार्यवाही हो। यदि इस तरह से अव्यवस्था न फैलाते तो मैं आपसे कहता हूं जितने भी प्रस्ताव हैं उन पर वक्तव्य हो जाते। जहां भाषण नहीं होने चाहिए, जहां भाषणों के लिए प्रावधान नहीं है वहां लम्बे लम्बे भाषण किये जाते हैं। पाइंट आफ आर्डर न होते हुए भी पाइंट आफ आर्डर उठाए जाते हैं। जिस समय माननीय सदस्य का कोई विचारणीय विषय नहीं हो तो आपस में बातें करके अव्यवस्था फैलायें; यह कोई हाउस चलाने का ढंग नहीं है। अपन को शोभा नहीं देता। मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं यदि माननीय सदस्य सहयोग करते तो ये सभी प्रश्न मैं अब से आधा घंटा पूर्व ही निपटा देता और बहुत अच्छी चर्चा होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, चर्चा के लिए माननीय सदस्य इतने उत्सुक नहीं हैं जितना अपने मन की निकालने को।

सुश्री पुष्पा : सवाल ही पूछूंगी, मुझे सवाल पूछने दो....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : बिल्कुल सीधा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इन सवालों से समस्या का हल नहीं निकलेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : निकलेगा, अध्यक्ष महोदय....

सुश्री पुष्पा जैन : आप पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष : नियमों में कायदा यह है कि मंत्री महोदय हैं, किसी घटना, जिस में आसन की ओर से यह व्यवस्था दी जाए, के बारे में वह कोई वक्तव्य दें तो वह वक्तव्य दे देते हैं। उसके बाद आप जानते हैं नियमों में प्रावधान यह है कि वह विषय तत्काल समाप्त हो जाता है।

सुश्री पुष्पा जैन : आप मानते हैं कि 307 में मुकदमा बनता है? इन्होंने जो बयान दिया उससे 307 का मुकदमा बनता है।

श्री अध्यक्ष : लम्बा चौड़ा भाषण माननीय सदस्या ने....

(व्यवधान)

इसलिए अब समय समाप्त हो गया।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : पिन पाइंटेड क्वेश्चन है, रिलेवेन्ट प्रश्न है, मैं भाषण नहीं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने बयान में बताया कि विरोधी दलों के लोग श्री छाबड़ा के नेतृत्व में वहां मुख्य मंत्री से मिलने गए। आगे अपने बयान में मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ उपद्रवी लोग आकर मिले और उन्होंने गाड़ी पर पथराव किया। तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इससे मन्शा साफ हो रही है कि जब कुछ उपद्रवी लोगों ने उन पर पथराव किया, वे लोग अलग बता रहे है तो यह छाबड़ा और विरोधी दलों के मिलने का नया प्रसंग अपने वक्तव्य में क्यों लाए? इससे साफ जाहिर होता है, आप इस सारी घटना में विरोधी दलों को रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। गहराई में न जायं।

श्री यदुनाथ सिंह : सारी घटना विरोधी दलों....

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : हम दूसरी घटना से लिन्क नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मतलब क्या है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया, गलत वक्तव्य दिया। अध्यक्ष महोदय, बड़ा तरस आता है माननीय गोविन्द सिंह पर। जब भी गलत वक्तव्य दिलाया जाता है तो मुख्य मंत्री गायब हो जाते हैं। और इनसे गलत बयानी करवाते हैं। जब भी ऐसा मोका आता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य।

श्री मेघराज तावड़ : जब जोधपुर हाउस में यहां से आर.ए.सी भेजकर पिटवाया था। तो यहां मजदूरों और किसानों को पिटवाना कौनसी बड़ी बात है। आपने तो विधायक को पिटवाया है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री मेघराज तावड़। XXX

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह एक सुनियोजिक षड़यंत्र था हमारे मुख्य मंत्री पर पत्थर फेंकने का।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

विधायी कार्य।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : अरे आप बाडी-गार्ड बन कर रहा करो।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री नाथू सिंह : मेरा पिन-पाइंटेड क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं। वह प्रसंग ही समाप्त कर दिया। विधायी कार्य ले रहा हूं।

श्री नाथू सिंह : पाइंटेड क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था इस तरह से बदल नहीं सकते। सभी कार्यों को छोड़कर सम्पादित कर दें। अब विधायी कार्य।

श्री नाथू सिंह : 307 का मुकदमा दायर करने के लिए कहा है....

(व्यवधान)

उनके घर पर कान्सप्रेसी हुई। यदि कान्सप्रेसी की सूचना पहले थी तो....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में ही समय ले रहे हैं। इस तरह आप कार्यवाही थोप नहीं सकते।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

सुश्री पुष्पा जैन : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। बैठ जायं। विधायी कार्य ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : मुख्य मंत्री तीसरे नम्बर पर चल रहे थे। हेवी स्टोन पैल्टिंग किया था, सड़क भर गई थी ईंट से, कई आदमियों के खून गिर रहा था, वहां पर....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बैठ जायं।

श्री यदुनाथ सिंह : उदयपुर में पुलिस ने खून किया। भरतपुर में आपकी पुलिस ने लोगों का खून बहाया वहां एक्शन क्यों नहीं लिया आपने ?

(व्यवधान)

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य ।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकरण की जांच कराने के लिए सदन के दोनों तरफ के सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाय जो इस प्रकरण की जांच करे ।

श्री परसराम मदेरणा : कोई चर्चा सदन में नहीं हो सकती, क्या आफेंस बनता है या नहीं बनता है । जिस कान्सप्रेंसी की बात कर रहे हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : उनको बुरी तरह से यातनायें दीं उनको डण्डा मारा, उनको मुर्गा बनाया गया ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी बैठ जायं ।

राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक 1968 ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मेरा भी एक प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : सब हो जाएगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या हो जायेगा हम बोलेंगे, आप कर लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : अभी कर देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर लीजिए ।

(व्यवधान)

विधायी कार्य

पुर:स्थापित किया गया विधेयक

राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1986 को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर: स्थापित करता हूं ।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

शासकीय वक्तव्य के बाद स्पष्टीकारक प्रश्न पूछने का अधिकार

श्री अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या स्टेटमेंट है ? वह आप नहीं दिलवा सकते ? सुबह से लेकर आपने यह रुख अपनाया । कोई बात रिकार्ड नहीं होने देते । और दिनों 9–9 बजे असेम्बली चलती रही है । यह 8 बजे तक बिल पास हो जाते । न किसी को बोलने देते है न किसी को क्वेश्चन करने देते, ऐसा लगता है । यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सच्चाई कैसे नहीं है ? अब तक सरकार से लड़ते थे, अब आप लड़ाई कर रहे है । इस तरह से कितने दिनों तक सरकार को बचायेंगे, मेरी समझ में नहीं आता ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न सरकार का नहीं, हाउस को चलाने का है ।

(व्यवधान)

आपने हंगामा किया है हाउस में ...

एक माननीय सदस्य : आप खुद अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं । मंत्री महोदय चाहते है, सदन में कोई अपनी बात कह नहीं सके ।

श्री नाथूसिंह : आपको भागने का निर्देश मिला है ।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन स्थगित किया जाय....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : मुझे पता है । अंकित न हो ।

श्री देवी सिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । नियमों को आप भी, माननीय सदस्य, जानते हैं । इस तरह की अव्यवस्था से जैसे आप चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चला सकते हैं ।
अंकित न हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No 154

(154)

एक माननीय सदस्य : हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, वक्तव्य दिलायें, उसमें क्या आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य तो मैं दिलाऊंगा तब देंगे ना।

एक माननीय सदस्य : आपसे ही निवेदन है, जब वह वक्तव्य देने को तैयार हैं तो आप वक्तव्य दिला दें।

श्री नार्रसिंह : जब आपने एक बार उस वक्तव्य को अलाट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : दिलाने के लिये परिस्थितियां चाहिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उस के लिये समय निश्चित है। आप 3–4 बजे तक जीरो आवर नहीं चला सकते। आप सदन को क्यों नहीं चलाने देना चाहते।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप भी तो सीमा में रहो पहले।

श्री परस राम मदेरणा : जीरो अवर चल रहा है। और पौने चार बजे हैं।

एक माननीय सदस्य : जीरो अवर हमारी मर्जी हो तब तक चला सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप नहीं चलाना चाहते। आप के चैम्बर में जो पर्ची भेजी उस पर्ची को निकाला जाय। आप खुद पर्चियां भेज रहे हैं कि हाउस को स्थगित कर दिया जाय। परस राम जी ने पर्ची भेजी और आपने....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा इस तरह से। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ××X

श्री परस राम मदेरणा : किस पर्ची की बात कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने स्लिप भेजी कि सारा कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया जाय और सदन को स्थगित कर दिया जाय। मैं कह रहा हूं इस बात को।

श्री परस राम मदेरणा : मैंने नहीं भेजी है। मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी है।

(व्यवधान)

न मैंने चिट्ठी भेजी है, न किसी ने। आरोप लगाया था निराधार, उसका जवाब

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

भेजा है। मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया मुख्य मंत्री जी ने।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। मैंने जो व्यवस्था दी है उसमें परिवर्तन करने की इजाजत नहीं दूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अव्यवस्था है इसलिये मैं सदन की कार्यवाही आधा घण्टा तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 3.44 बजे से 4.14 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक पुनः म. प. 4.15 बजे आरम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सदन की बैठक अल्पकाल के लिए स्थगित हुई उससे पहले मैंने यह व्यवस्था दे दी थी कि विधायी कार्य हाथ में लिया जायेगा और सभी वक्तव्य आदि जो शेष बच गये थे वह समाप्त हुए समझे जायेंगे।

अब मैं यह व्यवस्था देता हूं कि पहले विधायी कार्य लिया जायेगा और उसके पश्चात् एक वक्तव्य माननीय श्री चन्द्रवीर सिंह जी का है, उसको लिया जायेगा।

जब विधायी कार्य प्रारम्भ किया था, उस समय सदन में काफी अव्यवस्था थी इस लिए मैं जो राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव आया था, उसको मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं। प्रभारी मन्त्री जी विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : आपकी आज्ञा है ?

श्री अध्यक्ष : हां।

पुरः स्थापित किया गया विधेयक

राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर : स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

घोषणा

विधेयकों पर विचार करने के लिये समय का नियतन

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : कार्य सूची के अनुसार आज दो विधेयक पारित करने हैं। चूंकि समय का अभाव है इसलिए प्रत्येक के पारण हेतु मैं समय निश्चित करता हूं। राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 के लिए एक घण्टे का समय है। इसी तरह से राजस्थान पास बुक कृषि जोत अध्यादेश, 1983 के सम्बन्ध में भी एक घण्टे का समय निश्चित करता हूं। राजस्थान उपनिवेदन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों की सूची काफी लम्बी है यानि 9 माननीय सदस्यों ने इस तरह का संकल्प प्रस्तुत किया है। माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री नाथू सिंह, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन, श्री महावीर प्रसाद, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री दाऊ दयाल जोशी, श्री हीरा लाल आर्य। अब जो माननीय सदस्य इस संकल्प पर बोलना चाहें वह अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(अनुपस्थित)

व्यवस्था का प्रश्न

विरोधी दल को अपने विचार रखने का अवसर

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आप पास करवा दीजिए। आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और आप की मंशा भी पूरी हो जाएगी। पास करवा दो। हम तो विरोधी दल में हैं और आप बहुमत को समर्थन दे रहे हैं। इसलिये आप जो चाहें सो कर दीजिए। हम चुपचाप बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : जब चर्चा समाप्त हो जाएगी उसके बाद बहुमत के समर्थन का प्रश्न आएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा करने से फायदा क्या है। आप पास करवा दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। पास तो यों ही करना ही है। बोलेंगे तो आप कहेंगे, अंकित नहीं हो। तो बोलेंगे काहे के लिए।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं स्वेच्छा से नियमों का उल्लंघन कर के....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं भी उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। मुझे भी दुःख है कि आज सुबह से, आप देख लें प्रोसीडिंग्स, आपके भाषण ज्यादा हुए हैं। हमारे कम हुए हैं। आप देख लें।

श्री अध्यक्ष : जब अलग अलग दलों के नेता आए थे, मैं यह शिकायत कर रहा था कि मुझे इसमें ज्यादा वादविवाद में और चर्चा में हिस्सा लेना पड़ रहा है क्योंकि माननीय सदस्य नियम....

श्री भेरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सबसे बढ़िया वह होता है जो कम बोलता है। यहां स्पीकर सबसे ज्यादा बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मजबूर करो तो क्या करें।

श्री भेरोंसिंह शेखावत : ऐसी बात नहीं है। हम भी कोई गलत ट्रेडीशन हाउस में नहीं डालना चाहते। इतना जरूर है कि जो हमारी बात है न सुनने दें वह ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि सुबह से चाहे कोई मैम्बर रेलेवेंट भी बात कहे, वह अंकित नहीं होगी। हम काहे के लिए बैठे हैं अंकित नहीं होगी तो। हाउस तो कण्ट्रोल सब जगह होता है। रूल्स में कहां पावर्स दिए हैं अध्यक्ष महोदय को बार बार अंकित नहीं करने देने के आप मुझे कोई रूल कोट कर के बता दीजिए। आप वर्ड एक्सपंज करा सकते हैं यदि पार्लियामेंट्री शब्द नहीं है तो। हर जगह अंकित नहीं होगा, हर जगह अंकित नहीं होगा तो, अध्यक्ष महोदय, फिर बोलें भी और अंकित भी नहीं हो और आप भी नाराज हों, ये तीन बातों की आफत क्यों लें। इसलिए तय किया कि आप पास करवा दीजिए। खतम हुआ।

प्रक्रिया

मंत्री, विधायक एवं
किसी व्यक्ति के विरुद्ध
आरोप के बारे में प्रक्रिया

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : श्रीमान, आप भी कमी कोई नहीं रखते हैं। आप भी हमारे खिलाफ कोई नोटिस दिए बगैर ही चार्जेज लगा देते हैं। फिर अपने आप एक्सपंज कराना पड़ता है। आपको रूल्स के हिसाब से हमको नोटिस देना चाहिए।

श्री भेरोंसिंह शेखावत : आपने रूल्स देखे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां।

श्री भेरोंसिंह शेखावत : आप मुझे रूल देख कर बता दीजिए कि किस रूल्स के अनुसार नोटिस देकर चार्ज लगाना जरूरी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां।

श्री भेरोंसिंह शेखावत : बताइये रूल।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप उसी वक्त चार्ज नहीं लगा सकते।

श्री भेरोंसिंह शेखावत : कोई रूल नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिल्कुल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता दीजिए कोई रूल हो तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छा अभी बताते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताइये, कौन सा रूल है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बताते हैं। यह कोई क्रोस क्वेश्चन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई रूल ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो मर्जी आए वह चार्जेज लगाते रहो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई रूल ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रूल कैसे नहीं है। रूल है, बिल्कुल है। अबरप्टली आप चार्ज नहीं लगा सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रूल पढ़ कर सुना दीजिए, कौन सा रूल है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय विरोधी दल के नेता ने अपनी सारी रेस्पांसिबिलिटी अध्यक्ष पर पास ओन कर दी।

श्री यदुनाथसिंह : इनको जरूर मंत्री बना देना, माथुर साहब।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बात सुन लीजिए। नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं या कोआपरेशन चेयर के साथ में? वह करना नहीं चाहते और रेस्पांसिबिलिटी अध्यक्ष महोदय को ट्रांसफर कर दी। यह बड़ा गैर वाजिब है, चेयर को इस तरह से कहना। यह खुद व खुद इरेस्पोंसिबल है। माननीय सदस्यों को और खास तौर से विरोधी दल के नेता को यह काम नहीं करना चाहिए था। यह वक्तव्य नहीं देना चाहिए था।

(विराम)

श्री परसराम मदेरणा : रूल 276 है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पढ़ लिया।

श्री परसराम मदेरणा : आपने वह पढ़ लिया, अभी आप मिनिस्टर फोर पालियामेंट्री अफेयर से पूछ रहे थे कि वह रूल कौन सा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सा रूल है, बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : रूल 276। दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रूल पढ़ा दीजिए। हाउस को यह पता लग जाएगा कि रूल क्या है, बता दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : यह रूल पढ़ लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ कर सुना दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : "237. Procedure regarding allegation against a person. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make investigation, into the matter tor the purpose of a reply:"

आप यहां पर जो है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : For your information. I can say that a 'person' does not mean member of the House.

श्री परसराम मदेरणा : आप यहां पर इन परसन खड़े हो कर के इस सदन के माननीय सदस्यों के खिलाफ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 'Person' does not mean member of the House.

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्री के विरुद्ध या अन्य व्यक्ति के खिलाफ यहां पर जो आरोप लगाते हैं तो आपको 276 की अनुपालना करनी चाहिए। मैं यह निश्चित तौर पर कहूंगा, क्योंकि परसों, मुझे याद है, विधि मंत्री जी के खिलाफ यहां आरोप लगा था जिस की कोई पूर्व इन्टीमेशन नहीं थी कि उन्होंने अपनी पुत्री को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया है। मुझे उसके के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उस वक्त मैंने यह बात कही कि भारत के प्रधान मंत्री जी के पुत्र उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। आज जब उनको किसी ने यह बताया तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री है ही नहीं तो मैंने कहा कि आप स्पष्टीकरण दीजिए। वह स्पष्टीकरण दे रहे थे तो मैंने वह चिठ लेकर दे दी अध्यक्ष महोदय को टेबल पर इनकी तरफ से। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य मेरे पर आरोप लगाने लग गये कि आपने लिख कर के, परसराम मदेरणा ने अध्यक्ष महोदय को कुछ लिख कर दिया है इसलिए अध्यक्ष महोदय यह कार्यवाही कर रहे हैं। वह तो स्पष्टीकरण के लिए दिया, मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी है। अब लिखता कोई है और आप आसन के ऊपर इस सदन में यों ही एस्पर्शन्स कास्ट कर देंगे

(श्री परसराम मदेरणा)

कि अध्यक्ष किसी की चिट से गाइड होते हैं। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन करने के अन्दर और इम्पार्शियल और जस्ट रहने में आप जो इस प्रकार का एस्पर्शन कास्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि कभी भी अध्यक्ष महोदय के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाया नहीं गये हैं और लगाने भी नहीं चाहिए। आप यह अंकित नहीं करने की बात कह रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय के खिलाफ नहीं लगाये गये। आपने स्लिप लिख कर भेजी थी उस स्लिप के लिख कर देने के बाद....

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात कह रहे हैं। एक दफा नहीं अनेकों बार इस हाउस के अन्दर जब व्यवस्था ठीक तरह से नहीं रही है तो इस सदन को सुचारु रूप से व्यवस्थित चलाने की जिम्मेदारी....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय पर रही है। और अध्यक्ष महोदय इस तरह से दबाए गए और किसी तरह की रुकावट पैदा होती है ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्यों बैठ जाऊं। नहीं बैठता। आप मुझे नहीं बिठा सकते।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने दूसरों पर आरोप लगाने और इस विषय में बातचीत की है। मैं रूल 272 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 272 है :

"**Rules to be observed while speaking**--A member, while speaking, shall not--

(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;

(ii) make a personal charge against a member "

यह साफ लिखा हुआ है कि पर्सनल चार्जेज इस सदन में नहीं लगाए जा सकते। और, अध्यक्ष महोदय, आज तो जब से मैं इस विधान सभा के सदन में हाजिर हुआ तब से बार बार इधर मोहन मोदीजी पर, प्रद्युम्नसिंहजी पर, न मालूम किस किस पर, परसरामजी पर भी कि आपने चिट भेजी और पीठासीन अधिकारी को प्रभावित कर दिया, इस तरीके से अगर बिना बात के

(श्री चन्दनमल बैद)

हर आदमी पर चार्ज लगाने लग जायें तब तो किसी पर भी चार्ज लगाया जा सकता है। आप फलानी कम्पनी के बेनामी हिस्सेदार हैं। अब कैसे तो कोई प्रूव करे कि मैं बेनामी नहीं हूं या कैसे प्रूव करे कि बेनामी हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम कर देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आप प्रूव कीजिए ना। आप प्रूव करने की बात कह रहे हैं तो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे पर चार्ज लगाया था। मैंने उनको चेलेंज किया था कि आप चार्ज साबित कर दीजिए मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आज भी फिर कहता हूं कि वह चार्ज साबित कर दें और मेरा इस्तीफा ले लें। डरते क्यों हैं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कराओ इंक्वायरी, साफ हो जाएगा। आप तारानगर गए और तारानगर जाकर आपने सारा प्रभावित दिया था।

श्री बालचन्द आर्यवीर : इस्तीफा लिख कर तो दो। अरे हिम्मत हो तो इस्तीफा लिख कर दो।....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : आप की जुबान का क्या भरोसा। एक एक मिनट में बदलते हो। आपकी जुबान का क्या भरोसा।

श्री बालचन्द आर्यवीर : लिख कर दो हिम्मत है तो। जुबान का क्या भरोसा।

श्री चन्दनमल बैद : किस की बात का भरोसा है और किस की बात का भरोसा नहीं है, यह तो सारा सदन जानता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे पर चार्ज लगाया, कम से कम चार्ज लगाना नहीं चाहिये था। अगर चार्ज लगाते तो माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचित करना चाहिये था, मुझे भी कहना चाहिये था मैं चार्ज लगा रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बैठे थे आपके सामने लगाया....

(व्यवधान)

और उससे गलत काम करवाये, आपने !

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री तेजसिंह राठौड़ : भरोसा तो जनता का चाहिये, भरोसा है तब तो हम इधर और आप उधर बैठे हो।

श्री पीरू राम (टी बी) : अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा संविधान बनाने की सभा है, यहां लोग चुन कर आते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं। बाहर से आये हमारे वोटर और साथी देखते हैं तो इससे पब्लिक पर क्या असर पड़ता है। कोई भी बात मंत्री कहें या कोई माननीय सदस्य कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। शोर-शराबा, रोला गुल्ला से क्या फायदा है, इससे टाइम खराब होता है। आपको भी इसमें दिलचस्पी ले कर के ध्यान से बात सुननी चाहिये, ध्यान से कहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी दो प्रश्न सदन के सामने आये हैं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा अध्ययन करके यदि सदा के लिये व्यवस्था हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। मैं पहला रूल कोट करना चाहूंगा, 273 जो माननीय परसराम मदेरणा साहब ने रखा, वह है: "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned, so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply :"

अध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों को प्रोटेक्शन मिला है जो हाउस में स्वयं अपने आपको....

श्री अध्यक्ष : हाउस वाला इसमें कहां है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आगे बताता हूं। जो उन्होंने कहा, मैं दोनों बातें बताता हूं। जो हाउस में इस प्रकार के एलीगेशन्स लगाये जायें और उस व्यक्ति के खिलाफ लगाये जायें जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को हाउस में खड़ा होकर डिफेंड नहीं कर सकता है ...

(व्यवधान)

आप सुनिये, देवेन्द्रसिंह जी, यह कानून की, थोड़ी सी रूल्स की बात है,

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। आप चाहे विरोधी दल के नेता रहे हों, पढ़ा-लिखा मैं आपसे ज्यादा हूं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानता हूं आप मेरे से....

श्री देवेन्द्र सिंह : यह कानून तो बोलते ज्यादा हैं समझते कम हैं। सुनने में बहुत फर्क है !

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य !

श्री देवेन्द्र सिंह : आप चाहे 25 साल रहे हो, आप इतना मुझे दिखाओ मत।

एक माननीय सदस्य : आप पढ़े-लिखे गंवार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानता हूं, देवेन्द्रसिंह जी मेरे से ज्यादा पढ़े-लिखे हो, और ...

एक माननीय सदस्य : पढ़े लिखे अंजान हो जाए तो, पढ़े-लिखे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसमें कोई विवाद नहीं करता कि मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से ज्यादा गुणवान हो, मेरे से ज्यादा होशियार हो ...

श्री देवेन्द्रसिंह : नहीं, होशियार वोशियार नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये ढाई साल में आपने अपना कैरियर बना लिया।

श्री देवेन्द्रसिंह : कानून क्या समझा रहे हैं आप !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह है...

श्री देवेन्द्रसिंह : बाद में डिग्री ली है, आपने।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष होदय, अब आप जरा इसे गम्भीरता से देखिये। "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person." और फिर आगे कहा है दो आदमियों को नोटिस देना पड़ेगा "and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply." आज कोई मैम्बर पर आरोप होगा तो उसका मिनिस्टर इन्वेस्टीगेशन नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी ... सुन लीजिये, आप व्यवस्था बाद में दे दीजिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आप अध्यक्ष महोदय को कानून समझा रहे हो। आप सोचिये जरा, सूरज को चिराग दिखा रहे हो। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी है कि आपको पढ़ा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो, मैं समझता हूं, डाक्टर साहब का नम्बर निश्चित रूप से आयेगा, इस प्रकार की वह स्थिति बना रहे हैं ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : बस, यही तो आपकी विषयान्तर होने, किसी बात को दूसरे रूप में कहने की आदत है। कानून आप रहने दीजिये, हम बहुत समझ गये, सब समझ गये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से डाक्टर हरिसिंह जी को कि यह किताब आपके पास में भी है, आप विद्वान भी है, आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे डाक्टर भी हैं, जो कहना चाहें सो कह दें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

यहां परसराम जी ने अभी मामला रखा, चन्दनमल जी ने रखा, मैं तो केवल उस बात का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । शांत रहें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब अगर वह आप नहीं सुनना चाहें, वही अगर कोई क्वालिफिकेशन होती हो आगे किसी तरह से नाम लिखवाने की तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, आप मुझे खूब डिस्टर्ब करिये ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : आपकी तो आदत है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी आदत से डाक्टर साहब परिचित हैं और डाक्टर साहब की आदत से मैं परिचित हूं । मैं इतना ही बता दूं, डाक्टर साहब····

श्री चन्दनमल बैद : और दोनों की आदत से सारा सदन परिचित है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये । डाक्टर साहब, ऐसा नहीं है ।

मैं एक निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जरा इसको गम्भीरता से देखें इसका मतलब है "unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned." मिनिस्टर कन्सर्न का मतलब, मान लीजिये, मैं पर्सनल एलीगेशन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लगा रहा हूं तो who will be the Minister concerned ?

एक माननीय सदस्य : Chief Minister.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं यह नहीं है, Chief Minister will not be the Minister concerned. Chief Minister is here to defend the person who is not accountable to the House, who is not allowed to speak in the House.

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ मिनिस्टर तो उसके लिये या मिनिस्टर के लिये बोलेगा । इसलिये पहला रूल 273 है वह इस पर लागू नहीं होता है कि आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा.

अब दूसरा, चन्दन मल जी ने अभी रखा है, अध्यक्ष महोदय, 272 "A member, while speaking, shall not make a personal eharge against a Member."

अब आपको इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पर्सनल चार्ज क्या है। मेरी सुनिये आप....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात सुनिये आप, पर्सनल चार्ज क्या है ? यह आज 20 मिनिस्टर बैठे हैं, मिनिस्टर का काम यदि पर्सनल हो गया तो वह मिनिस्टर नहीं है । मिनिस्टर का आफिसियल वर्क है वह पर्सनल वर्क नहीं है । आपको इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा । आज किसी मैम्बर, सदन का मैंबर जो मन्त्री नहीं है, के खिलाफ यदि मैं चार्ज लगाऊं तो आप मुझे रोक सकते हैं । लेकिन मिनिस्टर की यदि मैं आफिसियल ड्यूटी को चैलेंज करूं या कन्डेम करता हूं, और गलती से या सही मंत्री का नाम ले लेता हूं तो वह पर्सनल चार्ज मिनिस्टर के ऊपर नहीं है, वह उसकी आफिसियल ड्यूटी के अगेंस्ट उस पर एलीगेशन है । उसको आप पर्सनल चार्ज नहीं कह सकते है ।

अब रहा, अध्यक्ष महोदय, चन्दन मल जी पर्सनल सरदारशहर नहीं गये । यदि कहूं कि पर्सनली गये तो वे नहीं कहेंगे । ये आफिसियली गये, अब मेरा वर्णन गलत हो सकता है, आपका वर्णन सही हो सकता है, मेरी इन्फार्मेशन गलत हो सकती है, आपकी इन्फार्मेशन सही हो सकती है । लेकिन आप पर्सनल कैपेसिटी में नहीं गये । आप सरदार शहर आफिसियल कैपेसिटी में गये । आज कोई भी मिनिस्टर यदि आफिसियल कैपेसिटी में कोई आर्डर देता है तो पर्सनल चार्ज कैसे हो गया ? आज, अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर न मालूम कितने आदेश देते हैं, दिन में कितने आर्डर इश्यू होते हैं चीफ मिनिस्टर के नाम पर, यदि उसमें मैं यह कहूं कि शिव चरण माथुर ने इस प्रकार,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का आदेश दे दिया तो यह पर्सनल चार्ज कैसे होगा ? आफिसियल ड्यूटी में और पर्सनल चार्ज में फर्क है। "Personal charge" only safeguards the rights of the Member and not of the Ministers. इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस भ्रांति में माननीय सदस्य नहीं रहें कि हाउस में फण्डामेंटल प्रिंसीपल हैं कि हाउस का हर मैम्बर इस हाउस में उपस्थित रहने के लिये अपेक्षित है, हाउस के मैम्बर को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं चन्दन मल जी को नोटिस देऊं कि साहब आप हाउस के अन्दर प्रजेन्ट रहिये। यह कौनसा रूल है ? कोई रूल नहीं है। यह भ्रांति है जबर्दस्ती की कि पर्सनल चार्ज लगायेंगे तो इन्टीमेट करना पड़ेगा। इन रूल्स में तो इन्टीमेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, आफिसियल कैपेसिटी में कोई काम करेंगे उसमें चार्ज लगाने की आवश्यकता है, मिनिस्टर डिफेंड कर सकता है। मैम्बर के खिलाफ यदि कोई पर्सनल चार्ज लगाया जाये, तो मैम्बर को प्रोटेक्शन देने के लिये इस प्रकार का प्रोविजन रखा गया है। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 273 का इन्टरप्रिटेशन जो विपक्ष के माननीय नेता ने किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक आपकी रूलिंग है। परसराम जी, एक मिनट। यह रूलिंग भी आपको बता देना चाहता हूं

"सदन में वाद विवाद के समय मंत्री या सदस्य, जो सदन में उपस्थित हो, पर आरोप लगाने के पूर्व श्री अध्यक्ष को नियम 273 के अन्दर पूरी सूचना देना आवश्यक नहीं है।" यह इस सदन की व्यवस्था बतायी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 273 में नहीं 272 में है।

श्री सूर्यकुमार (नेनवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सदन की व्यवस्था की ओर आपकी अनुमति से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन में व्यवस्था दी है आसन ने 27.2.1966 को. "व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से पूर्व तत्संबंधी सूचना भी श्री अध्यक्ष व संबंधित सदस्य को दी जाये। मंत्री मण्डल के प्रति....

श्री यदुनाथ सिंह : सदस्य को है मंत्री को नहीं है।

श्री सूर्यकुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय यदुनाथ सिंह जी की भ्रांति दूर कर देना चाहता हूं। माननीय यदुनाथ जी ही इस सदन में बोलना नहीं जानते हैं। जितने भी सदस्य यहां निर्वाचित होकर आये हैं वह भी बोलना जानते हैं इसलिये जब

(श्री सूर्यकुमार)

कभी कोई सदस्य बोले तो, माननीय सदस्यों को उसकी बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिये।

"मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने श्री राम प्रसाद लड्ढ़ा, सिंचाई मंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाये तो श्री अध्यक्ष ने कहा–"माननीय सदस्य इस प्रकार की व्यक्तिगत घटनाओं के संबंध में बोलें तो मुझे या माननीय सदस्य को जिन पर कि व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, उनको नोटिस दे दें। व्यक्तिगत आक्षेपों के बारे में लिखित, में पूर्व सूचना देनी चाहिये। व्यक्तिगत आक्षेप लगाने हों तो पहले लिखकर सूचना दें, मुझे या जिससे संबंधित हो, ताकि जानकारी करके सदन में तथ्य रखे जा सकें।" मेरे ख्याल से यह आसन की रूलिंग सारी भ्रान्ति को दूर कर देती है। और माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो दलील पेश की है वह अपने में असत्य हो जाती हैं।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोसीज़र एंड कंडक्ट आफ बिजनेस के रूल 276 का इंटरप्रिटेशन माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि वे इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहते हैं, इसलिये मेरा इन्टरप्रिटेशन इस प्रकार है। नहीं तो इसका मतलब यह है कि मुझे बोलने ही नहीं देंगे आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नहीं, नहीं। आप तो बोलिये लेकिन आप बोलें उसके पहले....

श्री परसराम मदेरणा: और बोलने के लिये उन्होंने यहां पर जो मिनिस्टर की परिभाषा दी है। मिनिस्टर की परिभाषा हिन्दुस्तान के संविधान के आर्टिकल 164 के अन्तर्गत दी हुई है। और पूरी की पूरी कौंसिल इस प्रबुद्ध सदन के प्रति उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर की कोई पर्सनल केपेसिटी नहीं होती है। इसलिये मिनिस्टर जो सदन की कार्यवाही 11 बजे होती है और पांच बजे समाप्त होने तक जो समय इन नियमों में रखा गया है तब तक वह कोर्ट में खड़ा रहेगा, किसी वक्त भी उसका इंपीचमेंट किया जा सकता है। लेकिन उनको यह जानना चाहिये कि यहां पर मंत्री वही रह सकता है जो इस सदन का सदस्य है। यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर भीतर उसको कहीं से चुन कर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसलिये पर्सनल कैपेसिटी वाली बात ये कह रहे है, पर्सनल का मतलब मिनिस्टर नहीं है, पर्सनल का मतलब विधान सभा के सदस्य से नहीं है। यह इन्टरप्रिटेशन बहुत नेरो है और यह बहुत मिसकंसीव्ड है। मंत्री को इसके लिये इंटीमेशन नहीं हो तो मंत्री को क्या सूचना दी जायेगी। मंत्री का नाम तो इसलिये लिखा गया है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वह इस संबंध में जांच, इन्वेस्टीगेशन करके सदन को जानकारी दे चाहे वह मिनिस्टर के संबंध में या विधान सभा के सदस्य के संबंध में या जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसके संबंध में हो। उसके लिये अध्यक्ष

(श्री परसराम मदेरणा)

महोदय, एक प्रोवीजो लिखा हुआ है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि अध्यक्ष को इंटीमेशन तो देनी ही होगी। उसके बाद में अगर डेरोगेटरी या इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दे रहा है जो पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं है तो अध्यक्ष उसको रोकेंगे। अध्यक्ष कैसे रोकेंगे? आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष कम से कम बोले वही सबसे अच्छा अध्यक्ष होगा। उसको बोलना ही नहीं चाहिये, वह प्रोहिबिट ही नहीं करे और आप अप्रासंगिक बोलते जायं, इरेलेवेन्ट बात भी कहते जायं, समय का ध्यान भी नहीं रखें। आज हम चर्चा करते हैं लोकसभा की और राज्य सभा की, पालियामेन्ट के दोनों हाउस की वहां पर एक एक दिन लिया जायेगा बिजनेस का समय निर्धारित है कि एक बजे से पौने दो बजे तक यह बिल लिया जायेगा। पौने दो से सवा तीन बजे तक उस पर चर्चा होगी, सवा तीन से चार बजे तक यह बिजनेस, बिल आयेगा और बराबर रोज बिजनेस चलता है। अगर 540 के हाउस में अध्यक्ष व्यवस्था नहीं रखें और अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं हो तो इसका मतलब यही है कि अध्यक्ष तो वहां पर बैठा रहे और हाउस में नियमों का पालन नहीं हो। नियमों का पालन नहीं हो तो सदन के सम्मुख जो निर्धारित समय की कार्यसूची है वह पूर्ण नहीं की जा सकती। इसलिये मेरा इंटरप्रिटेशन यह है कि किसी भी पर्सन, चाहे वह मिनिस्टर हो, चाहे सदन का सदस्य हो और चाहे वह बाहर का व्यक्ति हो, पर कोई भी आप आरोप लगाते हैं तो पूर्व में अध्यक्ष महोदय को आपको सूचना देनी चाहिये और संबंधित मंत्री को भी सूचना देनी चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपके आसन की व्यवस्था है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। आर्टिकल 164, 31-3-71....

श्री अध्यक्ष : हमारे टाइम की कोई बताओ आप तो।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत मौलिक है, बहुत महत्व-पूर्ण है इसीलिये मैं बीच में कुछ अपनी संगति है उसको व्यक्त करना चाहता हूं। यह निश्चित बात है कि इस संबध में जो संबंधित नियम है वह 272 (2) (बी) और 273 है। दोनों पढ़ने पर यह क्लियर हो जाता है कि कहां तक तो मैम्बर फलोर पर, आन दी स्पर आफ दी मोमेन्ट कोई एलीगेशन लगा सकते है और कहां नहीं लगा सकते। इसमें 272 (2) (बी), जिसका श्री चन्दनमल जी बैद ने हवाला दिया, में है : make a personal charge against member। पर्सनल चार्ज का हवाला दिया लेकिन जहां फक्शनिंग आफ ए मिनिस्टर आता है। मिनिस्टर के फंक्शस को क्रिटिसाइज करना, उस पर कमेन्ट करना, उसका असेसमेन्ट करना यह मैम्बर का काम है, हाउस का काम है। इसमें अगर कोई इन दी डिस्चार्जिग आफ हिज फंक्शंस कोई गलती करता है, पक्षपात करता है। 'कोई भ्रष्टाचार होता है उसके ऊपर कोई पाबन्दी है?

(श्री राजबहादुर)

ऐसा इस 272 (2) का मतलब नहीं हो सकता वरना फंक्शन ग्राफ दी हाउस ग्रौर फंक्शन ग्राफ दी मिनिस्टर कोई कर ही नहीं सकता। तो पर्सनल पर लाइन ग्राफ डिस्क्रिमिनिशन ड्रा करनी पड़ेगी। कहां कहां? जहां एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल चार्ज है ग्रौर जहां फंक्शन एज ए मिनिस्टर है,उसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रोमीशन ग्रौर कमीशन ऐसे किये है जिन पर ग्रालोचना की जा सकती है। ग्रब बात ग्रा गई इसलिये कह रहा हूं कि हमारे योग्य मित्र श्री सिंघी साहब की पुत्री है वह उनकी प्राइवेट सैक्रेटरी है। कहा होगा किसी ने, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं। ग्रब मालूम पड़ा तो यह बात गलत है लेकिन एज ए मिनिस्टर उन्होंने पर्सनल सैक्रेटरी रखा था तो वह पर्सनल चार्ज की डेफिनेशन में नहीं ग्रायेगा। वह मिनिस्टर के फंक्शन की डेफिनेशन में ग्रायेगा। इसी प्रकार माइन्स का मामला चल रहा था उसमें फंक्शन एज ए मिनिस्टर की बात ग्राई कि कैसे फंक्शनिंग मिनिस्टर ने किया, क्या पक्षपात किया, क्या निष्पक्षता की। तो पर्सनल चार्ज वह होगा जहां उनको पर्सनल लाइफ के कण्डक्ट की बात ग्राती हो, वह नहीं कह सकते। कोई हाउस के बाहर की चीज उठती है एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीयल फंक्शंस जहां उनका कण्डक्ट ग्राता है वहां की बात तो विना उनके नोटिस के नहीं हो सकती....

श्री चन्दनमल बैद : फिर पर्सनल चार्ज का उदाहरण तो बता दीजिये, कौन सा पर्सनल चार्ज होगा?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जब बिल को पाइलेट कर रहे थे तो उनके खिलाफ चार्ज यह लगाया था कि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन इन्कर कर दी है। डिस्क्वालिफिकेशन मिनिस्टर की नहीं की है। डिस्क्वालिफिकेशन सदस्य रहने की कर दी है इसलिये वह रह नहीं सकते यह चार्ज था उनके खिलाफ। तो जब कोई सदस्य नहीं रहेगा फिर बिल को पाइलट कैसे करेगा, यह था चार्ज।

श्री राज बहादुर : वह चीज ग्रलग थी।

श्री परसराम मदेरणा : इनका ग्रलग या फिर ग्राप उसको लीजिये। मिनिस्टर को डिस्क्वालिफाई कर रहे थे।

श्री राज बहादुर : मैं नहीं कर रहा था खाली ग्राप करोगे।

श्री हरिसिंह : फंक्शनिंग में यह नहीं ग्राता, पर्सनल कंडक्ट हुग्रा, भ्रष्टाचार हुग्रा, यह नहीं कण्डक्ट में ग्राता....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको ग्रपनी बात कहने दीजिये।

श्री राज बहादुर : अभी चन्दनमलजी ने पूछा कि पर्सनल चार्ज किसे कहते है। पर्सनल चार्ज वह हो सकता है जो आप मिनिस्टर की हैसियत से नहीं कर रहे बल्कि मान लीजिये कि प्राइवेट कैपेसिटी में आपने कोई दुराचार किया this is a personal charge। यह पर्सनल चार्ज है–

श्री चन्दनमल बैद : बतौर विरोधी दल के नेता के मैं सरदार शहर गया। वहां मैंने पत्नी से बात की तो क्या वह भी मिनिस्टर की हैसियत से की....

श्री राज बहादुर : नहीं, नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : तो फिर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपको अपनी बात समाप्त करने दीजिये।

श्री राज बहादुर : इसके अनुसार कोई मैम्बर है प्राइवेट लाइफ में कोई आफसे करते हैं। इसमें लफ्ज आये हैं डिस्क्रिमिनेटरी और इन्क्रिमिनेटरी दो लफ्ज हैं। 273 में इन्क्रिमिनेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी। इन्क्रिमिनेटरी का मतलब किसी क्राइम में अगर मिनिस्टर इन्वाल्व्ड हो तो मैं कह सकता हूं–I will have to give a notice। अगर मैम्बर इन्वाल्व्ड हो तोI will have to give a notice. अगर डिफेमेटरी है तो भी मुझे नोटिस देना पड़ेगा लेकिन अगर फंक्शन कर रहे हों एज ए मिनिस्टर तो इसमें कोई पर्सनल बात नहीं आती है। anb I am criticing the conduct of a Minister, यह क्लियर डिस्टिंक्शन है। अगर यह नहीं होगा तो डेमोक्रेसी मुश्किल में पड़ जायेगी। कोई एक्शन गवर्नमेंट का है, मिनिस्टर है, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। असंगत बात है और मेरे योग्य दोस्त अपने मन में समझते होंगे कि यह बात सही है तो हमे डिस्टिंगुइश करना पड़ेगा कि कौन सा पर्सनल चार्ज है और कौन सा फंक्शनल रूप में करने जा रहे हैं। यह करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : एक बात मुझे आप बार बार कहते है कि अध्यक्ष को कम बोलना चाहिये, लेकिन हमारे यहां वाद–विवाद के कुछ नियम हैं। इसलिये मुझे बार बार माननीय सदस्यों को कहना पड़ता है। या तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं, आप आपस में सभी बातें करलें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे नहीं सुनना चाहें तो इस किताब का पेज नम्बर बता दूं....

श्री अध्यक्ष : वह मैं सुन लूंगा लेकिन एक प्रक्रिया से सुनूंगा। सभी माननीय सदस्यों को उतावली रहती है कि पहले हम अपनी बात कह दें। इसलिये माननीय सदस्य बोले तब दूसरे माननीय सदस्य शांत रहें, शांति से उनकी बात सुनें। सीधी सी बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा, संक्षेप में कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 273 में है "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person..." इसमें एक तो शब्द है मैम्बर...

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे न बोलें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें एक वर्ड है मैम्बर, दूसरा है पर्सनल और तीसरा है स्पीकर। It is not for a member, but for a person, who cannot be protected here. अगर यह मंशा होती कि मैम्बर के खिलाफ चार्ज नहीं लगाया जा सकता तो यहां यह शब्द होना चाहिये था "against a member" अब अगर इसकी मैम्बर के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाये जाने की मंशा होती तो 'पर्सन' वर्ड का उपयोग नहीं करते, तो वर्ड होता मैम्बर यहां भी। "shall be made by a member against any member of the House." क्योंकि पूरे रूल्स आफ बिजनेस में कहीं भी मैम्बर को पर्सन नहीं कहा है। जहां मैम्बर का मतलब है जहां मैम्बर का अर्थ लगाया गया है, वहां प्रत्येक स्थान पर मैम्बर शब्द ही यूज किया गया है। पर्सन के नाम से उसको कहीं नहीं कहा गया है। तो यहां भी अगर, जैसे माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा, मैम्बर का मतलब लगाया जाता तो वर्ड मैम्बर ही आना चाहिये था। कोई भी मैम्बर किसी भी मैम्बर के खिलाफ यह चार्ज नहीं लगा सकता था। यहां the word is "person." तो "पर्सन" का मतलब यह नहीं है। जो मैम्बर नहीं है एण्ड who cannot be protected here. यहां पर्सन का मतलब उससे है, मैम्बर से नहीं है क्योंकि अगर मैम्बर वह होता तो मैम्बर शब्द उपयोग किया जाना चाहिये था। इसलिये मैं इस बात का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री भंवरलाल शर्मा : रूल 272 के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रूल 272 में जो वर्ड है वह भी मैम्बर है। वहां मिनिस्टर नहीं है। वहां मैम्बर है। कई बार ऐसा होता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : वहां शब्द है मैम्बर, और मिनिस्टर शब्द वहां पर नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जो मिनिस्टर हो वह मैम्बर भी हो ही। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य नहीं होता है Even then he sits in the House, इसलिए जो शब्द कहा है, वह मैम्बर है, और मैम्बर की भी डेफ़ीनेशन दी है उसमें मैम्बर आफ दी हाउस कहा है मिनिस्टर नहीं कहा है, उन्होंने !

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह, संक्षेप में, माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

Page No 172

(172)

श्री नाथूसिंह (बाँदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बताया गया है, रूल 272 और 273 दोनों को एक साथ पढ़ें तो स्थिति बिलकुल क्लियर हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष : यह कई दफा बोल चुके हैं आप सदन के समक्ष । लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है ।

श्री नाथूसिंह : और रूल 273 के प्राविजो को ध्यान से पढ़ें तो उसमें क्लियर पोजीशन हो जायेगी जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा····

श्री अध्यक्ष: नियमों को दुबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । आप अपनी व्याख्या बता दीजिये ।

श्री नाथूसिंह : व्याख्या कर रहा हूं । यहां पर क्लिअर कट 272, जैसा माननीय सदस्य बोल रहे थे, में मैम्बर, शब्द यूज किया है और 273 में मैम्बर, पर्सन वर्ड यूज किया गया है । इन दोनों से क्लियर कट है, there is difference between a 'member' and the 'person.' There is a difference between a Minister and a Member । इसलिए डिफरेन्स है, अध्यक्ष महोदय, a member becomes a Minister after taking an oath. अध्यक्ष महोदय, एक पर्टीकूलर प्रक्रिया तय है कि एक मैम्बर मिनिस्टर बनेगा तो उसको ओथ लेनी पड़ेगी और ओथ लेते ही वह पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा । तब उसकी पर्सनल ड्यूटी कोई नहीं रह जाती है । एज ए मिनिस्टर वह कोई भी एक्शन करेगा वह उसकी पब्लिक ड्यूटी होगी । इसलिए अध्यक्ष महोयय, रूल 273 का प्रोविजो पढ़िये ·· "Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that sucn allegation is derogatory to the dignity of the House...." यह डिग्निटी आफ दी हाउस, अध्यक्ष महोदय, एक तो है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । दूसरा आगे और है । "or that no public interest is served by making such allegation." पब्लिक इन्ट्रेस्ट, अध्यक्ष महोदय, में यदि मंत्री पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करता है, और उस पर कोई कमेन्ट किया जाता है, तो उससे पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व होता है लेकिन यदि पर्सनल चार्ज लगाया जाता है कोई भी तो उससे पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व नहीं होता है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इन दोनों तरीके से there is a difference between Minister and Member,

श्री अध्यक्ष : समाप्त किजिये ।

श्री नाथूसिंह : पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व हो गया, वह पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करता है । इसलिये मैं इस बात का समर्थन करता हूं ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक की निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : श्री कंवरिया ।

सदन की अनुमति से बैठक का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया जाता है ।

प्रक्रिया

मंत्री, विधायक एवं किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा नियम 273 की विभिन्न व्याख्याएं व इंन्टप्रिटेशन माननीय सदस्यों द्वारा किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मेरे विचार भिन्न हैं । "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person " Here any person is wide enough to cover a Member of the House, to cover a person outside the House or any other person. No allegation by a Member in the House shall be made against any person. The definition of 'person' is wide enough to cover a Member of the House, to cover a Minister in the House and any person outside. Who can make an allegation ? Only Member can make an allegation. So word 'person' is wide enough to cover person outside, a Member as well as a Minister. Now here a Minister works as a Minister. But if any allegation is made which is not in his that capacity. मान लीजिये मिनिस्टर काम करता है और एलीगेशन लगाते है उस पर व्यक्तिगत that is person. That is not in his official capacity; that is a personal matter and no allegation on personal matter can be made against a Minister without prior notice. It is a personal matter for which notice is necessary to defend him self. मान लीजिये कि मिनिस्टर काम करता है और उसके खिलाफ यह एलीगेशन लगाया जाता है कि वह एक लाख रुपया खा गया। This is a personal allegation and a prior notice will be necessary.

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न सदन के सामने यह व्याख्या का चल रही है कि पर्सनल चार्ज लगाया जा सकता है, या नहीं लगाया जा सकता है, और लगाये जायेंगे तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। किस के विरुद्ध लगाया जा सकता है और किस के विरुद्ध नही लगाया जा सकता है । इस सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं इधर जो ट्रेजरी बेन्जेज पर मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनकी तीन कैपेसिटी हैं । मिनिस्टर एक, मैम्बर दो और पर्सन तीन । हम जो लोग हैं मेम्बर एक, और

(श्री हरिसिंह) ·

पर्सन दो। हमारे अलावा जो है, वह है पर्सन। अब इन तीनों के लिये उसमें अलग अलग प्रोटेक्शन दिये गये है, और अलग प्रोवशन्स दिये गये है और अलग अलग प्रकार के चार्ज लगाने की प्रक्रिया दी हुई है। रूल 273 है। रूल को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं। यह इन्टरप्रिटेशन आप स्टेट्यूटस का मान्य सिद्धान्त है, जब हम किसी नियम या रूल को पढ़ेंगे तो उसमें न कोई शब्द जोड़ कर पढ़ेंगे और न कोई शब्द उसमें से निकाल कर पढ़ेंगे। इसमें यह जो नियम है : "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person..."

एनी पर्सन जब हम पढ़ना चाहते हैं तो विपक्ष के नेता महोदय उसमें यह साथ में जोड़ कर पढ़ना चाहते हैं, any person who is not in this House, any person who is outside the House. तो वे ऐसा शब्द जोड़ कर पढ़वाना चाहते हैं। नियमों के अन्तर्गत नियम पढ़ते हैं, नियमों के अन्तर्गत जब हम नियम पढ़ते हैं, तब हम जो नियम के अन्दर लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे। आप उसमें शब्द जुड़वाना चाहते हैं। अगर जुड़वाने की बात होती तो उसमें लिख दिया गया होता वह शब्द। लेजिस्लेचर की मंशा क्लिअर हुआ करती है, लेजिस्लेचर उसमें कंजूसी क्यों करती, उस शब्द एनी पर्सन को जोड़ देती they could say, "any person who is outside the House" or "any person who is not a Member of the House."

इसलिये किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर कोई एलीगेशन होगा तो वह सदन में नोटिस देने के पश्चात ही होगा बशर्ते कि वह पर्सनल चार्ज ही दूसरे मैम्बर के खिलाफ चार्ज आयेगा तो वहां तो पर्सनल चार्ज लग ही नहीं सकते। आप नोटिस दें या नहीं दें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप नोटिस देकर भी मैम्बर के खिलाफ पर्सनल चार्ज नहीं लगा सकते। यह रूल 272 प्रिसाइज है। कोई भी मैम्बर के खिलाफ इसलिये नहीं आप मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं, मैं आप पर चार्ज लगा दूंगा। फिर तो असेम्बली एक अखाड़ा बन जायेगी। इसलिए किसी प्रकार का पर्सनल चार्ज हाउस में लगेगा या नहीं लगेगा। इसलिये स्पष्ट यह हुआ नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एलीगेशन आप जो लगाएंगे तो नोटिस देकर लगाएंगे। अगर मैम्बर है तो उस पर चार्ज लगा ही नहीं सकते। जो पर्सनल चार्ज है क्या डेफीनिशन है वह जो मेरे साथ रहेगा। मैं आज मैम्बर नहीं भी हूं तो भी वह चार्ज मेरे साथ रहता जायेगा। इस प्रकार जो भी चार्जेज होंगे वह पर्सनल चार्ज होंगे।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, कुछ कहना चाहते थे। आर्डर आर्डर। बैठे बैठे बातें नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेक्टिस एण्ड प्रोसिजर आफ पार्लियामेन्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाय एम. एन. कौल एण्ड एस. एन. शकधर, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय पर इस पुस्तक में पेज 778 और उसके आगे पूरे विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें है, अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं हाउस को पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा नहीं होना चाहिए। समय की बचत करना चाहता हूं। इसका जो आपरेटिव पोर्शन है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपरेटिव पोर्शन नहीं है। इसमें तीन पेज है, और कोई ऐसे मैंने पढ़ दिया इसको पूरा नहीं पढ़ा और इसका अंश मेरे मतलब का पढ़ दिया तो मैं न्याय नहीं करूंगा। इसलिये ज्यादा अच्छा हो, अध्यक्ष महोदय, आप इसको पढ़ कर देख लें। इसके बाद मैं आपको स्वयं सन्तोष हो जायेगा कि मैंने जो डिस्टिंगुइश किया है पर्सन, मेम्बर की और मिनिस्टर की यह तीनों बातें इसमें हैं। इसलिये यह कोई आवश्यक नहीं है। जो मैंने पहले कहा है वह बात बिलकुल सही है और उसके समर्थन में एक किताब सदन के सभी माननीय सदस्यों के पास है, उसको अच्छी तरह से देख लें। अब इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था भी है। यह आपने जरूर कहा कि मेरे समय की कोई व्यवस्था है। वह तो अध्यक्ष महोदय, प्रिन्टेड ही नहीं हुये सरक्युलेट नहीं होता है।....

श्री अध्यक्ष : मैं तो अपनी कठिनाई से बचना चाहता था कि कोई ऐसा विनिश्चय न हो जाय जिसमें मैं अपने आपको कन्ट्राडिक्ट कर दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह, अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही कहा लेकिन, अब किताब नहीं है तो क्या करें। आपकी किताब तो अगली विधान सभा में कोट की जायेगी, जब भी छप जायेगी। फिर अगले अध्यक्ष महोदय कह देंगे कि मेरी कोई रूलिंग बतायी जाये। उनकी किताब फिर नहीं छपेगी। तो हमारे लिए तो यह समस्या रहने वाली है। लेकिन मेरे पास जो किताब है, यह आपकी ही है, राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन, यह है, मार्च 1952 से सितम्बर 1977 तक इसके पेज नम्बर 264 पर एक व्यवस्था है कि सदन में अनुपस्थित व्यक्तियों पर तथ्यों के आधार पर पूर्व सूचना दिये बिना भी आरोप लगाये जा सकते हैं। यह अध्यक्षीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में भी उन सब चीजों का उल्लेख किया गया है। मैं इसलिए कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, रूल्स में पर्सन अलग है, मेम्बर अलग है, और मिनिस्टर अलग है। मिनिस्टर के पर्सनल काम अलग हैं, सरकारी काम अलग हैं, उसकी पब्लिक ड्यूटी अलग हैं, और उसके सरकारी फंक्शन अलग हैं। अब यदि किसी मिनिस्टर के पर्सनल फंक्शन सरकार से बिलकुल अलग हों, उन मामलों पर मिनिस्टर पर बिना सूचना दिये आरोप लाये जायें, हालांकि इसमें व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है कि सूचना दी जाय और यहां आम तौर पर मेम्बर्स उन्हीं बातों को दोहराते हैं, जो सरकारी हैसियत में या सरकारी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में करते हैं। अब मैं एक रेफरेन्स देना चाहता हूं, माननीय अहमद बक्श सिर्फ नाराज नहीं होंगे, उनके संबंध में....

एक माननीय सदस्य : उनको तो नींद आ रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नींद नहीं आ रही है, बहुत गम्भीरता से सुन रहे हैं।

मैं उनके संबंध में जो आरोप लगाये गये हैं, आप खुद ही अन्दाज लगा लें, मिनिस्टर नहीं होते तो क्या यह स्थिति पैदा होती। मिनिस्टर नहीं होते तो इनको अपाइन्टमेन्ट का अधिकार हो नहीं होता और अपाइन्टमेन्ट का अधिकार ही नहीं होता तो यहां विषय ही नहीं बनता। इन्होंने मिनिस्टर की हैसियत से अपाइन्टमेन्ट किया है। इसलिये क्वेश्चनेबल है। अपनी ड्यूटी में इन्होंने किया। आज भी अगर वे खड़े हो, र कहेंगे कि यह अपाइन्टमेन्ट क्यों किया तो वे यही कहेंगे मेरे अधिकार में था, मैं अपाइन्ट कर सकता था। यह नहीं कहेंगे कि मेरे अधिकार में नहीं था। अब इसी अधिकार को चुनौती दी है और कुछ नहीं किया। अब इसमें पर्सनल एलीगेशन क्या हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आता। आज चीफ मिनिस्टर साहब किसी के भी अपाइन्टमेन्ट करें, अपाइन्ट कर दिया और उसमें कोई गलती हुई तो नेचरली हम उसको क्वेश्चन करने वाले है। अब मुख्य मंत्री जी यह कहेंगे कि मेरे ऊपर आपने यह गलत आरोप लगा दिया क्योंकि अपाइन्टमेन्ट मैंने किया है, मेरे अधिकार क्षेत्र में किया है। तो मैं समझता हूं कि यह पर्सनल आरोप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रूल्स की व्यवस्था के अनुसार जो पर्सन है आप इसको देख लीजिये, पर्सन साफ ढंग से साफ लिखा है, जो पर्सन यहां पर डिफेण्ड नहीं कर सकते हों, उनसे मतलब है। पर्सन के साथ ही कन्सर्निंग मिनिस्टर को नोटिस दिया जाय ताकि वह इन्वेस्टीगेशन सकें। मिनिस्टर का होता या मैम्बर्स का होता तो इन्वेस्टीगेशन के लिए मिनिस्टर को नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होती इसलिये रूल 273 तो लागू ही नहीं होता और बाकी दूसरा है वह मैम्बर के ऊपर है, वह मिनिस्टर के ऊपर नहीं है। आप अगर और चाहें तो, अध्यक्ष महोदय, इस किताब को भी देख लें और अगर मौका दें तो कल ही थोड़ी देर के लिए चर्चा रख लें, मैं आपको पहली पार्लियामेन्ट की रूलिंग के आधार यह व्यवस्था बता दूंगा। दो-तीन मामलों के अन्दर पार्लियामेन्ट में व्यवस्था हुई है, जिसमें खास तौर से पर्सन और मिनिस्टर में डिस्टिंग्शन देखा गया है। अभी समय नहीं है और मेरे पास पुस्तक भी नहीं है। आप चाहें तो मैं आपको कल लाकर दे सकता हूं।

श्री नाथू सिंह : It is a question of literary reference.

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। स्थान पर बैठ जायं।

अभी सदन के समक्ष हमारे प्रक्रिया के नियम 272 और 273 की व्याख्या के संबध में एक चर्चा उठाई गई है। वैसे अध्यक्षीय व्यवस्था उस अवस्था में होती है जब सदन के समक्ष कोई वाद विवाद अथवा चर्चा चल रही हो, उस समय यदि कोई प्रश्न उठाया जाय तो उस पर व्यवस्था दी जाती है। कल प्रात: काल से ही सदन के समक्ष कई तरह के आरोप, प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे। अभी जब थोड़े से समय के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई उसके पश्चात् विपक्ष के नेता महोदय ने इस स्थिति से अवगत कराया और उसके साथ साथ नियम 272 और 273 को पढ़ करके उसकी व्याख्या की। विपक्ष के नेता महोदय का कहना यह है कि 273 में जो पर्सन लिखा है–मिनिस्टर, मंत्री और मैम्बर नहीं आते क्योंकि मेम्बर्स के लिए यह अनिवार्य है, जब कभी भी इस सभा का सत्र चले उनको उपस्थित रहना चाहिए इसलिए यह मान कर चला जाता है कि वह सदैव ही इस सभा में उपस्थित रहेंगे और उपस्थित है यह मानकर चला जाय। मंत्रियों का जहां तक सवाल है उसमें भी आपका यही कहना था कि यदि मामला मान–हानि कारक अथवा आरोपित करने वाला है। तो उस अवस्था में पूर्व सूचना की आवश्यकता भी है। इसके साथ उन्होंने हमारी विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जी का 1970 का एक विनिश्चय पढ़ कर सुनाया। जैसा माननीय सदस्यों का मैंने पूर्व में निवेदन किया कि विनिश्चय जो परिस्थितियां सभा के समक्ष होती हैं, जो घटनायें गुजरती हैं, उनके ऊपर दिया जाता है। वह विनिश्चय किन परिस्थितियों में दिया गया यह हमारे सामने नहीं है लेकिन एकेडेमिक रूप से यदि हम नियम 272 और 273 की व्याख्या करें तो उसमें स्थिति यह सामने आती है। नियम 273 में शब्द जो काम में लिया है, वह है, एनी पर्सन। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने यहां पर राय व्यक्त करते हुए बताया, पर्सन ये-ब्रोड टर्म है और इसके अन्तर्गत कोई साधारण नागरिक भी आता है, इसमें विधायक भी आते है जो इस सभा के सदस्य भी हैं और मंत्रिगण भी सब आते हैं। मैं समझता हूं कि उन माननीय सदस्य ने जो इस शब्द की व्याख्या की है वह ज्यादा ठीक है। इससे नतीजा यह निकलता है कि नियम 273 में अंकित तरीके के आरोप यदि इस सदन में लगायें तो यह अनिवार्य होगा कि उसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष को और संबधित मंत्री को दी जाय। इसमें एक प्रश्न यह भी आता है कि यहां जो आक्षेप लगाये जाते हैं वह सरकारी कार्यकलापों के हों अथवा अन्य तरीकों के मानहानिकारक अपमानजनक, आरोपित करने वाले हो, यह किसी तरह के आक्षेप लगाये जा सकते हैं। इसमें मेरा मत यह है कि सरकार का निश्चित दायरा है। अपना भी कार्यकलापों का निश्चित दायरा है। अब यह तो है नहीं कि अपनी एक वाद विवाद प्रतियोगिता की सभा है जिसके अन्दर दार्शनिक धार्मिक, नैतिक जितनी भी समाज के अन्दर प्रवृत्ति प्रचलित हैं उन

(श्री अध्यक्ष)

सभी पर यहां पर विचार विमर्श किया जाय और तरह तरह की आलोचना की जाय यह सभा के दायरे में नहीं आता। जो सरकार के कार्यकलाप हैं उसमें ठीक काम किया या नहीं, यह इस सभा के दायरे में, अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिये यदि कोई माननीय सदस्य के द्वारा सरकारी कार्यकलापों से हटकर के किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह का आरोप लगाया जाय तो पीठासीन व्यक्ति का, अध्यक्ष का, इस सभा के माननीय सदस्यों का यह अधिकार है कि वह माननीय सदस्य का ध्यान उसी वक्त इस ओर आकर्षित करे कि माननीय सदस्य विषयान्तर होकर के किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा मत, जिससे कोई जनहित होने वाला नहीं है, जिसका संबंध शासन से नहीं है, व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह करना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। सभा के सामने जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, वह ही प्रश्न आते हैं जिनका सरकार के कार्यकलापों से संबंध है। यदि अपन नियम 273 को देखें तो इसमें शब्द "पर्सन" है। 'पर्सन' शब्द काम में लिया गया है इसका मतलब इस सभा का सदस्य, इस सभा का मंत्री और कोई साधारण नागरिक भी है जो ईस सभा में उपस्थिति नहीं हो सकता। यह सब इसके दायरे में आते हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक होगा कि यदि वह आक्षेप लगाना चाहता है या वह कार्य करना चाहता है जो निषिद्ध है। नियम 273 के अन्तर्गत तो उसको उसकी सूचना अध्यक्ष को और मंत्री को जरूर देनी होगी। यदि यह व्याख्या सही नहीं होती तो ये शब्द नहीं होते कि "मंत्री जानकारी दे सके कि ऐसा कुछ हुआ है।" मंत्री तो उसी बात की जानकारी दे सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अन्दर है, जिससे उसके विभाग का संबंध है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब कभी इस तरह के आरोप लगाये जायें तो यह अनिवार्य होगा कि उसकी पूर्व सूचना दी जाय। आप जानते हैं कि कई तरह के अटपटे विषय आते हैं और माननीय सदस्यों के सामने कई दफा समस्या खड़ी हो सकती है कि इस विषय को लेने से पहले उसे नोटिस नहीं दिया गया है। तो जो स्थिति बतायी है बेशक उसकी जो व्याख्या है वह थोड़ी लिबरल करनी पड़ेगी। अगर इस बात से बचा जा सकता है तो वह बात नहीं कही जाय। यदि कहना किन्हीं परिस्थितियों में आवश्यक हो तो संयत भाषा में कही जानी चाहिए। उसमें बहुत ही सतर्क होकर के हम को काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य नियमों से, अपने कार्यों से किस तरह से हमको कार्य करना है, परिचित हैं। इसलिये जब कभी हम नियम 272, 273 में अंकित बातें कहें तो वह सब कुछ बहुत जिम्मेदारी के साथ कहें। यह मेरा इस संबंध में विनिश्चय है। वरना जैसा मैंने निवेदन किया, यह सदन के समक्ष कोई वर्तमान में इस तरह की स्थिति उपस्थित नहीं हुई, इसलिये यह भी एक तरह से एकेडेमिक है। इस प्रसंग को मैं इस विनिश्चय के साथ समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संविधान में जो बोलने का अधिकार है, उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने के संबंध में आपका विनिश्चय शिरोधार्य होगा लेकिन उसको बैन कर सकते हैं, आपकी रूलिंग में यह बात निकलती है तो मैं बहुत ही क्षमापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसको मानने की स्थिति में हम नहीं हैं।

श्री राजबहादुर : मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सरकार के प्रशासनिक कार्य हैं उनकी आलोचना कर सकते हैं। उसके लिये पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, 272 में मेम्बर शब्द यूज किया है, पर्सन शब्द....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस पर चर्चा समाप्त हुई।

माननीय सदस्य, यह एकेडेमिक इन्ट्रेस्ट का मैंने निवेदन किया। यह कोई सदन के सामने इस तरह की कोई घटना हुई हो और उस पर विनिश्चय दिया हो ऐसी स्थिति नहीं है। एकेडेमिक तौर पर उठाया गया था यह प्रश्न। इसमें मैंने कहा है और उसके साथ भी परन्तु जुड़ा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एकेडेमिक तौर पर रूलिंग दी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो कहना था वह निवेदन कर दिया, अब आप....

(व्यवधान)

परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया जावे। पेश कर रहे है क्या ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : मैं नाम पुकारूंगा। दो दिन पहले मैंने एक माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य का नाम पुकारा था। वे बाहर चले गये तो विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि साहब, यह विशेषाधिकार के हनन का मामला है। उस समय मैंने विशाल हृदयता का परिचय देकर कोई कार्यवाही नहीं की थी।

एक माननीय सदस्य : अब करें, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री नाथूसिंह, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन, श्री महावीर प्रसाद, श्री घनश्याम तिवाड़ी,

(श्री अध्यक्ष)

श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य।

क्या इसको मतदान हेतु प्रस्तुत कर दिया जाय?

प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प···· यह प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये इस पर मत लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभारी मन्त्री विधेयक को विचारार्थ लेने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है श्री भगवान दास शास्त्री, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री महावीर प्रसाद, श्री हीरालाल आर्य, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री बंशीलाल पटवा, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री अनंग कुमार जैन, श्री हंसराज शर्मा ने।

नहीं, वह दूसरा है। एक अन्य प्रस्ताव है। इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य हैं श्री चन्द्रवीरसिंह, श्री देवीसिंह भाटी, श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री चन्द्रवीर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरा निम्न संशोधन प्रस्ताव हैं :

राजस्थान, उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

जो यह राजस्थान कोलोनाइजेशन(संशोधन)बिल,1983 यहां विधान सभा में लाया गया है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके ये कारण बताये गये हैं कि जो पूर्व में राजस्थान कोलोनाइजेशन क्षेत्र के अन्दर भूमि, जिसकी खातेदारी मिली हुई थी, जो आवंटित थी और जिस में बगैर कलैक्टर या संबंधित अधिकारी की इजाजत के रजिस्ट्रेशन करा लिया, अनियमित रूप से बेच दी गयी। इसके अन्दर जैसा कि बताया गया है, पूर्व में प्रावधान यह था कि जो भी अनियमित रूप से भूमि का बेचान

(श्री देवीसिंह भाटी)

करेगा, रजिस्ट्री करवायेगा उसके ऊपर कलेक्टर 500 रुपये का जुर्माना करेगा। यह इसके अन्दर पूर्व प्रावधान था। इस बिल के अन्दर यह संशोधन लाया गया है कि उस पेनल्टी को 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया जाय। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। जो बगैर इजाजत, अनियमित रूप से भूमि का बेचान कर दें, उसके ऊपर आप पेनल्टी बढ़ा सकते हैं, परन्तु इसका क्या कारण है कि जिसने भूमि खरीदी है, उसको भी पेनल्टी के रूप में 2 हजार रुपये देने पड़ेंगे और साथ में उस भूमि की कीमत भी देनी पड़ेगी ? उस क्षेत्र में चाहे साढ़े उन्तीस हजार रुपये के हिसाब से कीमत रखी हुई है, या जो भूमि की कैटेगिरी है उसके हिसाब से भूमि की कीमत देनी पड़ेगी, इस से स्पष्ट जाहिर होता है कि यह प्रशासनिक कमजोरी थी, जिसकी वजह से ऐसे बेचानों को रोक नहीं पाये। जो तिकड़मी व्यक्ति थे, जो मैनीपुलेट कर सकते थे; उन्होंने सेल को परमिशन ले ली और जिसको वास्तव में जरूरत थी चाहे उसे पैसे की जरूरत थी या अन्य कारण से वह बेचना चाहता था, उसे, जो प्रोसीजर बना हुआ है, उस हिसाब से अनुमति नहीं मिलती थी। हम देखते आये हैं कि जो भी तिकड़मी आदमी थे वह मैनीपुलेट करके सैक्रेटेरिएट में मिनिस्टर से मिलकर और परमिशन लेकर बेचान करते रहे, और उन्हें बेचान की अनुमति मिलती रही। ऐसे आदमियों की लम्बी सूची है। जिनको अनुमति नहीं मिली, जो बेचना चाहते थे, जो काश्त नहीं कर सकते थे, वह चाहे विधवा थी या ऐसा व्यक्ति था जो काश्त नहीं कर पाता था। जो बेचना चाहता था और....

(5.20 म. प.)

(श्री देवव्रत तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

इन पाबंदियों के कारण आखिर मजबूर होकर अधूरी कीमत में अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी। अगर उसने जमीन बेच दी है तो आपने इसके अन्दर पूर्व में प्रावधान कर रखा है कि अगर बगैर अनुमति उसने भूमि बेची है तो उस पर पांच सौ रुपए की पेनल्टी लगेगी। वह पेनल्टी देने के लिए तैयार है परन्तु आप भूमि की कीमत ले रहे हैं। किस बात की ले रहे हैं ? किसके बाप की, दूसरे की जमीन है जो उन से परमिशन ले ? जमीन किसी व्यक्ति विशेष जिसके पास अधिकार था उस से खातेदारी जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाया और उसने जमीन खरीदी। एक जगह कीमत दे दी, चाहे उस जमीन की कीमत एक लाख थी चाहे 50 हजार थी। अब राज्य सरकार इस बिल में यह क्यों लाना चाहती है कि इस भूमि की आप कीमत दो, हमें राज्य सरकार के कोष के अन्दर साढ़े उन्तीस हजार रुपये जमा कराओ तब आपकी यह रेगुलराइज होगी ? इसका क्या कारण है कि आप भूमि की कीमत लेना चाहते हैं ? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी दूसरे कानून में नहीं है। अगर

(श्री देवीसिंह भाटी)

कोई गलती करता है, चाहे कोई भी विभाग हो, कानून के अन्दर पूर्व में प्रावधान रखा जाता है कि उस पर पेनल्टी लगाई जायेगी और पेनल्टी लगाकर उसे रेगुलराइज कर दिया जायेगा। यह सबसे बड़ी समस्या आज गंगानगर जिले में और बीकानेर जिले में है। जिसको आवश्यकता थी उसने जमीन बेच दी। अब आपने इस बिल में यह भी नहीं बताया कि यह समस्या कितनी बड़ी थी, ऐसे कितने हजार लोगों के ट्रान्सफर्स इल्लीगल हो गये। ऐसे जो भी इल्लीगल ट्रान्सफर्स हुये हैं, उनके बारे में भी बताते कि इससे बहुत बड़ी, विकराल समस्या कोलोनाइजेशन क्षेत्र में उत्पन्न हो गयी है, और जिस से सारी अव्यवस्था फैल रही है, कोई भी कानून कायदों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, नियम भंग हो रहे हैं। आपने इसके बारे में कही स्पष्ट नहीं किया है, आपको इस से कितनी वसूली होगी। आपके राज्य कोष में कितना पैसा आयेगा इससे, इसका भी लोगों को पता नहीं। न तो आपने इसकी ओर कोई बजट में इंगित किया है, न आप अभी भी बताना चाहते हैं कि इससे राज्य कोष को कितना फायदा होगा, कितने हजार रुपये के इसके तहत इल्लीगल ट्रान्सफर्स हुये हैं या बेचान किया गया है। यह भी इसके अन्तर कतई नहीं बताया है। हमें मूल रूप से यही देखना होगा कि पुराना प्रावधान था फिर भी लगातार इस प्रकार की ये रजिस्ट्रियाँ आज तक क्यों होती रहीं ? क्या राज्य सरकार के ध्यान में यह बात नहीं थी ? क्या राज्य सरकार के पास इस प्रकार की दूसरी दरख्वास्तें नहीं आयीं ? क्या भूमि मालिकों ने पूर्व में दरख्वास्तें यहाँ नहीं दीं ? उसने कोलोनाइजेशन कमिश्नर को दरख्वात दी, उसने सम्बन्धित मिनिस्टर को दरख्वास्त दी, उसने सम्बन्धित अधिकारी को दरख्वास्त दी, सैक्रेटेरिएट के चक्कर लगाये, परन्तु सीधे सादे जरूरतमन्द आदमी को उसके बेचाने की स्वीकृति नहीं मिली। स्वीकृति किसे मिली ? जो तिकड़मी था, जिसने बीच में रिश्वत दी, पैसे दिये हैं उसको तुरन्त बेचान की परमिशन मिल गयी। यह क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? पूर्व में आप उसे रोक नहीं पाये। आगे अब आप क्या रोकने का प्रस्ताव कर रहे हैं ? हम उस पर 2 हजार की पेनल्टी लगायेंगे उसको रेगुलराइज करने के लिए और, साथ में, भूमि की साढ़े उन्तीस हजार कीमत लेंगे। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ? कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप पेनल्टी भी भुगतें और राज्य सरकार को 30 हजार रुपए दें। क्या राज्य सरकार ने उसको खजाने से निकाल कर पहले एड दी थी ? क्या उसने कोई भूमि आवंटित की थी ? स्वयं खातेदार की भूमि है, चूंकि उसको जो सीधे तरीके से परमिशन मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली, जिसकी वजह से उसने जरूरत के अनुसार भूमि बेची। वह इसके लिए आपको पेनल्टी देने के लिए तैयार है। फिर कीमत किस बात की ले रहे हैं ? न राज्य सरकार ने उसे कोई जमीन दी, न और कोई सुविधा दी फिर राज्य सरकार किस बात के पैसे मांगती है ? यह जो दोनों प्रावधान

(श्री देवीसिंह भाटी)

इसके अन्दर किये जा रहे हैं, यह बिलकुल गलत हैं। पेनल्टी और भूमि की कीमत लेने जा रहे हैं, इस से सारी जनता में आक्रोश फैलेगा। मैं आपको निश्चित तौर पर यह कहता हूं कि जिसने 1 लाख रुपये, 50 हजार रुपए एक मुश्त देकर भूमि खरीदी है वह आपको 30 हजार रुपये किसी भी हालत में नहीं देगा। आखिर में मजबूर होकर वापस आपको अमैण्डमैण्ट करना होगा। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हू कि जो यह आप प्रावधान करने जा रहे हैं कि 500 की जगह 2000 पेनल्टी लगाई जाये और उसके साथ में पूरी भूमि की कीमत 30 हजार रुपये ली जाय, यह बिलकुल गलत प्रावधान किया जा रहा है। इसके अन्दर यह भी नहीं बताया जा रहा है कि यह समस्या कितनी बड़ी है, कैसी विकराल समस्या कोलोनाइजेशन क्षेत्र में उत्पन्न हो गयी हैं, और कैसे नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सरकार के सामने ऐसी क्या विकट स्थिति है इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ यह बताया गया है कि ऐसे काफी मामलों में बगैर नियमों का पालन किये हुये बेचान हो गये। तो मैं चाहूंगा कि इसके अन्दर यह स्थिति स्पष्ट की जाय।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद (उपनिवेशन मंत्री) : सभापति महोदय, जो बिल मैंने पेश किया है, विचारार्थ लेने के लिए जो निवेदन किया है उसके बारे में कुछ एतराजात उठाये गये हैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो एतराजात उठाये गये हैं, उनके बारे में मैं पहले जवाब दे दूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कॉलोनी एरिया के लिए बिल आया है। कालोनी एरिया में जो जमीन दी गयी हैं, उनमें अधिकांश लोगों को फेवरेबल अलाटमैण्ट से दी है। जो लोग भूमिहीन थे, जिनमें भी अधिकांश शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग थे, उन लोगों को वहां बसने के लिए जमीन दी गयी है। ऐसे लाखों आदमियों को ये जमीन आवंटित की गयी हैं। उनमें हजारों भूमिहीन लोग एस. सी. और एस. टी. के लोग हैं, उनके हकों की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। आखिर कीमती जमीन हमने उन लोगों को इस वास्ते आवंटित की हैं कि आप इस पर बस करके अपनी गुजर बसर कीजिये आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारिये, और साथ में जमीन जोतिये भी। जो प्राइस वहां पर है, उस प्राइस से बहुत कम पर हमने उनको जमीन दी। आज उस जमीन की कीमत दो-ढाई-डेढ़ लाख रुपये हो सकती है लेकिन गवर्नमेन्ट को रिजर्व प्राइस 25-35 और 50 हजार है। वह भी अब है, जिस समय हमने आवंटित की थी, उस समय इससे भी कम थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कालोनी एरिया में लोगों को कुछ फेवर करके, एज ए सोशल मेजर, एज ए इकानामी मेजर हमने आवंटित की है। इस वास्ते यह जरूरी है कि जो भी जमीन की कीमत है, उस से कम कीमत पर भूमिहीनों जिनमे अधिकांश

(श्री चन्दनमल बैद)

हरिजन है, आदिवासी है, उसको अगर हमने जमीन दी है, तो फिर उसके बाद हमको उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाने पड़ेंगे कि आप जमीन को किस तरीके से ट्रीट करोगे। आज हमने उनको भूमिहीन समझ कर जमीन दी, केवल जमीन को वह अगर थोड़े लालच से बेच दे। कोई उसको लालच दे देता है, गरीब आदमी है हो सकता है उसने बहुत बड़ी सम्पदा नहीं देखी हो, पैसा नहीं देखा हो। उसको 5–10–20 हजार का लालच दे देता है तो वह लालच में आकर जमी अपनी बेच सकता है। तो हमारे लिये, सरकार के लिए जरूरी होता है कि वेलफेयर मेंजर की तरह, सोशल जस्टिस की तरह से, एक इकानामिक जस्टिस की तरह से छोटे लोगों को जमीन दे रहे हैं, उसकी रक्षा भी करे, वह उस जमीन के पार्टीशन नहीं करे बल्कि यह अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए कमाई का एक सोर्स समझ कर उस पर बसे। तो इस वास्ते यह रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि कलेक्टर की अनुमति के बगैर वह जमीन बेच नहीं सकता है। अनुमति का इस वास्ते रखा कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी आदमी को जरूरत पड़ जाय, इसे बेचनी पड़े, अयोग्य हो जाए काम करने के लिए, कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो कलेक्टर से अनुमति लेकर जमीन बेच सकता है। लेकिन अब कुछ लोगों ने कलेक्टर की अनुमति नहीं ली और जमीन बेच दी। उसके लिए यह जो मेन कानून है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर इस तरह से कोई जमीन कलेक्टर के आदेश के बगैर हस्तांतरित की जाएगी तो जो जमीन खरीदने वाला है उसको बेदखल किया जाएगा और रिज्यूम करके सरकार की हो जाएगी। यह नियम उसमें है कि जमीन से बेदखल करके उस जमीन पर सरकार का अधिकार हो जाएगा, सरकार उसको पुनर्ग्रहण करेगी। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों ने बिना कलेक्टर के आदेश के जमीनों के हस्तांतरण कर दिये जो हजारों की संख्या में हस्तान्तरण हो गए। आखिर यह वेलफेयर, डेमोक्रेटिक स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में जब हमने देखा कि हजारों लोगों की जमीन का हस्तांतरण हो गया तो यह उचित समझा गया कि ऐसे लोगों को बेदखल नहीं करके, जमीन रिज्यूम नहीं करके अगर जुर्माना लगाया जाए और आगे से हस्तांतरण करने के नियमों को और कड़ा कर दिया जाए तो हस्तांतरण मुश्किल हो जायेंगे। तो हमने इस बिल में यह सोचा है। एक तरफ हस्तांतरण करने का अधिकार हमने कलेक्टर को दे दिया था वह अधिकार अब राज्य सरकार के पास दे दिया जिससे राज्य सरकार नियम और पालिसी बना सके और उसके अनुसार जमीन का हस्तांतरण हो सके। मतलब, हस्तांतरण का जो कानून है उसको और कड़ा कर दिया गया 1954 से लेकर 1983 तक, आज तक हस्तांतरण हो गए हैं। अगर किसी ने अपनी खातेदारी, टिनेन्सी का हस्तांतरण कर दिया है तो लेने वालों को, आगे से लोगों को आगाह करने के लिए यह सावधान किया है कि अगर ऐसा हस्तांतरण होगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे और पिछला जो है उसको रियायत

(श्री चन्दनमल बैद)

के तौर पर रिजर्व प्राइस लेकर रेगुलराइज करेंगे जिससे ऐसे हस्तांतरण होने से रोके जायं और आगे आने वालों को हमेशा यह ध्यान रहे कि सरकार इस चीज को बरदाश्त करने वाली नहीं और आगे से कलेक्टर को अधिकार नहीं है। अब यह अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास में ले लिया है जिससे हस्तांतरण रुक सकें। यह केवल इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों को जमीन दी है सोशल, इकानामिक और वेलफेयर मेजर्स के तरीके से वे लोग अपनी जमीन पर बस कर अपना बसर करें, जमीन को पार्टविथ न करें और उस पर रहकर खेती करें। यह इस वास्ते किया गया है नहीं तो, सभापति महोदय, आज जमीन ली, 5 साल में उसने जमीन बेच दी और फिर लैंडलेस हो गया, फिर हमारे सामने वही प्राब्लम आ गई। आखिर सरकार के सामने भी तो यह प्राब्लम है। हमारे यहां जितने लैंडलेस लोग हैं, जितने प्रोजेक्टस बन रहे हैं उनमें लैंडलेस लोगों को बसाकर, उनको जमीन देकर उनको योग्य बनायें और वे लोग जरा से लालच में आकर जमीन बेचकर फिर लैंडलेस हो जायें तो प्राब्लम वह की वह रह जाएगी। तो जो डेढ़-दो लाख की, दो-ढाई लाख की एक मुरब्बा जमीन दी है या 4 लाख रुपये मुरब्बे की है उसको 25-30 हजार में सरकार क्यों बेच रही है? क्या इस वास्ते बेच रही है कि वह आदमी केवल 5 हजार का मुनाफा कमा ले? वह 25-35 हजार भी हम 15-16 सालों में लेते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स से 16 सालों में और दूसरे लैंडलेस लोगों से 15 साल में। तो सालों में, कीमत लेते हैं। एक तरह से हम उस पर अनुग्रह कर रहे हैं। यह वलफेयर मेजर है स्टेट का, इस वेलफेयर मेजर की रक्षा करने का जो प्रावधान था कोलोनाइजेशन एक्ट में, उसको और कड़ा किया जा रहा है। आज तक जो काम हो गया क्योंकि हमारा डवलपिंग स्टेट है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्राब्लम खड़ी हो गई इसलिए उनको तंग नहीं करें, उनको बेदखल नहीं करें क्योंकि उन लोगों ने 25-30 सालों में जमीन का सुधार किया होगा, उसमें काश्त की होगी। उन लोगों को बेदखल नहीं करें और साथ ही साथ में सारी स्टेट की जनता को यह बता भी दें, और उन लोगों को भी बता दें कि अगर आगे यह आएगा तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे और जो जुर्माना लग रहा है, हो सकता है आगे जाकर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जा सके। इसलिए यह सारा प्रावधान किया गया है और अध्यादेश के बदले यह बिल मैं लाया हूं। यह लाया गया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाए।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह विचारार्थ किए जाने का प्रस्ताव है आपका संशोधन तो गिर गया। अब आपका बोलने का अधिकार थर्ड रीडिंग पर आएगा, अभी नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : विचारार्थ लेने वाले पर बोल सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, विचारार्थ लेने वाले पर तो आप बोल चुके हैं। यह तो खाली क्वेश्चन पुट कर रहे हैं हाउस को कि विचारार्थ लिया जाए या नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : ठहर जाइये एक मिनट, जरा संतोष कीजिये। सभापति महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

अब बोलिये।

श्री आत्माराम चौधरी (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट के बारे में जैसा बैदजी ने अभी बताया, राज्य सरकार की पालिसी यह है कि जो भूमिहीन हैं उनको कुछ कम कीमत पर देकर इसकी गारन्टी राज्य सरकार करती है। मैं समझता हूं यह प्रजातंत्र के अन्दर कोई किसी का गारण्टर नहीं होता। प्रजातन्त्र में खुद व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। आज आप उनको शराब क्यों मुहैया करा रहे हैं ? अगर कोई काम नहीं करता है तो काम के लिए बैन क्यों नहीं लगाते कि इतने घन्टे जरूर काम करोगे और मैं यह समझता हूं काम नहीं करने की वजह से, गलत आदतों की वजह से पिछड़े हुये लोग और पिछड़ रहे हैं। इसके लिए क्या आप कुछ कर सकते हो ? राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के अनुसार आपने सभी को खातेदारी अधिकार दे दिए। अगर वह दूसरों को जमीन बेचे तो उसको कोई नहीं रोक सकता तो इन्होंने कौनसा जुल्म कर दिया, उन्होंने कौनसा गुनाह किया है ? ये कौनसे ज्यादा बैकवर्ड हैं कि आज बेच नहीं सकते ? क्यों नहीं बेच सकते ? प्रजातन्त्र वह होगा, अच्छा प्रजातन्त्र वह होगा जिसमें कानून का राज हो और कानून स्पष्ट हो। आराम की जिन्दगी अच्छे प्रजातन्त्र की निशानी हुआ करती है। इसमें

(श्री आत्माराम चौधरी)

किसी को डिसिक्रमिनेटरी पावर्स दें तो प्रजातन्त्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि किसी को इजाजत दे, किसी को नहीं। इसमें पुरानी राजाशाही की बू आती है। दूसरा देखने वाला कौन होता है कि प्रजातन्त्र में किसको जरूरत है, किसको नहीं। जरूरत मुझे है तो मैं देखूंगा, उसके लिए भीख मांगने की कौनसी जरूरत है। यह जो आप जमीन दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, कायदे-कानून के अनुसार दे रहे हैं किसी पर मेहरबानी नहीं की जा रही है। आज भूमि-हीन का यह हक बनता है, जहां वह रह रहा है अगर जमीन वहां है तो उसे जमीन मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता, उस पर आप बैन नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो मुझे समझाएं, कौनसा तरीका है, कौनसा आपके पास सिद्धांत है जिसके आधार पर बैन लगा रहे हैं कि वह बेच नहीं सकेगा जबकि खातेदारी दूसरे बेच सकते हैं? एक गरीब, जिसको आप साधनहीन कह रहे हैं, पर आपने कोई मेहरबानी नहीं की। उस इलाके में जमीन थी, वह उस इलाके का रहने वाला था, अगर आप कहते है कि हम सबको जमीन देंगे तो देकर देखें, फिर हम मान जायेंगे आपकी बात कि यह ठीक है, आप मेहरबानी कर रहे है। हम नहीं बेचेंगे, इस बात को माना जाएगा लेकिन जब आप हक दे रहे हैं तो उसमें कौनसी मेहरबानी कर रहे हैं कि आपने उसमें कलेक्टर को लगा दिया। फिर कलेक्टर से पावर लेकर राज्य सरकार को सौंप दी है। मैं समझता हूं, कलेक्टर और राज्य सरकार में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि इधर से उधर कर दी वरना कोई फर्क नहीं है। तो आप डिसिक्रिमिनेटरी पावर्स दे रहे हैं, वह आपके दिमाग में पुरानी बू है, वरना होना यह चाहिए कि जिस सिद्धांत पर, जिन प्रिन्सिपल्स पर और जिन नियमों, कायदे कानूनों के अनुसार कलेक्टर परमिशन देगा उसी कानून से राज्य सरकार परमिशन देगी, वे कायदे-कानून इस एक्ट में आ जायेंगे। उसकी पूर्ति करें तो ठीक है; नहीं पूर्ति करें नहीं माना जाएगा। यह तो रही जस्टिफिकेशन की बात।

अब रहा सवाल, यह जो पैसा लिया गया, जो ट्रांजेक्शन्स हुए, जब आप मान रहे हैं कि ट्रांजेक्शन्स गलत हुए तो गलत ट्रांजेक्शन्स को सही आप कैसे करेंगे? सही करने का यह क्या तरीका है कि पैसे दे दो। गलत काम को पैसा लेकर सही करेंगे? यह प्रजातन्त्र है? ऐसा कहीं कायदा-कानून होता है? मैंने गलती की, मुझे सजा मिलनी चाहिए। यह ठीक है जिस आदमी ने गलती की और कानून की अवहेलना की उसकी जमीन खारिज कर दी, उसको बेदखल कर दिया। और वह पैसा दे दें तो उसको जमीन मिल जाय। तो ऐसा कानून दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा कि पैसा देने से गलती माफ। पैसे भी कितने? यह ठीक है अगर किसी ने कुछ गलती की तो उस पर कुछ जुर्माना हो सकता है। साथ ही रिजर्व प्राइस लो? जिसने जमीन खरीदी है उसने पूरे पैसे देकर खरीदी है। खरीदने और लेने वाला कभी कम कीमत में नहीं

Page No 188

(188)

(श्री आत्माराम चौधरी)

लिया-दिया करता, पूरा पैसा दे करके खरीदता है। वह देखता है, उसकी रेट क्या थी, और उस वक्त बाजार रेट क्या थी। आज अगर रुपये की कीमत घटने की वजह से जमीन की कीमत बढ़ गई तो इसमें उसका क्या क़सूर है? उसने पूरा पैसा दिया। उसके उपरान्त आज आप उससे फिर दुबारा कीमत वसूल कर रहे हैं। यह कौनसा न्याय है, कौनसा प्रजातन्त्र है, कौनसे कायदे-कानून हैं? मेरे खयाल से कहीं भी लोग बाग जायेंगे तो कोई भी यह बात नहीं मानेगा कि दुबारा पैसा दिया तो कानून ठीक है, और पैसा नहीं दिया तो अनलाफुल हो गया। तो यह सबसे बड़ी बात है। इतना पैसा कोई नहीं दे सकता। अगर आप राहत देना चाहते हो, जिस तरह से आपने 1982 में यह माना कि नाजायज कब्जे शहरों में, देहातों में, गांवों के अन्दर बहुत हो गये हैं उनको हटाओ मत। दुबारा उनकी पकड़ा-पकड़ी करेंगे तो यह हमारे बस का रोग नहीं होगा। लोगों को बसाना है, लोगों को राहत देनी है, इसलिए उन सबको रेगुलराइज कर दिया। चाहिये तो यह था कि आप सबको रेगुलराइज कर दें। ज्यादा से ज्यादा उसमें यह कर सकते हैं आपकि दो हजार रुपये, पांच हजार रुपये, तीन हजार रुपये जो भी कुछ पेनल्टी रखें उसके लिये कानून कायदे हों, उसके लिये उन्हें किसी के भी पास जाना नहीं पड़े। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट क्रान्तिकारी कानून था। क्रान्तिकारी इस मायने में था कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होते ही स्वत: उसके बेनिफिट हमको मिल गये। नेचुरल बेनिफिट जो मिलने चाहिये उसके लिए किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ा, होना यह चाहिये। जो कुछ आज दे रहे हैं उसके लिये एप्लीकेशन देनी पड़े उसके लिये कलेक्टर के पास जाना पड़े, उसके लिए और किसी के पास जाना पड़े यह कोई देने-लेने वाली बात नहीं है, यह कोई प्रजातन्त्र के उसूलों की बात नहीं है। जो हक हैं और जो हक आप दे रहे हैं, उसके लिये क्यों किसी के पास जाना पड़े। आज आप कानून बनायें और लागू हो जाय, अगर पैसा भरना है तो उसके लिये आप ऐसा प्रोविजन रखें कि इतना पैसा भर दिया, इस तरह से कुछ किया उसको वह राहत मिल जायगी। तो यह क्या तरीका हुआ कि कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर के बजाय गवर्नमेन्ट के पास जाओ। गवर्नमेन्ट फिर अपाइन्ट करे, फिर वह कहे, नहीं साहब, आपने यह ठीक किया। जिसने गलत किया, एक तरफ तो उसका मुरब्बा खारिज कर दिया, उसकी जमीन खारीज कर दी, फिर किसी ने पैसा भर दिया तो कहा, ठीक है साहब। ऐसा कभी दुनिया के किसी भी विधि विधान में है क्या कि पैसा भरने के बाद कानून ठीक हो जाये और पैसा नहीं भरे तो वह गलत हो जाये।

श्री बाऊदयाल जोशी : सुन लों, कांग्रेस के नेताओं।

श्री आत्माराम चौधरी : फिर इस एक्ट में यह भी है कि जिसको बेदखल कर दिया

(श्री आत्माराम चौधरी)

गया है उस पर यह लागू नहीं होगा और जिसने कानून को नहीं माना, जो आज तक बेदखल नहीं हुआ उससे पेनल्टी लेकर, पैसा लेकर जमीन उसको दे दी जायगी। जिसने राज्य सरकार के आदेश को नहीं माना उसको तो फायदा मिलेगा और जो लायल रहा और जिसने कलेक्टर के आदेश को मान लिया, जमीन छोड़ दी और बेदखल हो गया उस पर यह लागू नहीं होगा। उसके लिए आप फीस रख सकते हैं। यह कहां का न्याय है कि जो आदमी कानून के मुताबिक चले उसको आप राहत नहीं देते। जो बेदखल हो गया उसको जमीन नहीं मिलेगी, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जो बेदखल नहीं हुआ उसके लिए तो आपने प्रोविजन रख दिया कि उसको जमीन दे देंगे, उससे कुछ पैसा ले लेंगे हालांकि पैसे वाला मामला भी सोचने वाला है। तो यह बड़े लालच की बात मैं समझता हूं। कोलोनाइजेशन का जहां तक मैं समझता हूं, यह कहा करते थे अंग्रेज, कि हिन्दुस्तान कालोनी है, कहा करते थे कि यह अफ्रीका कालोनी है। कालोनी का विद्वान शायद मैं इतना नहीं, कालोनी का कोई और भी अर्थ हो पर मैं यह समझता हूं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक तरफ आपने मौरूसी खातेदारी राइट्स दिये हैं। खातेदारी राइट्स देने के बाद राज उसमें कहां से हिस्सेदार रह गया। बन्दर बांट की तरह से जिसने खाते ट्रान्सफर किये वह या ट्रान्सफरी, दोनों में से किसी के पास जमीन रहे, पर यह गवर्नमेन्ट कहती है कि नहीं, इसके पास भी नहीं रहेगी उसके पास भी नहीं रहेगी, मैं लूंगा जमीन। इस तरह की बात कहीं चल सकती है। यह सारी बातें हैं। मैं समझता हूं यह हमारा दुर्भाग्य है कि ये सोचने की कोशिश नहीं करते। ये जो हमारे नुमाइन्दे हैं, यह इस तरह के कानून-कायदे कैसे लाते हैं यह समझ में नहीं आता। जो आदमी गवर्नमेन्ट का लायल है, जो गवर्नमेन्ट के कानून को मानने वाला है वह बेदखल हो गया, उसके लिए इसमें कोई राहत नहीं और जो बीस साल से कायदे-कानून नहीं मान रहा है और जो बेदखल नहीं हुआ है, उसके लिए आज भी इन्होंने रास्ते खोल दिये हैं कि ठीक है। जो पैसा नहीं देता, जो मुफ्त में जमीन पर कब्जा करता है उसके लिए गवर्नमेन्ट खुद ही कह देती है कि ठीक है। लाखों रुपयों के केसेज हैं वह तो गवर्नमेन्ट ने रेगुलराइज कर दिये, कायदे कानून से जिसने कोशिश की उसको कुछ नहीं मिला, कायदे-कानून में जो रहा उसको कुछ नहीं मिला, आज भी जमीन नहीं मिलेगी उसको, कायदे-कानून को जिसने नहीं माना उसको जमीन मिलेगी। यह क्या न्याय हुआ, क्या कानून हुआ? यह प्रजातन्त्र की कोई अच्छी पिक्चर नहीं है प्रजातन्त्र में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, और कोई बात कहें। यह तो उसी बात का रिपीटीशन है, पुनरावृति बार-बार कर रहे हैं। आप दूसरी कोई बात कहना चाहते है तो कहिये।

श्री आत्माराम : ऐं ?

श्री सभापति : और कोई माननीय सदस्य ?

श्री पीरूराम (टोबी) : सभापति महोदय, यह उपनिवेशन विभाग का सब्जेक्ट चल रहा है। इसमें मन्त्री महोदय ने बताया कि जिसने जमीन कलैक्टर की मन्जूरी से नहीं खरीदी है उसको दुबारा पैसे भरने पड़ेंगे और वह भी पूरी रकम। बड़े अफसोस की बात है, मन्त्री महोदय ने यह बात तो रख दी, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी काश्तकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ जाय शादी के लिए या कोई और चीज खरीदने के लिए तो वह क्या रखेगा ? जमीन ही रखेगा और जमीन ही बेचेगा। मान लो एक काश्तकार यह नीयत बना लेता है कि भई तुम्हारी दो महीने के अन्दर रजिस्ट्री करवा दूंगा। दो महीने के अन्दर कलेक्टर मन्जूरी नहीं देता है तो क्या हाल होगा। कलेक्टर 6–6 महीने तक मन्जूरी नहीं देता है। कई केसेज में मैं गंगानगर साथ गया हूं, हमारे क्षेत्र में तो 6–6 महीने तक कलेक्टर मन्जूरी नहीं देता है। उन स्थिति में काश्तकार क्या करेगा ? वह रजिस्ट्री करायेगा। तो रजिस्ट्री गलत नहीं हुई है। इसकी पीड़ा है, उसने जमीन बेची है। काश्तकार जमीन नहीं बेचता है सब कुछ कर सकता है। वह पीड़ा की वजह से दुखी होकर जमीन बेचता है। उस पर पहले 500 रुपये जुर्माने के सुनने में आये थे नियम के हिसाब से कि 500 रुपया जुर्माना भरने से रजिस्ट्री कायम रह सकती है। अब भी लगा दो, हजार रुपया लगा दो, दो हजार रुपया लगा दो मुरब्बे का, यह थोड़े ही कि 35 हजार, 29 हजार या सात हजार बारानी का। इस पैसे से कोई भूमिहीन लाइन में खड़ा हो कर जमीन ले सकता है। इतने सालों से वह काश्त कर रहा है तो उसके साथ यह अन्याय नहीं करें। उसके अन्दर यही हो सकता है कि हजार, दो हजार रुपये जुर्माना लगाकर कलेक्टर उसे परमिशन दे दे और रजिस्ट्री कायम रख दे।

दूसरा सवाब यह है, जैसा माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने भी यह प्रस्ताव रखा था, 81 तक शहरी भूमि चाहे एक लाख रुपये की जमीन हो, चाहे दो लाख रुपये की जमीन हो, चाहे हजार रुपये की जमीन हो, नियमित कर दी जाय तो क्या काश्तकार के लिये यह रूल नहीं लागू होगा कि जो काश्तकार गलती कर चुका उसकी जमीन भी नियमित कर दी जाये ? नियम सरकार बनाने जा रही है तो कुछ सोचना भी चाहिये। ये दुकानदारी नहीं खोले यह तो एक दुकानदारी हो गई, पैसे कमाने हैं। काश्तकार ने गलत काम कर दिया तो उसको सजा दो, दुबारा उसे जमीन अलाट मत करो। साथ ही वही पैसे सरकार वसूल करे। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि एक तरफ तो अपना तो काश्तकार एक अन्न है वह अन्न पैदा करता है। हिन्दुस्तान में या वर्ल्ड में अन्न भेजता है, दूसरी तरफ उसको मिलता क्या है। मैं जानता हूं एक मुरब्बा जिस काश्तकार के पास गंगानगर जिले में

(श्री पीरूराम)

जमीन है, वह अपने घर का खर्चा पूरा नहीं चला सकता। फिर हमारे पास सबसे मोटी दिक्कत यह है, आज वह मान लो मुरब्बा छोड़ दे, साढ़े नौ हजार रुपये के काश्तकार पर उस मुरब्बे के सरकार ने नोटिस दे रखे हैं। एक नोटिस मेरे पास है वह मैं बताना चाहता हूं कि चार सौ रुपये तो असली, वाटर और खातों के और 422 रुपये ब्याज के। तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार काश्तकार के लिये क्या करने जा रही है। एक काश्तकार है भागीरथ बाबूलाल, इसको राजस्थान भूमि विकास निगम ने नोटिस दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो मूल रकम थी उससे अधिक ब्याज लगाया। एक व्यक्ति पर 452 रुपये की तो असली रकम है और 407 रुपये ब्याज के हैं, 1808 रुपये असली रकम है 1222 रुपये ब्याज के हैं। यह ब्याज तो उन पर है, जो 75 में फोटो फार्म हमारे लिये गये थे। सारे वाटर कोर्स खेत में बनाये और ब्याज ओवर ड्यू ब्याज है वह अब भी काश्तकार पर लग रहा है। तो ऐसे काश्तकार बेचारे ब्याज, ब्याज के लिए तड़प रहे हैं। वह काश्तकार मेरे पास आया और मुझे बताया है कि यह ब्याज मेरे ऊपर है, मैं कैसे भरूं इसे? एक तरफ उसके वाटर कोर्स का ब्याज है दूसरी तरफ उसकी जमीन टूट रही है। रजिस्ट्री कराकर उसने जमीन दी है वह भूमि से महरूम हो जायेगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है सरकार से कि इसमें दो हजार रुपये, तीन हजार रुपये, पांच हजार रुपये मुरब्बे का जुर्माना करके वह रजिस्ट्री कायम रख दी जाय। उस काश्तकार से पूरी रकम नहीं भरा कर इसी पर रखी जाय। काश्तकार की हालत बहुत बुरी हालत है।

इसी के साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, जैसा कि पूर्व में मन्त्री महोदय ने बताया कि यह हमने इसलिए लागू किया है....

श्री सभापति : जो पहले आपने प्रश्न किया उसके अतिरिक्त कोई बात कहें।

श्री देवीसिंह भाटी : अतिरिक्त कह रहा हूं।

जिस प्रकार से गरीब तबके के, एस.सी. और एस.टी. क्लास के लोगों ने जमीन बेच दी वह फिर भूमिहीन की श्रेणी में आ गये। इसी प्रकार से दूसरे जो गरीब तबके के, कमजोर वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपनी भूमि बेच दी फिर वे भी भूमिहीन की कैटेगरी में आकर हमारी लाइन में आकर खड़े हो गये। मैं यह पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, एस.सी. एस.टी. या कमजोर तबके के लोग अब भी बेचेंगे, क्या उसे आप रोक पायेंगे? नहीं रोक पायेंगे। वह फिर भी बेचेगा। उसके बाद क्या होगा? यह होगा कि जमीन उसकी अगर एक लाख में बिक रही होगी तो 30 हजार तो खरीददार पहले कम करवा लेगा, भई, मुझे तो फाइन वहां

(श्री देवीसिंह भाटी)

आगे भरना है इसलिए वह कम करो। तो उसे और ज्यादा कीमत कम मिलेगी। जो बेचने वाला है, जरूरतमन्द है। वह तो फिर भी बेचेगा। ऐसी सरकम्सटासेंज उसके सामने आ जाती हैं कि उसे भूमि बेचनी पड़ती है। ऐसे पारिवारिक कई कारण हो सकते हैं कि वह भूमि संभाल नहीं पाता। चाहे विधवा हो, चाहे और किसी श्रेणी का हो, ऐसी परिस्थितियां उसके सामने खड़ी होती हैं तब तो वह भूमि बेचने के लिए तैयार होता है वरना हर आदमी, जो भूमि काश्त करता है, किसी भी हालत में भूमि नहीं बेचता। तो इस बात की ओर ध्यान दें। इस प्रकार की सूचना देकर सदन को गुमराह नहीं करें, मन्त्री महोदय। मैं एक बात सोचता हूं इसके पीछे राज्य सरकार ने यह सोचा हो कि पंजाब के लोग आकर ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : भूमि नहीं खरीद लें। पंजाबी किसी प्रकार यहां आयें और भूमि न खरीद लें। उनसे ज्यादा कहीं पंजाबी आकर बस न जायें। हम भी नहीं चाहते कि बाहर से कोई पंजाबी आयें, हमारी जमीन लें और हमारे आदमी भूमिहीन हो जायें। उसके लिए जैसा आपसे पूर्व में प्रावधान कर रखा था कि अगर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं लगायें माननीय सदस्यों को।

श्री देवीसिंह भाटी : किसी ने बगैर परमिशन भूमि अपनी बेच दी है तो जैसा कि पूर्व में प्रावधान था, अगर बगैर इजाजत कोई अपनी भूमि बेचेगा तो वह भूमि एक्वायर कर ली जायेगी, रिज्यूम कर ली जायेगी। उस स्थिति के अन्दर खरीदने वाला निश्चित तौर पर 10 बार सोचता था कि जिससे मैं भूमि खरीदने जा रहा हूं वह भूमि खरीदने के बाद भी रेगुलेराइज नहीं होगी क्योंकि नियम कानून ऐसा बना हुआ है। अगर भूमि मैंने फिर भी खरीद ली तो इस नियम और कानून के तहत मेरी भूमि एक्वायर हो जायेगी, रिज्यूम हो जायेगी। वह प्रावधान आप हटा रहे हैं। आप प्रावधान यह कर रहे हैं कि भूमि वह बेशक रेगुलेराइज करा ले, गलत खरीदी है, बगैर परमिशन खरीदी है वह भले ही खरीद ली उसे रेगुलेराइज करा ले और हमें कीमत दे। वही बात आ गयी कि पैनल्टी भी दे और कीमत भी दे। इस प्रकार से आपका भूमि बेचने से रोकने का जो प्रयास है उससे भूमि बिकने से रुक नहीं पायेगी। मेरा इसमें यह सुझाव था कि आप इसके ऊपर पुनर्विचार करें। इस प्रकार से आप का भूमि बेचान रोकने का किसी प्रकार से यह कार्य सफल नहीं होगा। अगर आप पूर्व में ही देखें तो धारा 14 के तहत कलेक्टर को पूर्व में भी पावर्स हैं कि वह उस पर फाइन लगाकर, पैनल्टी लगाकर उसको रेगुलेराइज कर सकता था। अब इसके पीछे निहित स्वार्थ स्पष्ट नजर आता है, पैनल्टी

(श्री देवीसिंह भाटी)

के साथ कीमत वाली एक शर्त जोड़ रहे हैं, 30 हजार रुपये कीमत के लेने जा रहे हैं। इस से जो हक है उस काश्तकार का जो जमीन लेने जा रहा है या जमीन जिसके पास है, उसको नहीं देखा जा रहा है। अगर ऐसा ही आप कानून लाना चाहते हैं तो मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, यह आप शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं ला रहे ? जो शहरी क्षेत्र में नाजायज काबिज हैं, शहरी क्षेत्र में जो नाजायज कब्जा करते हैं, विदाउट परमिशन जो ले लेते हैं क्या उनके ऊपर कोई भी नियम के तहत आपने पाबन्दी लगायी है या ऐसा कोई नियम आपने बनाया है ? काश्तकार क्योंकि भोला है, वह आर्गनाइज्ड नहीं है, उसकी कोई यूनियन नहीं है, वह कहीं सुनवाई करवा नहीं सकता इसलिए जैसा आपकी मन मर्जी आये वैसा आप कानून बना दो। काश्तकार बेचारे को तो भुगतना ही होगा, उसे मानना ही पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूं, आप कानून शहरी क्षेत्र मे लागू करो। लागू करके देखिये और वसूल करके हमें बताइये। शहरी क्षेत्र में एक पैसा कोई देवाल नहीं है इसलिए गांव के रहने वाले सारे भोले भाले किसानों को आप इस प्रकार से दण्डित करके रकम वसूल करना चाहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। यह अगर स्थिति बनी रही तो जो लोग जमीन बेचना चाहते हैं वह निश्चित रूप से फिर भी बेचेंगे क्योंकि वह जरूरतमंद है। परन्तु यह हो जायेगा उन्हें कीमत कम मिलेगी। जिसकी आवश्यकता है, जिसको जरूरत है वह जमीन बेचेगा। उसे लाख के बजाय 75 हजार मिलेंगे। खरीदने वाला फिर भी खरीदेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसके ऊपर आप निश्चित तौर पर पुनर्विचार करें। बेदखली वाला भी रखें तो उसका निश्चित तौर पर खरीददार पर एक डर रहेगा, एक अंकुश रहेगा, एक तलवार लटकी रहेगी कि अगर मैंने यह अनियमित रूप से भूमि खरीद ली तो यह भूमि, जो कानून के तहत आती है उसमें एक्वायर कर ली जायेगी, रिज्यूम कर ली जायेगी। यह एक पाबन्दी लगायें तो निश्चित तौर पर इसमें रुकावट हो सकती है वरना भूमि बेचने वाला बेचता रहेगा, खरीदने वाला खरीदता रहेगा और लैण्डलैस जिसको होना है वह तो होता रहेगा। इसके बारे में विचार करें, यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री चन्दन मल बैद : सभापति महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया कि जो जमीन बेच देता है बिना सरकार की या कलेक्टर की इजाजत के और जो जमीन पर काबिज होता है, उसको वापस बेदखल कर दिया जाय और जमीन राज्य अपने कब्जे में ले ले। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। यही प्रावधान इस कानून में है। हम जो कुछ भी रेगुलेराइज कर रहे हैं पिछले केसेज को कर रहे हैं, फ्यूचर के केसेज को नहीं कर रहे है। फ्यूचर के लिए अब यही है कि अगर

(श्री चन्दनमल बैद)

कोई सरकार की इजाजत के बगैर जमीन का हस्तान्तरण कर देगा, ट्रान्सफर कर देगा तो उसकी जमीन पर जो आदमी आकर काबिज होगा उसको बेदखल कर दिया जायेगा और वह जमीन सरकार में निहित हो जायेगी। यही प्रावधान है। पहले भी यही था लेकिन चूंकि कलेक्टरों को यह अधिकार दिया हुआ था, कानून की गलतफहमी के कारण से कलेक्टरों ने कुछ तो ट्रांसफर्स के पहले और कुछ ट्रांसफर्स के बाद इजाजत दे दी। कुल लोगों को इजाजत मिल गयी, कुछ लोगों को नहीं मिली। इस बात से यह सोचा गया कि पिछले जितने केसेज हैं एक बार उनको रेगुलेराइज कर दिया जाय। आखिर सरकार भी यह चाहती है कि बहुत लोगों को परेशानी, तकलीफ नहीं हो जाय लेकिन आगे से सरकार का यह विचार है। इसी वास्ते इस कानून, जैसा कि पहले मैंने निवेदन किया, को और कड़ा किया जा रहा है। कलेक्टरों से यह आदेश, यह अधिकार लेकर के राज्य सरकार में स्थानान्तरित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार किसी आफिसर को उसके लिए नियुक्त कर सकती है। उसके लिए नियम बना देंगे कि किन किन कारणों से किसी को बेचने का अधिकार दिया जा सकता है। जैसा आपने कहा है किसी को तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, जमीन काश्त नहीं कर सकता है, उसके घर में कोई ऐसा है ही नहीं, कोई पुरुष ही नहीं है, केवल यह एक कमी और रह गयी है। नियम बनेंगे तो नहीं कह सकता कि सरकार अभी किस तरह के नियम बनायेगी लेकिन ऐसे नियम बनायेगी।

श्री सभापति : हमने यह कहा कि कलेक्टर लोग जल्दी नहीं करते हैं उसके लिए भी बंदिश रखी है।

श्री चन्दन मल बैद : हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी हो। देरी हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं क्योंकि पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह एक सोशल वैलफेयर इकानामिक मेजर है जो सरकार ने लिया है। अपनी जमीन को डेढ़-दो लाख, ढाई लाख में नहीं बेचकर 15 और 26 साल में केवल 25 या 35 हजार में सरकार किसी को जमीन दे रही है। वह लोग जिन्होंने एक मुश्त डेढ़ दो लाख रुपये दे करके जमीन खरीदी है उन लोगों को आप यह नहीं कह सकते वह गरीब थे। एक तरफ तो आप यह कहते हैं, अभी टीवी से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे कि चार सौ रुपये महीने की किश्त आदमी कैसे दें? उस वक्त ये शिकायत कर रहे थे। तो एक तरफ तो आप शिकायत यह करते हैं कि लैंडलैस आदमी 400 रुपये एक बार में नहीं दे सकता है। आपने किश्तों में लेने का सुझाव दिया है। तो यह सोचिये एक तरफ तो जो बहुत गरीब है उनकी बात करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनकी इमदाद करना चाहते हैं जिन्होंने एक मुश्त डेढ़ लाख रुपये, दो लाख रुपये दिये। तो डेढ़ लाख, दो लाख रुपये देने वाले, सभापति महोदय, भूमिहीन लोग नहीं हैं,

(श्री चन्दनमल वैद)

गरीब लोग नहीं हैं। गरीब होते तो एक मुश्त डेढ़ लाख, दो लाख रुपये नहीं दे सकते थे। आज अगर हम इस विधान सभा में कुल मिलाकर देखें, तो कितने ऐसे माननीय सदस्य होंगे जो एक मुश्त डेढ़ लाख, 2 लाख रुपये दे सकते हों। वे सम्पन्न लोग थे लेकिन फिर भी हमने यह सोचा कि 30 साल कानून बने हुए हो गये, 1954 में यह कानून बना था आज सन् 1983 है, 29 साल हो गये, किसान लोगों ने जमीन ले ली, बहुत से लोग उन पर काबिज हो गये, उन्होंने सुधार कर दिये। एक दफा थोड़ा सा जनरस होकर, थोड़ा सा नर्म होकर, मुलायम होकर उनको यह कह दिया कि आज के टाइम तक, 5 अगस्त तक जिन लोगों ने इस तरह के ट्रान्सफर कर दिये, 5 अगस्त से 6 महीने के अन्दर जो लोग इस तरह की दरख्वास्त देकर रिजर्व प्राइज जमा करा कर के रेगुलेराइज कराना चाहेंगे उनको रेगुलेराइज कर देंगे लेकिन आगे नहीं होंगे। आगे से वह ट्रान्सफर करने के अधिकार भी कलेक्टर को नहीं दे करके, सरकार ने अपने पास में ले लिये हैं। वह किस लिये? आखिर में हम किसी आदमी को बसने को जमीन दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि वह अपनी इकानामिक कन्डीशन्स सुधारे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारे। ठीक है हम कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये वह मेहनत नहीं करता। वह मेहनत नहीं करता था। यह भी कारण हो सकता है और यह भी हो सकता है कि उस समय सामाजिक कुरीतियां ऐसी थीं जिनके कारण कमाई के साधन उसके साथ में थे ही नहीं। यदि आज मुझे जमीन मिल गयी, आप मुझे पढ़ायें-लिखायें नहीं तो आखिर मैं क्या करूंगा? मैं गरीब ही रहूंगा। अगर आप मुझे जमीन दे देंगे, पढ़ा-लिखा कर होशियार बना देंगे तो मैं भी आपके बराबर खड़ा हो सकता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको कमाई के अपने साधन नहीं दिया, उनको अछूत समझ कर आज तक आगे नहीं आने दिया। तो केवल मेहनत के कारण से ही कोई गरीब नहीं हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी जिन जिलों में हमारी कालोनीज बसी हुई हैं, आज भी इस बात को देखेंगे कि मेहनत करने वाले तो वही हरिजन हैं, और वही मेहनत कर रहे हैं। यह कहना सही नहीं है वह गरीब इस बात से हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की। सही बात यह है कि उनकी मेहनत का फायदा हम उठा रहे हैं। इस वास्ते सरकार ने अगर उन लोगों को ऊंचा उठाने के लिये एक मेजर अपनाया है कि हमारी दो लाख की, डेढ़ लाख को, ढाई लाख की, तीन लाख की या जितनी भी कीमती जमीन है हम रियायती कीमत पर, बहुत आसान किश्तों पर गरीब लोगों को, हरिजन लोगों को और आदिवासियों को दे रहे हैं तो हम उनके ऊपर कम से कम अंकुश भी लगायें कि वह किसी लालच में आकर अपनी जमीन को बेच नहीं दें, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं डाल दें और वापस लैण्डलेस नहीं हो जायें। लेकिन पिछले केसेज हम नहीं उठाना चाहते, बहुत कुरेदना

(श्री चन्दनमल बैद)

नहीं चाहते । इसलिये आगे के लिए तो नहीं बना सके लेकिन आज तक जो केसेज हुये हैं कुछ जुर्माना लेकर, राशि लेकर हम उनको रेगुलेराइज करना चाहते हैं । इसलिये यह कानून लाये हैं कि इन सारे केसेज को एक दफा रेगुलेराइज कर दिया जाय । कानून में प्रावधान यह है, और इसी विधान सभा में उन कानून को पास किया है कि हम चाहें तो जमीन से बेदखल किया जा सकता है, और जमीन का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है । लेकिन उसको भी हम नरम कर रहे हैं । कानून है उसी कानून के अनुसार काम हो रहा है । इसी विधान सभा में इसको पास किया है लेकिन उसको नरम करके कहा जा रहा है कि भई, अगर रिजर्व प्राइस हमको देते हैं, तो हम उसको रेगुलेराइज कर देंगे, उसको बेदखल नहीं करेंगे । जमीन का आगे से पुनर्ग्रहण नहीं करेंगे लेकिन फिर रेगुलेराइजेशन भी नहीं होगा । 5 अगस्त की तारीख तक हमने उसको कह दिया उस वक्त तक जो ट्रान्सफर हो गया है और उसकी भी दख्वास्त 180 दिन में आ जायेगी तो उसी को रेगुलेराइज करेंगे, वह भी खातेदार टिनेन्ट को, अगर गैर खातेदार टिनेन्ट ने ट्रान्सफर किया है तो उसको रेगुलेराइज नहीं करेंगे । तो यह काफी कड़ा कानून इसी वास्ते बना रहे हैं । जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने शंका प्रकट की है वह शंका मेरे दिल में भी है । आज मान लीजिये गंगानगर में कुछ हो गया, जो चीज गंगानगर में हुई है वह जैसलमेर में या बीकानेर में नहीं हो उसके लिये जितने आप चिन्तित हैं, उतनी ही सरकार भी चिन्तित है । इसी वास्ते ये संशोधन लाया हूं ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं; सभापति महोदय, इस बिल को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया गया ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983

राजस्थान पास बुक (कृति जोत) अध्यादेश, 1983 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प । श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री देवीसिंह भाटी, डा. उजला अरोड़ा, श्री नाथूसिंह, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन, श्री महावीर प्रसाद, श्री घनश्यान तिवाड़ी, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य । इनमें से कोई सदस्य बोलना चाहें तो....

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : कोई नही बोलना चाहेंगे....

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : विचारार्थ लेने का जो प्रस्ताव है उस पर संशोधन प्रस्तावों पर कोई माननीय सदस्य कुछ विचार प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं। श्री बंसीलाल, श्री हंसराज शार्मा, श्री अनंग कुमार जैन। कोई नहीं बोलना चाहेंगे।

एक माननीय सदस्य : कोई नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्जान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 और 3

इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 और 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड : 4

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : "वन्दे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकेकनाथम्।"

माननीय सभापति महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने जो सदन के सामने राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 प्रस्तुत किया है उसके खण्ड 4 में संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं, "खण्ड-4 के उप-खण्ड 3 में प्रयुक्त षब्द "विहित फीस" के स्थान पर शब्द "विहित फीस जो दो रुपये से अधिक न हो" प्रस्थापित किये जायें।

यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है उसके पेज नम्बर 4 पर पैरा 3 में है, यदि उप-धारा (2) में यथावर्णित ऐसी जांच के परिणाम स्वरूप, उप-धारा (1) के अधीन कृषक द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणा में विनिर्दिष्ट समस्त या किन्ही सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उसके अधिकारों के बारे में राजस्व अधिकारी का समाधान हो जाये तो तो वह फीस, जो दो रुपये से अधिक न हो, जोड़ी जाये। मैंने जो दो रुपये फीस का उल्लेख किया है उसके पीछे कुछ आधार हैं, सभापति महोदय। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने द्वितीय ज्ञापन इसके साथ सदन में प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया)

किया है कि एक पास बुक के मुद्रण पर लगभग एक रुपया खर्चा होगा, प्रत्येक कृषक के लिये एक मूल पास बुक और एक कार्यालय प्रति की आवश्यकता होगी। कृषक को पास बुक जारी करने के सम्बन्ध में प्रत्येक पास बुक और उसकी कार्यालय प्रति पर दो रुपया खर्च होगा। यानी जो कृषक को पास बुक दी जायगी उसमें, सरकार स्वयं मानती है, दो रुपया मुद्रण का खर्चा आयेगा। उसके बाद भी पांच रुपये पास बुक के लेने का भी इसमें उल्लेख किया गया है। द्वितीय ज्ञापन में पैरा नम्बर 3 में रुपया पांच की रकम पास बुक जारी किये जाने के समय प्रत्येक कृषक से वसूल होगी। मूल जो विधेयक है उसमें कोई इसका उल्लेख नहीं है कि फीस अभी पांच रुपया रखी है। हो सकता है कि कोई कृषक विरोधी सरकार आ जाये तो वह 50 रुपया या 100 रुपया भी कर सकती है। इसलिये इसमें स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। इसलिए मैंने कम से कम रकम रखने....

श्री महाराम चौधरी : इससे विरोधी सरकार कब आयेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : लोकदल और बी. जे. पी. का गठबधन हुआ है इसी वजह से।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : जिसमें सिर्फ मुद्रण का खर्च दो रुपया आयेगा वह किसान से ली जाये। यह शब्द इसमें जोड़ दिया जाए, यही मेरी प्रार्थना है :

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमान् मैंने दो अमेण्डमेण्ट मूव किये हैं। आप मुझे इजाजत दें तो मैं दोनों पर एक साथ बोल लूं। मैं दोनों को एक साथ मूव करता हूं। खण्ड-4 के उप खण्ड (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "और जाँच से सुसंगत किसी अन्य आधार पर" को विलोपित लिया जाये। खण्ड–4 के उप खण्ड (2) के अन्तिम शब्द "विहित की जाये" और पूर्ण विराम "1" के मध्य शब्द "किन्तु इस जांच के परिणाम से प्रतिकूल रूप से प्रभावित कृषक इसकी अपील विहित अधिकारी के समक्ष कर सकेगा" अन्तः स्थापित किए जायें।

जहां तक एक्ट की स्प्रिट है, वह बहुत ही सुन्दर है। आप यह चाहते हैं, कि काश्तकारों के लिए ऋण की सुविधा लेने को जब काश्तकार किसी फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन के सामने जाता है तो वह अपनी जमाबन्दी प्रस्तुत करने को पास बुक प्रस्तुत कर दे। उस पास बुक के आधार पर उसको ऋण मिल जाया करे। यह आप सुविधा देना चाहते हैं और इसी के लिए आपने पूर्ण एक्ट बनाया है। लेकिन आपने इस एक्ट में प्रावधान यह किये हैं कि कोई कृषक पहले अपना डिक्लेरेशन करेगा रेवेन्यू आफिसर के सामने जो तहसीलदार लेवल का होगा, तहसीलदार लेवल का वह व्यक्ति पूरी जांच करेगा उस पास बुक की और उसके बाद वह पास बुक जारी करेगा, पास बुक की एन्ट्री टाइटल होल्डर की प्राइमा फेसी एविडेन्स होंगी। उसमें जितने जनरल प्रोविजन्स हैं उनका दूसरे लॉ पर ओवर

(श्री हरिसिंह)

राइड प्रभाव होगा। राजस्थान में जितने भी कानून हैं उन सबसे यह सर्वोपरि होगा जो उनमें प्रोविजन है, वह इसके सामने खण्डित माने जायेंगे। ऐसा एक ढांचा लेकर सरकार हमारे सामने आई है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो संशोधन लाना चाहता हूं वह यह है कि इसके खण्ड 4 (2) में आपने यह लिखा है :

उप धारा (1) के अधीन कृषक द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणा के प्राप्त हो जाने पर राजस्व अधिकारी, घोषणा में विनिर्दिष्ट भूमि या उसमें उसके द्वारा धारित भूमि किसी हित के संबंध में या उस पर खड़ी फसलों के संबंध में कृषक के अधिकार के बारे में वार्षिक रजिस्टरों के आधार पर और जांच से सुसंगत किसी अन्य आधार पर ऐसी रीति से जांच करेगा या करायेगा जो विहित की जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "जांच से सुसंगत किसी अन्य आधार" जो शब्द हैं यह विलोपित किये जायें।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इसमें एडीशन चाहता हूं कि इस जांच के दौरान किसी प्रतिकूल रूप में प्रभावित कृषक इसकी अपील किसी विहित अधिकारी के समक्ष कर सकेगा। मैं यह दो संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं, श्रीमन्, राजस्थान में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें तहसीलदार लेवल के अधिकारी को राजस्थान के टिनेन्ट या राजस्थान के एग्रीकल्चरिस्ट्स के राइट्स की इन्क्वायरी करने की पावर दी गयी हो। आप टिनेंसी एक्ट उठाकर देख लीजिये, आप लैण्ड रेवेन्यू एक्ट उठाकर देख लें, उन सबके अन्दर एस. डी. ओ. लेवल से नीचे के अधिकारी को यह अधिकार नहीं दिये गये हैं कि वह इनके राइट्स की इन्क्वायरी करे। यहां आप तहसीलदार लेवल के आदमी को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह काश्तकार के, एग्रीकल्चरिस्ट्स के राइट्स की जांच करेगा। जांच करते समय आपने फिर क्या वाइड डिसिशन दिया है कि एनुअल रजिस्टर्स भी उसका आधार होंगे, और एनुअल रजिस्टर्स के अलावा जांच से सुसंगत अन्य सभी बातें आधार मान लीं आपने। होना यह चाहिए कि तहसीलदार जो जमाबन्दी के अन्दर इन्द्राज है एनुअल रजिस्टर्स में लिखा हुआ है, जो खतौनी के अन्दर लिखा हुआ है उसकी कापी पास बुक में कर दे। अब इससे क्या होगा, आप यह अधिकार उसको दे देंगे, हम तहसीलदार के पास जाते हैं, मैं दरख्वास्त देने जाता हूं, मेरे पास 50 नम्बर जमीन है, दूसरा आदमी दरख्वास्त देने जाता है उसके पास 20 नम्बर है, तहसीलदार साहब को अधिकार है, वह एनुअल रजिस्टर से तो बाउंड नहीं है वह जमा बन्दी से तो बाउन्ड है नहीं, वह तो उस पर 5 गवाहों के दस्तखत ले लेंगे, 5 गवाहों के सामने दस्तखत ले लेंगे और मेरे खाते की जमीन दूसरे के इन्द्राज कर देंगे और दूसरे खाते की जमीन मेरे इन्द्राज कर देंगे।

(श्री हरिसिंह)

You are opening flood gate of litigation. वह भी किस के लिए? तहसीलदार लेवल के आदमी के लिए। तहसीलदार लेवल से तो आप नीचे नहीं जा सकते हैं। आपने राजस्व अधिकारी की जहां परिभाषा दी है, वहां आप लिखते हैं, उसमें "राजस्व अधिकारी" से कोई तहसीलदार या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है" यानि हो सकता है। कोई भी अधिकारी आपका तहसीलदार भी हो सकता है, आपका गिरदावर हो सकता है, आपका पटवारी हो सकता है। आफिसर की जो परिभाषा है वह यह नहीं मानती कि आफिसर गजेटेड आफिसर होना चाहिए। तो आपका रेवेन्यू का जो आफिसर है, पटवारी को भी आप चार्ज दे देंगे और यह अधिकार अगर गिरदावर को पहुंच गये, तो वह क्या जांच करेंगे, राइट्स की जांच करेंगे? फिर पास बुक में अगर तहसीलदार सहाब ने यह लिख दिया कि उस आदमी के पास यह 15 बीघा जमीन है, यह आवेश में लेकर जाता हूं कि 50 बीघा जमीन है और घोषणा पत्र में तो सब जगह ही लिखते हैं, वह 10 बीघा लिख दिये और फिर तहसीलदार द्वारा जारी की हुई पास बुक अन्तिम है, उसकी कहीं अपील का प्रावधान नहीं किया है। तहसीलदार साहब तो आप समझते हैं कि कितने गलत फैसले कर सकते हैं। उस तहसीलदार के खिलाफ अगर कहां जाकर मैं एग्रीव्ड हूं, प्रभावित हूं तो किस के पास जाकर कहूंगा, ? कलेक्टर नहीं सुनेगा, एस. डी. ओ. नहीं सुनेगा और कोई भी नहीं सुन सकेगा, सिर्फ मैं रेवेन्यू कोर्ट में जा सकूंगा। सेक्शन नाइन आफ दी लैंड रेवेन्यू एक्ट में जहां सुपरिन्टेन्डेन्ट की पावर यूज करेगा रेवेन्यू बोर्ड। कहां जायेगा वह काश्तकार रेवेन्यू बोर्ड में जाकर के। तो मैं आपसे संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिसे पास बुक के लिए रिकार्ड आफ राइट्स बनाना चाहते हैं, आप जिसे पास बुक के लिए प्राइमा फेसी एवीडेंस के रूप में लेना चाहते हैं आप जिस पास बुक को इश्यू करना चाहते हैं, एक अधिकारी से जांच करवाकर जो तहसीलदार लेवल का है उसको आप इतने वाइड अधिकार मत दें। उसे आप सिर्फ इतने पावर्स दीजिये कि उसकी जांच का अधिकार रिकार्ड आफ राइट्स से ऊपर जमाबन्दी का होगा। रिकार्ड आफ राइट्स का अधिकार उसको नहीं होना चाहिए। पास बुक के अन्दर इन्द्राज करने का अधिकार न हो सिर्फ। एक बात दूसरे आप देखते हैं, तहसीलदार साहब कितने गलत फैसले करते हैं, वह तो मौके पर जाकर के किसी की जमीन किसी के नाम खसरे के अन्दर दर्ज कर देते हैं। किसी की चीज किसी के नाम हो जाती है, हम इस बात को रोज देखते हैं। वह काम यहां शुरू हो जायेगा और काश्तकारों के लिए पास बुक लेना मुश्किल हो जायेगा। मैंने पास बुक लेने के लिए दरख्वास्त पेश कर दी, दूसरे ने जाकर एतराज पेश कर दिया मुकदमा शुरू हुआ तहसीलदार साहब के सामने। तो हजारों ऐसे मुकदमे शुरू हो जायेंगे पास बुक के

(श्री हरिसिंह)

नाम पर तहसीलों के अन्दर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो प्रावधान आप जिस एक्ट में लेकर आये हैं उसमें आप तहसीलदारों के अधिकारों को सीमित करिये, उसको आप यहां तक पाबन्द करिये कि सिर्फ एनुअल रजिस्टरों का आधार होगा। अगर वह गलती करता है तो कम से कम एक अपील तो प्रोवाइड कर दीजिये। मैं राजस्व मंत्री जी, से बार-बार अर्ज करूंगा कि राजस्थान का एक भी कानून, जो काश्तकारों से सम्बन्धित हो, वह बता दें जिसमें अपील का प्रावीजन नहीं हो। एक अपील तो आप दीजिये। ऐसी बात नहीं है जो अपील तहसीलदार के यहां हो जायेगी। अपील ऐसा राइट नहीं जो इनहेरेन्ट राइट हो Appeal is a statutory right which is given by the Statute अपील स्टेट्यूटरी राइट हो जाती है अपने आप में, यह तो आप स्वयं जानते हैं इस बात को, अपील का प्रोवीजन जब तक एक्ट में नहीं होगा, तब तक उसमें अपील पेश नहीं होगी। इसलिए अपील पेश नहीं होगी तो अन्तिम फैसला तहसीलदार का होगा। इन सब परिस्थितियों के लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ऐसे संशोधन, है जो बहुत जरूरी संशोधन है, इसको आप सोचें। इस परिवेश के अन्दर आप उनको एनुअल रजिस्टरों से पाबन्द करें, पास बुक का मतलब अब तक यह हुआ करता था जो पास बुक जारी की है आपने, ऐसा नहीं है कि पास बुक जारी नहीं की है। उन पास बुकों के लिये कानून के अण्डर आप एवीडेंस बनाने के लिए, कानून को सुरक्षा देने के लिए, कानून का उसको आधार देने के लिये यह बिल लेकर आये हैं। तो आप इसमें लिखे कि साहब जो एनुअल रजिस्टर्स है जो जमाबन्दी या खतौनी है उनकी खुद की तहसीलदार नकल करेगा। वह अगर उसमें गलत करता है तो उसकी अपील अन्य किसी अधिकारी के सामने होनी चाहिए। यह मेरा संशोधन है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, क्लाज 4 के सब–क्लाज (2) में माननीय सदस्यों द्वारा तीन संशोधन पेश किये गये हैं। एक तो इस बात का कि जो फीस चार्ज की जाय उस पर 'विहित फीस' के स्थान पर शब्द "विहित फीस जो कि दो रुपये से अधिक न हो" प्रतिस्थापित किये जाय; दूसरा अमेन्डमेन्ट है जो इन्क्वायरी की जा रही है उसकी अपील के बारे में। एक अमेन्डमेन्ट आया है, और जांच से सुसंगत किसी अन्य आधार पर विलोपित किया जाये।

सभापति महोदय, मैं इन तीनों संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि मैं इनकी आवश्यकता महसूस नहीं करता। जहां तक दो रुपये से अधिक फीस नहीं लेने का अमेन्डमेन्ट दिया है मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट दिया है उसमें मैंने स्पष्ट बताया है कि जो पास बुक छप रही है, राजस्थान में करीब 50 लाख 9 हजार

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किसानों को हमने आंका है और दो पास बुक बनाने का तय किया है जिसमें से एक पास बुक तो किसान को मिलेगी और एक पास बुक रिकार्ड में रहेगी। तो दोनों को मिला कर के करीब छपाई छपाई 2 रुपये या ढाई रुपये के करीब होती है। आगे मैंने कहा है कि पास बुक में जो एन्ट्री करवानी है, फर्स्ट एन्ट्री भरवानी है पास बुकों में उसके लिए जो खर्चा करना पड़ेगा वह 2 रुपया 20 पैसा मैंने बताया, दो रुपया ढाई रुपया करीब वह आता है। इस हिसाब से 5 रुपये में पास बुक को हमने रखा है जो कि कहीं भी किसी भी दृष्टि से आंका जाये तो ज्यादा नहीं है, बिलकूल सही जो हिसाब दिया है उसी हिसाब से रखा गया है। इसलिए 2 रुपये में पास बुक तैयार होकर किसान को मिल जायें, यह सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए 5 रुपये का हिसाब भी दिया है। जो रूल्स बनेंगे उसके अन्दर उसको प्रेस्काइब किया जायेगा। इसलिए 2 रुपये से अधिक नहीं हो, इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं माननीय सदस्य श्री इन्दोरिया जी से कहना चाहूंगा कि वह अपने इस संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री जयदेव इन्दोरिया : रामो द्वयं न भासते।

एक दफा जो हमने कह दिया, आप हमारे संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो हम आपके विधेयक को समर्थन देने में असमर्थ हैं। 2 रुपया नहीं करो तो 5 रुपया कर दो लेकिन उसमें लिख दें। हम आपकी सीमा को खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि सीमा खुली रहेगी तो उसमें कोई भी आदमी प्रवेश कर जायेगा। इसलिए यदि आपको दो में नहीं पोसाता हो, आपने कहा है कि हमारा मुद्रण का 2 रुपया खर्च आता है इसलिए मैंने उसमें दो का सुझाव दिया। यदि आपका खर्चा ज्यादा आता है तो 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए 5 कर दीजिए लेकिन आपको उसमें लिखना पड़ेगा। हम आपको छूट दे दें कि आप 50 रुपया कर दो और फिर आप 100 रुपया कर दो, तो यह छूट नहीं देना चाहते हैं। आप यदि असमर्थ हैं तो हम भी असमर्थ हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, इसमें लिखने की जरूरत यों नहीं है कि हमने लिखा है कि प्रेस्क्राइब की जाएगी। मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट दिया है उसमें 5 रुपये का हिसाब बताया है। जब 5 रुपये का हिसाब बताया है तो उससे ज्यादा होने का प्रश्न ही कहां होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट नहीं होता तो साफ हो जाता कि आपको खतरा हो जाता लेकिन अब खतरा होने का सवाल ही नहीं है। मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट में हिसाब दिया है वह मैंने हिसाब 5 रुपये के हिसाब से दिया है। आपकी जो शंका है वह इससे कवर हो जाती है। इसलिए दुबारा मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पुनः विचार करके वापस ले लें तो अच्छा है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सभापति महोदय, दूसरा संशोधन जो माननीय कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है, के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा इसको आप पढ़ेंगे तो पास बुक में जो एन्ट्री करनी है उसके लिए सरकारी रिकार्ड तो अपने पास है ही लेकिन किसान को, काश्तकार को अधिकार दिया है कि वह भी अपना प्रोफ स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर दे ताकि एन्ट्री उसके अन्दर की जा सके। बहुत सी एन्ट्रीज तो रिकार्ड पर हैं और कुछ एन्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि रिकार्ड पर नहीं होती हैं तो हमने जो पास बुक जारी की है उस पास बुक में केवल भूमि की जो राजस्व रिकार्ड होता है उसी के आधार पर नहीं बल्कि किसान जो कर्जा लेता है बैंक से भूमि के आधार पर या किसी और फाइनेंशियल इन्सटीट्यूशन से कर्जा लेता है या कहीं रहन रखता है उसके आधार पर कर्जा लेता है तो उसकी एन्ट्री उस पास बुक में रहे ताकि एक क्लियर पिक्चर उस किसान के सामने हमेशा के लिए रहे। इसके लिए उससे स्टेटमेन्ट मांगा है ताकि स्टेटमेन्ट के आधार पर जांच कर उसके अन्दर पुख्ता एन्ट्री की जा सके। तहसीलदार को कोई वाइड अधिकार इसमें नहीं दिये हैं। इसमें दूसरी एग्रीव्ड पार्टी कौनसी है, सामने पार्टी कौनसी है जिससे तहसीलदार दूसरा फैसला कर लेगा कोई पार्टी आये और कोई बात कहे कि गलत हो रहा है तब तो सवाल होता है। इसमें हमने अलाऊ ही नहीं किया है....

श्री सभापति: कोई भी आदमी उज्दारी कर सकता है।

श्री हीरालाल देवपुरा: मैं निवेदन करू आपको कि कोई भी आदमी उज्दारी कर सकता है तो दूसरे जो कानून बने हुए है उन कानूनों के अन्तर्गत उसको अपने हक को साबित करने का राइट दिया हुआ है। यह कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें किसी के राइट्स पर असर डाला जा रहा है। हम तो जो पास बुक बना रहे हैं वह इस बात की बना रहे हैं कि पास बुक ले करके वह किसान बैंक में या किसी जगह कर्जा लेने जाये तो उसको बार बार जो सर्टिफिकेट्स लेकर जाना पड़ता है कि इतनी जमीन है, इतनी जमीन लेने का अधिकारी हूं, एक क्लियर पिक्चर उसके सामने रहे और पास बुक से कानूनी अधिकार इस बात का मिल जाये, सक्षम हो जाये, इसके आधार पर माना जा सके, सही माना जा सके इसके आधार पर कि किसान जो ऋण ले रहा है वह ठीक है और इसका रिकार्ड बना हुआ है वह ठीक है। उसको कानूनी आधार देने के लिए किया है। इसलिए इसमें कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें कहा जाये कि तहसीलदार कुछ गड़बड़ कर देगा इसलिए अपील की आवश्यकता है। मैं महसूस नहीं करता कि इसमें किसी अपील की आवश्यकता है। अपील की आवश्यकता कह कर के फिर हम पास बुक की एन्ट्री करने में बहुत लम्बा टाइम किसी को देंगे, इस बीच अगर किसी को पास बुक में एन्ट्री नहीं करानी हो तो लम्बा टाइम चला जाय और उसमें वह एन्ट्री भी नहीं हो। अपील की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आवश्यकता इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई खतरा नहीं है।

दूसरी बात आपने जाच के लिए कही है। तो जांच के लिए दो बातें कहीं। रिकार्ड तो रखा ही है लेकिन जैसे मान लीजिए, रिकार्ड में बैंक की बात आ गयी या और बात आ गयी तो उसकी तस्दीफ करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई तरीका जो प्रेस्क्राइब किया जायेगा उस तरीके के आधार पर वह उसकी जांच कर लेंगे कि जो स्टेटमेन्ट किसान ने दिया है वह सही है, ठीक है। उसके आधार पर रिकार्ड कर लेंगे। इसमें कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है जिससे यह स्थिति आये। अगर खाली जांच की छूट दे दी जाये तो रिकार्ड सामने है। जांच केवल उस बात की है कि जो लोन वगैरह होते है, एडवांस में उसने लिया है..

श्री हरिसिंह : जांच राइट्स की है।

श्री हीरालाल देवपुरा : जांच राइट्स की है तो रिकार्ड के अन्दर राइट्स दिये हुए हैं। इसका सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरे राइट्स ऐसे नहीं हैं जिनसे कठिनाई आये। सिर्फ सवाल यह है कि लैण्ड को मोर्टगेज कर दें, किसी बैंक से रुपया लिया हुआ है वह नहीं बताना चाहे तो उसके लिए जांच करने का सवाल है कि कितना रुपया है कितना नहीं है उसका। वह स्टेटमेन्ट उसका है, फाइनेंशियल इन्सटीट्यूशन को भी हमने इसमें इन्वाल्व किया है। इसलिए उसके इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए यह बात रखी है। सुसंगत तरीके से जांच हो जाये, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यही कह दिया जाये कि रिकार्ड देखने की जरूरत नहीं, जांच की जाये तो आपकी शंका बिल्कुल सही हो सकती थी कि मनमानी की जा सकती थी। लेकिन मनमानी करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ा ही सरल और सीधा कानून है, किसान के हित का कानून है जो कि मैं यहां लेकर आया हूं। तो माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें। अब तक जो पास बुक चल रही है, 1971 से यह पास बुक चल रही है। पास बुक दी गयी है सब को तो नहीं मिल पाई है लेकिन काफी हिस्सों में दी हुई है और उनमें इस तरह से किया हुआ है। अब तक इसमें किसी तरह की आपत्ति किसी की ओर से नहीं आई है इसलिए हम इस प्रकार की चीजों को एनविसेज नहीं कर सकते।

श्री हरिसिंह : आप रूल्स में प्रेस्क्राइब कर देंगे कि रिकार्ड आफ राइट्स के खिलाफ कोई पास बुक जारी नहीं होगी। आप यह रूल्स में प्रेस्काइब कर दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : रिकार्ड आफ राइट तो है ही उसका। पास बुक तो रिकार्ड आफ राइट के आधार पर ही है।

श्री हरिसिंह : मैं तो यही निवेदन करना चाहता था कि आप ऐसा प्रेस्क्राइब कर दें तो ठीक है फिर हो जायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : बिलकुल हो जायेगा। रिकार्ड आफ राइट्स तो होगा ही, उसमें क्या सवाल है।

मैंने निवेदन किया है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वापस लेने की अनुमति दीजिये।

श्री सभापति : आप वापस लेने की अनुमति चाहते हैं ?

श्री हरिसिंह : जी हां।

श्री सभापति : अनुमति दी जाती है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अनुमति तो हाउस देगा, साहब।

श्री सभापति : प्रश्न यह है खण्ड 4 में जो संशोधन श्री इन्दोरिया जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 पर जो संशोधन कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरीसिंह : मैं अपने दोनों संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 और 6 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 और 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड 7

श्री हरिसिंह (कुम्हेर), संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरीसिंह : मुझे प्रस्तुत नहीं करना है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 7, 8, 9 और 10 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7, 8, 9 और 10 स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

माननीय मन्त्री जी।

विधेयक का पारण

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, में प्रस्ताव करना हूं कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 पारित किया जाये ?

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना चाहें तो।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाये तो वह भूला हुआ नहीं कहलाता। जितने ज्यादा कानून बनायेंगे किसान उतना ही ज्यादा परेशान होगा। दो रुपये में आप काश्तकारों को पास बुक नहीं दे सकते इसलिये आपने पांच रुपये तक की बात कही। काश्तकार के सामने एक नई स्थिति पैदा हो जायेगी। जैसे सैटलमेंट का पट्टा लेने के लिये जगह-जगह फिरना पड़ता है वैसे ही अब पास बुक लेने के लिये जगह-जगह फिरना पड़ेगा। इसके लिये मामला और लटक जायेगा। यह समझ लो, दुनिया भर को लड़ाई हो जायेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट डिपार्टमेंट है कि 5 की जगह 10 रुपये लेंगे और 100 रुपये तक भी ले सकते हैं। मेरा निवेदन है कि यह काश्तकारों के लिये कोई लाभ की बात नहीं होगी, यह नई बात नहीं होगी। यह नई बात शुरू कर रहे हैं। अंगुली पकड़ कर पौंचा पकड़ कर काश्तकार को मारना चाहते हैं। आपके खिलाफ वातावरण पैदा होगा। आपसे स्थिति सम्भलेगी नहीं। यह काश्तकारों की सरकार नहीं है यह काश्तकार विरोधी सरकार है।

श्री हीरालाल देवपुरा : कृपया बैठ जायें।

श्री जयदेवप्रसाद इंदोरिया : मैं इजाजत मांग रहा हूं सभापति जी से, आप कह रहे हैं बैठ जायें....

श्री हीरालाल देवपुरा : बोलिये।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : सभापति महोदय, सरकार का खर्च होगा दो रुपया जैसा इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। राजस्थान सरकार दो रुपये खर्च करके तीन रुपये का मुनाफा लेगी। 5 रुपये फीस उसकी निर्धारित की है। राजस्थान सरकार का जो प्रशासन है वह 5 की जगह 25 रुपये किसानों से वसूल करेगा और बाद में आपके पास शिकायतें आयेंगी। कानून में

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया)

स्पष्ट रख दें, इतना रुपया लिया जायेगा।

श्री महाराम चौधरी : रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पाबन्द करें कि पास बुक घर जाकर के दें।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : पटवारी ठीक ढंग से पास बुक नहीं देंगे, रकबा उड़ा देंगे, पास बुक उड़ा देंगे। जो भी पैसा लगे उसको आप पहले लिख दो। उसके हिसाब से पैसा लेवें। काश्तकार जमीन को बेचना चाहे तो पास बुक को बता दे काश्तकार को सारा मिल जाये। यही निवेदन है।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : आप सार्वजनिक हित में काम करने वाले आदमी हैं। कानून जब तक व्यावहारिक नहीं होगा कानून का पालन नहीं होगा। आपने कानून बनाया, हरे वृक्ष नहीं काटे जायें क्या नहीं कटते ? कानून का पालन इसलिये नहीं हो रहा है क्योंकि व्यावहारिक नहीं होता है। यों तो मैं यह बात मानता हूं कि माननीय देवपुरी जी का ज्ञान बहुत अधिक है, बहुत विस्तृत है, व्यावहारिक दृष्टि से जो कुछ नीचे के स्तर पर किसानों के साथ बीत रही है वह कभी इनके साथ बीती नहीं। माननीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन कर दूं, शायद आपको यही ख्याल होगा कि हम हिन्दी संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। मैं एक काश्तकार भी हूं। पटवारी से लेकर तहसीलदार, एस.डी.एम. तक किसान की घिसाई होती है। जो कानून आया है उससे सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। इसलिए चाहे जो राशि निर्धारित करें उसको कानून के अन्दर निश्चित रूप से अवश्यमेव इंगित कर दें, किसी को खुली छूट न दें। इसलिए नकेल होनी चाहिए। यह विधान सभा ही है जो सरकार की नाक में नकेल डाल सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करें। यह तो मुझे मालूम था जब मैंने संशोधन पेश किया कि आज तक सरकार ने कोई भी....

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय इनको क्या तकलीफ हो रही है। यह बार बार खड़े हो जाते हैं। आज राजस्थान में काश्तकारों कि जितने भी टिनेन्सी एक्ट वगैरह कानून हैं वह इतने उलझे हुए हैं कि राजस्थान के अन्दर काश्तकार....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बोलने दीजिए माननीय सदस्य को।

श्री जयदेवप्रसाद इंदोरिया : नहीं, पहले आप बोल लीजिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : जब मैंने यह संशोधन पेश किया तो मैं यह जानता था कि यह इसको मंजूर नहीं करेंगे क्योंकि चाहे जितना अच्छा, जनोपयोगी सुझाव आये, ऐसी परम्परा बन गयी है, या कुछ ऐसी आदत बन गयी है या कुछ प्रकृति बन

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

गयी है जिसके कारण उसको मंजूर करते ही नहीं हैं। न किंचन करोनिति। आपको क्या दिक्कत है इसमें, वह मेरे को बताइये। यह फीस की जो रकम है....

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह कीमत बहुत है।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : यह मुद्रणालय, गवर्नमेन्ट प्रेस में छपेगी, फिर इन को क्या तकलीफ हो रही है। वह इसमें अंकित ही कर दें। इसके लिए मैंने दो रुपये का सुझाव दिया। दो रुपये का ही इनमें खर्चा है, इसमें आप 3 रुपये का मुनाफा लेना चाहते हैं तो लो, कोई बात नहीं लेकिन 5 रुपये इसके अन्दर अंकित तो करो, बाबा। यह अंकित नहीं कर रहे हैं और सब तरह की छूट चाहते है। सारे अधिकार अपने अन्दर समाहित कर लेना चाहते हैं। मैं अधिकार समाहित करने के खिलाफ हूं। मैं यह चाहता हूं कि कानून व्यावहारिक हो, स्पष्ट हो ताकि जो किसान भोले भाले और अनपढ़ है उनकी कमजोरी का कोई सशक्त, सुशिक्षित और सम्पन्न व्यक्ति लाभ उठाकर उसका शोषण नहीं करे। इसलिए जरूरी है कि शोषण विहीन समाज की रचना करने वाले लोग इसमें संशोधन कर दें।

श्री सभापति : आप पहले तांबी साहब को बोलने दीजिए।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तो एक ही लाइन है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली पास बुकों का मुझे अनुभव है। उसकी कीमत शायद एक रुपया थी लेकिन उसके बावजूद गांवों में उसकी मनमाने ढंग से कीमत वसूल की गयी। इसलिए मैं चाहूंगा कि दो पास बुकें हों एक सरकार के रिकार्ड में रहे और एक किसान को दी जाय। दोनों पास बुकों का आप 5 रु. रखें और 2.50 रुपये उस पर कीमत अंकित करके जैसे ही पटवारी पैसा वसूल करे उसकी रसीद दे।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इन पास बुकों का वितरण आप पटवारियों के माध्यम से करायेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार होगा, इसमें दो राय नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन नियमों में कहीं आप अलग से व्यवस्था करें, चाहे कैसे ही व्यवस्था करें। साल में जो दो ग्राम सभायें पंचायतों की होती हैं ग्राम सभा के जलसा ग्राम में उपस्थिति भी अच्छी हो जाय। उसमें गिरदावर स्तर का व्यक्ति पास बुक इन्ट्रेस्ट से लोगों को वितरित करे तो मैं समझता हूं कि इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा और किसान को पास बुक सही कीमत पर मिल जायेगी अन्यथा लूट निश्चित रूप से होगी, यह मेरा निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : माननीय सदस्य श्री इंदोरिया जी ने जो बात कही उस बारे में मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब गजट के अन्दर यह बात आलरेडी लिखी हुई है और नोटिफाई है तो इंदोरिया जी की बात को मानकर आपको हां भर देनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, जहां तक पास बुक की कीमत पांच रुपये लेने का प्रश्न है, माननीय सदस्य का यह इसरार है कि आप जो भी फीस तय करें उसका प्रावधान कानून में कर दिया जाय ताकि आप आश्वस्त हो जायें कि इसके अतिरिक्त इसके अन्दर कोई बढ़ाव-घटाव नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो रूल्स बने हुए हैं और आज भी आर्डिनेन्स के अन्दर है इसका मतलब इस बिल, जो एक्ट बन जायेगा, अन्दर के भी जो रूल्स बनेंगे वह उसी आधार पर बनेंगे। उन रूल्स में जो 5 रुपये फीस प्रेस्क्राइब की हुई है तो रूल्स जो बनते हैं वह भी वही असर रखते हैं जो कानून रखता है। आज कानून के अन्दर रूल्स बने हुए हैं इसलिए जो आपकी आशंका है कि फीस लिखित में नहीं है तो जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने स्टेटमेन्ट दिया है उस स्टेटमेन्ट में भी मैंने इस बात को साफ कहा है और वह रूल्स के अंकित है। इसके लिए रूल्स में प्रेस्क्राइब किया हुआ है। फीस रूल्स के अन्दर है।

श्री देवी सिंह भाटी : इंदोरिया जी का यह कहना है कि आप पास बुक के अन्दर अंकित कर दें कि 5 रुपये कीमत होगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह अलग बात है। उसमें यह अंकित है। अब सवाल यह है कि इसमें भ्रष्टाचार होगा। इसमें वितरण के अन्दर अगर भ्रष्टाचार होगा तो मैं यह आश्वस्त करता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रखी जायेगी। भ्रष्टाचार होने का प्रश्न नहीं होता। भ्रष्टाचार की कहीं से भी कोई शिकायत आयेगी तो उसके खिलाफ विभाग की ओर से सख्त कार्यवाही की जायेगी, उसमें किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जायेगी।

श्री सभापति : इंदोरिया जी का कहना यह है कि चाहे आप रूल्स के माफिक करिये या एक्ट के माफिक करिये लेकिन पास बुक के ऊपर उसकी वेल्यू लिखी हुई हो तो किसान के लिए ठीक रहेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह हो जायेगा।

इसके साथ साथ मैं एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं। वितरण के बारे में यह सुझाव दिया गया कि इसका वितरण ग्राम सभा में किया जाय और उसमें कोई

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सीनियर आदमी आकर पास बुक का वितरण करे। यह बात ध्यान में रखी जायेगी कि इसका वितरण खुले आम हो जिससे किसी को यह आशंका न रहे, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी और शंका की बात न रहे और सीनियर आफिसर वहां पर रहे। यह केवल पटवारियों के आधार पर वितरित नहीं की जायेगी।

नागौर से आने वाले माननीय सदस्य श्री महाराम जी ने एक बात यह कही कि किसानों के ऊपर एक भारी बोझा डाला जा रहा है और उनको इस तरह से जकड़ा जा रहा है कानून की पेचीदगियों और लिखा-पढ़ी के अन्दर जिससे काश्तकार दिन प्रति दिन परेशान हो जायेंगे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कानून पास बुक का इन्ट्रोड्यूस किया है और जो कानून बना रहे हैं वह कानून काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए है उनकी आज कई परेशानियां हैं उन परेशानियों को मिटाने के लिए है। उन परेशानियों को बढ़ाने के लिए कतई नहीं है। इस कानून को पढ़ा जायेगा तो उससे साफ है कि आज किसान को जब जमीन के आधार पर कहीं पर कुछ चीज लेने देने के लिए, इधर उधर मोर्टगेज करने के लिए, बैंक से रुपया लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उसको कई जगह कई प्रकार की नकलें ले जाकर देनी पड़ती हैं। फैसलों की, गिरदावरी की सबकी नकलें देनी पड़ती हैं फिर उसको कहीं जाकर लोन वगैरह मिलता है काफी लम्बा समय इसमें लगता है। आज कई शिकायतें आती हैं कि कितनी परेशानियां उन किसानों को होती हैं। यह पास बुक जब कम्पलीट होगी और यह पास बुक भी उस तरह से है जैसे किसी बैंक की पास बुक रुपये के लिए मिलती है, जिस दिन जो लेन देन किया जाता है उसी दिन उसमें एन्ट्री होती है तो एक क्लियर पिक्चर उसके सामने रहती है कि मेरी आज स्थिति क्या है। तो किसान के पास उसकी जमीन की उसकी प्रापर्टी की दृष्टि से बिल्कुल कम्पलीट एक नक्शा रहेगा जो अप टू डेट होगा, बिल्कुल उसी दिन के हिसाब से होगा ताकि उसको किसी तरह से नकल लेने के लिए या इधर उधर भटकने के लिए, अपनी जमीन के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए जाना-आना न पड़े, बाहर जाकर उसको किसी को कुछ लेना-देना नहीं पड़े। यह उसकी सहूलियत के लिए, उसके विश्वास के लिए, उसकी सहायता के लिए किया गया है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जो भावना और जिस हिसाब से यह किया गया है और जो शंका फीस के बारे में थी उसका मैंने निवेदन कर दिया कि कानून के अन्दर, जो उसके अन्दर रूल्स बने है उन रूल्स के अन्दर प्रेस्क्राइब की हुई है। इस बिल के अन्दर जो नये रूल्स बनने वाले होंगे, उनके अन्दर कीमत प्रेस्क्राइब की जायेगी, यह मैं आश्वस्त करता हूं। उसके ऊपर कीमत लिखने की बात है यह उसके ऊपर छाप दी जायेगी, यह मैं आश्वस्त करता हूं। ताकि इसमें किसी तरह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की कोई शंका आपको न रहे। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव मैंने इस विधेयक, राजस्थान पास बुक कृषि जोत विधेयक को पारित करने का प्रस्तुत किया है उसको पास किया जाय, उसको स्वीकार किया जाय, उसको पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास बुक कृषि जोत विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान पास बुक कृषि जोत विधेयक, 1983 को पारित किया गया।

श्री जयकृष्ण जी शर्मा, परिवहन राज्य मन्त्री राज्य भर में विशेष सड़क कर की वसूली के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेत सिंह राठौड़ : सभापति महोदय, जब तक इस स्टेटमेन्ट पर पूरी कार्यवाही न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : जब तक इस स्टेटमेन्ट के बारे में कार्यवाही न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

शासकीय वक्तव्य

राज्य भर में विशेष सड़क कर की वसूली.

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : राजस्थान राज्य में दिनांक 1–10–82 से पूर्व यात्री एवं माल कर लागू था। उसको समाप्त कर दिनांक 1–10–82 से विशेष पथ कर मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट के तहत स्पेशल रोड टैक्स लागू किया गया है। यात्री वाहन (स्टेज कैरेज) से विशेष पथ कर की दर निम्न प्रकार है:—

माह जुलाई व अगस्त को छोड़ कर छोड़ कर अन्य माहों के लिए 18 पैसे प्रति सीट प्रति 10 कि० मी० व माह जुलाई, अगस्त के लिए 16 पैसे प्रति सीट प्रति 10 कि० मी० के लिये।

यात्री कर : यात्री कर समाप्त करके इसके स्थान पर विशेष पथ कर लागू करने के निम्न उद्देश्य थे। कर वसूली की प्रकिया में सरलता एवं एकरूपता। दूसरा राज्य सरकार के देय कर की कारगर वसूली। तीसरा देय कर राशि के सम्बन्ध में बस मालिक किसी असंदिग्धता से पीड़ित न रहें। उपरोक्त दरें राज्य के सभी जिलों के लिए लागू की गई हैं। राज्य में किराये के आधार पर मार्गों को तीन श्रेणी ए, बी, और सी में विभाजित किया हुआ है। इन मार्गों पर किराये की दर ए श्रेणी के मार्गों पर सबसे कम, बी श्रेणी के मार्गों पर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उससे अधिक और सी श्रेणी के मार्गों पर उससे अधिक है। विशेष पथ कर की दरों को ध्यान में रखा जाय तो विशेष पथ कर ए, बी, और सी श्रेणी के मार्गों के लिए वाहन की कुल बैठक क्षमता के अनुसार 67.6, 66.6 और 54 पर्सेंट ही होता है। उदाहरण के लिए ऐसे मार्ग, जिनकी लम्बाई 30 किलोमीटर हो तथा ऐसे वाहन, जिनकी बैठक क्षमता 45 हो, ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़ कर तथा जिसको साठ किलोमीटर प्रतिदिन चलना होता है उस वाहन पर स्पेशल रोड टैक्स 17539) रुपया बनता है जब कि ए, बी, सी श्रेणी के मार्गों पर पूर्व में जो कर था उसके अनुसार अधिकतम देय कर 26312, 26608 और 32718 बनता था। इस प्रकार बैठक क्षमता वाला गाड़ी से क्रमशः 30 सवारी, 29 सवारी और 24 सवारियों का कर ही स्पेशल रोड टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। जैसलमेर जिले में कुल 17 बस मार्ग हैं। जिनमें जैसलमेर-गिरवा और रामदेवरा-बाडमेर मार्ग भी सम्मिलित है। जैसलमेर-गिरवा मार्ग पर 4 अनुज्ञा पत्र का स्कोप निर्धारित किया हुआ है। दिनांक 1-10-82 से पूर्व अर्थात् स्पेशल रोड टैक्स लागू होने के पहले भी इस मार्ग पर केवल एक ही बस चलती थी। आज भी एक ही बस इस मार्ग पर चल रही है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि स्पेशल रोड टैक्स के कारण बसें चलना बन्द हो गई है। रामदेवरा-बाड़मेर मार्ग पर पांच अनुज्ञा पत्रों का स्कोप निर्धारित किया हुआ था जिसमें से केवल चार अनुज्ञा पत्र ही उठाये गये थे। दिनांक 1-10-82 के उपरान्त उपरोक्त मार्गों पर ये चारों बसें नहीं चल रही है। यह मार्ग कच्चे रास्ते पर है और उसके समानान्तर ही रोडवेज की बसें भी राज मार्ग पर चलती हैं। इस क्षेत्र में यातायात की सुविधायें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं, वह पूरा करती हैं। यह सही है कि जैसलमेर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा आबादी का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत कम है। परन्तु राज्य में रोड टैक्स व स्पेशल रोड टैक्स लागू करने का आधार जिले की आबादी का घनत्व नहीं होता है क्योंकि यदि जिले में आबादी के घनत्व के आधार पर कर निर्धारित किया जाने तो यह नीति भेदभावपूर्ण होगी। जिस जिले में घनत्व आबादी का कम होता है उस जिले में मार्गों पर अनुज्ञा पत्रों की संख्या कम निर्धारित की जाती है और यात्री वाहनों द्वारा निकाले जाने वाले ट्रिपो की संख्या भी कम कर दी जाती है। कोई भी वाहन स्वामी किसी भी मार्ग पर तब तक यात्री वाहन चलाता है जब तक उसी मार्ग पर मिलने वाले ट्रैफिक से मार्ग पर बसें चलाना अनार्थिक नहीं हो। यदि किसी भी वाहन स्वामी को वाहन की कुल क्षमता से 54 पर्सेंट से 67 पर्सेंट तक के नीचे सवारियां मिलती हैं तो यात्री वाहन चलाना उसके लिए अनार्थिक होगा। यदि इतनी या अधिक सवारियां निकलती हैं तो निश्चित रूप से वाहन स्वामी द्वारा स्पेशल रोड टैक्स देना कठिन नहीं होगा। फिर भी राज्य सरकार का यह प्रयत्न है कि कुछ

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मार्जिनल मामलों में नई प्रणाली के कारण वाहन स्वामी यात्री वाहन को मार्ग पर नहीं चला रहा है और मार्ग बन्द हो गया है तो स्कोप में कमी की जाकर तथा मार्ग में वृद्धि करके ऐसे मार्गों को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाया जायेगा । इसके साथ यह भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना उचित समझूंगा कि राज्य में कुल प्राइवेट मार्गों की सख्या 1190 है। प्राइवेट यात्री वाहन स्टेट केरिजों की संख्या 4105 है। जैसलमेर जिले में कुल मार्गों की संख्या 17 है और जैसलमेर जिले में प्राइवेट यात्री वाहनों की संख्या 34 है। जहां तक स्पेशल रोड टैक्स के अन्तर्गत परमिट डिपोजिट कर दिये जाने का प्रश्न है, यह नहीं कहा जा सकता कि समस्त परमिट केवल इस कारण डिपोजिट कराए गए है कि इन मार्गों पर वाहनों का चलना स्पेशल रोड टैक्स के अधिक होने के कारण लाभप्रद नहीं है। परमिट डिपोजिट कराए जाने के कारण निम्न हैं :

वाहन का खराब हो जाना।

वर्षा ऋतु में अस्थाई रूप से मार्ग का मोटरेबल नहीं रहना ।

स्पेशल रोड टैक्स लागू होने से पहले भी वाहन स्वामियों के द्वारा विशेष रूप से वर्षा ऋतु में तथा वाहन खराब हो जाने पर भी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कराए जाते थे, किन्तु उस समय परमिट डिपोजिट कराए जाने का कोई प्रावधान कानून में नहीं था। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तभी सरेंडर कराए जाते थे जब वाहन कम से कम तीन माह तक मार्ग पर नहीं चलाया जाता हो। स्पेशल रोड टैक्स लागू करने के बाद राज्य सरकार ने स्वामियों को यह सुविधा दी कि अल्प काल के लिए भी यदि गाड़ी नहीं चलाई जाती है तो उस अवधि के लिए भी परमिट डिपोजिट स्पेशल रोड टैक्स की छूट प्राप्त करने के लिए कराए जा सकते हैं।

4105 वाहनों में से करीबन चार सौ वाहनों के परमिट वर्षा ऋतु में डिपोजिट कराया जाना स्वाभाविक है क्योंकि राजस्थान में काफी कच्चे रूट्स हैं जो वर्षा ऋतु में चलने योग्य नहीं रहते। स्पेशल रोड टैक्स लागू होने के पूर्व जब यात्री और माल कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण का प्रावधान था उस समय भी वर्षा ऋतु, आंधी के कारण वाहन स्वामी निल रिटर्न प्रस्तुत कर वाहन को मार्ग पर नहीं चलाना बता कर छूट प्राप्त कर लेते थे। मैं उदाहरण के तौर पर सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न कई बार इस विधान सभा में आया। मैंने हमेशा माननीय सदस्यों के सामने यह बात रखी है और मैं फिर इस बात को रखना चाहता हूं, जैसा मैंने अभी कहा कि कोई भी गाड़ी 45 सीटर है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर एण्ड कण्डक्टर तो जैसा कहा कि 24 सवारियां यदि उसमें जाती है तो केवल 24 सवारियों का टैक्स सरकार उससे लेती है। अगर वह बी का है तो उससे 66.6 का लेती है और अगर ए

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

का है तो उससे 67.6 का लेती है। यह राज्य सरकार का पर्सेंटेज का है और यह टैक्स कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। मैंने इसको बार-बार कहा है कि साढ़े छत्तीस पर्सेंट टैक्स सरकार पहले भी पैसेंजर टैक्स के तहत लेती थी। जैसा मैं कहता हूं, जो मैंने तीस किलोमीटर की बात कही है ए क्लास रूट पर चलती है, 2.20 पैसे उसका किराया बनता है और 80 पैसे के करीबन उसके ऊपर पैसेंजर टैक्स बनता है। इसलिए अब 2.20 पैसे वसूल नहीं कर के वह तीन रुपया वसूल करता है। इसी प्रकार से जो गाड़ी इस रूट के कच्चे पर चलती है उसका किराया उसी अनुपात से जो 9.10 यानि 9 पैसे था वह 3.32 यानि पैसेंजर टैक्स मिला कर 12.42 बन गया है। इस वजह से वह जो किराया बढ़ा हुआ है उस पर जब साढ़े छत्तीस पर्सेंट को आप देखेंगे तो इसका मार्जिन और भी नीचे जाएगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल उन रूट्स में हैं, जैसा माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी थी, जैसलमेर के बारे में उन्होंने कहा था, कल भी वह बात आई थी विधान सभा से जो गया उसमें कच्चे स्पेशल रोड टैक्स जिले स्तर की बात थी वह बात भी मैंने रखी है,

माननीय सदस्य, जो जैसलमेर से आते हैं, ने ज्यादातर ध्यान खास तौर पर अपने इलाके जैसलमेर की ओर दिलाया है। इस बात को मैं मानता हूं कि रामदेवरा की तरफ बसें बंद हैं। वहां दूर-दूर तक गांव नहीं हैं उसकी वजह से वहां बस वालों के सामने कुछ दिक्कतें हैं। वह मुझ से भी मिलते रहते हैं और समय समय पर अपनी दिक्कतों को बतलाते रहते हैं, तो हमने यह सोचा है कि ऐसे जिन रूट पर ज्यादा स्टापेज निर्धारित कर दिये हैं उन पर स्टापेज कम निर्धारित करें जिससे मालिकों को ज्यादा सुविधा मिल सके। यदि रूट को आगे बढ़ाना पड़े तो उसके मार्ग को और भी आगे बढ़ा दें, ऐसा हमेशा ख्याल है। उसके बाद भी यदि किसी प्रकार से यह समस्या जैसलमेर की हल नहीं होगी तो राज्य सरकार को कोई न कोई विचार इस बात के लिये तो करना ही पड़ेगा, कि आवागमन के जो साधन है है, जो यातायात की सुविधाएं हैं जो हमारा एक कर्तव्य है, फर्ज है और जो लोगों को देना जरूरी है, उसको देने का निश्चित रूप से प्रयास किया जायगा। यह मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, और यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : श्री चन्द वीर सिंह।

(व्यवधान)

और कोई माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री देवीसिह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदय, जैसा आपने बताया है कि कुछेक मार्ग हैं जिनके ऊपर रोड टैक्स की वजह से बसें चलना बद हो गई हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं जैसा कि आपने अभी अपनी ओर से, जैसा आपका विचार था, बताया कि ऐसी हमारे सामने स्थिति आयी,

(7.00 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री देवीसिंह भाटी)

कि जैसलमेर के अन्दर कुछ जगह गाड़ी चलना बंद हो गई रोड टैक्स की वजह से, उसके लिये हम विचार करेंगे। तो उसके लिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको लम्बे समय तक मत टालिये। आप तुरन्त इसके बारे में जानकारी लेकर जिन मार्गों पर रुक गई हैं....

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह बात जैसलमेर की है। जैसलमेर की बात बताई है मंत्री महोदय ने....

श्री देवीसिंह भाटी : मैं जैसलमेर का हूं, आपको यह पता होना चाहिये....

एक माननीय सदस्य : कोलायत के हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अरे, कोलायत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जिन मार्गों पर अभी बसें बंद हो गई हैं, जहां यह स्थिति उत्पन्न हो रही है और लोगों के आवागमन के साधन बंद हो रहे हैं उसके लिये आप तुरन्त निर्णय करके उसको बी श्रेणी में लें और रोड टैक्स में कमी करें। इसी प्रकार से कोलायत क्षेत्र के जो बोर्डर क्षेत्र में गांव हैं उनके अन्दर भी आज रोड टैक्स ज्यादा होने की वजह से लोग परमिट सरेंडर करने का विचार कर रहे हैं। इस टैक्स के लिये वे पूर्व में मेमोरण्डम दे चुके हैं। आपने यह आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों पर पुन: विचार करके ऐसे जो क्षेत्र हैं जो टीबेवाले क्षेत्र हैं, जहां आबादी का घनत्व कम है वहां राहत देने का प्रयास करेंगे। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे निश्चित आश्वासन दें कि कब तक इसकी व्यवस्था कर देंगे ?

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया स्पेशल रोड टैक्स लगाने के बाद राज्य सरकार ने बस मालिकों को सुविधा दी हैं। वह चालीस पैसे की जगह 30 पैसा वसूल करता है इससे उसको फायदा मिलता है। मैं पूछना चाहूंगा, उदयपुर के अन्दर टैक्स लागू करने के बाद कितने बस मालिकों ने अपने परमिट सरेंडर कर दिये हैं ? जिसके कारण बसों के ऊपर आदमी इस तरह से लद कर जाते हैं कि देखकर हमको डर लगता है कि अगर किसी वक्त बस पलट गयी तो कितनी जान चली जायगी। आपने एक सुविधा कर दी कि राज्य सरकार का पैसा आसानी से आ जाये। यह सुविधा कर दी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन गांव से शहर में जो जन प्रतिनिधि आते हैं, जो पब्लिक आती है, सिटी बसें चलती थीं उनमें कमी करने के कारण लोग इतने लद कर जाते हैं कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसमें कितने लोग मर जायेंगे ? यह जिम्मेदारी किसकी होगी ? यदि मालिकों को फायदा होता तो वे परमिट सरेंडर क्यों करते ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उदयपुर में आपकी जानकारी के लिये, माननीय सदस्य, कह दूं, कुल 61 बसों ने परमिट सरेंडर कराये हैं। वह मैंने आपसे कहा, पहले ऐसा कायदा नहीं था। वे वैसे ही रिलीफ ले लेते थे। अब परमिट सरेंडर कराये बिना उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है स्पेशल रोड टैक्स का। इसलिये कुल 61 परमिट उदयपुर में सरेंडर हुए हैं। सरेंडर इसलिये कराये हैं कि कच्चे रूट्स है और बरसात के दिनों में वे रिलीफ ले सकें, इसलिये कराये हैं।

श्री भैरू लाल मीणा : सरेंडर कर दिये तो पब्लिक को तो सुविधा नहीं हुई ना, साहब।

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह तो बरसात में पहले भी होती थी....

श्री भैरू लाल मीणा : बरसात से पहले करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वह तो पक्की रोड है वहां तो नदी या नाले कोई है ही नहीं। सिटी बस तो पक्की सड़क पर चलती हैं। वह इसीलिये सरेंडर किये हैं, उनको पैसा पूरा नहीं मिलता है। उनको नुकसान होता है। आप जो कह रहे हैं, वह ठीक है। आपने तो अपनी सुविधा कर ली कि टैक्स आसानी से आ जाये लेकिन इधर बसे गांवों में बद कर देने के कारण आवागमन की असुविधा है उसके लिये किसकी जिम्मेदारी होगी ?

श्री पोरूराम : अध्यक्ष महोदय, जो बसों की चर्चा हुई है उसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वैसे हमारे सरदार शहर की तरफ पक्के रूट हैं उन पर बसों का रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स बराबर लग रहा है। क्योंकि जो बस खरीद लेते हैं उनको पता है कि वह घास खोद रहे हैं क्योंकि बस बाद में बिकती नहीं है। जितने की बस आती है बेचने के समय उनकी कीमत चालीस पर्सेन्ट रह जाती है इसलिये उनको मजबूरन चलानी ही पड़ती है। एक तो जो पक्के रूटों को पैसेंजर टैक्स रोड टैक्स में सम्मिलित किया है यह ज्यादा है। बहुत से रूट अच्छे हैं उनकी बुकिंग अच्छी होती है वह लोग तो फायदे में रह गये लेकिन जो बी क्लास के परमिट वाले हैं वह अमूमन घाटे में चल रहे हैं। यह नौबत है कि लोग गाड़ियां ले जायं तो ले जायं वे बिलकुल गरीब आदमी हैं। वह कच्चे रूट की परमिट है और कच्चे रूट की गाड़िया लगायेंगे। इसके साथ ही मेरा कहना है कि जो बी क्लास के रूट हैं उनका सरकार ने जो रेंट निर्धारित किया है वह कम किया जाये।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां से पिलानी से बहुत बस जाती हैं। जयपुर से आर टी.ओ हिसार से आपस में बात नहीं बैठ रही है, माइलेज तय नहीं हो पा रहा है। वह आपस में बैठकर माइलेज तय करें। मेरा सुझाव है वहां पर भी आर.टी ओ भेजा जाये और उस गाड़ी को हिसार जाने दिया जाये ताकि हिसार जाने में सुविधा हो। दूसरा भादरा से सरसा बस चलती है वह भी उसी हालत में है कि बोर्डर पर रुक जाती है। माइलेज का समझौता नहीं होने की वजह से पब्लिक को बड़ी कठिनाई होती

(श्री पीरूराम)

हैं। राजस्थान से हरियाणा के ऐसे जितने भी रूट हैं उन सब की यही हालत है। राजस्थान हरियाणा आर.टी.ओ आपस में माइलेज का समझौता करें तो आगे गाड़ी जा सकती है। पब्लिक को असुविधा होती है इसलिये जल्दी से जल्दी समझौता हो जाये तो पब्लिक को सुविधा मिले।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दे रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : मंत्री जी ने जैसलमेर जिले के लिये कहा कि तुरन्त विचार किया जायगा। तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से, वह कब तक किया जायगा, उसमें कितना समय लगेगा ? जैसलमेर जिले के लिये ...

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जब यह परिस्थितियां आयेंगी तब ना। अभी तो बरसात की वजह से सरेंडर हैं। अब यह तो मालूम पड़े कि कैसे सरेंडर हैं। यह तो आये।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या बात कर रहे हैं। मंत्री महोदय, कुछ जानकारी तो रखो।

श्री पीरूराम : सरदार शहर के कच्चे रूटों के लिये गाड़ी खड़ी हैं। उन्होंने परमिट सरेंडर नहीं कराये, आपके आफिस में मिलने में बड़ी कठिनाई होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल। आर्डर आर्डर। आप बोल लिये, माननीय सदस्य।

श्री पीरूराम : एक मिनट। मेरी बात सुनें।

मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि 1980–81 के अन्दर राजस्थान सरकार ने यह ऐलान किया था कि हरिजनों को पांच हजार रुपये में बस दिलायी जायेगी। वह बसें चालीस हजार रुपया लेकर उन हरिजनों को दी है। बसें नहीं दीं उनको मौत दी है, मैं तो यह कहने वाला हूं, क्योंकि वह चालीस हजार रुपये किसी से लाकर या टामटूम बेच करउन लोगों ने इकट्ठे किये है। वह बसें आज वहा चौराहे पर खड़ी हैं। तो सरकार से यही कहने वाला हूं कि लोगों को पैसे दे दे। जितने लगे हैं वह पैसे दे दे। हम चाहते हैं, हमारी नेता प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी भी चाहती है कि हरिजन ऊंचा उठे, वह हर जगह काम करे हमारी सरकार तो यह कर रही है। आज उसका उलटा हो रहा है। इन गरीबों को जो गाड़ियां दीं वे खड़ी हैं। ये गरीब बिलबिला रहे हैं। हड़ताल कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। ये बसें वित्त निगम वाले ले जायेंगे और इनके रुपये बरबाद हो जायेंगे, और कर्जा भी इनके सिर बढ़ जायेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन गरीबों पर रहम

(श्री पीरूराम)

करे, उनके साथ समझौता करे। जो आज माइलेज दे रहे हैं वह बहुत कम है। आप अपनी रोडवेज की गाड़ियों का रेशियो लगा लीजिये। 1.80 रुपये में गाड़ी नहीं चल सकती। जितना अपना चलता हैं उससे आप 10 पैसे माइलेज इनको कम करके दे दीजिये लेकिन इनकी सुनवाई करिये ताकि इनका उद्धार हो सके।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी माफर्त जब प्रसंग आ गया तो यातायात मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। वैसे पहले भी कई बार इस संबंध में चर्चा हुई कि राज्य सरकार का यह नया कानून एक और सुविधा का है। एकरूपता वाली बात भी सामने आती है। इसके साथ साथ उसमें कई कठिनाइयां बढ़ी हे। यह भी है, उदाहरण के तौर पर अभी यातायात मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान में ए बी सी तीन तरह के रूट्स हैं दूसरी ओर जो पथ कर लगाया उसमें एक श्रेणी पूरी गायब हो गयी। कच्चा और पक्का, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी। अब मंत्री महोदय बता रहे हैं कि राजस्थान में करीब 400 बसें बन्द हो गई हैं। यह आंकड़े भी अभी मेरी समझ में बैठ नहीं रहे हैं। मेरी अपनी सूचना के अनुसार 700 के आसपास बसों के परमिट सरेण्डर हुए हैं मगर आपके जो आंकड़े उपलब्ध हैं, आपने बताया कि बरसात के कारण यह बसें बन्द हैं। मेरा मानना है कि न केवल बरसात का हैं। कारण है इन की क्षमता का भी एक आधार है जिसके कारण बसें बन्द हुई हैं। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि बरसात तो सितंबर में बन्द हो जायेगी। क्या अक्टूबर में सारी बसें वापस चलाने की क्षमता में हैं या चल जायेंगी ?

दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता था कि राजस्थान में नये कच्चे रूट्स इस नई व्यवस्था से बिल्कुल खुल नहीं रहे हैं। ग्रामीण जनता को सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे जैसलमेर का मामला सामने आया है, इस प्रकार कई जगह रूट्स नहीं खुलने से लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है और राज्य सरकार को खजाने में भी नई आय हो सकती थी वह भी नहीं हो पा रही है। वैसे मुख्य मंत्री जी से और यातायात मंत्री जी से राजस्थान के कई लोग कई तरीके से हमेशा मिलते जुलते रहे हैं, सारी स्थिति बताते रहे हैं और हमेशा उनको आश्वासन भी दिया जाता रहा है कि समस्याएं वाजिब है। उस पर हम पुनर्विचार कर रहे हैं और कई तरह से नियमों में संशोधन की बात भी सामने आती रही है पर लगभग एक वर्ष होने को आया, 1 अक्टूबर से यह लागू हुआ और मेरा ख्याल है 30 सितम्बर के बाद एक साल हो जायेगा। इसमें कुल मिला कर जनता को व्यापक तौर पर जो सुविधायें मिलने का सवाल था प्राय: अवरूद्ध सा हो गया है और व्यावहारिक पक्ष के तौर पर सारे मामलों को देखा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कि ए बी सी श्रेणी जिस तरह के मार्ग है उसी श्रेणी में पथ कर लगाया जाना चाहिये। इनकी रेट्स पर ग्रास पास की स्टेट्स, जहां से ग्रापने यह कानून ग्रायातित किया है, को ग्राधार मान कर, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता के हितों को ध्यान में रख कर, यातायात सुविधाग्रों की वृद्धि की दृष्टि से, मैं समझता हूं, पुनर्विचार किया जाकर इस बारे में कुछ कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि उस यातायात में कुछ विस्तार हो सके, लोगों के सामने जो संकट पैदा हो रहा है, यह 400 ग्रौर 500 की बात कहते है मैं ग्रापको उस समय बात बताऊंगा, ग्रक्टूबर ग्रौर नवम्बर में ग्रौर बसों के परमिट सरेण्डर होने वाले है। लोगों की ग्रभी वसूलियां शुरू नहीं हुई, बकाया काफी चढ़ रहे है, वह ज्यों ज्यों सामने ग्राती जायेगी स्थिति बढ़ती चली जायेगी जिससे राजस्थान में एक नया संकट खड़ा हो जायेगा। इस दृष्टि से मैं ग्रापसे, मंत्री जी, पुनः यही निवेदन करना चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामधन।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में साधारण सी जानकारी चाहता हूं साथ ही मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं। जब से हमने रोडवेज की बसों का नेशनालइजेशन किया उस टाइम से हम देख रहे हैं कि न तो कच्चे रूट पर बसें व्यवस्थित ढंग से चल रही हैं ग्रौर न रोडवेज की बसें चल रही हैं। इसमें सबसे मोटी दिक्कत ग्राप देखेंगे कि रामदेवरा का मेलों भरे या नागौर का भरे मैं तो देखता हूं कि यह ऊपर नीचे बसें ग्रोवर लोड चलती हैं ग्रौर एक्सीडेंट के चान्सेज ज्यादा रहते हैं। ग्रागार में बसें खड़ी रहती हैं लेकिन मेले के मौके पर हम लोग वह व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। जो रूट की बसें हैं वे भी ग्राजकल इस हिसाब से सैट हैं कि खटाला बसें लगा रखी है जहां नोन स्टोपेज चलती है जो लाडनू से सीकर तक रुकती नहीं हैं लेकिन उनमें सीटें टूटी हुई हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं। थोड़ा सा ड्राइवर ठोक पीट कर चलाता रहता है उनके पास स्टेपनी नहीं रहती, एक बोल्ट खोलने तक का सामान नहीं देते, एतवार नहीं करते। उसी के ग्रगेन्स्ट में ग्रनुबन्धित बसें इतनी ग्रच्छी तरह से चलती हैं कि कभी भी डिले नहीं होती। रोडवेज की बसें 3–3 दिन तक जहां भी खराब हो जाती है वहीं छोड़ देते हैं। सवारियों की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। इस विषय में मन्त्री महोदय ध्यान देंगे ग्रौर एक जयपुर से लाडनू बस चल रही है उसको चेन्ज करायेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रूपलाल।

श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान परिवहन की गाड़ियां ग्राज सभी जगह जा रही हैं लेकिन इन गाड़ियों में जो कंडक्टर

(श्री रूपलाल परमार)

होते है उनमें अभी तक यह समझ नहीं आई कि सवारियों को किस तरह बैठाना उठाना चाहिए, किस तरह का उनके साथ सम्बन्ध रखना चाहिये।

दूसरी बात राज्य परिवहन की गाड़ी जब चलती है तो इनमें ड्राइवर, कण्डक्टर के प्रति जरा सा भी विश्वास नहीं है। न तो इनके पास टायर गाड़ी में है। रास्ते में टायर बर्स्ट हो जाता है तो गाड़ी वहीं पड़ी रहती है, सवारियों को वहीं छोड़ देते हैं और गाड़ी वहीं छोड़कर ये डिपो में जाते है। डूंगरपुर और उदयपुर से टायर लाते हैं फिर टायर फिट करते हैं। तो क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या ऐसी कमियां रह जायेंगी। मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री नानूराम। कृपया विषय पर बोलें जो प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया है उस पर बोलें।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से दो ही बातें जानना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि जैसा आपने अभी बताया था कि 400 प्राइवेट बसों के बरसात की वजह से परमिट सरेण्डर हो गये, उस वजह से इस समय नहीं चल पा रही हैं। मैं यह बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, किस प्रकार से आपने बसों के परमिट सरेण्डर किये? क्या इससे पहले भी कभी किन्ही प्राइवेट बस वालों ने इतने परमिट सरेण्डर किये हैं? अगर मान लो बरसात की वजह से 400 परमिट प्राइवेट बस वालों ने कर दिये तो क्या इन 34 सालों में ...

श्री अध्यक्ष : इस साल वर्षा कुछ अधिक हुई है पहले तीस वर्षों के मुकाबले में।

श्री नानूराम कुमावत : तो क्या 34 साल में पहली बार राजस्थान में बरसात हुई है? एक बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं।

दूसरी एक बात पूछना चाहता हूं राजस्थान में ए, बी, सी श्रेणी तो आपने जो स्पेशल रोड टैक्स लागू किया उसमें कहीं कच्चे और पक्के का जिक्र किया है क्या? अगर नहीं किया है तो एक तरफ तो राज्य सरकार की योजना है कि हर पंचायत हैड क्वार्टर पर प्राइवेट बसें भेजी जायं और दूसरी तरफ आपने स्पेशल रोड टैक्स लागू किया है। यह किस आधार पर लगाया गया है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुजान सिंह।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैं बीमार हूं, बोल नहीं सकता, अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। जब स्पेशल रोड टैक्स कायम किया जा रहा था तो हम राजस्थान के बस आपरेटर्स ने बार बार यातायात मन्त्रीजी से निवेदन

(श्री सुजानसिंह यादव)

किया कि आप इस परिवहन के लिये तीन कैटेगरी रखिये। आपने हमारी बात मानी नहीं। उन्होंने ए और बी दो कैटेगरी रखीं। आज सरकार के सामने एक समस्या पैदा हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय को खुद सोचना पड़ेगा और सी कैटेगरी भी रखनी पड़ेगी आज आपके सामने यह समस्या पैदा होगी कि जो दूरदराज गांवों में गरीब लोग बसते हैं, अदालतों में आते जाते रहते हैं उनके लिए एक मात्र कच्चे रास्ते थे वह कच्चे रास्ते आज बन्द हो गये। आपको परिवहन की सुविधा जो किसानों को देनी थी वह धीरे धीरे बन्द होती चली जा रही है। जो गांव का किसान है आज हमारी सरकार को दुत्कार रहा है। जो सुविधा हमको गाव में मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल रही। आज सरकार को खुद यह सोचना पड़ेगा कि हम को सी केटेगरी भी रखनी पड़ेगी। एक मैं निवेदन करूंगा कि यह अच्छा किया गया है, रोड टैक्स सरकार ने कायम किये हैं। इससे सरकार को ज्यादा आमदनी होगी, टैक्स की चोरी होती थी, पैसेन्जर टैक्स की चोरी होती थी वह नहीं होगी, राज्य सरकार के खजाने में पैसा जमा नहीं होता था वह होगा। इसके लिये तो मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस चोरी को बचाने के लिये जो उपाय सोचा है वह सरकार के लिये और मोटर मालिकों के लिये बहुत ही उत्तम है। मगर एक बात मैं आपके सामने कहूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी 70-80 गाड़ियों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। आप यह बात सोच कर यहां कहेंगे। सरकार ने हमारे इलाके साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। आपने राष्ट्रीयकरण किया है बोर्डर बोर्डर। ये गाड़ियां बहरोड़ से चलेंगी, बोर्डर पर रुक जायेगी, रोडवेज हरियाणा की दूसरी गाड़ी या प्राइवेट गाड़ी मिलेगी। ऐसी स्थिति हमारे इलाके में सरकार ने कर रखी है, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जैसी। आज कोई भी सवारी रेवाड़ी भी बहरोड़ से जाना चाहे तो वह गाड़ी 15 मील पर जाकर खड़ी हो जायेगी, दूसरी गाड़ी का इन्तजार करेगी, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण किया जाय तो रूट का किया जाये, पोर्शन रूट का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाय। मेरा निवेदन है कि जिस रूट का आप राष्ट्रीयकरण करें तो पूरे रूट का करें। मेरे इलाकों से रूट इतने लम्बे नहीं। 35, 20, 15 किलोमीटर के रूट हैं। जो राज्य सरकार ने दिये हैं। हमारे इलाके में ऐसी खराब हालत हो गयी, जो हरियाणा से लगता है कि हमारी सरकारी की हंसी और दिल्लगी कर रहे हैं कि राज्य सरकार ऐसे क्या नियम बदल रही है जो एक पोर्शन में तो राजस्थान रोडवेज चले और एक पोर्शन में हरियाणा की प्राइवेट गाड़ी चले। इससे राज्य सरकार का मजाक हो रहा है। यह मजाक सरकार का है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार इस चीज को सोचें कि राष्ट्रीयकरण पूरे रूटों का किया जाये। यह निवेदन करके मैं यह निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि इस बात पर पुनर्विचार कर इलाके की स्थिति

(श्री सुजानसिंह यादव)

देखें। हमारा तथा हमारी सरकार का मजाक उड़ रहा है पड़ोसी स्टेट में। मैं यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। दोबारा नहीं। मन्त्री महोदय।

श्री जय कृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं, उन्होंने यह कहा कि पहले 34 साल में 400 परमिट क्यों सरेण्डर नहीं हुए। पहले कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था। वह लिख कर दे देते थे कि बरसात के अन्दर गाड़ी नहीं चली और उनको छूट मिलती थी। चाहे गाड़ी चलती या नहीं चलती, हम यह प्रिज्यूम करके चलते कि बरसात में गाड़ी नहीं चली और उनको छूट मिलती। उनको परमिट जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो स्पेशल रोड टैक्स का कानून आया उसमें यह प्रावधान है कि 7 दिन से ज्यादा यदि गाड़ी नहीं चलती है तो उसको परमिट सरेण्डर करना होगा। इसलिये यह 400 गाड़ियां नहीं चल रही हैं। उन्होंने परमिट सरेण्डर कर दिये। तो यह नया कानून है इसके तहत 400 गाड़ियों के परमिट सरेण्डर हुए हैं। अगर पुराने असेसमेन्ट को देखा जाये तो बरसात के अन्दर 400 नहीं 800 गाड़ियों के परमिट मेरे रिकार्ड में मिल जायेंगे, उनके एफीडेबिट हैं, जो असेसमेन्ट कराया गया है, उस समय जो रिटर्न भरा है, उसमें 800 गाड़ियां सरेण्डर होना मिल जायेगा। इसलिये 400 गाड़ियां कोई ज्यादा नहीं हैं राजस्थान के कच्चे रास्तों में।

दूसरी उन्होंने यह बात कही है कि रोड्स की आपने कोई कैटेगरी की नहीं, ए, बी, सी तो बनाई नहीं, स्पेशल रोड टैक्स कैसे लगा दिया। स्पेशल रोड टैक्स उसी पर लगाया, माननीय सदस्य, थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे, ए क्लास रूट पर जो गाड़ियां चलती थीं वह किराया वसूल करती हैं 7.3 और उसके अन्दर जो हमारा पैसेन्जर टैक्स था वह 2.67 पैसा था। यानि जब एक किलोमीटर पर एक पैसेन्जर को लेकर वह जाती है तो वह 7.3 पैसा किराया वसूल करती थी और 2.67 पैसा पैसेन्जर टैक्स, जो हमने साढ़े छत्तीस पर्सेन्ट का हिस्सा है, वह लेती है। यह हमने अब उसमें मर्ज कर दिया है तो आज वह एन्टाइटल हो गया 10 पैसा लेने के लिये। इसी तरह से बी क्लास के रूट पर वह 7.4 वसूल करता था वह हमारा 2 वसूल करता था तो हमने उसको एन्टाइटल कर दिया कि वह 9 पैसा वसूल कर ले तो जब हमारा 26.5 पर्सेन्ट तो 8 पैसे पर, 7 पैसे पर और 9 पैसा था, सी क्लास का 9.1 उसके ऊपर वसूल कर रहा है। इसलिये वह तो अपने आप आ गया। ए, बी, सी तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। यह तो किराये का क्लासिफिकेशन है। इसमें रूट से रोड का कहां आ गया वह जैसी इन्कम करता है, उसी पर तो

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

टैक्स लेते है इसलिये उसकी तो वैसे ही पर्सेन्टेज सवारियों की कम होती चली जाती है। इसलिए इसमें यह सवाल नही।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि राष्ट्रीयकरण हो गया। यह तो राष्ट्रीयकरण की बहुत पुरानी स्कीम है। हमने हाई कोर्ट से स्टे लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वह स्टे खारिज कर दिया, खारिज होते ही वह गाड़ियां चल गयीं। अब गाड़ियां चल गयीं तो यह शायद माननीय सदस्यों को जानकारी होगी, अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी 2-3 तारीख को 6 स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की एक मीटिंग यहां हुई थी। हमने यह तय किया है कि जो इस प्रकार के रूट हैं। जो हमारे एक दूसरे के बोर्डर से लगते हुए रूट हैं उनके ऊपर थोड़े-थोड़े से माइलेज और किलोमीटर के लिए हमारी गाड़ियां खाली करनी पड़ती हैं, उनकी को लेना पड़ता है और उनकी गाड़ियों को हमारे बोर्डर पर खाली करना पड़ता है। तो उसके एग्रीमेन्ट, जो रेसीप्रोकल एग्रीमेन्ट है, हमने एक दूसरे से तय करने के लिए तारीखें निश्चित कर ली हैं और आगामी थोड़े ही दिनों के अन्दर यह मसला हल होगा और इससे हमारे यात्रियों को एक सुविधा मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। पहले हरियाणा और राजस्थान के बीच में इसी बात को लेकर विवाद हो गया था, कुछ माइलेज उन्होंने काट दिये, कुल माइलेज हमारे राजस्थान वालों ने काट दिये। उनकी गाड़ियां बोर्डर पर आकर रुकने लग गयीं, हमारी तरफ से रुकने लग गयीं। इस वजह से यह दिक्कत पैदा हुई थी। उसके बाद उनके दिमाग में एक बात और थी कि राजस्थान में प्राइवेट बसेज चलती हैं, हरियाणा पूरा का पूरा नेशनलाइज्ड है, गुजरात पूरा का पूरा नेशनलाइज्ड है, वह वैसे तो इन प्राइवेट बसों को अपने यहां नहीं आने देंगे, यह भी एक दिक्कत थी। वह दिक्कत भी कुछ, जैसा माननीय सदस्य ने कुछ कहा है, दूर हो गयी इसलिए उस समस्या का भी समाधान निकाला जायेगा। यही बातें हैं।

रोडवेज में कुछ क्या दिक्कत है, कहा सिटिंग नहीं है, यह बातें तो दूसरी हैं। रोडवेज की दिक्कत, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो नहीं आती फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल के अन्दर, आप यह मानेंगे, चाहे वह आमद के, इन्कम के सोर्स हों और चाहे उनके रखरखाव का सवाल हो, चाहे व्यवस्था का सवाल हो, चाहे उनके चलने का सवाल हो, हमने तरक्की की है, कुछ आगे बढ़े हैं। और भी कोशिश कर रहे हैं कि रोडवेज में ज्यादा से ज्यादा सुधार ला सकें। यही मैं आपके सामने कहना चाहता हूं।

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि हमें राष्ट्रीयकरण से कोई नाराजगी नहीं हैं। मैं तो राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इलाके में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की पोजीशन पैदा हो रही है तो

(श्री सुजानसिंह यादव)

इस बात से ज्यादा मेरे को वेदना है। एक गाड़ी भरकर जाय, बोर्डर पर दूसरी गाड़ी का इन्तजार करे, बस की औरतें जंगल में पड़ी रहें और राज्य सरकार ख्याल नहीं करे। वहां इलाके की स्थिति इतनी खराब हो रही है। भयंकर स्थिति हो रही है, लड़ाई झगड़े रोज हो रहे हैं। तो राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण पूरे रूट का करे, आधे रूट का राष्ट्रीयकरण करके क्यों जनता को परेशान करती है, इससे हमारी पार्टी की छबि खराब होती है। हमारी जनता की हालत भी खराब हो रही है। मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण किया जाय तो पूरे रूट का किया जाय। आधे रूटों का राष्ट्रीयकरण कैसे किया गया? इन सब बातों से पब्लिक परेशान है। यही मेरा कहने का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 7.28 बजे/दिनांक 9-सितम्बर, 1983 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

परिशिष्ट 'क'

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 102 की विवरण एवं परिशिष्ट 'ख')

फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1977–78 से 1983–84 तक की उपलब्धि एवं लक्ष्य

विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियां
(1) सहकारी समितियों का गठन :—		
1977–78	100	23
1978–79	50	142
1979–80	50	89
1980–81	50	51
1981–82	20	19
1982–83	10	9
1983–84 (अगस्त 83 तक)	10	5

ऊन क्रय वर्ष	लक्ष्य क्विंटल	क्रय मात्रा किलोग्राम	राशि लाखों में	विक्रय मात्रा किलोग्राम	राशि लाखों रुपयों में
1977–78	—	93307	18.03	45272	10.64
1978–79	6000	441688	85.08	213500	53.28
1979–80	6000	421262	82.63	227084	55.71
1980–81	3900	305767	54.11	388323	80.08
1981–82	5450	326656	40.36	402794	95.59
1982–83	—	5295	0.50	18657	4.50
1983–84 (जुलाई 83 तक)	5000	प्रस्तावित वर्ष	—	—	—

नोट : फेडरेशन का सहकार वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है ।

जानवर क्रय विक्रय

वर्ष	क्रय संख्या	क्रय राशि (लाख रुपयों में)	विक्रय संख्या	विक्रय राशि (लाख रुपयों में)
1977–78	422	0.33	309	0.24
1978–79	3980	4.30	3138	3.41
1979–80	8558	13.10	8017	13.58
1980–81	6094	8.07	6010	8.01
1981–82	15673	28.95	8970 (कारकस निर्यात)	20.73
			7280	15.28
1982–83 (अनुमानित)	32595 (निर्यात)	119.37	32427	131.14
	4601 (अन्य)	6.28	4600 (कारकस निर्यात)	7.34
1983–84 (प्रस्तावित)	लक्ष्य	क्रय	लक्ष्य	प्राप्ति
	40000	158.68	40000	169.10

फैडरेशन द्वारा मांस निर्यात का विवरण

वर्ष	मात्रा (मै. टन में)	राशि (लाख रुपयों में)
1980–81	31.741	5.08
1981–82	92.593	16.66
1982–83	40.030	6.42
1983–84 (प्रस्तावित)	100.000	19.50
	टिण्ड मीठ विक्रय	
1982–83	160 मै. टन	73.80 लाख रुपये
1983–84 (प्रस्तावित)	300 मै. टन	147.00 लाख रुपये
	प्रोसेसिंग आय	
1979–80	2.37 लाख रुपये	
1980–81	3.68 लाख रुपये	
1981–82	4.09 लाख रुपये	
1982–83	2.26 लाख रुपये	

परिशिष्ट 'ख'

ऊन के वर्ष वार बाजार भाव विवरण

कल्पन काल	ऊन क्लिप, दर प्रतिकिलो सफेद (अ)	चन्दनिया (ब)	पीली (स)
फरवरी, मार्च 78	35 रुपये से 34 रुपये	34 रुपये से 31 रुपये	32 रुपये से 31 रुपये
अगस्त, सितम्बर 78	37 रुपये से 36 रुपये	32 रुपये से 30 रुपये	30 रुपये से 27 रुपये
अक्टूबर, नवम्बर 78	36 रुपये से 34 रुपये	33 रुपये से 30 रुपये	31 रुपये से 28 रुपये
फरवरी, मार्च 79	37 रुपये से 35 रुपये	34 रुपये से 31 रुपये	32 रुपये से 29 रुपये
अगस्त, सितम्बर 79	38 रुपये से 36 रुपये	34 रुपये से 32 रुपये	32 रुपये से 28 रुपये
अक्टूबर, नवम्बर 79	36 रुपये से 32·5 रुपये	43 रुपये से 32 रुपये	35 रुपये से 32 रुपये
फरवरी, मार्च 80	33 रुपये से 31 रुपये	31 रुपये से 29 रुपये	29 रुपये से 26 रुपये
अगस्त, सितम्बर 80	27 रुपये से 20 रुपये	24 रुपये से 25 रुपये	23 रुपये से 22 रुपये
अक्टूबर, नवम्बर 80	25 रुपये से 23 रुपये	23 रुपये से 22 रुपये	22.5 रुपये से 21 रुपये
फरवरी, मार्च 81	29 रुपये से 27 रुपये	26 रुपये से 25 रुपये	25 रुपये से 24 रुपये
अगस्त, सितम्बर 81	26 रुपये से 24 रुपये	23 रुपये से 22 रुपये	22 रुपये से 20 रुपये
अक्टूबर, नवम्बर 81	26 रुपये से 25 रुपये	25 रुपये से 23 रुपये	21 रुपये से 20 रुपये
फरवरी, मार्च 82	24 रुपये से 21 रुपये	23 रुपये से 21 रुपये	22 रुपये से 2[illegible] रुपये
अगस्त, सितम्बर 82	22 रुपये से 20 रुपये	21 रुपये से 19 रुपये	18 रुपये से 16 रुपये
अक्टूबर, नवम्बर 82	22 रुपये से 20 रुपये	21 रुपये से 19 रुपये	18 रुपये से 16 रुपये
मार्च, अप्रेल 83	19 रुपये से 21 रुपये	18 रुपये से 21 रुपये	15 रुपये से 17 रुपये
जुलाई 83	20 रुपये से 22 रुपये	21 रुपये से 24 रुपये	19 रुपये से 21 रुपये

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

भीलवाड़ा के गांधी अस्पताल व डिस्पेंसरी में चिकित्सक आदि के स्वीकृत पद

103. **श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा स्थित गांधी अस्पताल व जिले की अन्य सभी डिस्पेन्सरियों में कहां-कहां के लिये कितने-कितने डाक्टर्स, नर्सिंग स्टॉफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अटेन्डेन्ट आदि के पद स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त पदों में से कहां-कहां, कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं ?

(3) विगत 3 वर्षों में गांधी अस्पताल व जिले के अन्य अस्पतालों में कहां-कहां किस-किस पद पर कब कब तदर्थ पदोन्नति देकर स्थान भरे गये और किस कारण ? कृपया प्रश्न के तीनों भागों से सम्बद्ध विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) विगत तीन वर्षों में तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सूची प्रथम

विवरण

महात्मा गांधी अस्पताल व जिले के अन्य चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम संस्था	वरिष्ठ विशे.	कनिष्ठ विशे.	सी.ए. एस.	नर्सिंग अधि.	सहायक नर्सिंग अधि.	सिस्टर	स्टाफ-नर्स	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	प्रसाविका	नर्स-दाई	मेलनर्स श्रेणी I	मेलनर्स श्रेणी II	च.श्रे-कर्म. व अटेण्डेन्ट आदि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	महात्मा गांधी अस्पताल	6	6	29	1	1	6	16	—	6	—	13	40	115
2.	मेटरनिटी होस्प., भीलवाड़ा	—	—	2	—	—	1	3	—	2	—	1	2	10
3.	चिकि. सुभाषनगर	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	4
4.	,, पुर	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
5.	,, सांगानेर	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
6.	,, पुलिस लाइन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7.	,, जेल डिस्पेन्सरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8.	प्रा. स्वा. केन्द्र हमीरगढ़	—	—	3	—	—	—	—	1	2	—	—	2	4
9.	प्रा. स्वा. केन्द्र काशीथल	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.	प्रा. स्वा. केन्द्र, रायपुर	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4
11.	प्रा. स्वा. केन्द्र, रायला	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4
12.	प्रा. स्वा. केन्द्र आसिन्द	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4
13.	प्रा. स्वा. केन्द्र, हुरड़ा	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4
14.	प्रा. स्वा. केन्द्र, फूलियाकलां	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4
15.	प्रा. स्वा. केन्द्र, जहाजपुर	—	—	6	—	—	—	2	2	4	—	1	6	10
16.	प्रा. स्वा. केन्द्र, काछोला	—	—	3	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4
17.	,, कोटड़ी	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4
18.	,, नागौर	—	—	2	—	—	—	—	2	2	—	—	2	4
19.	चिकि. मगरोल	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3
20.	,, सुंभाशी	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
21.	,, गंगापुर	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
22.	,, सहाड़ा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4
23.	,, रौटेला	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
24.	,, खरयपली	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
25.	,, मोखून्दा	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4

232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	चिकित्सक बनेड़ा	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5
27.	,, रूपाहेलीखुर्द	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
28.	,, दौलतगढ़	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4
29.	,, ब्राह्मणोकीसेरडी	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
30.	,, बदनोर	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4
31.	,, अन्टाली	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4
32.	,, गुलाबपुरा	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	3	5
33.	,, आगूचा	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
34.	,, रुपाहेलीकलां	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
35.	,, शाहपुरा	—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	6	8
36.	,, कनेछनकलां	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
37.	,, राल्यास	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
38.	,, खजूरी	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3
39.	,, पण्डेर	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
40.	,, पीपलुन्द	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
41.	,, रापां	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4

Page No 233

233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.	चिकित्सक अमरवासी	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
43.	डिस्पेन्सरी मांडलगढ़	—	—	5	—	—	1	3	—	—	—	—	5	9
44.	,, मांडल	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4
45.	,, विजोलिया	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4
46.	,, बिगोद	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
47.	,, संत्रावटिया	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
48.	,, बरुन्दणी	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
49.	,, महुवा	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
50.	,, सिंगोली	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
51.	,, पारोली	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3
52.	,, बोरडा	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
53.	,, मांडल	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3
54.	,, करेडा	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
55.	,, बेमाली	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
56.	,, चान्दसन	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
57.	एडपोस्ट स्वरूप गंज	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58.	एडपोस्ट	बोरियापुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
59.	,,	उपरेडा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
60.	,,	गजेड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
61.	,,	प्रतापपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
62.	,,	टोकड	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
63.	,,	लाड़पुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
64.	,,	बनियों का तलाब	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
65.	,,	नन्दरूप	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
66.	,	शिवपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
67.	,,	पीथास	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2

सूची-द्वितीय

महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा व जिले की डिस्पेन्सरियों में रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम संस्था	वरिष्ठ विशेषज्ञ		सी.ए.एस.		नर्सिंग अधीक्षिका		मेलनर्स–11		सिस्टर		प्रसाविका	
		रिक्त पद	दि. जब से पद रिक्त है	रिक्त पद	दि. जब से पद रिक्त है	रिक्त पद	दि. जब से पद रिक्त है	रिक्त पद	दि. जब से पद रिक्त है	रिक्त पद	दि. जब से पद रिक्त है	रिक्त पद	दि. जब से पद रिक्त है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	महात्मा गांधी अस्पताल	1	1.4.82	1	1.7.83	2	1.4.82	10	1.4.82	3	1.4.82	—	—
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र फुलियांकला	—	—	1	4.2.83	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	डिस्पे. दौलतगढ़	—	—	1	1.7.80	—	—	1	—	—	—	—	—
4.	,, पारोली	—	—	1	1.8.83	—	—	—	—	—	—	—	—
5	,, बडालियास	—	—	1	1.7.83	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
6.	,, बेमाली	—	—	1	1.3.83	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
7.	,, सांगानेर	—	—	1	1.6.83	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	,, सुभाषनगर	—	—	1	1.5.83	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	मेटरनेटी होस्प.	—	—	1	5.2.83	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	प्रा. स्वा. केन्द्र केवागोट	—	—	—	—	—	—	1	1.8.83	—	—	—	—
11.	,, कोशोथल	—	—	—	—	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
12.	जनरल अस्प. शाहपुरा	—	—	—	—	—	—	1	1.5.83	—	—	—	—
13.	चि. ब्राहामणों की सरेरी	—	—	—	—	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
14.	चि. रोपा	—	—	—	—	—	—	1	1.8.83	—	—	—	—
15.	चि. सुहाणा	—	—	—	—	—	—	1	1.2.83	—	—	—	—
16.	चि. बरुन्दनो	—	—	—	—	—	—	1	1.8.82	—	—	—	—
17.	चि. पोटला	—	—	—	—	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
18.	चि. रुपाहेली खुर्द	—	—	—	—	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
19.	चि. राज्यास	—	—	—	—	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
20.	चि. रुपाहेलीकलां	—	—	—	—	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
21.	चि. महेन्द्रगढ़	—	—	—	—	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
22.	चि. महुवा	—	—	—	—	—	—	1	1.7.83	—	—	—	—
23.	चि. सिशोल	—	—	1	1.4.82	—	—	1	1.8.82	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	चि. चांदरास	—	—	—	—	—	—	1	1.4.82	—	—	—	—
25.	चि. आगुबा	—	—	—	—	—	—	1	1.4.80	—	—	—	—
26.	चि. मोखून्दा	—	—	—	—	—	—	1	1.4.81	—	—	—	—
27.	चि. कनेछकलां	—	—	—	—	—	—	1	1.12.82	—	—	—	—
28.	चि. बोरड़ा	—	—	—	—	—	—	1	1.11.82	—	—	—	—
29.	प्रा. स्वा. केन्द्र, जहाजपुर (टिटोंडा)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7.81
30.	प्रा. रायला (डाबला)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.8.83
31.	प्रा. बाल विकास योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.7.83

(338)

उप निदेशक, शिक्षा विभाग (जोधपुर) द्वारा किये गये स्थानान्तरण

104. **श्री भेरूंसिंह गुर्जर (खारची)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मई, 1983 से 31 जुलाई, 1983 तक जोधपुर संभाग में शिक्षा विभाग के उप निदेशक (पुरुष व महिला) द्वारा अब तक कितने स्थानान्तरण आदेश किये गये ? कृपया पूर्ण ब्यौरा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थानान्तरण आदेशों में कितने विकलांग एवं कितने पति-पत्नी को एक साथ रखने के कारणों से किये गये ?

(3) क्या और भी प्रार्थना-पत्र विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरण चाहने हेतु शेष हैं ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(1) मई, 1983 से 31 जुलाई, 83 तक जोधपुर संभाग के शिक्षा उप निदेशक (पुरुष एवं महिला) द्वारा 245 स्थानान्तरण आदेश किये गये है। सूची सदन के पटल कर प्रस्तुत है।

(2) उक्त स्थानान्तरण आदेशों में 2 विकलांग एवं 9 पति पत्नि का एक साथ रखने के आदेश किये गये।

(3) विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरण चाहने हेतु। 1 प्रार्थना पत्र शेष हैं।

सूची

मई, 83 से 31 जुलाई, 83 तक व्याख्याताओं के किये गये स्थानान्तरण की सूची

क्र.सं.	विषय	नाम व्याख्याता मय कार्यरत स्थान	स्थानान्तरित स्थान	वि. विवरण
1.	जी. विज्ञान	श्रीमती तारा माथुर,	रा.उ.मा.वि. मौलासर शहर	स्वयं की प्रार्थना
2.	हिन्दी	श्री रामजीलाल, रानी	,, निमाज	,,
3.	,,	,, नवलसिंह, सेवाडी	,, बगडीनगर (पाली)	,,
4.	,,	,, भीखाराम, बाड़मेर	,, सेवाडी (पाली)	प्रशासनिक कारण
5.	,,	,, अर्जुनसिंह, नाडोल	,, रानी (पाली)	,,
6.	,,	,, चन्द्रनाथ स्वामी, चौहटन	,, उ.मा.वि., बाड़मेर	प्रशासनिक कारण

1	2	3		4	5
7.	हिन्दी	श्री शिवशंकरव्यास, बायतु रा.उ.मा.वि. पचपदरा (बाड.)		मौलासर शहर	प्रशासनिक कारण
8.	,,	,, दामोदर प्रसाद, मौलासर	,,	कुचामनसिटी	,,
9.	,,	,, चिमनाराम, कुच. सिटी	,,	मौलासर	,,
10.	इतिहास	,, जुगलालप्रसाद, परबतसर	,,	हरसौर	,,
11.	,,	,, बाबुलाल, आबूपर्वत	,,	रेवदर	,,
12.	,,	,, उदयप्रकाश, रानीवाड़ा	,,	जालौर	,,
13.	,,	,, गजेन्द्रसिंह, बालातरा	,,	पचपदरा	,,
14.	,,	,, मो. युसुफ, पचपदरा	,,	बालोतरा	,,
15.	अंग्रेजी	,, मदनलाल शर्मा, तिलवासनी	,,	बिलाडा	,,
16.	,,	,, महेशचन्द जोशी, फलौदी	,,	तिवरी	,,
17.	,,	,, महेन्द्रसिंह चौहान, रेवदर	,,	पिण्डवाडा	,,
18.	,,	,, हिम्मतराम गुढावालोतना	,,	शिवगंज	,,
19.	,,	,, रोशनलाल, गुढामालानी	,,	जैतारण	,,
20.	,,	,, रवीमराज सोनी, सिणधरी	,,	बालोतरा	,,
21.	अर्थशास्त्र	,, रमेशचन्द्र त्रिवेदी, चौहटन	,,	स्वरूपगंज	,,
22.	,,	,, कन्हैयालाल, गुढामालानी	,,	मार. जक्शन	,,
23.	,,	,, दामोदरप्रसाद, सांचौर	,,	रानी	,,
24.	रसा. शा.	,, विरेन्द्रसिंह, छोटीरवाट्ट	,,	नावा	,,
25.	,,	,, मतिहंसा सचेंती, आबूपर्वत	,,	पिण्डवाडा	,,
26.	ना. शा.	,, बद्रीनारायण, कुच. सिटी	,,	रियावड़ी	,,
27.	,,	,, भंवरलाल रियावड़ी	,,	मेडतासिटी	प्रशासनिक कारण
28.	,,	,, कन्हैयालाल, पोकरण	,,	आहोर	,,
29.	,,	,, सतीशचन्द पारीक, परबतसर	,,	पोकरण	,,
30.	,,	,, भीकमचन्द, रानी	,,	बालेसर	,,
31.	भूगोल	,, फुलचन्द, छोटीरवांटु	,,	वेडा	,,
32.	वाणिज्य	,, नेमाराम, पचपदरा	,,	शेरगढ़	,,

(340)

1	2	3	4	5
33.	वाणिज्य	श्री लूणकरण, रानीवाड़ा	रा.उ.मा.वि. पचपदरा मौलासर शहर	प्रशासनिक कारण
34.	,,	,, टोलाराम, चोहटन	,, रियाबड़ी	प्रशासनिक कारण
35.	,,	,, रामनिवास, आबूरोड	,, नोडोल	,,
36.	,,	,, कालूराम, छोटीखाटू	,, परबतसर (नागौर)	,,
37.	,,	,, रामकुमार, परबतसर	,, छोटीखाटू	,,
38.	भौतिकशास्त्र	,, ओमप्रकाश मित्तल, छोटीखाटू	,, कु. सिटी	,,
39.	,,	,, दुर्गाराम मरडिया, आ. कालू	,, कुचेरा	,,
40.	,,	,, निजामुद्दीन, सोजतरोड	,, रायपुर	,,
41.	जी. विज्ञान	,, विनोद शिप्रवि, बाड़मेर	,, बाड़मेर	,,
42.	,,	,, सोहनलाल, बाड़मेर	,, शिप्रवि-बाड़मेर	,,
43.	वाणिज्य	,, भागचन्द सोलंकी, जालोर	,, बगडी नगर	,,
44.	,,	,, लक्ष्मीकृष्ण परमोर, भाव	,, जालौर	,,
45.	,,	,, पुष्पकमल जैन, तिलवासनी	,, आबूरोड	,,
46.	,,	,, गेहीमल चन्दानी, रायपुर	,, सोजतसिटी	,,
47.	,,	,, रूपचन्द, सोजतसिटी	,, रायपुर	,,
48.	अंग्रेजी	,, देवेन्द्रकुमार, जयाल	,, नागौर	,,
49.	भौ. शा.	,, रामचन्द्र सोनी, ओसियां	,, पीपाडशहर	,,
50.	अंग्रेजी	,, रामनारायण, पुरो. रामगढ़	,, बालेश्वर	,,
51.	जी. विज्ञान	,, कैलाशचन्द शर्मा, खण्डेला	,, परबतसर	,,
52.	अंग्रेजी	,, हिम्लाजदान नाहोर	,, देसूरी	,,
53.	इतिहास	,, अशोकचन्द शर्मा, चेचट	,, दासपा	,,
54.	,,	,, उम्मेकुमार, रतकुडिया	,, आबूरोड	,,
55.	,,	,, बालकिशन, रानी	,, पोडवाडा	,,
56.	गणित	,, श्यामसुन्दर जोशी, राजमहल बालिका, जोधपुर	,, लाडन	,,
57.	,,	,, दशरथचन्द भंडारी, लाडनू	,, बा-राजमहल, जोधपुर	,,

उप निदेशक (पु) शिक्षा विभाग,
जोधपुर

किये गये स्थानान्तरण मई, 83 से जुलाई, 83 तक वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापकों की सूची

क्र. सं.	विषय	नाम व कार्यरत स्थान	स्थानान्तरित स्थान	वि. विवरण
1	2	3	4	5
1.	विज्ञान गणित	मोहन लाल पाली, बडनाब (जालौर)	रा मा वि. डाढणिया (जोध)	स्वयं की प्रार्थना प्रा. दि. 11-7-83
2.	"	विजय कुमार, सालावास	" मेडता रोड	"
3.	"	ओमप्रकाश, मिल ऐरिया (पाली)	" जायल	"
4.	"	कानाराम, साकड़ा (जैसलमेर)	" श्री बाबाजी, (नागौर)	"
5.	"	जगदीश प्रसाद, रामदेवरा (जैसलमेर)	" जालसूनानक, (नागौर)	"
6.	"	पूरवाराम, गुढ़ामलानी	" मा मूण्डवा	"
7.	जीव विज्ञान	राजेन्द्र प्रसाद, बड़ोड़ागांव (जैसलमेर)	" भकरी	"
8.	"	रामनिवास, तबाऊ पदर्मसिंह	" मीण्डा	"
9.	कृषि	फारूख अहमद, सेतरावा	" रियाबड़ी	"
10.	जीव विज्ञान	रूमानसिंह, बादू कोडका (जालौर)	" भीमाणा (पाली)	"
11.	"	सैयद अली सैयद, तवाब, (जालोर)	" चागोद	"
12.	अंग्रेजी	सैडिक पी डेविड, बाकरा गांव	उच्च मा. वि. मा. जंवशान (पाली)	"
13.	"	मन्शाराम माली, बालेश्वर दुर्गावती	रामा वि. चामुण्डेरी	"
14.	"	हरीशचन्द्र, रामसर	" सांधू (जालौर)	"

1	2	3	4		5
15.	व्या. शि.	गोपालसिंह राठौड़, रिववसर	रा.मा.वि.	गड़रा रोड़	दिनांक 25-7-83
16.	गणित	जगदीश राम, रामसीस	”	जावला	
17.	गणित	विजयसिंह, उजला	”	जसपुरानक	”
18.	अंग्रेजी	राजेन्द्रसिंह पालका, छोटू (बाड़मेर)	”	डेढ़	”
19.	अंग्रेजी	नूर मोहम्मद खां, देवू	”	बेरीजतनपुरा	”
20.	अंग्रेजी	तनसुखलाल चैराई	”	साण्डेरावल	”
21.	जीव विज्ञान	भक्तवसंल, उम्मेदावाद	”	वाता	”
22.	सामा.	मदनलाल, रामसर	राउप्रावि, सुराणा (जैलौर)		”
23.	अंग्रेजी	विद्याधर शर्मा, रामसर	रामा वि. पुर		”
24.	सामान्य	नरपतसिंह उप्रावि, कानासर	उप्रावि, खारा (जालौर)		”
25.	वाणिज्य	निर्मल कुमार, धारजा	रामावि, गुढासातट		”
26.	”	गोपालसिंह, नितौड़ा	”	बिकरनियाकाला	”
27.	”	रोहिताश कुमार, जीजनयाली	”	गुलर	”
28.	”	प्रभुदयाल, सिलधर	”	भीठड़ीगांव (नागौर)	”

उपनिदेशक (पु.) शिक्षा विभाग
जोधपुर।

मई, 83 से जुलाई, 83 तक तृतीय वेतन शृंखला
अध्यापकों के किये गये स्थानान्तरण सूची

क्र. सं.	नाम एवं कार्यरत स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	जगन्नाथ दवे, उप्रावि-दुढ़वा (सिरोही)	उमावि, माडावास (पाली) (पाली)	स्वयं की प्रार्थना प्रा. दि. 18–7–83
2.	निजामुद्दीन कुरेशी, प्रावि, सिरोहीडीड	,, नोवी (पाली)	,,
3.	हजारीपुरी, उप्रावि, केराल (सिरोही)	,, ढोला	,,
4.	रूपाराम मीणा, आमली	,, ,,	,,
5.	चैनराम, उप्रावि, भैसड़ा	,, ,,	,,
6.	रूपाराम मीणा, कलापुरा	,, कलाना	,,
7.	डूंगरराम, ढूढसी	,, सिंदरु	,,
8.	हिम्मतसिंह, पादरली	,, ,,	,,
9.	पूनचन्द परमार, पादरली	,, कोलर	,,
10.	रूपचन्द उप्रावि, चौराऊ	,, सिन्दरु	,,
11.	नरताराम ,, उम्मेदपुर	,, पालडी	,,
12.	अर्जुनसिंह ,,	,, विरामी	,,
13.	लक्ष्मणसिंह, जनीबाली	,, धरमधारी	,,
14.	मोतीलाल, धनसा	,, सोनाईमाजी	,,
15.	रावराम परमार, नोखा	,, मोमादड़ा	,,
16.	रमेशचन्द शर्मा, नोखा	,, जैतपुर	,,
17.	रतनसिंह, थलवाड़ा	,, कलाना	,,
18.	तुलसाराम, दयालपुरा	,, कोलर	,,
19.	सवाईसिंह, पावठा	,, जैतपुर	,,
20.	शम्भुसिंह ,,	,, ,,	,,

(344)

1	2	3	4
21.	नाथाराम देहिया, प्रावि, नं. 1 आहोर	उ प्रा.वि. ढोला	स्वयं की प्रार्थना प्रा. दि. 18-7-83
22.	भवरसिंह इन्दराणी	,, गोदाना	,,
23.	घनश्याम, रासोतरा	,, सोनाईमाजी	,,
24.	अनवर खां, प्रावि, बरना (जोध)	,, भागेसर (पाली)	,,
25.	दशरसिंह, चली	,, जैतपुर	,,
26.	ओमप्रकाश, प्रावि, बाराखुद	,, राजोलाकला	,,
27.	गजेसिंह, ,, सिलकोर्ट, जोध	,, वायद (पाली)	,,
28.	धनदान चारण बोरुन्दा	,, निम्बाड़ा	,,
29.	रावताज ,, पोसाना (जालौर)	,, नोवी	,,
30.	उम्मेदसिंह, व्याशि खेतड़ा	प्रावि, पावा	,,
31.	चम्पालाल ,, घेवड़ा (जोध)	,, दुजाना	,,
32.	हरीसिंह उप्रावि, अगवाई	,, सलोदरिया	,,
33.	महेन्द्रसिंह ,, समोदरिया	,, अगवाई	,,
34.	ओंकारमल चौधरी मावि, खारिया मीठापुर	,, काणेचा	,,
35.	नरपतसिंह उप्रावि, कानासर	,, मीलक्षेत्र	,,
36.	चिमनलाल ,, गधवकला	,, सोनाईमाजी	,,
37.	सवाराम, प्रावि, कोटवाली (जालौर)	,, नागानी (सिरोही)	,,
38.	शिवशंकर, टेकरावास (भीममाल)	,, हाथल सिरोही	,,
39.	लवजीराम माली, धनोद	,, मारोल (सिरोही)	,,
40.	नरसाराम माली, उप्रावि, (सांचौर)	,, मूगथला (,,)	,,
41.	किस्तुर चन्द्र ,, फेसवना	,, आमलारी	,,
42.	बहादुरसिंह ,, डेरडा	,, नागानी	,,

1	2	3	4
43.	सोनाराम उप्रावि, बोरटा	उप्रावि, जीरावल	स्वयं की प्रार्थना आ. दि. 18-7-83
44.	हिम्मतराम ,, पावटा	,, फूगणी	,,
45.	किशनलाल ,, गाधवकला	,, देवडा (जालौर)	,,
46.	मंगतलाल जैन उप्रावि आमलारी (सिरोही)	,, मेगलवा (जालौर)	,,
47.	मोहनराम विश्नोई उप्रावि अरनियाली	,, सत्याया (जैसल)	,,
48.	खेतसिंह परिहार, शशि, मावि, भटाना	,, छायण (जैसल)	,,
49.	रामकिशोर, प्रावि घरमधारी (पाली)	,, रामाबडी खाटू (नागौर)	,,
50.	प्रेम सिंह, उप्रावि, डामरी (जैसल)	,, सामराऊ (जोध)	,,
51.	रिडाराम उप्रावि धोलिया (जैसल)	,, कजनाऊकला (जोध)	,,
52.	गिरधारीलाल उप्रावि-छायण (जैसल)	,, बाड़ (जोध)	,,
53.	हीरालाल उप्रावि, ओडाणिया (जैसल)	,, जैतीवास (जोध)	,,
54.	पदमवन स्वामी, उप्रावि-रातडिया	,, कुशलावा (जोध)	,,
55.	युसुफअली, मावि-राजमथाई (जैसल)	उमा बोरुन्दा (जोध)	,,
56.	सागीदान, उप्रावि-लाखा (जैसल)	उप्रा विढढू (जोध)	,,
57.	सोमदत्त, उप्रावि-सीकवाडा (जालौर)	,, पश्चिम की ढाणी (जोध)	,,

(346)

1	2	3	4
58.	रामचरन शर्मा रामावि भोजपुर (अलवर)	उ.प्रा.वि. जीयाण (जालोर)	स्वयं की प्रार्थना प्रा. दि. 18-7-83
59.	रामनारायण उप्रावि, गंगापुर (भील)	,, खाण्डी (पाली)	,,
60.	पृथ्वीराज पुरी उप्रावि, कश्धुल (बीका)	,, ,,	,,
61.	श्रीमती मनोरमा शर्मा प्रावि साबरमती कालोनी	नेवरा की ढाणी (जोध)	,,
62.	,, रंजना भटनागर बाउप्रावि पाटन (सी)	,, आबूरोड (सिरोही)	,,
63.	भंवरलाल प्रजापति उप्रावि-गोदन (जालोर)	,, बेडकला (पाली)	,,
64.	परबतसिह चौहान उप्रावि कोट-कस्वा (जालोर)	,, ढूढनो (पाली)	,,
65.	छगनलाल चतुर्वेदी उप्रावि पोसाना (जालोर)	प्रावि नं 1 सुमेरपुर (पाली)	,,

उप निदेशक (पु) शिक्षा विभाग
जोधपुर

(347)

मई, 83 से जुलाई, 83 तक मंत्रालयिक/पुस्तकाध्यक्ष के किये गये स्थाना. की सूची

क्र. सं.	नाम व स्थान	स्थानान्तरण स्थान	विशेष विवरण
1.	प्यारेलाल, कार्यालय सहायक वरि. उप जि.शि.अ. (छात्रा) (जैसलमेर)	कार्या. जि.शि.अ. सिरोही	आ. क्र. 315 दि. 5-5-83
2.	पन्ने सिंह, कार्यालय सहायक, वरि. उप जि.शि.अ. छात्रा) (बाड़मेर)	कार्या. जि.शि.अ. जालोर	,, ,,
3.	अब्दुल मजीद, व. लि. कार्या. जि.शि.अ. (छात्रा) (जोधपुर)	रामावि, अल्पभाषा, जोधपुर	आ. क्र. 338 दि. 18-5-83
4.	रमेश चन्द्र विद्यार्थी, व. लि. रामावि-अल्पभाषा-जोधपुर	कार्या. जि शि.अ. (छात्रा) जोधपुर,	,, ,,
5.	श्रीमती निर्मला शर्मा, पुस्त. रामावि, रणसी गांव (जोधपुर)	रामवि, रातानाड़ा-जोधपुर	आ. क्र. 376 दि. 25-5-83
6.	याशोदा बोहरा, पुस्त. रामावि, भीकमकोर (जोधपुर)	रा. सार्व. पुस्त, जोधपुर	,,
7.	सतीश कुमार गहलोत, पुस्त. रामावि, आऊ (जोध)	,, ,,	,,
8.	श्री अमरदत्त व्यास, व लि. कार्या. उप जि.शि.अ. शेरगढ़	रामावि, तिवरी (जोधपुर)	आ.क्र. 439-35 दि. 15-6-83
9.	श्री मोतीलाल ओझा, व. लि. रामावि, चिराई (जोधपुर)	रामावि, भीकमकोर (जोधपुर)	आ. स. 488 दि. 13-7-83
10.	करीयन वर्गीस, व. लि. रामावि, अनादरा (सिरोही)	परि. अधि. प्रौ. शि-सिरोही	आ. स. 499 दि 20-7-83

उप निदेशक (पु) शिक्षा विभाग
जोधपुर

कार्यालय उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर

कनिष्ठ व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के स्थानान्तरण से सम्बन्धित सूचना

क्र. सं.	नाम अध्यापिका	कहाँ से	कहाँ को	आदेश क्रमांक
1	2	3	4	5
	श्रीमती सुश्री			
1.	रेणुका	राबा उमावि, पाली	राबा उमावि, हयूसन, जोधपुर	4180-11 दिनांक 7-7-83
2.	संतोष सरदाना	राबा उमावि, राजमहल, जोधपुर	राबा उमावि, आसोरोगेट, जोधपुर	,,
		वरिष्ठ अध्यापिका (द्वितीय वेतन शृंखला)		
3.	कमला हर्ष	उप्रावि, भाबी	उप्रावि, शाहपुरा, जोधपुर	2034-49 दिनांक 6-5-83
4.	जसंवतकौर सरीन	उप्रावि, पोसालिया	उप्रावि, आबूरोड	2025-34 दिनांक 6-5-83
5.	कमलेश शर्मा	उप्रावि, आबूरोड	उप्रावि, पोसालिया	,,
6.	उर्मिला अग्रवाल	उमावि, हयूसन, जोधपुर	शास्त्रीनगर, जोधपुर	2057-17 दिनांक 7-5-83
7.	निर्मला शर्मा	उप्रावि, शाहपुरा, जोधपुर	उप्रावि, जालौर गेट, जोधपुर	,,

1	2	3	4	5
8.	बसंतलाल ओझा	उप्रावि, गुन्दोज	उमावि, पाली	2180-85 दिनांक 7-5-83
9.	बसं कंवरी	उमावि, पाली	उमावि, गुन्दोज	"
10.	राधा चन्दानी	उमावि, हयूसन, जोधपुर	प्रावि, महामन्दिर, जोधपुर	3479 दिनांक 23-5-83
11.	रमा बासु	उमावि, हयूसन, जोधपुर	प्रावि, सांडाफलसा, जोधपुर	"
12.	मिथलेश शर्मा	उमावि, किसान सभा, जोधपुर	मावि, पूंजला, जोधपुर	"
13.	शशि करनावट	उमावि, शिवगंज	उमावि, सिरोही	"
14.	प्रेमलाल	मावि, करणपुर	मावि, नापासर	4258-70 दिनांक 6-7-83
15.	सावित्री शर्मा	उप्रावि, फेफाना	उप्रावि, राजगढ़	"
16.	पुष्पा सांखला	मावि, समदड़ी	उमावि, बाड़मेर	4192-255 दिनांक 7-7-83
17.	रूकमणी चौधरी	उमावि, बाड़मेर	मावि, समदड़ी	"
18.	स्वर्णलता	मावि, डूडी की ढाणी	माविफलोदी	"
19.	बिमला तिवारी	मावि, मुण्डवा	मावि, जसवंतगढ़	"
20.	इन्द्रा शर्मा	मावि, सिवाना	उप्रावि, चोहटन	"

1	2	3	4	5
21.	पुष्पा शर्मा	उप्रावि, चोहटन	मावि, सिवाना	4192-255 दिनांक 7-7-83
22.	सोहनकुमारी	उप्रावि, डेगाना	उप्रावि, कुचामनशहर	,,
23.	संतोष शर्मा	उप्रावि, जसवंतगढ़	उप्रावि, डेगाना	,,
24.	उषा वर्मा	मावि, पोकरण	मावि, फलौदी	,,
25.	शांता माथुर	मावि, जसवंतगढ़	मावि, डीडवाना	,,
26.	विद्या मिश्रा	प्रावि, सादड़ी	उप्रावि, गुन्दीज	,,
27.	बसकंवरी	उप्रावि, गुन्दीज	मावि. सादड़ी	,,
28.	ललित गुलाटी	उप्रावि, जैसलमेर	उमावि, जैसलमेर	,,
29.	मंजू गुप्ता	उमावि, जैसलमेर	उप्रावि, जैसलमेर	,,
30.	कांता मिश्रा	उप्रावि, जालौर	उमावि, जालौर	,,
31.	शकुन्तला अग्रवाल	उमावि, जालौर	उप्रावि, जालौर	,,
32.	सुषमा भास्कर	उप्रावि, बांबरा	उप्रावि, सेवाड़ी	,,
33.	आशा शर्मा	उप्रावि, चाणोद	उप्रावि, बांबरा	,,
34.	उर्मिला गुप्ता	उप्रावि, मारवाड़	उप्रावि, तैकेज कालानी, पाली	4347-76 दिनांक 11-7-83
35.	मंजू ककड़	उप्रावि, सेवाड़ी	उप्रावि, मारवाड जं. जयपुर	,,
36.	विजयलक्ष्मी श्रीमाली	उप्रावि, बिसलपुर	उप्रावि, चाणोद	,,

1	2	3	4	5
37.	संतोष शर्मा	मावि, रायपुर	उप्रावि, धाणेराम-	4[illegible]47-76 दिनांक 11-7-83
38.	कमला चौहान,	उप्रावि, धाणेराम	मावि, रायपुर	"
39.	मंजू कोठारी	उप्रावि, हरसोर	उप्रावि गांवला	"
40.	सावित्री श्रीवास्तव	ग्राम सेवक, प्रशि. केन्द्र मण्डोर	मावि, पोकरण	4154-91 दिनांक 6-7-83
		सहायक अध्यापिका (तृतीय वेतन श्रृंखला)		
41.	सरस्वती	मावि, डूंगरगढ़	उमावि, दयानन्द मार्ग, बीकानेर	2201-5 दिनांक 9-5-83
42.	निशा बेंजल	उमावि, शिवगंज	उप्रावि, पोसालिया	3473-78 दिनांक 23-5-83
43.	लक्ष्मी व्यास	प्रावि नं.–2, बालोतरा	प्रावि, सिवाना	3924-51 दिनांक 20-6-83
44.	सुशीला बागड़ी	उप्रावि, जैसलमेर	उप्रावि, जैतारण	4000-07 दिनांक 21-6-83
45.	प्रभात शोभा	उप्रावि, लोडिया	मावि, मथानियां	4532-37 दिनांक 20-7-83
46.	मुन्नी माथुर	प्रावि, पूंजला	प्रावि, सिवांचीगेट, जोधपुर	4526-31 दिनांक 20-7-83
47.	निर्मला	प्रावि, राजमहल, जोधपुर	प्रावि, बहेशहास्टल, जोधपुर	4517-25 दिनांक 20-7-83
48.	सावित्री श्रीमाली	प्रावि, महेश हास्टल, जोधपुर	उप्रावि, श्यामसदन, जोधपुर	"

1	2	3	4	5
49.	गणेशकंवरी भाटी	उप्रावि, जसवंतगढ़	उप्रावि, लांडनू	4671-78 दिनांक 21-7-83
50.	उषा माथुर	प्रावि पूंजला नं.-2, जोधपुर	प्रावि, सिटीपुलिस,	4557-68 दिनांक 21-7-83
51.	कृष्णा शर्मा	उप्रावि, लोडिया	मावि, मथानिया	,,
52.	हरी आसवानी	उप्रावि, मेड़ता सिटी	प्रावि, बाड़मेर	4570-670 दिनांक 21-7-83
53.	इन्दु बोहरा	प्रावि, कोसेलाव	उमावि, पाली	,,
54.	शशिकला	मावि, रायपुर	उप्रावि, बिजापुर	,,
55.	पुष्पलता वर्मा	उप्रावि, डीडवाना	प्रावि, मेड़ता शहर	,,
56.	प्रकाश लोढ़ा	उप्रावि, रोल	प्रावि, नागौर	,,
57.	इन्द्रा ब्याज	उप्रावि, डीडवाना	प्रावि, नागौर	,,
58.	शकिरा बेगम	प्रावि, रोल	उप्रावि, मिठ्डी लांडनू	,,
59.	पन्नी देवी	उप्रावि, कुवेरा	प्रावि, मेड़ताशहर	,,
60.	सरस्वती वैष्णव	उप्रावि, हरसोलाभ	उप्रावि, थांबला	,,
61.	शकुंतला दानोदिया	उप्रावि, डीडवाना	उप्रावि, मोलासर	,,
62.	उमा देवी	उप्रावि, मालवाड़ा	उप्रावि, सियाणा	,,
63.	मंजुला दाधीच	उप्रावि, चांदराई	उप्रावि, गुढ़बालोतान	,,
64.	निर्मला शर्मा	उप्रावि, सांचौर	उप्रावि, जसवंतपुरा	,,

1	2	3	4	5
65.	शांता विश्नोई	उप्रावि, सांचौर	उप्रावि, दासपा	4570-670 दिनांक 21-7-83
66.	सविता	उप्रावि, जसवंतपुरा	उप्रावि, सांचौर	"
67.	करुणा गहलोत	उप्रावि, विसलपुर	उप्रावि, मालवाड़ा	"
68.	पुष्पा परेडा	उप्रावि, मकराना	उप्रावि, परबतसर	"
69.	इन्दुबाला	उप्रावि, बुड़सू	उप्रावि, रियाबड़ी	"
			कनिष्ठ-लिपिक	
70.	सुरजमल पुरोहित	जिशिअ, (छात्रा) जोधपुर	उपनिदे. (म) जोधपुर	1986-90 दिनांक 6-5-83
71.	विरेन्द्रकुमार शर्मा	जिशिअ (छात्रा) पाली	जिशिअ (छात्रा) जोधपुर	3598-60 दिनांक 1-6-83
72.	सुरेन्द्रसिंह भाटी	बउजिशिअ (छात्रा), पाली	एस. टी. सी, जोधपुर	3970-78 दिनांक 20-6-83
73.	खुरसीद मास्टर	एस. टी. सी, जोधपुर	रामावि, मथानियां	"
74.	कमलकिशोर कलां	उप निदेशक (माध्यम), जोधपुर	बउ जिशिअ (छात्रा) पाली	4679-83 दिनांक 21-7-83
			चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
75.	जमना बाई	मावि, जसवंतगढ़	मावि, पूंजला, जोधपुर	2169-79 दिनांक 7-5-83
76.	सरस्वतीबाई	मावि, फतेहपोल, जोधपुर	उप निदेशक (म) जोधपुर	"

1	2	3	4	5
77.	श्रोमप्रकाश	उप निदेशक (म) जोधपुर	मावि, फतेहपाल, जोधपुर	2169-79 दिनांक 7-5-83
78.	रायुसिंह	मावि, पूंजला, जोधपुर	उप निदेशक (म), जोधपुर	,,
79.	रायुसिंह	उप निदेशक (म) जोधपुर	मावि, पूंजला, जोधपुर	3613-18 दिनांक 2-6-83
80.	भंवरी-बाई	प्रावि, सुमेरपुर.	मावि, सुमेरपुर	2186-91 दिनांक 7-5-83
81.	जमना बाई	पूंजला, जोधपुर	उप निदेशक (म) जोधपुर	3613-18 दिनांक 2-6-83
82.	निम्बसिंह	उमावि, बाड़मेर	बउजिशिग्र (छात्रा) बाड़मेर	3989-94 दिनांक 20-6-83
83.	सालूराम.	बउ जिशिग्र (छात्रा) बाड़मेर	उमावि, बाड़मेर	,,
		पुस्तकाध्यक्ष (द्वितीय वेतन शृंखला)		
84.	आशा पाराशर	मावि, रोहट	उमावि, किसान कन्या, जोधपुर	4471-73 दिनांक 19-7-83
85.	पूर्णाराम	जिला पुस्तकालय नागौर	उमावि, कुचामनशहर.	,,

उप. निदेशक (महिला)
शिक्षा विभाग
जोधपुर

गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति लि. (परबतसर) द्वारा भूमि आवंटन हेतु राज्यकोष में जमा राशि

105. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मगलाना में गणेश नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. तहसील परबतसर (नागौर) ने मगलाना ग्राम की रणवाली नाड़ी की अगोर भूमि का आवंटन करने हेतु 2,30,000. रु. (दो लाख तीस हजार रुपये) नागौर में राजकीय कोष में जमा कराये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि का आवंटन करने के लिए सोसाइटी को नोटिस दिया गया कि भूमि रूपान्तर के रुपये जमा करावे ? यदि हां, तो क्या समिति का इस भूमि पर कब्जा था ? यदि नहीं, तो यह रुपया जमा कराने का नोटिस किस नियम के तहत दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस समिति को आज तक न तो भूमि अलॉट हुई और न ही सोसाइटी के सदस्यों को उनकी रकम वापस लौटाई गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सोसाइटी को भूमि अलॉट करेगी या इनके रुपये वापस लौटायेगी ?

(4) क्या इस सोसाइटी के सदस्य मगलाना क्षेत्र के रहने वाले हैं या अन्य जगह के और इसमें कितने सदस्य अनुसूचित जाति के हैं और कितने सदस्य बिना मकान के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । नोटिस तहसीलदार कृषि भूमि रूपान्तरण एवं नियमतिकरण नागौर द्वारा दिया गया था । समिति का इस भूमि पर कब्जा नहीं था । तहसीलदार द्वारा नोटिस समिति के आवेदन पत्र पर जारी किया गया ।

(3) उक्त समिति का आवेदन पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्य प्रयोजनार्थ आवंटन, नियमन एवं रूपान्तरण नगरीय क्षेत्रों में) नियम, 1981 के नियमों में नहीं आने के कारण उप खण्ड अधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण नागौर द्वारा निरस्त कर दिया व उनके द्वारा जमा की गई राशि को लौटाने की भी सूचना दी गई ।

(4) समिति के सदस्य मगलाना क्षेत्र एवं उसके आसपास के रहने वाले हैं । अनुसूचित जाति के 39 सदस्य हैं, जिनकी सूची के पटल पर रख दी गई है । सदस्यों ने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं । यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कितने सदस्य बिना मकान के हैं ।

(256)

सूची

सूची अनुसूचित जाति के सदस्यों की श्री गणेश नगर कालोनी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. मगलाना

क्र.	नाम व वल्दियत	जाति
1	2	3
1.	श्री रतनाराम पुत्र धनाराम	बलाई
2.	" पदमाराम पुत्र धनाराम	"
3.	" बिरदाराम पुत्र बालुराम	"
4.	" रामूराम पुत्र धन्नाराम	"
5.	" सांवलाराम पुत्र धन्नाराम	"
6.	" कजोड़ीमल पुत्र नारायणराम	"
7.	" हराराम पुत्र मोतीराम	"
8.	" श्रवणराम पुत्र मोतीराम	"
9.	" रूपाराम पुत्र कालूराम	"
10.	" मोडूराम पुत्र सुजाराम	"
11.	" श्रवणलाल पुत्र पुराराम	"
12.	" कोडूराम पुत्र पूराराम	"
13.	" पूरानाम पुत्र लादूराम	"
14.	" बगताराम पुत्र हरकाराम	"
15.	" गोगाराम पुत्र शिवनाथ	"
16.	" बंशीलाल पुत्र कानाराम	"
17.	" श्रवणलाल पुत्र रामलाल	बावरी
18.	" लक्ष्मण पुत्र रामलाल	"
19.	" टीकाराम पुत्र रामलाल	"
20.	" हुक्माराम पुत्र गागाराम	"
21.	" पेपाराम पुत्र बिरदाराम	"
22.	" गणपतलाल पुत्र हुक्माराम	"

(357)

1	2	3
23.	श्री बालूराम पुत्र महादेव	बावरी
24.	" रामलाल पुत्र उमाराम	"
25.	" रामदीन पुत्र गोगाराम	"
26.	" गुणाराम पुत्र दीनाराम	बलाई
27.	" नाथूराम पुत्र केसराम	बावरी
28.	" प्रभूराम पुत्र बोदूराम	"
29.	" नारायण पुत्र रूपाराम	"
30.	" श्रवणलाल पुत्र हीराराम	"
31.	" हनुमानराम पुत्र अमराराम	"
32.	" रामकरण पुत्र गंगाराम	"
33.	" नानूराम पुत्र केसाराम	बलाई
34.	" जगदीश पुत्र मोटाराम	बावरी
35.	" श्रीराम पुत्र हरकाराम	"
36.	" कमला देवी पिता किशनाराम	"
37.	" लिछमणराम पुत्र किशनाराम	"
38.	" खेताराम पुत्र बिरदाराम	"
39.	" नथमल पुत्र जगन्नाथ	बलाई

पंचायत समिति सराड़ा द्वारा भवन निर्माण आदि कार्य में व्यय राशि

106. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पंचायत समिति सराड़ा में सन् 1982-83 में अधूरे स्कूल भवन, रोड, पुराने कुए, मेडबन्धी आदि कार्यों में धन राशि व्यय की थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) आदिवासियों की आर्थिक हालत सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा कितना रुपया दिया जाता है और राजस्थान सरकार कितना रुपया खर्च करती है ?

(3) सन् 1982-83 में उक्त कार्यों हेतु निर्धारित धन-राशि में से कितनी राशि लैप्स हुई और क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) आदिवासियों की आर्थिक हालत को सुधारने हेतु वर्ष 1982-83 मे कुल 5921.98 लाख रुपये का प्रावधान था जिसमें से भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 636.79 लाख रुपये तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 295.47 लाख रुपये कुल 932.26 लाख रुपये प्रावधित थे तथा राज्य योजनान्तर्गत 4742.04 लाख रुपये व संस्थागत वित्त के तहत 247.68 लाख रुपये प्रावधित थे। इसमें से कुल 5142.19 लाख रुपये की राशि अन्तिम व्यय हुई।

(3) विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि लैप्स नही होती है। राज्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के मिलान शुदा व्यय के आंकड़े महालेखाकार से अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। अत: मिलान शुदा आंकड़े प्राप्त होने पर ही वास्तविक लैप्स हुई राशि दर्शाई जा सकती है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पथ परिवहन निगम में अनुबन्धित बसें

107. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत कुछ वर्षों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पथ परिवहन निगम में बसें अनुबन्ध पर लगाई गई थीं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या उक्त बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो कितनी ? तथा नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर

(श्री हीरालाल आर्य)

समय-समय पर परिवहन मंत्री महोदय व मुख्य मंत्री महोदय से मिलते रहे हैं ? क्या सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 78 वाहन अनुबन्ध पर लगाये गये थे।

(2) जी हां। 45 बसें चल रही हैं। 2 बसों को अनधिकृत रूप से राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यात्री ले जाते हुए पकड़े जाने पर इनका अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया है। शेष बसें स्वेच्छा से अनुपस्थित हैं।

(3) जी हां।

पंचायत समिति डीडवाना द्वारा तालाब खुदाई का ठेका

108. **श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)**: क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना ने पशु मेला भूमि पर तालाब खुदवाने का ठेका दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया, वह रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं था ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त कार्य की जांच करवाने के आदेश दिये ? यदि हां, तो उसकी आज तक क्या प्रगति हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। किन्तु जांच प्रतिवेदन अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

पर्यटन विकास निगम में अनुपयोगी सामान

109. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) व सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)**: क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के किस-किस होटल, रेस्टारां आदि में 1 अप्रेल, 1981 से अब तक कितने-कितने मूल्य का सामान किस-किस माह में वेस्ट (Waste) में लिया गया ? इसके कारण क्या हैं ?

(2) क्या इन "वेस्ट" की वास्तविकता की कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

Page No 260

(360)

(राज्य मन्त्री, पर्यटन)

उत्तर

(1) अभी तक 13 इकाइयों की सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार वर्षवार निम्नानुसार वेस्ट हुआ है :—

वर्ष	वेस्ट का मूल्य
1981-82	रु. 58,827.25
1982-83	रु. 1,09,048.84
1983-84 (अगस्त माह तक)	रु. 49,269.80

संभावित ग्राहकों में कमी होने के कारण केवल ऐसी सामग्री ही वेस्ट होती है जिसे आधुनिक संसाधनों से खराब होने से नहीं बचाया जा सकता है जो कि स्वाभाविक है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। इस वेस्ट की नियमित रूप से इकाइयों में प्रबन्धकों द्वारा जांच की जाती है व अधिकांश इकाइयों के "वेस्ट" अत्यधिक नहीं हैं।

विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	वर्ष	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल योग
1.	मिडवे, बहरोड़	81-82	2572.00	2050 00	2265.00	3474.00	2220.00	3838.00	5973.00	6163.00	4979.00	2260.00	3068.00	2810.00	41672.00
		82-83	2262.00	6762.00	5931.00	628.00	5169.00	5867.00	4114.00	4202.00	3695 00	3589.00	4720.00	6201.75	588[illegible]1.00
		83-84	4943.00	4249.00	3317.00	5079.00	5080.00								22668.00
2.	शिखर, पर्यटक विश्राम गृह, मा. आबू	81-82	729.16	548.67	334.50	173.00	900.00	78.80	1116.00	873.50	74.00	395.50	140.00	168.30	5531.43
		82-83	791.85	1076.00	456.00	1387.20	199.00	403.00	513.00	983.75	625.35	421.65	309.80	490.75	7657.35
		83-84	256.72	853.00	288.00	980.00	735.65								3113.37
3.	सरोवर, कैफे नक्की लेक, मा. आबू	81-82	—	—	995.53	--	—	31.50	63.20	213.25	392.46	128.00	200.60	122.00	2146.54
		82-83	120.92	393.00	203.20	136.00	60.00	64.00	64.40	72.00	20.00	40.40	36.00	51.00	1260.92
		83-84	85.60	370.10	307.10	107.50	45.00								915.30
4.	गणगौर, प. वि., जयपुर	81-82													2278.00
		82-83													4069.73
		83-84													1542.00
5.	तीज, प. वि., जयपुर	81-82													1753.18
		82-83													4486.80
		83-84													1829.11
6.	चम्बल, प. वि., कोटा	81-82	280.50	295.25	301.00	323.45	482.25	452.20	340.25	361.25	397.50	478.45	690.15	412.25	4814.50
		82-83	275.25	322.50	381.50	760.50	414.40	472.50	445.15	368.45	654.25	552.45	516.30	431.50	5594.75
		83-84	500.30	651.25	715.20	785.50	417.30								3069.55
7.	दुर्ग कैफे, नाहर गढ़	81-82													
		82-83	122.21	415.63	169.51	426.79	384.22	1143.39	1233.36	2011.15	1872.29	2198.10	2232.28	6576.87	18785.80
		83-84	912.86	2927.81	930.51	650.40	215.92								5637.50
8.	स्वागतम, प. वि. जयपुर	81-82													
		82-83													
		83-84													1736.36
9.	[illegible]	[illegible]													

क्र.सं.	इकाई का नाम	वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल योग
10.	गोकुल प. वि., नाथद्वारा	81–82	—	—	—	—	—	2.00	8.45	26.20	50.67	7.00	30.70	41.50	166.52
		82–83	38.20	16.60	24.05	14.40	13.80	88.75	89.21	34.54	61.00	85.57	63.49	95.36	624.97
		83–84	6.06	29.25	70.83	6.69	86.95								199.78
11.	घूमर, प. वि., जोधपुर	81–82	—												
		82–83													
		83–84	1019.55	1066.02	840.78	1385.05	1863.36								6174.70
12.	केशल भूमर बावड़ी प. वि., गृह सवाई-माधोपुर	81–82													
		82–83													
		83–84	17.00	82.25	43.20	46.45	46.80								237.70
13.	लेक पैलेस होटल, सिलीसेड़	81–82													
		82–83													6832.85
		83–84													2847.03

वर्षवार कुल योग :—

82–82	58827.25
82–83	109048.84
83–84	49269.80
योग :–	217145.89

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना

110. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पर्यटन विभाग ने केन्द्र सरकार को मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना प्रेषित की है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्र सरकार ने इसका सर्वे का कार्य पूर्ण कर धनराशि स्वीकृत कर दी एवं उससे सम्बन्धित पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया ? कृपया इस सम्बन्ध में अब तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के पर्यटन विभाग में हुए पत्र-व्यवहार की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ करने में देरी कर रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(4) क्या राज्य सरकार इस योजना को अस्वीकार करना चाहती है क्योंकि यह मेवाड़ के महाराणा से संबंधित है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1978–79 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने मेवाड़ काम्पलेक्स की एक योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित की थी। प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु अभी तक किसी तरह की कोई धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

प्रारूप की प्रति बिन्दु सं. 1

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित योजना का प्रारम्भिक प्रारूप

	प्रस्तावित धनराशि (लाख रुपयों में)
1. हल्दी घाटी	
(क) पर्यटकों की सुविधा हेतु अल्पाहार गृह (केन्टीन) व आठ कमरों का निर्माण कार्य। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए चार स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण कार्य।	10.00

(ख) वर्तमान अजायबघर (म्यूजियम) का सुधार एवं विस्तार कार्य ।	10.00
(ग) चेतक स्मारक एवं उसके आस-पास की जगह का विकास ।	2.50
(घ) हल्दी घाटी का प्रत्यावर्तन तथा उस क्षेत्र का विकास व हल्दी घाटी की युद्ध नीति का दिग्दर्शन ।	10.00
2. रक्त तलाई :—	
रक्त तलाई के फेन्सिंग एवं विकास कार्यों पर व्यय ।	5.00
3. गोगुन्दा :—	
(क) राज्याभिषेक स्थल एवं स्मारकों आदि का विकास कार्य ।	5.00
(ख) स्मारकों व उसकी आस-पास की जगहों का सुधार एवं विकास कार्य ।	2.50
(ग) छतरियों का सुधार कार्य ।	2.50
4. चावण्ड :—	
चावण्ड के स्मारकों, आस-पास की जगहों एवं पहुँच मार्ग का सुधार कार्य ।	25.00
5. कुम्भलगढ़ :—	
किले एव महलों आदि के खुर्रों का पुनः स्थापन । आस-पास की जगहों एवं पहुँच मार्ग का विकास तथा पीने के पानी की व्यवस्था ।	20.00
6. यातायात :—	
(क) दो लग्जरी कोच (आराम देह बसें) की व्यवस्था जो मेवाड़ काम्पलेक्स के पैकेज टूर हेतु उदयपुर से चालू की जावेगी ।	5.00
(ख) उदयपुर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण हेतु एक आराम देह बस की व्यवस्था ।	2.50
	100.00

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के सब-सेन्टर्स में रिक्त पद

111. श्री अमीन खां (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के सब सैन्टर्स में काफी तादाद में काफी अर्से से पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां ।

राज्य में प्रशिक्षितों की कमी के कारण ।

कराकला में सैकण्डरी विद्यालय

112. श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, सलूम्बर में कराकला, मिडिल स्कूल का भवन सुन्दर बना हुआ है ?

(2) क्या सरकार कराकला में सैकण्डरी स्कूल खोलने की इच्छा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भवन पर्याप्त है ।

(2) जी नहीं । वर्ष 1983-84 में नये माध्यमिक विद्यालय खोलने का राज्य के बजट में कोई प्रावधान नहीं है ।

जिला अलवर के गांव भूगोर में सोने का सर्वेक्षण

113. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर जिले के भूगोर गांव की पहाड़ियों में सोने के सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या प्रारम्भिक सर्वेक्षण में सोने के मिलने के संकेत मिले थे ?

(3) अब उक्त खान की क्या स्थिति है ? क्या सर्वेक्षण कार्य अभी भी जारी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले के भूगोर गाव के निकट खान एवं भूमि विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में अलोह धातु खनिजों के पूर्वेक्षण हेतु एक खनिज परियोजना हाथ में ली गई थी ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य अभी जारी है ।

(२६८)

माडा योजनान्तर्गत तहसील जमवारामगढ़ के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्य

114. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जमवारामगढ़ तहसील के जिन 85 गांवों को माडा योजना के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य घोषित किया गया है क्या सरकार उन गांवों में निम्नलिखित समाज हितार्थ कार्य करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(1) ग्राम सानकोटडा में सड़क आश्रम स्कूल भवन का निर्माण कार्य।

2. ग्राम नेवर में आयुर्वेद औषधालय भवन का निर्माण कार्य।

3. ग्राम बस्सी में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य।

4. ग्राम बिलौद में स्कूल भवन का निर्माण कार्य।

5. ग्राम बासना के पास नदी पर एनीकट का निर्माण।

6. ग्राम खरकड़ा में स्कूल भवन का निर्माण कार्य।

7. जमवारामगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास को 'ए' ग्रेड में क्रमोन्नत एवं भवन निर्माण कार्य।

उत्तर

जमवारामगढ़ तहसील के 112 ग्राम जिसमें से 85 ग्राम जमवारामगढ़ पंचायत समिति के हैं, माडा योजना अन्तर्गत चयनित हैं। इस योजना के तहत आयुर्वेदिक औषधालय, भवन निर्माण कार्य के अलावा शेष समाज हितार्थ कार्य बजट आवंटन के आधार पर प्रस्तावों के औचित्य को देख कर उन कार्यों पर विचार कर लिये जाते हैं।

जमवारामगढ़ में संचालित "सी" श्रेणी छात्रावास को छात्रावास संचालन नियम, 1982 के तहत चलाने के आदेश 5-7-82 को प्रसारित कर दिये गये हैं। इस छात्रावास के छात्रों को नियमानुसार राजकीय छात्रावास के अनुरूप ही निःशुल्क रहने, खाने, कपड़े आदि की सुविधाएं हैं। जमवारामगढ़ में छात्रावास चलाने हेतु भवन निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

115. **श्री भैरूंलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या परिवहन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरूंलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आगारों में शिड्यूल्ड ट्राइब/शिड्यूल्ड कास्ट के नौजवानों को रोस्टर के अनुसार नियुक्तियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत लोगों को ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज रखें।

(2) क्या यह सही है कि कानपुर स्कीम के तहत अलग अलग व्यवसाय के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो इस स्कीम के तहत कितने आदिवासी लड़कों को प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से कितनों को इस विभाग में नियुक्तियां दी गई ? कृपया सविवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वांछित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में कानपुर स्कीम के नाम की कोई योजना लागू नहीं है। आदिवासियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर सुलभ कराये जाने हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सूची

परिवहन निगम के उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा आगारों में अनुसूचित जाति/जनजाति के नौजवानों को रोस्टर के अनुसार दी गई नियुक्तियों का प्रतिशत दर्शाते हुए सूची

क्र. सं.	आगार का नाम	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रतिशत
1.	उदयपुर	6 05%	0.67%
2.	डूंगरपुर	4.69%	3.13%
3.	बांसवाड़ा	13.33%	3.81%

'पैलेस आन व्हील्स' में बार

116. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :– क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि "पैलेस आन व्हील्स" पर "बार" (Bar) की व्यवस्था की गई है ?

(2) यदि हां, तो इस "बार" में किस-किस प्रकार की शराब किस-किस मूल्य पर बेची जाती है ?

(3) निगम द्वारा यह शराब कहां से और किस प्रक्रिया से खरीदी जाती है ?

(सुश्री पुष्पा जैन)

(4) अब तक कितनी शराब की बिक्री हुई और उससे निगम को कितना लाभ हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मूल्य निम्नानुसार है—

(1) बीयर	22/- रु. प्रति बोतल	
(2) व्हिस्की	12/- रु. प्रति पैग (स्माल)	रेगूलर
	15/- रु. प्रति पैग (स्माल)	प्रीमियम
(3) वाइन	110/- रु. प्रति बोतल	
(4) जिन	12/- रु. प्रति पैग (स्माल)	
(5) रम	12/- रु. प्रति पैग (स्माल)	
(6) वोदका	12/- रु. प्रति पैग (स्माल)	
(7) ब्राण्डी	12/- रु. प्रति पैग (स्माल)	

(3) लगभग समस्त शराब, दिल्ली पर्यटन विकास निगम से खरीदी जाती है।

(4) वर्ष 82-83 में निम्नांकित बिक्री व लाभ रहा :—

बिक्री	1,36,223.15
लाभ	53,429.48

जिला बाड़मेर में फीमेल नर्सिंग सेन्टर की स्थापना

117. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पेरा मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है ? यदि हां, तो जिले भर में कुल कितने स्थान रिक्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि मेल नर्सिंग सेन्टर, बाड़मेर में खुलने के कारण अब शनैः शनैः रिक्त स्थानों की पूर्ति होने लगी है ?

(3) क्या सरकार इसी प्रकार फीमेल नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए बाड़मेर में फीमेल नर्सिंग सेन्टर खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।
129 स्थान रिक्त हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।
एक प्रसाविका प्रशिक्षाण केन्द्र खोलने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम चनानी, जिला टोंक का विद्युतीकरण

118. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निवाई तहसील के किन-किन ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1983-84 में विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिन ग्रामों को उपरोक्त वर्ष में विद्युतीकृत करना है, उनमें से किन किन ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है ?

(3) क्या सरकार ग्राम चनानी, तहसील निवाई, जिला टोंक को भी इसी वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1983-84 मे निवाई तहसील के 10 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामों की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम गोपालपुरा में पूर्व में कनेक्शंस दिये हुये हैं। इस ग्राम को शीघ्र ही विद्युतीकृत घोषित किया जावेगा।

(3) जी नहीं। वर्ष 1983-84 के कार्यक्रम में झिलाई व निवाई सब-स्टेशनों के आसपास के ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। ग्राम चिनानी उक्त सिस्टम से बहुत दुर है तथा करेडा बुजुर्ग सब स्टेशन से विद्युतीकृत किया जा सकेगा। इस वर्ष करेडा बुजुर्ग सिस्टम के ग्राम सम्मिलित नहीं है।

सूची

पं.स. निवाई जिला टोंक के वर्ष 1983-84 से विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	भंवरपुरा	11/2/188
2.	गोरधनपुरा	11/2/184
3.	सकतपुरा	11/2/118
4.	गोपालपुरा	11/2/125
5.	देवपुरा	11/2/127
6.	गगापुरा	11/2/128
7.	चक विजयपुरा	11/2/105
8.	विसनपुरा	11/2/109
9.	हमीदपुरा	11/2/115
10.	रामसिंहपुरा	11/2/116

नागौर निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण योजना

120. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

368

(श्री महाराम चौधरी)

(1) नागौर निर्वाचन क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं कहां-कहां चल रही हैं ?

(2) क्या विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी व मिडिल स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कृपया छात्र का नाम मय वल्दियत के सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत किस-किस ग्राम में कितनी कितनी सामग्री किस-किस संस्था के जरिये वितरित की गई ? कृपया तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर निर्वाचन क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जन जाति के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब")

(3) नागौर निर्वाचन क्षेत्र में पोषाहार कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत केवल नगर पालिका क्षेत्र में ही चलाया जा रहा है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "स")

परिशिष्ट (अ)

क. सं.	नाम	योजना	स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या
1	2	3	4	5
1—छात्रावास				
1-	राजकीय छात्रावास	अनुसूचित जाति	नागौर	60
2-	राजकीय छात्रावास (कन्या)	अनुसूचित जाति	नागौर	25
3-	राजकीय छात्रावास	हरिजन	नागौर	25
4-	महात्मा गांधी अनुदानित छात्रावास	अनुसूचित जाति	नागौर	45

2—विश्व खाद्य कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाती माताओं के लिये पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाता है। नागौर शहर में 30 केन्द्र नगर पालिका क्षेत्र में चलाये जा रहे हैं जिन पर प्रत्येक से लगभग 100 बच्चों तथा 20 दूध पिलाती माताओं को लाभ दिया जाने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त खाद्य सामग्री जिसमें एस. एफ. बी. (दलिया) तथा बटर आयल से संचालित किया जाता है।

3—छात्रवृत्ति

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों तथा विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है जिसकी गत दो वर्षों की सूची परिशिष्ट (ब) में अंकित कर दी गई है।

4– अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता।

5– वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन

6– अनुसूचित जाति व जन जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) को बेरोजगारी भत्ता।

परिशिष्ट (ब)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्र-संस्थाएं) शिक्षा विभाग, नागौर

नागौर विधान सभा क्षेत्र में 1981–82 में छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति की सूची

क्र. सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम	कक्षा	जाति	विद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत है	दर प्रति माह
1	2	3	4	5	6	7
1.	चन्द्राराम	श्री अमानाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि करनू	10
2.	सत्यनारायण	श्री भैराराम	7	मेघवाल	प्रारामावि पाचलासिद्धा	10
3.	भंवरलाल	श्री नरपतराम	7	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10
4.	कालूराम	श्री बक्षाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि माड़पुरा	10
5.	भंवराराम	श्री बगदूड़राम	7	मेघवाल	राउप्रावि माड़पुरा	10
6.	भंवरलाल	श्री भालेराम	7	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
7.	रामनिवास	श्री भागीरथ	7	खटीक	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
8.	हिराराम	श्री मुकनाराम	7	रैगर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
9.	विजय कुमार	श्री हरीदाराम	7	मेहतर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
10.	गोपीराम	श्री लखूराम	7	रैगर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
11.	मदनलाल	श्री सज्जन कुमार	7	मेहतर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10

1	2	3	4	5	6	7
12.	भंवरलाल	श्री साजूराम	7	मेघवाल	राउप्रावि टवालीया	10
13.	जगदीश प्रसाद	श्री लिखमाराम	7	मेहतर	राउप्रावि टदालीया	10
14.	ईश्वरराम	श्री चेनाराम	7	मेघवाल	राप्रावि अजाय	10
15.	कानाराम	श्री गोमन्दराम	7	मेघवाल	रामावि गुढ़ा भगवानदास	10
16.	ईश्वरराम	श्री जोगाराम	7	मेघवाल	रामावि गुढ़ा भगवानदास	10
17.	पेमाराम	श्री सुगनाराम	7	मेघवाल	रामावि गुढ़ा भगवानदास	10
18.	शेराराम	श्री कुभाराम	7	मेघवाल	रामावि गुढ़ा भगवानदास	10
19.	हीराराम	श्री हुक्माराम	7	मेघवाल	रामावि गुढ़ा भगवानदास	10
20.	पाचाराम	श्री मनुराम	7	मेघवाल	रामावि गुढ़ा भगवानदास	10
21.	माधुराम	श्री हरसुखराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10
22.	आशाराम	श्री भगवानाराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10
23.	पेमाराम	श्री उदाराम	7	हरिजन	राउमावि खिवसर	10
24.	विजयराज	श्री उदाराम	7	हरिजन	राउमावि खिवसर	10
25.	रामरतन	श्री स्वरूपराम	7	मेघवाल	राउप्रावि मांवण्डा	10
26.	सोहनलाल	श्री रामचन्द्र	7	रैगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
27.	प्रदीपकुमार	श्री सूरजकरण	7	रैगर	रामावि बखतसागर नागौर	10

1	2	3	4	5	6	7
28.	बाबूलाल	श्री सुरजाराम	7	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
29.	सत्यनारायण	श्री गुलाराम	7	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
30.	कन्हैयालाल	श्री मुलाराम	7	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
32.	महेशकुमार	श्री केवलराम	7	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
33.	खेमचन्द	श्री रामपाल	7	खटीक	रामावि बखतसागर नागौर	10
34.	घनश्याम	श्री गणेशराम	7	मोची	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
35.	घेवरराम	श्री प्रहलादराम	8	हरिजन	राउप्रावि करनू	10
36.	ओमप्रकाश	श्री प्रभूराम	8	मेघवाल	राउप्रावि नारवाकलां	10
37.	घमण्डाराम	श्री भेराराम	8	मेघवाल	राउप्रावि नारवाकलां	10
38.	निम्बाराम	श्री रामूराम	8	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10
39.	मांगूराम	श्री मोड़ाराम	8	मेघवाल	राउप्रावि देऊ	10
40.	पूनाराम	श्री कुम्भाराम	8	मेघवाल	रामावि पाचलासिद्धा	10
41.	ईशाराम	श्री पूनाराम	8	मेघवाल	रामावि चावण्डिया	10
42.	नारायणराम	श्री चतुराराम	8	मेघवाल	रामावि चावण्डिया	10
43.	नेमाराम	श्री मूलाराम	10	मेघवाल	रामावि चावण्डिया	20
44.	खेतराम	श्री कूलाराम	8	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10

1	2	3	4	5	6	7
45.	मोहनलाल	श्री नरपतराम	9	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	20
46.	जीवणराम	श्री दयालराम	9	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	20
47.	भागाराम	श्री वक्षाराम	8	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
48.	बाबूलाल	श्री मोहनलाल	9	मेघवाल	रामावि अलाय	20
49.	बालीराम	श्री भागाराम	9	मेघवाल	रामावि अलाय	20
50.	रामदयाल	श्री रामचन्द्र	9	मेघवाल	रामावि अलाय	20
51.	मोहनराम	श्री सुगनाराम	10	मेघवाल	रामावि अलाय	20
52.	कालूराम	श्री कानाराम	10	मेघवाल	रामावि अलाय	20
53.	नारायणराम	श्री भगवानाराम	10	मेघवाल	रामावि अलाय	20
54.	किसनाराम	श्री पपेकरराम	10	मेघवाल	रामावि अलाय	20
55.	अर्जुनराम	श्री मगाराम	10	मेघवाल	रामावि अलाय	20
56.	सुभाषचन्द	श्री मांगीलाल	8	मेहतर	रामावि गोगेलाव	10
57.	सहदेवराम	श्री ईश्वरराम	10	मेघवाल	रामावि गोगेलाव	20
58.	हनुमानराम	श्री सुखराम	11	रेगर	राउमावि खिवसर	20
59.	तुलसीराम	श्री धर्माराम	8	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
60.	हिरालाल	श्री बोदाराम	8	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10

1	2	3	4	5	6	7
61.	श्रवणकुमार	श्री सांवलाराम	9	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	20
62.	राजेन्द्रकुमार	श्री रामचन्द्र	10	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	20
63.	पूरबाराम	श्री जोगाराम	8	मेघवाल	रामावि गुढाभगवानदास	10
64.	सीताराम	श्री हरीराम	9	मेघवाल	रामावि गुढाभगवानदास	20
65.	प्रभूराम	श्री जोगाराम	8	मेघवाल	रामावि गुडाभगवानदास	10
66.	बगाराम	श्री जागाराम	9	मेघवाल	रामावि गुढाभगवानदास	20
67.	महेन्द्रकुमार	श्री सोहनलाल	8	मोची	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
68.	राजेन्द्रकुमार	श्री भवरलाल	8	मोची	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
69.	ताराचन्द	श्री जीवणराम	8	मोची	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
70.	सुभाषचन्द	श्री जीवणराम	8	मोची	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
71.	झूमरराम	श्री चूनाराम	8	मेघवाल	राउप्रावि निम्बोलाभूण्डेल	10
72.	रामप्रसाद	श्री बालूराम	9	खटीक	राउमावि नागौर	20
73.	अशोककुमार	श्री हरीदाराम	10	मेहतर	राउमावि नागौर	20
74.	पुनाराम	श्री किसनाराम	10	हरिजन	राउमावि नागौर	20
75.	चेतनदास	श्री रामप्रसाद	11	खटीक	राउमावि नागौर	20
76.	उदाराम	श्री खेराजराम	11	रेगर	राउमावि नागौर	20

1	2	3	4	5	6	7
77.	देवीलाल	श्री पूर्णाराम	11	रेगर	राउमावि नागौर	20
78.	प्रहलादराम	श्री रामचन्द्र	11	रेगर	राउमावि नागौर	20
79.	जीवराज	श्री सुरजकरण	11	रेगर	राउमावि नागौर	20
80.	रामपाल	श्री लालाराम	11	भांभी	राउमावि नागौर	20
81.	लच्छीराम	श्री भेराराम	11	रेगर	राउमावि नागौर	20

जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्र-संस्थाएं) नागौर

परिशिष्ट–'ब 2'

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्र-संस्थाएं) नागौर (राज०)

नागौर विधान सभा क्षेत्र में 1982–83 में छात्रों को दी गई छात्रावृत्ति की सूची

क्र. सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम	कक्षा	जाति	विद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत हैं।	दर प्रति माह
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिलीपचन्द	श्री भीकमचन्द	11	ढोली	राउमावि नागौर	25
2.	सहदेवराम	श्री शिवराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	25

1	2	3	4	5	6	7
3.	राजेन्द्रकुमार	श्री रामचन्द्र	11	रेगर	राउमावि नागौर	25
4.	ईश्वरचन्द	श्री लालाराम	11	रेगर	राउमावि नागौर	25
5.	किसनाराम	श्री पोकरराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	25
6.	नारायणराम	श्री भगवानाराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	25
7.	गंगाराम	श्री सुगनाराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	25
8.	हरिशचन्द	श्री रामदयाल	11	रेगर	राउमावि नागौर	25
9.	ओमप्रकाश	श्री जस्साराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	25
10.	कालूराम	श्री कानाराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	25
11.	मोहनराम	श्री सुगनाराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	25
12.	पन्नालाल	श्री रामपाल	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	25
13.	महेशकुमार	श्री केवलराम	8	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
14.	कन्हैयालाल	श्री मूलाराम	8	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
15.	दयाराम	श्री तेजाराम	8	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
16.	बाबूलाल	श्री सुरजाराम	8	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
17.	सत्यनारायण	श्री गूलाराम	8	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
18.	खेमचन्द	श्री रामपाल	8	खटीक	रामावि बखतसागर नागौर	10

1	2	3	4	5	6	7
19.	प्रदीपकुमार	श्री सूरजकरण	8	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
20.	बाबूलाल	श्री हीराराम	8	मेघवाल	रामावि बखतसागर नागौर	10
21.	घनश्याम	श्री पूर्णाराम	9	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	25
22.	हिरालाल	श्री बिदाराम	9	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	25
23.	ओमप्रकाश	श्री मूलाराम	9	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	25
24.	ओमप्रकाश	श्री गणेशलाल	10	भांभी	रामावि बखतसागर नागौर	25
25.	रामसिंह	श्री गुरुदयालसिंह	10	मेघवाल	रामावि बखतसागर नागौर	25
26.	श्रवणकुमार	श्री सांवलाराम	10	रेगर	रामावि बखतसागर नागौर	25
27.	ईश्वरराम	श्री चेनाराम	8	मेघवाल	रामावि अलाय	10
28.	देरामाराम	श्री लच्छी राम	8	मेघवाल	रामावि अलाय	10
29.	बालाराम	श्री लखाराम	10	मेघवाल	रामावि अलाय	25
30.	सत्यनारायण	श्री भैराराम	8	मेघवाल	रामावि पाचल सिढा	10
31.	घमण्डाराम	श्री भेराराम	9	मेघवाल	रामावि पाचला सिढा	25
32.	ईश्वरराम	श्री जोगाराम	8	मेघवाल	रामावि गुढा भगवानदास	10
33.	धोराराम	श्री कुम्भाराम	8	मेघवाल	रामावि गुढा भगवानदास	10
34.	प्रेमाराम	श्री सुगनाराम	8	मेघवाल	रामावि गुढा भगवानदास	10

1	2	3	4	5	6	7
35.	कानाराम	श्री गोविंदराम	8	मेघवाल	रामा विगुढा भगवानदास	10
36.	पांचाराम	श्री नेनाराम	8	मेघवाल	रामा विगुढा भगवानदास	10
37.	हिराराम	श्री हुक्माराम	8	मेघवाल	रामा विगुढा भगवानदान	10
38.	पुरखाराम	श्री जोगाराम	9	मेघवाल	रामा विगुढा भगवानदास	25
39.	सीताराम	श्री हिराराम	10	मेघवाल	रामा विगुढा भगवानदास	25
40.	नागरराम	श्री जोगाराम	10	मेघवाल	रामा विगुढा भगवानदास	25
41.	कुमरराम	श्री चनाराम	9	मेघवाल	रामा विचावण्डिया	25
42.	इसाराम	श्री पूनाराम	9	मेघवाल	रामा विचावण्डिया	25
43.	सुभाषचन्द	श्री मांगीलाल	9	मेहतर	रामा गोगेलाव	25
44.	लुणाराम	श्री मुगनाराम	10	मेघवाल	रामा विगोगेलाव	25
45.	भंवरलाल	श्री नरपतराम	8	मेघवाल	रामा विश्री बालाजी	10
46.	निम्बाराम	श्री रामराम	9	मेघवाल	रामा विश्री बालीजी	25
47.	भगवानाराम	श्री गलसिम	10	मेघवाल	रामा विश्री बालाजी	25
48.	मोहनलाल	श्री नरपतराम	10	मेघवाल	रामा विश्री बालाजी	10
49.	गोपीराम	श्री लखुराम	8	रेगर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
50.	हीराराम	श्री मुकनाराम	8	रेगर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10

1	2	3	4	5	6	7
51.	विजयकुमार	श्री हरीदास	8	मेहतर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
52.	मदनलाल	श्री सज्जनमल	8	मेहतर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
53.	रामनिवास	श्री भागीरथ	8	खटीक	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
54.	घनश्याम	श्री गणेशलाल	8	मोची	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
55.	भंवरलाल	श्री ताजराम	8	मेघवाल	राउप्रावि उन्टवालीया	10
56.	जगदिशप्रसाद	श्री लिखमाराम	8	भांभी	राउप्रावि उन्टवालीया	10
57.	भंवरलाल	श्री भोलाराम	8	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
58.	सीताराम	श्री मोहनलाल	8	मेघवाल	राउमावि नागौर	10
59.	ताराचन्द	श्री जीवणराम	8	मोची	राउमावि नागौर	10
60.	गुदडराम	श्री तेजाराम	8	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
61.	चौथमल	श्री भागीरथ	9	खटीक	राउमावि नागौर	20
62.	सुभाषचन्द	श्री जीवणराम	9	मोची	राउमावि नागौर	20
63.	हरीभजन	श्री शंकरलाल	9	मेहतर	राउमावि नागौर	20
64.	राजेन्द्रकुमार	श्री भंवरलाल	9	मोची	राउमावि नागौर	20
65.	कवरीलाल	श्री दीपाराम	10	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
66.	वेदराज	श्री लालाराम	10	रेगर	राउमावि नागौर	20

1	2	3	4	5	6	7
67.	बलदेवराम	श्री टिकाराम	10	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
68.	शिवप्रताप	श्री हरजीराम	10	मेहतर	राउमावि नागौर	20
69.	मनोहरलाल	श्री शंकरलाल	10	मेहतर	राउमावि नागौर	20
70.	राजेन्द्रकुमार	श्री देवाराम	10	मेहतर	राउमावि नागौर	20
71.	श्यामलाल	श्री पंसाराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
72.	रामकरण	श्री खीसीराम	11	मेघपाल	राउमावि नागौर	20
73.	रामपाल	श्री सगराराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
74.	उमाराम	श्री त्रिलोकराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
75.	रामचन्द्र	श्री लिखमाराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
76.	सिमरथाराम	श्री रामपाल	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
77.	रामनारायण	श्री पोकरराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
78.	शैतानराम	श्री तलछाराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
79.	नाथूराम	श्री बोदाराम	11	मेघवाल	राउमावि नागौर	20
80.	माधुराम	श्री हरसुराराम	8	मेघवाल	राउमावि खिवसर	20
81.	आशाराम	श्री भगवानाराम	8	रेगर	राउमावि खिवसर	10
82.	विनयराम	श्री उद्धाराम	8	हरिजन	राउमावि खिवसर	10

(38)

1	2	3	4	5	6	7
83.	प्रेमाराम	श्री उद्धाराम	8	हरिजन	राउमावि खिवसर	10
84.	रामनिवास	श्री बुद्धाराम	9	मेघवाल	राउमावि खिवसर	20
85.	रामनिवास	श्री चन्दाराम	9	मेघवाल	राउमावि खिवसर	20
86.	सीताराम	श्री पोकरराम	10	मेघवाल	राउमावि खिवसर	20
87.	हरदीनराम	श्री तोलाराम	10	मेघवाल	राउमावि खिवसर	20
88.	रमेशकुमार	श्री शिवनारायण	9	ढोली	रामावि बखतसागर नागौर	20
89.	भंवरलाल	श्री डोलराम	8	मेघवाल	रामावि पाचला सिद्धा	10
90.	बंशीलाल	श्री बिजाराम	8	मेघवाल	रामावि पाचला सिद्धा	10
91.	लालाराम	श्री जयरूपाराम	8	मेघवाल	रामावि पाचला सिद्धा	10
92.	खेताराम	श्री भेराराम	9	मेघवाल	रामावि पाचला सिद्धा	20
93.	बाबूलाल	श्री श्रादूराम	9	मेघवाल	रामावि पाचला सिद्धा	20
94.	रामनिवास	श्री सुगनाराम	10	मेघवाल	रामावि गुढा भगवानदास	20
95.	रामलाल	श्री छगनाराम	8	मेघवाल	रामावि श्री बालाजी	10
96.	बाबूलाल	श्री धमाराम	9	गुरडा	रामावि अलाय	20
97.	धनराज	श्री धामाराम	8	खटीक	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
98.	शिवलाला	श्री भागराम	8	मेघवाल	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10

1	2	3	4	5	6	7
99.	किशनलाल	श्री लखाराम	8	खटीक	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
100.	हरिराम	श्री भंवरलाल	8	ढोला	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
101.	ताराचन्द	श्री टिकमराम	8	मेघवाल	राउप्रावि भदवासी	10
102.	गुलाबराम	श्री छगनीराम	8	मेघवाल	राउप्रावि नं. 3 नागौर	10
103.	बाबूराम	श्री कानाराम	8	मेघवाल	राउप्रावि उन्टवालीया	10
104.	कालूराम	श्री पक्षाराम	8	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
105.	भंवरलाल	श्री गुदड़राम	8	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
106.	धर्माराम	श्री सिरदराराम	8	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
107.	नत्थाराम	श्री भोलेदास	8	मेघवाल	राउप्रावि माडपुरा	10
108.	रामेश्वर	श्री नेनराम	6	मेघवाल	राउप्रावि भदवासी	10
109.	भेराराम	श्री जोधाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि भदवासी	10
110.	भंवरलाल	श्री हरीराम	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
111.	हरीराम	श्री ईश्वरराम	6	मेघवाल	रामा विगोगेलाव	10
112.	रणजीतकुमार	श्री महीराम	6	मेहतर	रामा विगोगेलाव	10
113.	तारादेवी	श्री हरीराम	6	हरिजन	रामा विगोगेलाव	10
114.	गणेशराम	श्री चेनाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 3 नागौर	01

383

1	2	3	4	5	6	7
115.	कुम्भाराम	श्री किसनाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
116.	रामेश्वरलाल	श्री प्रभुराम	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
117.	रूपाराम	श्री किसनाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
118.	नारायणराम	श्री मवाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि उन्टवालीया	10
119.	भगवानराम	श्री भाणाराम	6	हरिजन	राउप्रावि उन्टवालीया	10
120.	शंभुदयाल	श्री रंगलाल	6	ढोली	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
121.	भंवरलाल	श्री हरीराम	6	ढोली	राउमावि खिवसर	10
122.	मुलतानराम	श्री मंगलाराम	6	रेगर	राउमावि खिवसर	10
123.	गिरधारीलाल	श्री लिछूराम	6	हरिजन	राउमावि खिवसर	10
124.	शंकरलाल	श्री मंगलराम	6	रेगर	राउमावि खिवसर	10
125.	उगंराराम	श्री मानाराम	6	मेघवाल	राउमावि खिवसर	10
126.	गणपतलाल	श्री मोडाराम	6	मेघवाल	राउमावि खिवसर	10
127.	रामनारायण	श्री शिवकरण	6	रेगर	राउमावि खिवसर	10
128.	मदनलाल	श्री परसाराम	6	रेगर	राउमावि खिवसर	10
129.	खेमाराम	श्री उमेदाराम	6	रेगर	राउमावि खिवसर	10
130.	नारायणराम	श्री जगमालराम	6	मेघवाल	राउमावि चावण्डिया	10

(384)

1	2	3	4	5	6	7
131.	रामेश्वरलाल	श्री कोजाराम	6	मेघवाल	रामावि अलाय	10
132.	केवलराम	श्री पोलाराम	6	मेघवाल	रामावि अलाय	10
133.	भेराराम	श्री रामराम	6	गरूड़ा	रामावि अलाय	10
134.	करणाराम	श्री खेतराम	6	मेघवाल	रामावि अलाय	10
135.	भूराराम	श्री हनुमानराम	6	मेघवाल	रामावि अलाय	10
136.	फोकरराम	श्री जरामाराम	6	रेगर	रामावि अलाय	10
137.	बाबूलाल	श्री हुक्माराम	6	मेघवाल	रामावि अलाय	10
138.	बशीलाल	श्री रावतराम	6	मेघवाल	रामावि अलाय	10
139.	भवरलाल	श्री मनसुखराम	6	मेघवाल	रामावि अलाय	10
140.	बोजाराम	श्री हीरालाल	6	मेघवाल	राउप्रावि सिणोद	10
141.	पेमाराम	श्री अल्फराम	6	मेहतर	रामावि बखतसागर नागौर	10
142.	भवरलाल	श्री उयाराम	6	मेघवाल	रामावि बखतसागर नागौर	10
143.	सत्यदेव	श्री ओमप्रकाश	6	हरिजन	रामावि बखतसागर नागौर	10
144.	पदमचन्द	श्री ओमप्रकाश	6	हरिजन	रामावि बखतसागर नागौर	10
145.	रूपचन्द	श्री मीठेलाल	6	हरिजन	रामावि बखतसागर नागौर	10
146.	पेमाराम	श्री तुलछाराम	6	मेघवाल	रामावि बखतसागर नागौर	10

385

1	2	3	4	5	6	7
147.	नवरतन	श्री मदनलाल	6	मेहतर	रामावि बखतसागर नागौर	10
148.	प्रहलादराम	श्री बालाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
149.	रामेश्वर लाल	श्री मुलतानराम	6	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
150.	प्रेमाराम	श्री जस्साराम	6	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
151.	रामेश्वर लाल	श्री प्रतापराम	6	मेघवाल	राउप्रावि ऊंटवालीया	10
152.	खाराम	श्री रामाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि ऊंटवालीया	10
153.	प्रेमाराम	श्री रामूराम	6	मेघवाल	रामावि गुढा भगवान दास	10
154.	सोहनलाल	श्री भूराराम	6	मेघवाल	रामावि गुढा भगवान दास	10
155.	रावतराम	श्री मोतीराम	6	मेघवाल	रामावि गुढा भगवान दास	10
156.	रूपाराम	श्री बूद्धाराम	6	मेघवाल	रामावि गुढा भगवान दास	10
157.	भागीरथराम	श्री कानाराम	6	मेघवाल	रामावि गुढा भगवान दास	10
158.	बाबूलाल	श्री श्रीराम	6	मेघवाल	रामावि गुढा भगवान दास	10
159.	अखाराम	श्री चन्द्राराम	6	मेघवाल	रामावि गुढा भगवान दास	10
160.	बनवारीलाल	श्री स्वरूपाराम	6	मेघवाल	रामावि गुढा भगवान दास	10
161.	पार्वती	श्री रामचन्द्र	6	रेगर	राबाउमावि नागौर	10
162.	शारदा	श्री रामचन्द्र	6	रेगर	राबाउमावि नागौर	10

1	2	3	4	5	6	7
163.	राजकंवरी	श्री भेराराम	6	रेगर	राबाउमावि नागौर	10
164.	लक्ष्मणराम	श्री मलाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि माडपुरा	10
165.	राजूराम	श्री भेराराम	6	मेघवाल	रामावि पाचलों सिद्धा	10
166.	शैतानराम	श्री टिकूराम	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
167.	रेवतराम	श्री सीताराम	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
168.	किशनलाल	श्री सीताराम	6	धोबी	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
169.	धन्नालाल	श्री रामपाल	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
170.	गणपतलाल	श्री देवाराम	6	सरगरा	राउप्रावि न. 2 नागौर	10
171.	जुगलकिशोर	श्री भेराराम	6	धमामी	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
172.	हेमाराम	श्री फकीरचन्द	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
173.	पुसकरचन्द	श्री मानीकचन्द	6	जाटव	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
174.	विजयराज	श्री अर्जुन	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
175.	घनश्याम	श्री भवरलाल	6	मेघवाल	राउप्रावि न. 2 नागौर	10
176.	ओमप्रकाश	श्री पूसाराम	6	मेघवाल	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
177.	केसाराम	श्री सूरजाराम	6	मेघवाल	रामावि अलाय	10
178.	पेमाराम	श्री मंगलाराम	6	मेघवाल	रामावि श्री बालजी	10

1	2	3	4	5	6	7
179.	मांगीलाल	श्री चेतनराम	6	मेघवाल	रामावि श्री बालाजी	10
180.	बल्लूराम	श्री पन्नाराम	6	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10
181.	नत्थाराम	श्री भगवानाराम	6	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10
182.	प्रेमप्रकाश	श्री मदनलाल	6	मेहतर	रामावि बखतसागर नागौर	10
183.	शिवप्रसाद	श्री हरजीराम	6	हरिजन	रामावि बखतसागर नागौर	10
184.	घनश्याम	श्री सज्जन	6	हरिजन	रामावि बखतसागर नागौर	10
185.	जगदीश	श्री प्रकाश	6	हरिजन	रामावि बखतसागर नागौर	10
186.	हेन्डमल	श्री बाबूलाल	6	मेहतर	रामावि बखतसागर नागौर	10
187.	हुक्मीचन्द	श्री रतनलाल	7	रैगर	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
188.	रघुनाथराम	श्री रामसुख	6	मेघवाल	राउप्रावि पाचोड़ी	10
189.	जवरीलाल	श्री उमाराम	7	रैगर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
190.	प्रेमचन्द	श्री उदाराम	7	रैगर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
191.	परखाराम	श्री जेठाराम	7	रैगर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
192.	भगवानाराम	श्री पदमाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
193.	रावतराम	श्री भ्रमराराम	7	रैगर	राउप्रावि नं. 4 नागौर	10
194.	गंगाराम	श्री चेनाराम	7	मोची	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10

388

1	2	3	4	5	6	7
195.	ताराचन्द	श्री जगन्नाथ	7	मोची	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
196.	जगदीश	श्री प्रभूराम	7	बनजारा	राउप्रावि न. 5 नागौर	10
197.	कमल किशोर	श्री पदमाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
198.	गुलाबचन्द	श्री रामचन्द्र	7	रैगर	राउप्रावि नं. 5 नागौर	10
199.	गोपाराम	श्री चोखाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि ऊटवालीया	10
200.	सन्ताराम	श्री कानाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि ऊटवालीया	10
201.	टिकराम	श्री रामचुन्द्र	7	खटीक	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
202.	गुलाबचन्द	श्री पदमाराम	7	खटीक	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
203.	मेघाराम	श्री आशाराम	7	खटीक	राउप्रावि नं. 2 नागौर	10
204.	भीकाराम	श्री शंगलाराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10
205.	डूंगरराम	श्री रेवतराम	7	मेघवाल	राउमावि खिवसर	10
206.	हंसराज	श्री शिम्भूराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10
207.	कोजाराम	श्री प्रभूराम	7	मेघवाल	राउमावि खिवसर	10
208.	डूंगररांम	श्री सुखराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10
209.	शंकरलाल	श्री आशुराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10
210.	भीकाराम	श्री गंगाराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10

1	2	3	4	5	6	7
211.	बालकिशन	श्री शिम्भूराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10
212.	दुर्गाराम	श्री भगवानाराम	7	रैगर	राउमावि खिवसर	10
213.	मूलाराम	श्री रामराम	7	मरूंड	राउमावि खिवसर	10
214.	मांगीलाल	श्री रामूराम	7	मेघवाल	राउप्रावि निम्बोलाभण्डेल	10
215.	भीकाराम	श्री गिरधारीलाल	7	ढोली	राउप्रावि निम्बोलाभण्डेल	10
216.	जगदीशराम	श्री शंकरराम	7	मेघवाल	राउप्रावि निम्बोलाभण्डेल	10
217.	भीवराज	श्री मोहनलाल	7	मेघवाल	रामावि बखतसागर नागौर	10
218.	सुरेन्द्रकुमार	श्री रामचन्द्र	7	रैगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
219.	चतुर्भुज	श्री पूर्णाराम	7	रैगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
220.	श्यामलाल	श्री खुलाराम	7	हरिजन	रामावि बखतसागर नागौर	10
221.	रामनारायण	श्री फेफाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि सिणोद	10
222.	केशाराम	श्री शंकरराम	7	मेघवाल	राउप्रावि भावण्डा	10
223.	मुन्नालाल	श्री पन्नालाल	7	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10
224.	जोधाराम	श्री परमाराम	7	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10
225.	घोकलराम	श्री रामूराम	7	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10
226.	छोटमल	श्री सिद्धराम	7	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10

1	2	3	4	5	6	7
227.	भंवरलाल	श्री दुर्गाराम	7	मेघवाल	रामावि श्रीबालाजी	10
228.	महेन्द्रकुमार	श्री भंवरलाल	7	रैगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
229.	ओमप्रकाश	श्री मोहनलाल	7	रैगर	राउमावि नागौर	10
230.	घमण्डाराम	श्री किसनाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि बिरलोका	10
231.	सीताराम	श्री सोनाराम	7	मेघवाल	राउप्रावि बिरलोका	10
232.	राजेन्द्रकुमार	श्री शंकरलाल	7	मेघवाल	राउमावि खिबसर	10
233.	गोपालराम	श्री खेताराम	7	मेघवाल	रामावि अलाय	10
234.	रामेश्वरलाल	श्री सगराम	7	मेघवाल	रामावि अलाय	10
235.	ईश्वरलाल	श्री जेठाराम	7	मेघवाल	रामावि अलाय	10
236.	गोविन्दराम	श्री भागीरथ	7	मेघवाल	रामावि अलाय	10
237.	मुन्नाराम	श्री बिरदाराम	7	मेघवाल	रामावि अलाय	10
238.	भाराराम	श्री मालाराम	7	मेघवाल	रामावि अलाय	10
239.	मुन्नालाल	श्री जस्साराम	7	रैगर	रामावि बखतसागर नागौर	10
240.	सुगनाराम	श्री मांगीलाल	7	रैगर	रामावि बखतसागर नागौर	10

जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर ।

(39)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्थाएं) शिक्षा विभाग, नागौर (राज०)

नागौर विधान सभा क्षेत्र में 1982–83 में छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति की सूचना जन जाति

क्र.सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम	कक्षा	जाति	विद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत है	दर प्रति माह
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्यामलाल	श्री मोटाराम	11	नायक	राउमावि नागौर	25
2.	टिकूराम	श्री पूर्णाराम	9	नायक	रामावि अलाय	25
3.	चेनाराम	श्री घुड़ाराम	9	नायक	रामावि अलाय	25
4.	रघुनाथमल	श्री सूरजकरण	9	मीणा	रामावि गुढ़ा भगवान दास	25
5.	हरिराम	श्री मोतीराम	9	नायक	रामावि गुढा भगवान दास	25
6.	अमितराम	श्री हजारीराम	9	नायक	राउमावि नागौर	25
7.	बद्रीराम	श्री परखाराम	9	नायक	रामावि गोगेलाव	25
8.	गीताकुमारी	श्री सुखागीरी	9	नायक	राउमावि नागौर	25
9.	कुमारी आशा	श्री मदनगोपाल	9	मीणा	राउमावि नागौर	25
10.	सीयाराम	श्री हजारीलाल	8	मीणा	रामावि गुढाभगवानदास	12.50
11.	सतपाल	श्री जोगाराम	8	नायक	राउप्रावि डेऊ	12.50
12.	नाथूराम	श्री गोदूराम	8	नायक	रामावि बखतसागर नागौर	12.50

1	2	3	4	5	6	7
13.	अम्बालाल	श्री मुल्तानाराम	7	नायक	राउप्रावि नं. 5 नागौर	12.50
14.	सुरेशकुमार	श्री सूरजाराम	7	नायक	राउप्रावि नं. 5 नागौर	12.50
15.	मनोजकुमार	श्री बंशीधर	7	नायक	राउप्रावि नं. 2 नागौर	12.50
16.	कुनाराम	श्री गोपाराम	7	नायक	राउप्रावि बेराथलकंला	12.50
17.	मुन्नाराम	श्री मोडउराम	7	नायक	राउप्रावि करनू	12.50
18.	शरदाराम	श्री जोगाराम	7	नायक	रामावि गुढाभगवानदास	12.50
19.	जवराराम	श्री रूगनाथाराम	7	नायक	रामावि श्रीबालाजी	12.50
20.	हजारीराम	श्री छोटूराम	6	नायक	राउप्रावि भदवासी	12.50
21.	रणजीतराम	श्री मोहनराम	6	मीणा	राउमावि नागौर	12.50

जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।

393

परिशिष्ट 'स'

खाद्य सामग्री, लकड़ी, गुड़, नमक वितरण की सूची निर्वाचन क्षेत्र नागौर

अवधि	लकड़ी Kg.	गुड़ Kg.		
10/80	300	6		
11/80	1800	93		
12/80	1750	70		
2/81	2100	—		
3/81	2400	300		
4/81	4500	84		
6/81	5760	184		
7/81	2120	106		
8/81	6000	176		
9/81	2850	168		
10/81	6000	168		
11/81	10400	329		
1/82	4800	327		
2/82	5000	7		
3/82	1250	485		
3/82	9600	—		
9/82	6720	21	4/82	गुड़
10/82	6480	62	5/82	सप्लाई
12/82	6000	217	6/82	अवधि
1/83	6720	21	7/82	
2/83	6720	1040	9/82	
3/83	6240	40	10/82	
4/83	2980			
5/83	6000			
6/83	6720			
7/83	6960			

ह०/
(गोविन्द सिंह)
जिला परिवीक्षा एवं
समाज कल्याण अधिकारी, नागौर।

पोषाहार केन्द्रों पर वितरण की गई विश्व खाद्य सामग्री की सूची
नागौर निर्वाचन क्षेत्र

क्रम सं.	माह का नाम	एस.एफ.बी.	बटर ग्रायल
1	2	3	4
1.	नम्वबर–80	198 बैग	20 कार्टुन
2.	दिसम्बर–80	72	6
3.	फरवरी–81	126	13½
4.	मार्च–81	144	16
5.	अप्रेल–81	119	10½
6.	मई–81	130	13
7.	जून–81	135	15½
8.	जुलाई–81	230	23
9.	अगस्त–81	170	17
10.	सितम्बर–81	169	15
11.	अक्टूबर–81	250	25
12.	नवम्बर–81	250	25
13.	दिसम्बर–81	240	24
14.	जनवरी–82	216	18
15.	फरवरी–82	250	25
16.	मार्च–82	220	22
17.	अप्रेल–82	240	24
18.	मई–82	260	26
19.	जून–82	130	13
20,	जुलाई–82	140	14
21.	अगस्त–82	—	—
22.	सितम्बर–82	280	28
23.	अक्टूबर–82	10	1

1	2	3	4
24.	नवम्बर–82	270	27
25.	दिसम्बर–82	238	29
26.	जनवरी–83	232	29
27.	फरवरी–83	290	14½
28.	मार्च–83	280	28
29.	अप्रेल–83	280	28
30,	मई–83	125	25
31.	जून–83	420	28
32.	जुलाई–83	155	29
33.	अगस्त–83	29J	29
	योग	6509	661

———

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण के दौरान देय वेतन

121. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण काल में विभाग द्वारा प्रशिणार्थियों को वेतन दिया जाता रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय नियमों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त ऐसी नर्सेज को महिला स्वास्थ्य दर्शिका व प्रसाविका पद से स्टाफ नर्स पर पदोन्नति दी जाने का प्रावधान है, किन्तु उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है ? अब नियमानुसार पदोन्नति कब कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसी नर्सेज की वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई गई है ? यदि हां तो, क्यों ? अब कब तक बनादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल विभागीय कर्मचारियों को जनरल नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 1979 से पूर्व वेतन का भुगतान किया जाता था।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पंचायत समिति बेगूं के ग्रामों का विद्युतीकरण

122. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बेगूं के कितने गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है ?

(2) क्या इन बचे हुए गांवों की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की सर्वे पूर्ण होकर स्वीकृति हेतु देहली भेजी गई है ? यदि हां, तो कब भेजी गई और स्वीकृत होकर कब तक आने की संभावना है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बेगूं के 256 गांवों में से 133 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 123 गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है।

(2) जी हां। पंचायत समिति बेगूं क्षेत्र के 107 ग्रामों का विद्युतीकरण करने की संशोधित ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दिनांक 17.8.83 को ग्रा.वि. निगम जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है योजना की स्वीकृति के संबंध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

जिला बीकानेर व चूरू की विभिन्न तहसीलों में उत्खनन कार्य

123. **श्री सूरजाराम** (नोखा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में बीकानेर व चूरू जिले में कौन-कौन सी तहसील में कौन-कौन सी खानों का उत्खनन हो रहा है ?

(2) क्या इन खानों पर श्रमिकों के लिये पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, श्रम कल्याण केन्द्र आदि की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री सुरजाराम)

(3) क्या सरकार बीकानेर व चूरू जिले की समस्त खानों के उत्खनन के पट्टे इसी क्षेत्र के ग्रामवासियों, भूमिहीन मजदूरों अनुसूचित जाति/अनु जनजाति के बेरोजगार युवक स्नातकों के नाम आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या बीकानेर व चूरू जिले से खनिज विभाग से प्राप्त आय में पिछले 3 वर्षों में बढोतरी हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? नहीं, तो क्यों ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(5) बीकानेर व चूरू जिले में कार्यरत खनिज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है और क्या उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशी रोस्टर प्रणाली के अनुसार कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) बीकानेर व चूरू जिले में खनिज विभाग द्वारा आरक्षित (रिजर्व) एरिया कौन-कौनसा है ? क्या रिजर्व एरिया में कई धनाढ्य लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है ? क्या यह सत्य है ?

उत्तर

(1) बीकानेर व चूरू जिलों की जिन तहसीलों में पिछले तीन वर्षों में जिन खनिजों का उत्खनन हो रहा है । उसका विवरण सलग्न परिशिष्ट "क" में है ।

(2) खानों पर मजदूरों के पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आदि पट्टाधारियों द्वारा दी जाती हैं । जहां तक श्रम कल्याण केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न है । खनिज विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं । वरन श्रम विभाग द्वारा की जाती है । इन क्षेत्रों में श्रमिक अलग-अलग जगह पर बिखरे हुए कार्य करते हैं । इसलिए खनिज विभाग की जानकारी के अनुसार इन सुविधाओं का उपलब्ध खानों पर कार्य मजदूरों के उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है ।

(3) स्थानीय ग्राम वासियों, भूमिहीन मजदुरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व बेरोजगार युवक स्नातकों में से जो भी पट्टा लेने हेतु आवेदन करते हैं उनको पट्टे दिये जाते हैं । अन्य लोगों को पट्टे दिये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता ।

(4) जी हां । बीकानेर व चूरू जिलों की आय के आंकड़े संलग्न परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं ।

(5) बीकानेर व चूरू जिले में खनिज विभाग के अधिकार की संख्या 5 है व कर्मचारियों की संख्या 93 है ? सूची सलग्न परिशिष्ट "ग" में है । रोस्टर प्रणाली जिलेवार लागू नहीं होती है पूरे विभाग की एक साथ लागू होती है ।

(6) बीकानेर व चूरू जिलो में खनिज विभाग का कोई आरक्षित क्षेत्र नहीं है ।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	जिला	तहसील	खनिज
1.	बीकानेर	बीकानेर	कंकर, ईंट, मिट्टी, जिप्सम, बजरी, बालक्ले, फायरक्ले।
		लूनकरणसर	सेलेनाइट, ईंट, मिट्टी, कंकर, मेसेनरीस्टोन, पट्टी कातला।
		नोखा	बजरी, कंकर, ईंट मिट्टी।
		कोलायत	बालक्ले, व्हाइटक्ले, चायनाक्ले, फायरक्ले, रेड़ व यलो ओकर, मुल्तानी मिट्टी, ईंट मिट्टी ग्लास सैण्ड, कंकर व जिप्सम।
2.	चूरू	सुजानगढ़	बेलास्ट स्टोन, मेसेनरीस्टोन, पट्टी कातला, धोधाला एवं झंझरा पत्थर।
		डूंगरगढ़	ईंट मिट्टी।
		सरदारशहर	ईंट मिट्टी।
		रतनगढ़	ईंट मिट्टी।
		तारानगर	शून्य।
		राजगढ़	ईंट मिट्टी।
		चूरू	ईंट मिट्टी।

परिशिष्ट "ख"

वर्ष	बीकानेर	चूरू	कुल आय
80–81	24.80 लाख	2.41 लाख	27.21 लाख
81–82	26.09 लाख	2.35 लाख	28.44 लाख
82–83	27.75 लाख	3.37 लाख	31.12 लाख

परिशिष्ट "ग"

कार्यालय वरिष्ठ भू वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान विभाग बीकानेर के कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्याक सूची

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पद	अनुसूचित जाति/ जन जाति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री राजकुमार रायजादा	वरिष्ठ भू वैज्ञानिक	—	—
2.	श्री बेदप्रकाश गहलोत	भू वैज्ञानिक	—	—
3.	श्री बलवीरसिंह ढ़ाबा	भू वैज्ञानिक	—	—
4.	श्री शेरसिंह चड्ढा	सहायक छिद्रण अधिकारी	—	—
5.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	—	—
6.	श्री प्रेमकुमार थानवी	,,	—	—
7.	श्री विरेन्द्र कुमार परिहार	कनिष्ठ लिपिक	—	—
8.	श्री शिवनारायण जाटव	च. श्रे. क.	अनु. जाति	—
9.	श्री भामा ड्रीलर ग्रेड प्रथम	ड्रीलर ग्रेड प्रथम	अनु. जनजाति	—
10.	श्री सुरतीलाल	,,	—	—
11.	श्री श्रीकिशन दारोगा	,,	—	—
12.	श्री अतुलकुमार सर्वेयर	सर्वेयर	—	—
13.	श्री ईश्वरसिंह	सहायक ड्रीलर	—	—
14.	श्री तेज मल पारीक	,,	—	—
15.	श्री बीरबल सिंह राजपूत	सहायक बेदक	—	—
16.	श्री मेवा राम	,,	—	—
17.	श्री मोहन लाल	,,	—	—
18.	श्री बंधु खां	,,	—	—
19.	श्री टी थोमस	,,	—	—

(402)

1	2	3	4	5
20.	श्री भगवत सिंह	सहायक बेदक	—	—
21.	श्री किशन लाल तंवर	कनिष्ठ यांत्रिक	—	—
22.	श्री रामस्वरूप शर्मा	गन मैन	—	—
23.	श्री राधेश्याम घभाई	गन मैन	—	—
24.	श्री अन्नदाराम	गन मैन	—	—
25.	श्री अनीलकुमार अरोड़ा	गन मैन	—	—
26.	श्री प्रेमसिंह	गन मैन	—	—
27.	श्री मुनीर खां	गन मैन	—	—
28.	श्री भैरूलाल नायक	गन मैन	अनुसूचित जन जाति	—
29.	श्री विजयराय	गन मैन	—	—
30.	श्री रामरतन मीणा	गन मैन	अनुसूचित जन जाति	—
31.	श्री फतेह सिंह	जनरेटर आपरेटर	—	—
32.	श्री रामसिंह	रिग मैन	—	—
33.	श्री अनारसिंह	चालक	—	—
34.	श्री पाबूदान सिंह	रिग मैन	—	—
35.	श्री सोमनाथ	ड्रिलर ग्रेड प्रथम	—	—
36.	श्री बलदेव सिंह	चालक	—	—
37.	श्री बच्चतर सिंह	ड्रिलर ग्रेड प्रथम	अनु. जनजाति	—
38.	श्री पंचम सिंह	रिग मैन	—	—
39.	श्री मदनलाल घभाई	ड्रिलर ग्रेड प्रथम	—	—
40.	श्री मदन लाल	कनिष्ठ मानचित्रकार	—	—
41.	श्री बसन्ती लाल	सहायक बेदक	—	—
42.	श्री दिनेशचन्द्र माथुर	जनरेटर आपरेटर	—	—
43.	श्री हरिमोहन माथुर	पम्प आपरेटर	—	—
44.	श्री रामसिंह	ड्रिलर हैल्पर	—	अर्धस्थाई
45.	श्री यासीन खां	"	—	—

1	2	3	4	5
46.	श्री नाना मीणा	डिलर हैल्पर	अनु. जन जाति	—
47.	श्री मूल सिंह	,,	—	—
48.	श्री मोहनसिंह टेलर	,,	—	—
49.	श्री बालकिशन जोशी	,,	—	—
50.	श्री रामनाथ गुजर	,,	—	—
51.	श्री नफीज खां	ट्रेक्टर चालक	—	—
52.	श्री मीशाराम	,,	—	—
53.	श्री पृथ्वीसिंह खलासी	खलासी	—	—
54.	श्री शंकर काना	,,	—	—
55.	श्री जीवा लालू	,,	—	—
56.	श्री रामा दीता	चौकीदार	—	—
57.	श्री थुलाजीवा	चौकीदार	—	—
58.	श्री देवीसिंह	,,	—	—
59.	श्री सरफुद्दीन	डीलर हेल्पर	—	अर्थ स्थायी कर्म.
60.	श्री कान्तीलाल मीणा	चौकीदार	अनु. जन जाति	—
61.	श्री मोती	कारपेन्टर	—	—
62.	श्री स्वर्णकुमार	चौकीदार	—	—

खनि अभियन्ता कार्यालय स्टाफ की सूची-बीकानेर

1	2	3	4	5
63.	श्री एस. एम. भण्डारी	खनि अभियन्ता	—	—
64.	श्री ओ. पी. सैनी	लेखाकार	—	—
65.	श्री हरलाल सिंह चौधरी	खनि कार्यदर्शक	—	—
66.	श्री जगजीत सिंह हरनेजा	सर्वेयर	—	—
67.	श्री रामदयाल	ड्राफ्ट मैन	अनु. जाति	—
68.	श्री श्यामसुन्दर व्यास	व. लि.	—	—
69.	श्री दुर्गादास ओझा	क. लि.	—	—
70.	श्री मदनलाल सोनी	क. लि.	—	—
71.	श्री नथमल गौड़	क. लि.	—	—

(402)

1	2	3	4	5
72.	श्री राधेश्याम सैनी	क. लि.	—	—
73.	श्री बाबूलाल पुरोहित	स्टेनो/टाइपिस्ट	—	वर्क चार्ज
74.	श्री इलयुद्दीन भाटी	माइन्स गार्ड	—	—
75.	श्री उद्ध दाऊलाल रंगा	"	—	—
76.	श्री सोहनलाल	"	—	—
77.	श्री नूरमोहम्मद	"	अनु. जनजाति	—
78.	श्री छोटू	च.श्रे.क.	—	—
79.	श्री होती बहादुर थापा	"	—	—
80.	श्री चुन्नीलाल	"	—	—
81.	श्री भवरलाल	"	—	—
82.	श्री दूलीचन्द	च.श्रे.क.	—	—
83.	श्री नाथूराम	ड्राइवर	अनु.जाति	—
84.	श्री रतनसिंह	नाकेदार	—	वर्कचार्ज
85.	श्री बलबीरसिंह	नाकेदार	—	—
86.	श्री बाबुलाल गहलोत	"	—	—
87.	श्री मिश्रीलाल	"	—	—
88.	श्री मनोहर सिंह	नाकेदार	—	—
89.	श्री भैरूसिंह	"	—	—
90.	श्री सत्यनारायण व्यास	स्टोरकीपर	—	—
81.	श्री रामसिंह	चौकीदार	—	—
92.	श्री मोहन सिंह	चौकीदार	—	वर्कचार्ज
93.	श्री कान सिंह	चौकीदार	—	—
94.	श्री मालूराम जाट	चौकीदार	—	—
95.	श्री जेठाराम जाट	चौकीदार	—	—
96.	श्री रामलाल जाट	चौकीदार	—	—
97.	श्री मुकनाराम नायक	चौकीदार	—	—
98.	श्री रूपसिंह	चौकीदार	—	—

महिला आश्रम, भीलवाड़ा

124. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) एवं **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महिला आश्रम, भीलवाड़ा की एक शाखा के रूप में उदयपुर में एक आदिवासी कन्या छात्रावास चल रहा था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास के लिए सन् 1955 में सरकार द्वारा 55/—रुपये माहवार पर भूमि दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) इस संस्था के संचालक मण्डल में आरम्भ से लेकर अब तक कौन-कौन सदस्य रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि संचालक मण्डल ने इस भूमि का अनधिकृत रूप से विक्रय कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि इस छात्रावास को राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में और कितना-कितना ?

(6) इस संस्था को अनुदान देने से पूर्व संस्था द्वारा अपनी स्थाई सम्पत्ति का क्या कोई विवरण प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो कृपया उक्त विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर में महिला आश्रम, भीलवाड़ा द्वारा एक आदिवासी कन्या छात्रावास पूर्व से ही चल रहा है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1955 में उक्त छात्रावास के लिये भूमि सरकार से खरीदी।

(3) इस संस्था के संचालक मण्डल की सूची परिशिष्ट 'क' में सदन के पटल पर रखदी गई है।

(4) संचालक मण्डल ने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर भूमि के कुछ भाग का विक्रय किया है। सरकार द्वारा कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है।

(5) जी नहीं। संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार छात्रावास के लिये केवल समाज कल्याण विभाग द्वारा ही अनुदान दिया जाता है। दिये गये अनुदान की सूचना परिशिष्ट 'ख' में सदन के पटल पर रखदी गई है।

(6) यह विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(४२४)

परिशिष्ट "क"

सूची प्रबन्ध संचालक पदों पर आसीन पदाधिकारी : विगत से वर्तमान तक :

क्र. सं.	नाम पद	पदाधिकारी का नाम	पदभार ग्रहण करने की तिथि	पद त्याग/वि. वि. की तिथि
1.	अध्यक्ष	1. श्रीमती नारायणी देवी वर्मा	नं. 1944	12-3-77
		2. श्री शिवचरणजी माथुर	13-3-77	22-9-77
		: कार्यवाहक अध्यक्ष :		
		3. श्रीमती सुशीला माथुर	22-9-77	पदासीन
2.	मन्त्री	1. श्री शिवचरण जी माथुर	1-4-56	4-2-59
		2. श्रीमती सुशीला माथुर	4-2-59	22-9-77
		3. श्री दीनबन्धु वर्मा	22-9-77	28-11-81
		4. श्रीमती सुमित्रा पंडित	18-11-81	पदासीन

संस्था के प्रबन्ध समिति के वर्तमान अन्य सदस्यों की सूची निम्नप्रकार है—

क्र. सं. 1	नाम 2	पद 3	वर्गीकरण 4
1.	श्री शिवचरण माथुर 8, सिविल लाइन, जोधपुर	सदस्य	संस्थापक सदस्य
2.	श्री गणपतिलाल वर्मा भोपालगंज भीलवाड़ा	सदस्य	,,

1	2	3	4
3.	श्री दीनबन्धु वर्मा 99, भोपालपुरा, उदयपुर	सदस्य	संस्थापक सदस्य
4.	श्री लक्ष्मी निवास झुंझुनूवाला राज. सिप एण्ड विविंग मिल्स लि. भीलवाड़ा/दिल्ली	सदस्य	दानदाता
5.	श्री सत्यनारायण नाथानी दूदूवाला एण्ड कम्पनी, भीलवाड़ा	सदस्य	,,
6.	श्री ज्ञानमल कोठारी भोपालगंज, भीलवाड़ा	सदस्य	,,
7.	श्रीमती संतोषकुमारी श्री पा. ला. वर्मा महिला आश्रम उप. मा. वि. भीलवाड़ा	सदस्य	विद्यालय प्रधान
8.	डा रजनी रामपाल महात्मा गांधी आरोग्य सदन भीलवाड़ा	सदस्य	भू. पू. छात्रा
9.	श्री बसंतीलाल सुराना महिला आश्रम, भीलवाड़ा	सदस्य	स्टाफ प्रतिनिधि
10.	जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा	सदस्य	विभागीय प्रतिनिधि
11.	श्री प्यारेचन्द विश्नोई भूपालपुरा, उदयपुर	सदस्य	नामन सदस्य

———

(406)

परिशिष्ट "ख"

संस्था को छात्रावास हेतु स्वीकृत राशि की वर्षवार सूचना जो छात्राओं की संख्या के आधार पर स्वीकृत की गई।

वर्ष	राशि	विशेष विवरण
1977–78	59,421=00	
1978–79	67,950=00	
1979–80	33,974=00	
1980–81	53,486=00	
1981–82	—	इस वर्ष संचालन बंद रहा
1982–83	89,162=00	

सतपुड़ा बिजलीघर में राज्य का हिस्सा

126. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सतपुड़ा बिजलीघर से उत्पन्न बिजली में राजस्थान का कितना हिस्सा है ?

(2) पिछले वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 में राजस्थान को कितनी विद्युत् प्राप्त हुई ?

(3) उक्त दो वर्षों में प्रतिमाह कितनी-कितनी विद्युत उत्पादित हुई एवं राज्य को कितनी-कितनी विद्युत् प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) सतपुड़ा बिजली घर की प्रथम पांच इकाइयों में, जो कि प्रत्येक 62.5 मेगावाट की हैं, राजस्थान का हिस्सा 40 प्रतिशत है।

(2) वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 (अगस्त, 83 तक) में राजस्थान को सतपुड़ा से क्रमशः 4875.9 लाख यूनिट व 1539.1 लाख यूनिट बिजली प्राप्त हुई है अर्थात् क्रमशः 73.65 प्रतिशत एवं 55.70 प्रतिशत बिजली मिली।

(3) उक्त दो वर्षों में सतपुड़ा में राजस्थान को प्राप्त बिजली का विवरण दर्शाते हुए परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(402)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान का सतपुड़ा में उत्पादन में शुद्ध हिस्सा और राजस्थान को प्राप्त बिजली का विवरण

संख्यायें दस लाख यूनिट में

सतपुड़ा विद्युत उत्पादन में

क्र. सं.	माह	राजस्थान के हिस्से का उत्पादन (शुद्ध)	राजस्थान को प्राप्त बिजली (गांधी सागर, राणाप्रताप सागर व जवाहर सागर में राज्य के हिस्से की प्राप्त 50% बिजली के समायोजन के बाद)	राजस्थान को अपने हिस्से से कम (-)अधिक (+) प्राप्त बिजली की मात्रा
(अ) वर्ष 1982-83				
1.	अप्रेल, 82	46.18	23.68	(-) 22.50
2.	मई, 82	47.02	21.72	(-) 25.30
3.	जून, 82	46.87	17.46	(-) 29.41
4.	जुलाई, 82	50.49	23.07	(-) 27.42
5.	अगस्त, 82	53.47	38.10	(-) 15.37
6.	सितम्बर, 82	50.76	69.68	(+) 18.92
7.	अक्टूबर, 82	58.89	55.84	(-) 3.05
8.	नवम्बर, 82	57.58	50.85	(-) 6.73
9.	दिसम्बर, 82	61.34	45.59	(-) 15.75
10.	जनवरी, 83	67.82	42.72	(-) 25.10
11.	फरवरी, 83	60.59	47.95	(-) 12.64
12.	मार्च, 83	61.04	50.93	(-) 10.11*
		662.05	487.59	(-)174.46
(ब) वर्ष 1983-84 (अगस्त, 83 तक)				
1.	अप्रेल, 83*	62.03	17.47	(-) 44.56
2.	मई, 83*	42.14	22.83	(-) 19.31
3.	जून, 83*	52.91	42.33	(-) 10.58
4.	जुलाई, 83*	61.88	35.82	(-) 26.06
5.	अगस्त, 83*	57.36	35.46	(-) 31.90
		276.32	153.91	(-)122.41

*प्रोविजनल

तहसील कामां में सिलीका सैण्ड का ठेका

127. **श्री चाद खां** (कामां) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर, तहसील कामां में जो बजरी एवं सिलीका सैण्ड वगैरा का जो ठेका श्री रमेश कुमार पुत्र श्री डाक्टर रामदास एवं श्री रामजीलाल शर्मा कस्बा कामां को दिनांक 15-6-81 से 20-3-83 तक दिया जाता रहा है ? क्या आज भी यह ठेका इन्हीं के पास है ? क्या ये खनन मजदूर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस की जांच करवायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि मेरे द्वारा इस मामले की बार-बार दरखवास्त वास्ते जांच. दी जा रही है ? यदि हां, तो आज तक इस मामले में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जांच होने तक इस ठेके को निरस्त करेगी और जो आज तक सरकार की कर की चोरी की है। उसे वसूल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जिला भरतपुर तह. कामां में बजरी के ठेके (अल्पावधि अनुज्ञापत्र) श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामदास को दिनांक 15.6.81 से 20.3.83 तक दिये जाते रहे हैं। परन्तु वर्तमान में उक्त तिथि के पश्चात् उन्हें कोई अल्पावधि अनुमति पत्र स्वीकृत नहीं है। श्री रामजीलाल शर्मा तहसील कामां को सिलिका सैण्ड के दो खनन पट्टे अवधि 30.6.80 से 29.6.2000 व 27.11.81 से 26.11.2001 तक के लिये स्वीकृत हैं। श्री रमेश कुमार तो खान मजदूर हैं परन्तु श्री रामजीलाल शर्मा के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि खान मजदूर होना प्रधान खनिज के पट्टे दिये जाने के लिए नियमानुसार आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता नहीं है।

(2) खनिज की चोरी के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के द्वारा दरख्वास्त प्रस्तुत की गई—जांच करने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई अतः किसी विभागीय कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य के मेडिकल कालेजेज में अनुसूचित जाति/जनजाति के डाक्टर्स

128. **श्री सो. एल. कंवरिया (दूदू)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान मेडिकल कालेजिएट सेवा के अधीन विभिन्न मेडिकल कालेजों में

(श्री सी. एल. कंवरिया)

डाक्टरों के कुल कितने पद हैं तथा उन पर अनुसूचित जाति जनजाति के कितने डाक्टर कार्यरत हैं ? कृपया विवरण श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग में इन जातियों के डाक्टरों की पदोन्नति के लिए आरक्षण के आदेश तथा रोस्टर प्रणाली लागू है ? यदि हां, तो अब तक विभिन्न श्रेणियों में इन जातियों के कितने डाक्टरों को पदोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कुल 863 पद हैं उनमें अनुसूचित जाति के 15 डाक्टर कार्यरत हैं। श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सभी श्रेणियों के पदोन्नति के लिये 1975 से रोस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है किन्तु चिकित्सा महाविद्यालय हैण्ड बुक के अनुसार अनुभव नहीं रखने के कारण पदोन्नति की पात्रता नहीं रखते हैं। अतः किसी को भी पदोन्नति नहीं दी गई है।

सूची

विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत डाक्टरों का विवरण निम्न प्रकार है—

		अनु. जाति	अनु. जन. जाति
प्रोफेसर	117	—	—
रीडर	188	1	—
व्याख्याता	376	6	—
वरिष्ठ प्रदर्शक	182	8	—
	863	15	—

रोई का खेड़ा (बल्लभनगर) प्रिमियर सिलेन्डर्स को आवंटित भूमि

129. श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभ नगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील बल्लभनगर के गांव रोई का खेड़ा में जो जमीन प्रिमीयर सिलेन्डर्स को आवंटन की गई है वह चरनोट भूमि थी ?

(2) क्या उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन के लिये ग्राम सभा की बैठक विधिवत बुलाई गई ?

(3) क्या राज्य सरकार को ग्राम सभा से स्वीकृति नहीं लेने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। ऐसी किसी शिकायत का होना नहीं पाया जाता।

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची)

परिशिष्ट (क)

निवाई पहाड़ जिला टोंक में खनिज चैंजा पत्थर के दिये गये खनन पट्टों के खनन पट्टाधारियों की सूची

क्रमांक	नाम पार्टी	खनिज	अवधि	छीज (वर्ग मीटर)	निकट ग्राम	तहसील	डेड रेण्ट
1.	श्री बद्री प्रसाद ओझा पुत्र श्री बिशनलाल	चैंजा पत्थर	13-8-79/ 12-8-84	100×25	जमात पहाड़ निवाई	निवाई	1500.00
2.	श्री बजरंग लाल श्रीमाल पुत्र श्री छोटेलाल, प्लाट नं. (ए)	एजन	22-2-75/ 21-2-80	100×25	निवाई पहाड़	एजन	1000.00
3.	श्री बजरंग लाल श्रीमाल पुत्र श्री छोटेलाल, प्लाट नं. (बी)	एजन	एजन	100×25	एजन	एजन	1000.00
4.	एजन प्लाट नं. (सी)	एजन	एजन	100×25	एजन	एजन	1000.00
5.	श्री चन्द्रशेखर अरोड़ा पुत्र श्री आनन्दी लाल	एजन	16-4-79/ 15-4-89	130×50	एजन	एजन	1950.00
6.	श्री हजुर चन्द माली पुत्र	एजन	14-7-75/ [illegible]	100×25	एजन	एजन	1000.00

क्रमांक	नाम पार्टी	खनिज	अवधि	छीज (वर्ग मीटर)	निकट ग्राम	तहसील	डेड रेण्ट
7.	एजन	एजन	18-2-75/ 17-2-80	120 × 30	एजन	एजन	1440.00
8.	एजन	एजन	18-2-80/ 17-2-85	160 × 40	एजन	एजन	12,913.00
9.	श्री राजुलाल पुत्र मंगल चन्द मोदी	एजन	10-10-79/ 9-10-79	90 × 70	वरधल पहाड़	एजन	1890.00
10.	श्री रामधन रेगर पुत्र श्री मोतीलाल	एजन	29-1-80/ 28-1-90	50 × 50	जमात पहाड़	निवाई	750.00
11.	श्री रामजीलाल पुत्र श्री मूलचन्द	एजन	29-2-80/ 28-2-90	50 × 50	चौगियों की	एजन	750.00
12.	एजन	एजन	12-11-82/ 11-11-92	80 × 60	घरथल पहाड़	एजन	1440.00
13.	श्री रामनिवास बैरवा पुत्र श्री भूराराम	एजन एजन	1-8-80/ 31-7-85	50 × 60	माटनीवाल खाल	एजन	750.00
14.	श्री राम प्रसाद जैन प्रो. अग्रवाल स्टोन क्रेंडिंग इन्ड.	एजन	5-8-82/ 4.892	100 × 60	परधल पहाड़	एजन	1800.00

(१११२)

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची)

क्र. सं. 1	नाम तहसील 2	नाम पटवारी 3	पदस्थापन 4	पदस्थापन दि. 5
1.	पाली	श्री खीमसिंह	पाली चक-1	23-6-81
2.	,,	,, गोरधनलाल	पाली चक-2	4-9-80
3.	,,	,, जमनादास	मण्डिया	18-5-82
4.	,,	,, वेणीदान	गिरादडा	14-5-79
5.	,,	,, जालमसिंह	मण्डलीखुर्द	1-2-79
6.	,,	,, नरपतसिंह	भागेलर	2-4-83
7.	,,	,, पोपसिंह	रूपावास	28-7-81
8.	,,	,, चम्पालाल	बोमादड़ा	17-6-83
9.	,,	,, भेराराम	लांडिया	17-6-83
10.	,,	,, अचलाराम	आकेली	मई, 83
11.	,,	,, सलीमखां	बाणियावास	4-9-80
12.	,,	,, अर्जुनसिंह	खेतावास	1-9-83
13.	,,	,, शेतानसिंह	पुनायता	15-2-82
14.	,,	,, जुगराज	गुन्दोज चक-1	17-6-83
15.	,,	,, रामलाल	गुन्दोज चक-2	17-6-83
16.	,,	,, सवाईसिंह	ढेण्डा	3-7-82
17.	,,	,, भंवरसिंह	कुरना	17-6-83
18.	,,	,, ओंकारसिंह	दयालपुरा	28-7-81
19.	,,	,, गंगासिंह	गुरडाई	17-6-83
20.	,,	,, देवाराम	बाला	26-6-79
21.	,,	,, सूरजमल	भांवरी	14-9-81
22.	,,	,, भूराराम	गुड़ासंदला 1	17-6-83

1	2	3	4	5
23.	पाली	श्री हनुमानसिंह	डिरी	17-6-83
24.	,,	,, विशनसिंह	मणियारी	17-6-83
25.	,,	,, मूलदास	सुन्देलाव	13-1-82
26.	,,	,, जगदीशप्रसाद	हेमावास	5-3-82
27.	,,	,, कुन्दनदास	खोड़	27-7-78
28.	,,	,, जयसिंह	चांचोडी	28-7-81
29.	,,	,, भोरीलाल	बालराई	17-6-83
30.	,,	,, प्रतापसिंह	किरवा	2-4-81
31.	,,	,, लक्ष्मणसिंह	माण्डल	28-7-81
32.	,,	,, शिवनाथसिंह	डिगाई	28-7-81
33.	,,	,, मंगलपुरी	निबाडा	11-7-79
34.	,,	,, कूकाराम	प्रति. निबाडा	1-9-83
35.	,,	,, गंगाशंकर	सोडावास	24-4-81
36.	,,	,, केतराम	खुसी	13-10-81
37.	,,	,, देवीसिंह	खेरवा 2	2-4-83
38.	,,	,, भोपालसिंह	खेरवा 1	जनवरी, 83
39.	,,	,, रामनारायण	देवाली	17-6-83
40.	,,	,, सीताराम	सोनाइमांजी	4-9-80
41.	,,	,, जेठसिंह	नादानाभाटान	अगस्त, 82
42.	,,	,, नन्दकिशोर	रोहिट 1	28-7-81
43.	,,	,, अमरसिंह	रोहिट 2	14-9-81
44.	,,	,, दलपतसिंह	लालकी	28-3-78
45.	,,	,, रतनसिंह	कलाली	17-6-83
46.	,,	,, पाड़सिंह	भूंभितड़ा	13-1-81
47.	,,	,, पाड़सिंह	बोठ	17-6-83
48.	,,	,, उमसिंह	सिणगारी	28.4.80

1	2	3	4	5
49.	पाली	श्री भंवरसिंह	खारडा	15-2-82
50.	,,	,, माधोसिंह	भाकरीवाला	28-7-81
51.	,,	,, दलपतसिंह	चोटिया	13-1-82
52.	,,	,, नाथूसिंह	अरटिया	17-6-83
53.	,,	,, गोपीकिशन	निबली उर्रा	16-10-81
54.	,,	,, नेनसिंह	बाण्डाई	17-6-83
55.	,,	,, बाबूलाल	डावर	20-7-82
56.	,,	,, भंवरसिंह	गढवाड़ा	17-6-83
57.	,,	,, भीकसिंह	जैसलपुर	17-6-83
58.	,,	,, श्रवणकुमार	खुटाणी	28-7-81
59.	,,	,, बाघसिंह	खाण्डी	1-9-83
60.	,,	,, बगताराम	बींजा	13-10-81
61.	,,	,, नरपतसिंह	गेलावास	4-9-80
62.	,,	,, नाथूसिंह	धोण्डा	17-6-83
63.	,,	,, गंगासिंह	धोलेरिया	26-7-81
64.	,,	,, उम्मेदाराम	कुलथाना	17-6-83
65.	,,	,, नरपतसिंह	माण्डावास	1-6-79
66.	,,	,, सुखदेव	उमकली	17-6-83
67.	,,	,, अमरसिंह	सेदरिया	28-7-81
68.	,,	,, बहादुरसिंह	डूंगरपुर	17-6-83
69.	,,	,, बंशीलाल	वायद	27-7-78
70.	,,	,, गुलाबसिंह	राणा	2-4-83
71.	,,	,, जबरसिंह	गुड़ाएदला	अप्रेल, 83
72.	,,	,, शेतानसिंह	बाली	17-8-81
73.	,,	,, देवीसिंह	सेवाड़ी	21-11-81
74.	,,	,, भंवरसिंह	वादरलाल	मार्च, 82

1	2	3	4	5
75.	पाली	श्री किशोरसिंह	लुणावा	अक्टूबर, 82
76.	,,	,, आसुलाल	खुडाला	2-4-83
77.	,,	,, नरसिंह	फालनागांव	30-11-81
78.	,,	,, मगनसिंह	लेपांचलवड़ा	अक्टूबर, 82
79.	,,	,, किशनलाल	बोया	1-8-83
80.	,,	,, लालाराम	सेसली	24-11-81
81.	,,	,, भेरूलाल	लाटाडा	25-7-81
82.	,,	,, रूपसिंह	सेवतलाव	28-11-81
83.	,,	,, अर्जुनसिंह	वारवा	27-11-81
84.	,,	,, ईश्वरसिंह	कोटबालियान	30-9-81
85.	,,	,, मोहब्बतसिंह	भीटवाडा	17-6-83
86.	,,	,, समाराम	धणी	25-8-81
87.	,,	,, मगनीराम	मुण्डारा	22-7-81
88.	,,	,, अम्बादान	वेडा चक 1	अक्टूबर, 82
89.	,,	,, गोपालसिंह	बेडा चक 2	28-11-81
90.	,,	,, ढालाराम	भादुन्द	1-9-83
91.	,,	,, दौलतसिंह	सेणा	6-12-81
92.	,,	,, हरिसिंह	चामुण्डेरी	17-6-83
93.	,,	,, मालमसिंह	नाणा	2-8-81
94.	,,	,, चुन्नीलाल	प्रति. नाणा	1-9-83
95.	,,	,, मूलशंकर	भीगना	22-11-81
96.	,,	,, मोडसिंह	कोठार	25-8-81
97.	,,	,, रमजानअली	बीजापुर	6-12-81
98.	,,	,, रूपसिंह	कोयलवास	अक्टूबर, 82
99.	,,	,, कपूरचन्द	गोरिया	अक्टूबर, 82
100.	,,	,, रूपसिंह	दुदनी	28-7-81

116

1	2	3	4	5
101.	बाली	श्री भेतानसिंह	प्रति० डूबनी	1-9-83
102.	,,	,, सोमनसिंह	भन्दर	27-11-81
103.	,,	,, गुलाबसिंह	मासनू	2-5-81
104.	,,	,, मंगलसिंह	खाण्डेराय 1	25-11-81
105.	,,	,, बंशीसिंह	खाण्डेराय 2	23-7-81
106.	,,	,, करणसिंह	देवसरा	अक्टूबर, 82
107.	,,	,, अशरफ अली	सोमेस	28-11-81
108.	,,	,, नसापुरी	भीखमपुरा	अक्टूबर, 82
109.	,,	,, पोषसिंह	विरागी	25-11-81
110.	,,	,, रघुवीर सिंह	दोसा	16-5-82
111.	,,	,, जबरसिंह	खारोट	23-3-81
112.	,,	,, उमनसिंह	अनोपपुरा	17-6-83
113.	,,	,, गनपत लाल	मापुन्डा	8-3-82
114.	,,	,, गुमानसिंह	सामोद चक 1	30-11-81
115.	,,	,, भवुलमल	सामोद चक 2	23-3-81
116.	,,	,, शोपलाल	सुमेरपुर	अक्टूबर, 82
117.	,,	,, बिडदसिंह	बलवना	30-7-81
118.	,,	,, उपमसिंह	गोलोवाल	12-9-80
119.	,,	,, देवीचन्द	वेरवा	8-3-82
120.	,,	,, बापसिंह	बिसलपुर	?3-7-81
121.	,,	,, पुखराज	सिन्दरू	30-7-81
122.	,,	,, पन्नालाल	पलडी	अक्टूबर, 82
123.	,,	,, गिरधारीलाल	कोरटा	25-7-81
124.	,,	,, धर्मनारायण	बायनेरा	अक्टूबर, 82
125.	,,	,, मुक्तराम	नेतरा	25-7-81
126.	,,	,, सरदारसिंह	दुबाना	29-11-81

1	2	3	4	5
127.	बाली	श्री मुस्ताक हुसैन	बख्तगढ़	25-11-81
128.	,,	,, जबरसिंह	पांवली	सितम्बर, 82
129.	,,	,, बाबूलाल शर्मा	छिलबान्दी चबुपुरा	14-10-82
130.	,,	,, पूजाराम	नोबी	अक्टूबर, 82
131.	,,	,, बाबूलाल	बिवान्दी	,,
132.	,,	,, मोतीलाल	मारूडा	14-10-82
133.	,,	,, बंशीलाल	पलाना	अक्टूबर, 82
134.	,,	,, ईश्वरसिंह	गोगरा	28-11-81
135.	,,	,, खेतानसिंह	बसन्द	22-3-81
136.	,,	,, भंवरसिंह	बना	28-7-81
137.	,,	,, पन्नालाल	पाडा	28-7-81
138.	,,	,, फतेहसिंह	कोगेलाव	28-10-80
139.	,,	,, मोहनलाल	श्रीमाड	11-9-80
140.	देसूरी	,, गोरधनसिंह	देसूरी	10-9-80
141.	,,	,, मोहनलाल	दुदापुरा	17-6-83
142.	,,	,, कलरसिंह	चानेराव	24-11-81
143.	,,	,, गुमानसिंह	भाण्डीगढ़	21-7-81
144.	,,	,, जालमसिंह	खादडी 1	11-2-82
145.	,,	,, गिरधारी लाल	खादडी 2	11-2-82
146.	,,	,, दोताराम	सिन्दरसी	अक्टूबर, 82
147.	,,	,, अशरफ खां	मोर खां	20-7-81
148.	,,	,, ईश्वरलाल	मडोर	अक्टूबर, 82
149.	,,	,, आइदान	थाना	20-7-81
150.	,,	,, मोहनपुरी	दादई	21-7-81
150.	,,	,, मोतीसिंह	ढामोच	20-7-82
152.	,,	,, मित्रलाल	कोटडी	20-8-80

418

1	2	3	4	5
153.	देसूरी	श्री मदनलाल	नारग्राई	20-7-80
154.	,,	,, किसनसिंह	रानी	11-9-82
155.	,,	,, देवीसिंह	विनोवा	17-6-83
156.	,,	,, गंगाराम	इटन्यडाचारणा	11-2-82
157.	,,	,, नाथूसिंह	परमाणा	21-7-81
158.	,,	,, खरताराम	नाडोल 1	20-7-80
159.	,,	,, रूलम वेग	नाडोल 2	20-7-80
160.	,,	,, वार्पसिंह	किशनपुरा	11-2-82
161.	,,	,, पस्तारसिंह	देवली	11-2-82
162.	,,	,, नेमाराम	प्रति० देवली	1-9-83
163.	,,	,, ग्रमरसिंह	मारसाऊ	ग्रक्टूबर, 82
164.	,,	,, लक्ष्मनसिंह	जयाली	17-6-83
165.	,,	,, ग्रर्जुनसिंह	ग्रालरिया	28-7-81
166.	,,	,, हरिसिंह	मगरतलाब	17-6-83
167.	,,	,, रामकरण	पनीता	7-3-82
168.	,,	,, भंवरसिंह	कोटमोलकियान	ग्रक्टूबर, 82
169.	,,	,, शिवदान सिंह	डायलाना	,,
170.	,,	,, रूपाराम	युमेस	11-9-81
171.	,,	,, मोती सिंह	निपस	21-7-81
172.	,,	,, मिश्रीसिंह	इन्दरबाड़ा	24-11-81
173.	,,	,, देवीसिंह	बगदार	24-11-81
174.	,,	,, चन्द्र गोपाल	पेनडीर	ग्रक्टूबर, 82
175.	,,	,, भंवरलाल	पिलोयनी	8-3-82
176.	,,	,, मोहनसिंह	गोवन्दकलां	ग्रक्टूबर, 82
177.	,,	,, गुपसिंह	गजनीपुरा	11-2-82
178.	,,	,, गरपतसिंह	खिवाड़ा	12-9-80
179.	,,	,, गमानदान	केसूती	8-3-82

1	2	3	4	5
180.	देसूरी	श्री जोधसिंह	रादा	2-4-83
181.	,,	,, द्वारकादास	डारिया	2-4-83
182.	,,	,, मदनलाल	बामोल	2-4-83
183.	,,	,, देवीराम	सियास	1-5-83
184.	,,	,, जोरावर सिंह	रानीगांव	1-3-83
185.	,,	,, मो० हनीफ	केरली	2-4-83
186.	मारवाड़ जंक्शन	,, परसराम	खारदो	17-6-83
187.	,,	,, गनी मोहम्मद	बाइआ	15-9-80
188.	,,	,, सुखदेव	घामलो	17-8-81
189.	,,	,, रणजीतसिंह	डिमोलाखुर्द	12-3-81
190.	,,	,, उम्मेदसिंह	चवाडिया	17-6-83
191.	,,	,, भोपालसिंह	गाइन	,,
192.	,,	,, मूलाराम	घारुडी	17-3-81
193.	,,	,, रूपनाथसिंह	बिलूडाकलां	22-3.81
194.	,,	,, हरिसिंह	सिपला	17-6-83
195.	,,	,, मोहनसिंह	भीमातिया	27-6-83
196.	,,	,, मदनलाल	पांचेडिया	17-6-83
197.	,,	,, जगन्नाथ	चान्ता	27-6-83
198.	,,	,, जयसिंह	माण्डा	17-6-83
199.	,,	,, जबरसिंह	वोणरी	9-9-80
200.	,,	,, समरथराज	खिरीबारी	30-4-80
201.	,,	,, बंशीलाल	सारज	1-9-83
202.	,,	,, बाबूलाल	बोरीमाया	11-8-81
203.	,,	,, बंशीलाल	कंटालिया	17-6-83
204.	,,	,, बीराराम	कंटालिया	29-4-83
205.	,,	,, जहसमल	शेखावास	14-8-81

Page No 322

1	2	3	4	5
206.	मारवाड़ जंक्शन	श्री गजराजसिंह	गोरनडी	17-6-83
207.	,,	,, पूजाराम	सहबाज	19-3-81
208.	,,	,, हरिसिंह	मयराड	20-3-81
209.	,,	,, जोवाराम	दुवोय	5-8-81
210.	,,	,, मोहनलाल	पून्यता	2-4-83
211.	,,	,, अर्जुनसिंह	चिरपटिया	21-1-82
212.	,,	,, भवानीसिंह	हेमलियाबानजुई	10-11-81
213.	,,	,, नेमीचन्द	ईखाली	17-6-83
214.	,,	,, महेन्द्रसिंह	थनला	20-3-80
215.	,,	,, राजेन्द्रसिंह	देबली	10-7-79
216.	,,	,, नरपतसिंह	आउबा 1	जनवरी, 83
217.	,,	,, भगवानचन्द	आउबा 2	17-6-83
218.	,,	,, गोरधनलाल	जागुबा	,,
219.	,,	,, गोरधनसिंह	गडकिशरसिंह	27-6-83
220.	,,	,, मनाराउल	छामनीजोबावर	6-8-81
221.	,,	,, हरिसिंह	जोनाबर 1	27-6-81
222.	,,	,, लालसिंह	जोनावर 2	27-6-83
223.	,,	,, हरिसिंह	राणारबास	22-6-81
224.	,,	,, उमरदास	गुडारामसिंह	17-6-83
225.	,,	,, खेतानसिंह	गुडाखूरसिंह	17-6-83
226.	,,	,, पहाड़सिंह	मलसाबावडी	17-6-83
227.	,,	,, चंपालाल	भगोडा	27-6-83
228.	,,	,, हरिसिंह	बांसोर	17-6-83
229.	,,	,, पन्नालाल	चौकडिया	13-8-81
230.	,,	,, बालाराम	फुलद	17-6-83
231.	,,	,, पूनमसिंह	रडावास	2-6-83

(५३१)

1	2	3	4	5
232.	मारवाड़ जंक्शन	श्री नेमाराम	नियलोमाण्डा	मई, 83
233.	,,	,, सूरजपाल सिंह	मादाणा	17-6-83
234.	,,	,, पेमाराम	मुंसालिया	2-4-83
235.	सोजत	,, रूपसिंह	सोजत 1	अगस्त, 81
236.	,,	,, मोलाराम	सोजत 2	अगस्त, 81
237.	,,	,, हिमताराम	बिलावास	17-6-83
238.	,,	,, अब्दुल अजीज	चाकडी	जुलाई, 81
239.	,,	,, रामकिशन	चोनावास	17-6-83
240.	,,	,, हरिसिंह	खारियाघोड़ा	अगस्त, 81
241.	,,	,, परसाराम	खारियानीव	नवम्बर, 79
242.	,,	,, भगवानसिंह	मण्डला	नवम्बर, 81
243.	,,	,, मूलसिंह	मेखाना	17-6-83
244.	,,	,, गोपाराम	मालावास	नवम्बर, 80
245.	,,	,, हनुवन्तसिंह	बगड़ी 1	सितम्बर, 80
246.	,,	,, मांगूनाथ	बगड़ी 2	अगस्त, 81
247.	,,	,, श्यामलाल	सिमाट	17-6-83
248.	,,	,, मोहब्बतसिंह	फेलवाद	मई, 83
249.	,,	,, किशनलाल	गुडाकलां	17-6-83
250.	,,	,, भंवरसिंह	गुडा रामसिंह	अगस्त, 81
251.	,,	,, इन्दरसिंह	गडासीजा	नवम्बर, 81
252.	,,	,, चेतनलाल	खोटिया	1-9-83
253.	,,	,, धोलापुरी	करमवास	अगस्त, 81
254.	,,	,, टोकमाराम	चण्डावल	सितम्बर, 82
255.	,,	,, चेनसिंह	अटवड़ा	अगस्त, 81
256.	,,	,, रामचन्द्र	रूदिवा	नवम्बर, 80
257.	,,	,, सोतदानसिंह	बालना	17-6-83

(422)

1	2	3	4	5
258.	सोजत	श्री भगवतसिंह	खाण्डिया	अगस्त, 81
259.	,,	,, रामचन्द्र	खोखरा	17-6-83
260.	,,	,, राणीदान	शिवपुरा	नवम्बर, 81
261.	,,	,, भंवरसिंह	खामल	दिसम्बर, 81
262.	,,	,, देवीसिंह	सुरायता	17-6-83
263.	,,	,, प्रतापसिंह	मालपुरोयांडला	मई, 79
264.	,,	,, पूनाराम	सरदार समन्द	नवम्बर, 81
265.	,,	,, पोकरलाल	धुरासनी	मई, 78
266.	,,	,, छगनलाल	रोजोलाकर्मा	अगस्त, 81
267.	,,	,, प्रेमसिंह	लाणेरा	अगस्त, 81
268.	,,	,, रामसिंह	नयागांव	1-8-83
269.	,,	,, चम्पालाल	चौपड़ा	17-6-83
270.	,,	,, विजयकुमार	बाड़वास	अगस्त, 81
271.	,,	,, जयसिंह	रूपावास	अक्टूबर, 80
272.	,,	,, राधाकिशन	हिमतवास	17-6-83
273.	,,	,, भैरूसिंह	रेवछावास	अगस्त, 81
274.	,,	,, शंकरलाल	मेव	1-9-83
275.	,,	,, जयकरण	थरातनी	जुलाई, 79
276.	,,	,, खीमसिंह	हरियानाली	जुलाई, 79
277.	,,	,, रामलाल	मुरठावा	मई, 79
278.	रायपुर	,, मांगीलाल	रायपुर चक 1	11-8-81
279.	,,	,, भीमसिंह	रायपुर चक 2	11-7-83
280.	,,	,, पर्मसिंह	बर	मार्च, 82
281.	,,	,, पीरसिंह	बिराटियाकलां	8-9-80
282.	,,	,, बाबूलाल	बिराटियाखुर्द	6-5-83
283.	,,	,, उम्मेदसिंह	कलालिया	19-9-81
284.	,,	,, धोलूलाल	कोटकिराना	6-5-83

(423)

1	2	3	4	5
285.	रायपुर	श्री मुलचन्द	काणूजा	10-8-81
286.	,,	,, झालाराम	दोषावास	11-9-80
287.	,,	,, बाबूलाल	पचामपुरा	11-8-81
288.	,,	,, चेनाराम	देवलीकला	6-5-83
289.	,,	,, हनुवन्तसिंह	रामघुराकला	,,
290.	,,	,, रशीद मोहम्मद	नदोडाकला	4-8-81
291.	,,	,, बंशीलाल	मोहराकला	10-8-81
292.	,,	,, रघुवीरसिंह	सबलपुरा	17-6-83
293.	,,	,, संग्रामसिंह	किलम्वा	19-9-81
294.	,,	,, रतनाराम	कुशालपुरा	10-8-81
295.	,,	,, करीमबक्श	थूठां	20-10-80
296.	,,	,, शंभूदान	सेन्दड़ा	26-4-80
297.	,,	,, श्यामसिंह	वांग	जून, 82
298.	,,	,, सुरेन्द्रसिंह	अमरपुर	19-3-80
299.	,,	,, लक्ष्मीनारायण	चिताड़	3.5-81
300.	,,	,, दामोदरलाल	मानणा	12-8-81
301.	,,	,, मांगीलाल	बूंटीवास	26-4-82
302.	,,	,, मांगीलाल	सुमेल चक 1	6-5-83
303.	,,	,, देवीलाल	सुमेल चक 2	22-4-81
304.	,,	,, शांतिलाल	गिरी	6-5-83
305.	,,	,, चम्पालाल	आबरा 2	2-4-83
306.	,,	,, अमरसिंह	पिपलीयांकला	2-4-83
307.	,,	,, रूपाराम	बगड़ी	17-6-83
308.	,,	,, विनोदीलाल	बालिया	दिसम्बर, 81
309.	जैतारण	,, जगदीश वर्मा	आगेवा	1-8-81
310.	,,	,, गणपतलाल	रात चक 1	अक्टूबर, 81

५२४

1	2	3	4	5
311.	जैतारण	श्री अभयसिंह	रात चक 2	18-9-81
312.	,,	,, कैलाशदान	मोहराई	17-8-81
313.	,,	,, शंकरलाल	कुठको	23-7-80
314.	,,	,, भागीरथ	फुलमाल	17-6-83
315.	,,	,, जयदेवसिंह	रावडियावास	6-5-83
316.	,,	,, शेतानसिंह	बलाडा	17-6-83
317.	,,	,, सोहनलाल	आतरलाई	6-5-83
318.	,,	,, सुगनचन्द	धोडावड़	24-10-81
319.	,,	,, सुमरसिंह	टूंकड़ा	6-5-83
320.	,,	,, खूमचन्द	कालू चक 1	17-6-83
321.	,,	,, हनुमानसिंह	कालू चक 2	24-7-81
322.	,,	,, नारायणदान	लोटोती	अगस्त, 81
323.	,,	,, भीछुगिरी	लांबिया	21-6-82
324.	,,	,, उत्तमदास	कालका	सितम्बर, 80
325.	,,	,, चिमनलाल	छिगरना	अक्टूम्बर, 82
326.	,,	,, मीठालाल	बेकीन्दडा	6-5-83
327.	,,	,, मोडसिंह	बाजांकुई	17-8-81
328.	,,	,, भंवरलाल	बलून्दा	जून, 83
329.	,,	,, इसन मोहम्मद	बेडकलां	29-7-78
330.	,,	,, गोविन्दलाल	गरनिया	17-6-83
331.	,,	,, किरणसिंह	जैतारण	7-8-81
232.	,,	,, चन्द्राराम	निम्बोल	6-6-83
333.	,,	,, पांचूलाल	देयरिया	21-6-82
334.	,,	,, रतनसिरी	निम्बाज चक 1	मई, 80
335.	,,	,, नारायणलाल	निम्बाज चक 2	सितम्बर, 81
336.	,,	,, भोपालपुरी	सांगावास	17-8-81
337.	,,	,, मंगलसिंह	सेवरिया	13-8-81
338.	,,	,, भुखाराम	पाटवा	2-11-81

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 121 की सूची)

सूची प्रार्थना पत्र जिन पर पुनः आवंटन किया गया

1. अमरसिंह पुत्र शिवराम नि० महस्वा :

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन हेतु दिनांक 21-5-82 को पेश किया जो रजिस्टर में क्रमांक 87/आवंटन/82/रजू 21-5-82 को पेश किया गया। इसे दिनांक 30-6-82 को आवंटन कमेटी द्वारा ख० नं० 13 में 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसे प्रार्थी ने डबल आवंटन होने के कारण दिनांक 22-5-82 को इस्तीफा पेश किया जो मेरे द्वारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को अमल दरामद नहीं करने हेतु आदेश जारी किये गये।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दि० 30-6-82 को भूमि आवंटन बाबत पेश किया था जो क्रमांक 759/आवंटन/82 रजू 30-6-82 पर दर्ज है प्रार्थी ने पूर्व में प्रार्थना पत्र में आयु प्रमाण पत्र पेश किया था जिसमें माध्यमिक विद्यालय की अंक सूची पेश की जिसके अनुसार जन्म तिथि 1-7-60 अंकित है। अतः आवंटन सही तौर पर बालिक भूमिहीन व्यक्ति का किया गया है।

2. जनकराज पुत्र प्रभू मीणा :

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन हेतु दिनांक 21-5-82 को पेश किया था जो रजिस्टर के क्रमांक 71/आवंटन/82 दिनांक 21-5-82 पर दर्ज किया गया दिनांक 25-6-82 को पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट सही अंकित नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र सलाहकार समिति द्वारा खारिज किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 30-6-82 को रूबरू आवंटन कमेटी जाहिर किया कि वे दो भाई है रिकार्ड की पुनः जांच की जाकर भूमि आवंटन की जावे इस पर रिकार्ड का सलाहकार समिति के मैम्बरों ने अवलोकन किया तथा रिपोर्ट पटवारी सही कराई गयी तो पाया कि प्रार्थी गण दो भाई हैं इस कारण इसके हिस्से में भाई बट के हिसाब से 13 बीघा भूमि आती है इस कारण इसे दिनांक 30-6-82 को सलाहकार समिति द्वारा 2 बीघा भूमि का खसरा नम्बर 13 में से आवंटन की गई।

(326)

3. रामनिवास पुत्र मिश्रया मीणा :

प्रार्थी ने भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 21-5 82 को पेश किया जं रजिस्टर के क्रमांक 66/आवंटन/82 रजू 21-5-82 को दर्ज किया गया। रिपोर्ट पटवारी इसका महस्वा के अनुसार प्रार्थी की आयु 17 वर्ष अंकित होने के कारण प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25-6-82 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी ने दिनांक 30-6-82 को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कमेटी के मेम्बरों ने इसकी जांच की तथा प्रार्थी 22 वर्ष की आयु का पाया गया इस कारण उसे खसरा नं० 13 में से 2 बीघा भूमि आवंटित की गई।

4. रामप्रसाद पुत्र रामसहाय मीणा :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन हेतु दिनांक 21-5-81 को पेश किया जो रजिस्टर में क्रमांक 70 दिनांक 21-5-82 को दर्ज किया गया जो आवंटन कमेटी द्वारा खाते में ज्यादा भूमि होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

प्रार्थी ने पुन: 30-6-82 को भूकम आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश किया हे जो क्रमांक 742 आवंटन/82 रजू/30-6-82 पर दर्ज किया गया प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुन: जांच की गई तथा रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण दो भाई हैं तथा भाई बट के हिसाब से प्रार्थी भूमिहीन की तारीफ में आने के कारण खसरा नं० 13 में 4 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी रामप्रसाद को किया गया।

5. प्रहलाद पुत्र हजारी मीना :

प्रार्थी ने दिनांक 21-5-82 को भूमि आवंटन हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो रजिस्टर के क्रमांक 18/आवंटन/82 रजू/31-5-82 दर्ज किया गया प्रार्थी गांदड़ी का होने के कारण उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया था लेकिन दिनांक 30-6-82 को पुन: प्रार्थी द्वारा निवेदन करने पर इसकी जांच की गई तो पाया कि प्रार्थी काफी समय से महस्वा में ही रहता है उसको ताऊद ग्राम वासियों ने कि इस कारण से पुन: खसरा नं० 13 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

6. बत्तीलाल पुत्र रामफुल मीना :

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन हेतु दिनांक 20-6-82 को पेश किया

जो क्रमांक 584 आवंटन/82/दिनांक 24-6-82 पर दर्ज किया गया। पटवारी की रिपोर्ट पर प्रार्थी नाबालिक होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

प्रार्थी ने दिनांक 30-6-82 पर दर्ज किया गया।

प्रार्थी ने दिनांक 30-6-82 को पुनः भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश किया जो क्रमांक 740/आवंटन/82 रजू 30-6-82 दर्ज किया गया इसकी आयु के बाबत पुनः जांच कराई गई तो 24 वर्ष पाई गयी इस कारण इसे खसरा नं० 10 में से बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

7. गोपाल पुत्र रामजीलाल मीना :

प्रार्थी ने दिनांक 20-5-82 को भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश किया जो क्रमांक 2 दिनांक 20-5-82 को दर्ज किया गया प्रार्थी विनेगा गांव तहसील हिण्डौन का होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया गया प्रार्थना ने पुनः दिनांक 30-8-82 को प्रार्थना पत्र पेश किया जो 717 दिनांक 30-6-82 में दर्ज किया गया। प्रार्थी ने जाहिर किया वह काफी समय से ग्राम महस्वा में रहता है इसकी ताऊद ग्राम वासियों ने भी की इस कारण इसे खसरा नं० 14 में से बीघा भूमिका आवंटन किया गया।

8. प्रा० श्री नवलकिशोर पुत्र रामप्रसाद ब्राह्मण :

श्री नवलकिशोर ने दिनांक 24-6-82 को भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र पेश किया जो क्रमांक 750 पर दर्ज किया गया। काश्तकार पेश न होने के कारण प्रार्थना प्रार्थी दिनांक 25-6-82 को खारिज किया गया।

प्रार्थी ने दिनांक 20-6-82 को पुनः भूमि आवंटन का प्रा० पत्र पेश किया जिस की जांच कमेटी के मैम्बरों द्वारा की गई तथा गांव के व्यक्तियों से जानकारी की गई तो पाया कि प्रार्थी काश्तकार पेश है इस कारण इस खसरा नं० 8 में 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

9. भूरासिंह पुत्र मूल्या मीणा :

प्रार्थी ने दिनांक 21-5-82 को भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश किया जो क्रमांक 67 दिनांक 21-5-82 को दर्ज किया गया। प्रार्थी भूमिहीन की तारफ में न

(५२९)

आने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया लेकिन प्रार्थी द्वारा दिनांक 30-6-82 क सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर जाहिर किया कि वे तीन भाई हैं तथ भाई बट के हिसाब से वह भूमिहीन की तारीफ में आता है। इस कारण सलाहका समिति के सदस्यों ने रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के हिस्से में 11 बीघा भूमि आती है। इस कारण उसे खसरा नं० 13 में से 3 बीघा भू आवंटन की गई।

10. मेघराम पुत्र श्रीलाल मीणा :

प्रार्थी ने दिनांक 24-6-82 को भूमि आवंटन हेतु 2 प्रार्थना पत्र पेश कि जो क्रमांक 503 व 524 पर दर्ज किये गये डबल प्रार्थना पत्र होने के कारण ए प्रार्थना पत्र 503 खारिज किया गया तथा दूसरे प्रार्थना पत्र पर उसे खसरा नं. 12 में 10 बीघा भूमि आवंटित की गई क्योंकि प्रार्थी भूमिहीन की तारीफ में आता था।

———

परिशिष्ट 'क'

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 124 की सूची)

जिला डूंगरपुर में निकलने वाले खनिज (स्वीकृत खनन पट्टों के आधार पर)

क्र.सं.	खनिज	तहसील डूंगरपुर	तहसील सागवाड़ा	तहसील आसपुर
1	2	3	4	5
1.	सोपस्टोन	रामसेर, देवल, बलवाड़ा, थाना, नलवा, रोहनवाड़ा, देवपुरा, मन्डारिया जाकोल, माथूगामड़ा, सरकन, बोरी पीपलोदा, मेताली, घुघरा, मानपुर गढ़ा मोराई, भटवाड़ा, सतारा, खानपीन, खमारू, बोंखला बलिया	.	भरकुन्डी, पंचपुरा, हरवर, नठाऊ, देवपुरा, पादरड़ी, सोलज, पाटनपुरा, दांतीखेड़ा
2.	सोपस्टोन व सून पत्थर	घुघरा, देवल, पीपलोदा, वोरी, सिसोद, सरकन, गोकुलपुरा, खाड़िया, मानपुर, बालिया, थाना गढ़ा मोराई, माण्डवा, सतारा, मोठी मोरी, खाण्डेन, रोहनवाड़ा बरोटी, खाढ़िया-खेरवाड़ा	चड़ियारा, खीरखाया	
3.	फ्लोराइट	समोता-गेहूवाड़ा, छ्याई, नया गाँव, देवली	काहिला, नीलवाड़ा	
4.	कैल्साइट (सोपस्टोन व सूत पत्थर सहित)	गोकुलपुरा		नठाऊ, बोरी, खेड़ा

1	2	3	4	5
5.	क्वार्टज (सोपस्टोन व सूतपत्थर सहित)	थाना, रेडला, मेताली, करोरी-ध्योड़		बोरी
6.	मैग्नेसाइट (सोपस्टोन व सूतपत्थर)	साबली, बोड़ाम्बली, मांल	गन्टीगला,	
7.	सरपेन्टाइन	रोहनवाड़ा, डचकी, माल		
8.	पिंक-मार्बल			पाडेला सोलंकी
9.	कारनाइट			बरोड़ा
10.	पट्टी काललता	बलवाड़ा, नवलश्याम	धनगांव, कटारापाड़ा, पादरा,	लीमड़ी, पचलासा, छोटा, उस्मानिया,
11.	चुनाई पत्थर		खड़गदा	
12.	ईंटे मिट्टी		डेचा	
13.	चक्की-पत्थर		भीलूड़ा	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची)

गोचर हुए नाजायज कब्जों की तहसीलवार एवं ग्राम वार सूची :—

क्र. सं.	नाम तहसील	ग्राम का नाम	अतिक्रमण के मामलों की संख्या	रकबा (बीघा) बिस्वा संख्या
1	2	3	4	5
1.	बाड़मेर	1. गिड़ा	1	0-10 बीघा
		2. पनावड़ा	3	0-13
		3. बाटाडू	5	1-14
		4. भादरेत कुनेशिया	1	0-18
		5. धनोड़ा	9	33-19
		6. इन्द्रोडी	4	20-00
		7. जायड़	4	20-00
		8. देरासर	2	5-00
		9. मुराजागीर	2	6-10
		10. दूरादेरी	11	18-12
		11. कनोड़ा	11	5-00
		12. माल्डो	1	24-00
		13. दाता	3	41-00
		14. रामसर	50	30-00
		15. खारची	10	12-00
		16. जंगाला	3	55-00
		17. खादा राठौड़न	1	15-10
		18. सारिया रकोणन	3	45-00
		19. हेरे का तसा	1	40-00
		20. पायसरिया	1	1-05

(332)

1	2	3	4	5
2.	चोहटन	1. आकोड़ा	1	43.08
		2. बागणौर अगीरता	1	14-10
		3. चोहटन	1	20-10
3.	सिवाना	1. सिवाना	165	84-12
		2. मिठौड़ा	38	38-00
		3. मैल	11	42-01
		4. गुड़ानाज	8	7-10
		5. अजीत	5	10-00
		6. इन्द्रप	4	45-12
		7. लालाणा	3	5-06
		8. जठन्तरी	36	18-07
		9. कर्माबास	5	30-16
		10. समदड़ी	1	2-10
		11. रमणिया	6	12-00
		12. काठाड़	5	3-10
		13. भाणाबास	7	102-13
		14. मोतीसरा	1	6-00
		15. रानीदेशपुरा	4	1-13
		16. थुरड़	2	11-01
4.	गुढ़ामालानी	1. गुढ़ामालानी	6	31-10
		2. लुखु	9	20-10
		3. दुदु	2	16-00
		4. सिघसबा हरिणीयान	2	5-02
		5. कातरला	2	1-13
		6. भगभेर की बेरी	8	13-00
		7. राणासर कला	6	14-03

1	2	3	4	5
		8. कोलियाना	7	20-00
		9. नार	1	35-00
		10. रोहीला	3	20-01
		11. मंगटा	3	7-00
		12. खारी	1	8-10
		13. डांगवा	4	9-10
		14. लूणकला	6	10-5
		15. सिघासवा चोहानान	9	8-05
		16. सिणधरी चोरणान	196	39-11
		17. सिगरी चौसीरा	6	120-00
		18. सिणगरी उफ बढ़	1	17-17
		19. हंडाली	2	254-01
		20. चवा	17	210-10
		21. साजेटा	3	49-05
		22. निम्बल कोट	3	12-10
		23. कोशलु	1	3-15
		24. नोखड़ा	5	6-05
		25. मिठी	4	28-00
		26. चेनपुरा	1	6-05
		27. बाण्ढ	5	13-10
		28. गोलिया	3	23-00
		29. शोभाला	2	160-00
		30. कंगाउन	2	44-05
		31. तरली	1	0
		32. चाणा की ढ़ाणी	4	11-10
		33. भूखा बगतसिंह	6	23-05

(434)

1	2	3	4	5
5.	पचपदरा	1. जागता	1	1001-07
		2. दूधवा	2	28-05
		3. सिणली जागीर	3	104-10
		4. टापरा	2	33-16
		5. गोल सोंडा	1	20-00
		6. खारड़ी	2	18-06
		7. बागावास	10	8-10
		8. पचपदरा	2	10-00
		9. मीठूजा	35	200-00
		10. ग्रारोतरा	5	2-04
		11. कल्याणपुर	2	37-13
		12. डोलीगुरों	2	2-19
		13. शिवनगरी	1	10-00
		14. नेबरी	4	13-03
		15. नाणी का सांखला	5	4-05
		16. बगोई चारणाक	5	3-15
6.	शिव	1. गढ़ारोड	9	14-05
		2. बन्दड़ा	3	3-12
		3. मैंदूसर	12	20-10
		4. दामुड़	1	2-00
		5. रोहीड़ी	1	10-00
		6. जैसिघर स्टेशन	1	1-05
		7. चेतरोड़ी	4	13-10
		8. गीराब	11	56-00
		9. जयसिंहगर गूव	2	3-00
		10. तामलोर	8	57-18

1	2	3	4	5
		11. मूलाबा	1	00-04
		12. हरसाली	35	230-15
		13. बालेवा	16	64-02
		14. देद यार	23	173-16
		15. रेडाणा	20	119-00
		16. दुधकली	2	4-00
		17. उलरोड़	2	22-00
		18. फोगेरा	15	35-12
		19. कोटड़ा	19	785-12
		20. राणासर	55	74-10
		21. खारचो	39	78-05
		22. सुवाना	6	21-05
		23. दुड़वा	2	10-00
		24. काशिमीर	2	22-00
		25. गूंगा	2	54-05
		26. बीसुकला	1	55-04
		27. पुष्ढ़	10	18-14
		28. मती का गोल	5	16-00
		29. बीयाड़	6	14-01
		30. नीम्यांसर	4	8-00
		31. भागोरिया	1	0-10
		32. मोखाद सुर्द	1	2-10

(525)

जिला–जैसलमेर, सूची

गोचर भूमि पर नाजायज कब्जों की तहसील एवं ग्राम वार सूची :

क्र. सं.	नाम तहसील	ग्राम का नाम	अतिक्रमण के मामलों की संख्या	रकबा (बीघा) बिस्वा
1	2	3	4	5
1.	जैसलमेर	जैसलमेर	8	285-02
		दामोदरा	1	5-15
			9	390-17

437

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की प्रतिलिपि)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(Revenue Department)

NOTIFICATION

Jaipur, dated the..................Nov. 1957.

No. F. 6 (406) Rev. (A) B/57 :—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 2 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Rajasthan Act XXVII of 1954) the State Government hereby directs that the said Act shall apply with immediate effect to the villages of the Kota and Bundi districts specified in the attached schedule.

By order of the Governor
Sd/-
Secretary to Government

THE SCHEDULE

List of Villages to Which Rajasthan Colonisation (Chambal Project Government Land Allotment and Sale) Rules, 1957, Apply.

Sl. No. 1	Name of the Distt. 2	Name of Tehsil 3	Name of the Villages 4
1.	Bundi	Bundi	Silor.
2.	,,	,,	Devpura.
3.	,,	,,	Naankpura.
4.	,,	,,	Chatrapura.
5.	,,	,,	Balapura.

438

1	2	3	4
6.	Bundi	Bundi	Baldevpura, Jagir.
7.	,,	,,	Kalpuria.
8.	,,	,,	Baldevpura.
9.	,,	,,	Lalpuriya.
10.	,,	,,	Amrach.
11.	,,	,,	Ramgunj.
12.	,,	,,	Bhaton-ka-Khera.
13.	,,	,,	Rehana.
14.	,,	,,	Hanotiya.
15.	,,	,,	Akher Jagir.
16.	,,	,,	Ajeta.
17.	,,	,,	Delunda.
18.	,,	,,	Raita.
19.	,,	,,	Dorala.
20.	,,	,,	Bhanwarda.
21.	,,	,,	Karad-ka-Verdha.
22.	,,	,,	Khatkar.
23.	,,	,,	Ra)was.
24.	,,	,,	Khatmandi.
25.	,,	,,	Jhar Balapura
26.	,,	,,	Raghunathpura.
27.	,,	,,	Samarwa.
28.	,,	,,	Haripura.
29.	,,	,,	Onkarpura.
30.	,,	,,	Barbas.
31.	,,	,,	Bherupura Antri.
32.	,,	,,	Ganpatpura.
33.	,,	,,	Cordhanpura.
34.	,,	,,	Jhwati Khurd.

(439) %.)

1	2	3	4
35.	Bundi	Bundi	Bagda.
36.	,,	,,	Motuda.
37.	,,	,,	Khiyawda.
38.	,,	,,	Gogpura.
39.	,,	,,	Chhabda.
40.	,,	,,	Chhawni.
41.	,,	,,	Bara Dhudhela Mahadev.
42.	,,	,,	Jakhana.
43.	,,	,,	Piplia.
44.	,,	,,	Maditya.
45.	,,	,,	Ban-Ka-Khera.
46.	,,	,,	Sapgawada.
47.	,,	,,	Ram Thal.
48.	,,	,,	Bambori.
49.	,,	,,	Abra.
50.	,,	,,	Goboriya.
51.	,,	,,	Nandpura.
52.	,,	,,	Jalera.
53.	,,	,,	Motipura.
54.	,,	,,	Kishanpura.
55.	,,	,,	Ganeshpura.
56.	,,	,,	Kesharpura, Jagir.
57.	,,	,,	Katudara.
58.	,,	,,	Makarda.
59.	,,	,,	Kuwarsi.
60.	,,	,,	Sarasvati-Ka-Kehara
61.	,,	,,	Narainsinghpura.
62.	,,	,,	Gurwari
63.	,,	,,	Nayagaon.
64.	,,	,,	Nayalpura.

Page No 342

(140)

1	2	3	4
65.	Bundi	Bundi	Itada.
66.	,,	,,	Chapras.
67.	,,	,,	Rampuriya.
68.	,,	,,	Bhainrupura.
69.	,,	,,	Bichari.
70.	,,	,,	Jawati Kalan.
1.	Bundi	Talera	Kana.
2.	,,	,,	Gamach.
3.	,,	,,	Tirath.
4.	,,	,,	Bhawanipura.
5.	,,	,,	Mehrana.
6.	,,	,,	Seenta.
7.	,,	,,	Aktasa.
8.	,,	,,	Kharad.
9.	,,	,,	Jamitpura.
10.	,,	,,	Jaloda.
11.	,,	,,	Jaloda Jagir.
12.	,,	,,	Talera.
13.	,,	,,	Nenda.
14.	,,	,,	Raghunathpura.
15.	,,	,,	Lambapipal.
16.	,,	,,	Sandra.
17.	,,	,,	Anthra.
18.	,,	,,	Pipalda.
19.	,,	,,	Vyason-ka-lilera.
20.	,,	,,	Thi ria.
21.	,,	,,	Bathwada.
22.	,,	,,	Alfanagar.
23.	,,	,,	Gagos.

1	2	3	4
24.	Bundi	Talera	Satheli.
25.	,,	,,	Motooka.
26.	,,	,,	Namana.
27.	,,	,,	Bawari Khera.
28.	,,	,,	Barudhan.
29.	,,	,,	Sitapura.
30.	,,	,,	Bhawaria Kuaa.
31.	,,	,,	Dhanatri.
32.	,,	,,	Bharta Bawadi.
33.	,,	,,	Biluba.
34.	,,	,,	Gumanpura.
35.	,,	,,	Mangli.
36.	,,	,,	Khotya.
37.	,,	,,	Jarkhoda.
38.	,,	,,	Kotkhera.
39.	,,	,,	Barkhera.
40.	,,	,,	Khan Khara.
41.	,,	,,	Godgol.
42.	,,	,,	Sanval Pura.
43.	,,	,,	Saptija,
44.	,,	,,	Alkodiya.
45.	,,	,,	Andhad.
46.	,,	,,	Mohipura.
47.	,,	,,	Chak Mohipura.
48.	,,	,,	Thikaria Jagir.
49.	,,	,,	Lilera.
50.	,,	,,	Chandan Beri.
51.	,,	,,	Dahit.
52.	,,	,,	Delunda.

(५५२)

1	2	3	4
53.	Bundi	Talera	Vinayka.
54.	,,	,,	Samer.
55.	,,	,,	Sadadi.
56.	,,	,,	Govind Pura.
57.	,,	,,	Jakhmund.
58.	,,	,,	Nayabardha.
59.	,,	,,	Mandadi.
60.	,,	,,	Pitambpura.
61.	,,	,,	Thikaria charnan.
62.	,,	,,	Kharoli.
63.	,,	,,	Jalki Jhonpuri.
64.	,,	,,	Ballop.
65.	,,	,,	Daglawada.
66.	,,	,,	Titerwase.
67.	,,	,,	Notara.
68.	,,	,,	Vaxpura.
69.	,,	,,	Bajad.
70.	,,	,,	Bhopatpura.
71.	,,	,,	Chapawada.
72.	,,	,,	Khadla Khalsa.
73.	,,	,,	Khadla Jagir.
74.	,,	,,	Chak Khadia.
75.	,,	,,	Khuluda.
76.	,,	,,	Ganeshpura.
77.	,,	,,	Bhuma-kheda.
78.	,,	,,	Ladpura.
79.	,,	,,	Samass.
80.	,,	,,	Badunda.
81.	,,	,,	Kaithunda.

1	2	3	4
1.	Bundi	Keshorai Patan	Jagahari.
2.	,,	,,	Jharana.
3.	,,	,,	Dolar.
4.	,,	,,	Devali.
5.	,,	,,	Balcoda.
6.	,,	,,	Roteds.
7.	,,	,,	Jahthal.
8.	,,	,,	Kodkya.
9.	,,	,,	Pipalda.
10.	,,	,,	Dutana.
11.	,,	,,	Baldara.
12.	,,	,,	Choteda.
13.	,,	,,	Arnia.
14.	,,	,,	Ardana.
15.	,,	,,	Isarda.
16.	,,	,,	Garjani.
17.	,,	,,	Chardana.
18.	,,	,,	Chathgoan.
19.	,,	,,	Haripura.
20.	,,	,,	Higonya.
21.	,,	,,	Notara.
22.	,,	,,	Beeraj.
23.	,,	,,	Rangrajpura.
24.	,,	,,	Sambadpura.
25.	,,	,,	Sarsala.
25.	,,	,,	Khedli.
27.	,,	,,	Pipalda Jagir.
28.	,,	,,	Anandpura.
29.	,,	,,	Thimli.

Page No 346

(५५५)

1	2	3	4
30.	Bundi	Keshorai Patan	Handiya Khera.
31.	,,	,,	Hirapura.
32.	,,	,,	Kapran.
33.	,,	,,	Thakerwara.
34.	,,	,,	Balapura.
35.	,,	,,	Nayagaon.
36.	,,	,,	Balkasa.
37.	,,	,,	Borda (Mafi)
38.	,,	,,	Rampurya.
39.	,,	,,	Laxmipura.
40.	,,	,,	Adila.
41.	,,	,,	Bhawpura.
42.	,,	,,	Amarpura.
43.	,,	,,	Kanwarpura.
44.	,,	,,	Dharman.
45.	,,	,,	Notra.
46.	,,	,,	Bajdali.
47.	,,	,,	Raghunathpura.
48.	,,	,,	Malikpur.
49.	,,	,,	Karbala Ki Jhonparia.
50.	,,	,,	Chatron Ka Khera.
51.	,,	,,	Thigsi.
52.	,,	,,	Indrapura.
53.	,,	,,	Jagannatha.
54.	,,	,,	Jakhroon.
55.	,,	,,	Balita.
56.	,,	,,	Bhiyan.
57.	,,	,,	Madhorajpura.
58.	,,	,,	Hathnapur.

(445)

1	2	3	4
59.	Bundi	Keshorai Patan	Kherli.
60.	"	"	Nimotha.
61.	"	"	Lakheri.
62.	"	"	Soonagar.
63.	"	"	Kamolar.
64.	"	"	Chadi.
65.	"	"	Padra.
66.	"	"	Radi.
67.	"	"	Lesarda.
68.	"	"	Hathihera.
69.	"	"	Isharnager.
70.	"	"	Gudla.
71.	"	"	Gudli.
72.	"	"	Chitawa
73.	"	"	Nimoda.
74.	"	"	Rangpuria.
75.	"	"	Vijainagar.
76.	"	"	Barana Jhalon Ki.
77.	"	"	Barani.
78.	"	"	Borda Kachiyan.
79.	"	"	Menoli.
80.	"	"	Khedlaman.
81.	"	"	Khedla Arjun.
82.	"	"	Jaleda.
83.	"	"	Jhadol.
84.	"	"	Khorpura.
85.	"	"	Pachipala.
86.	"	"	Thikari.
87.	"	"	Dupata.

1	2	3	4
88.	Bundi	Keshorai Patan	Dadwada.
89.	,,	,,	Dugraya.
90.	,,	,,	Partapgarh.
91.	,,	,,	Paperli.
92.	,,	,,	Laxmipura.
93.	,,	,,	Lohali.
94.	,,	,,	Bhains Khera.
95.	,,	,,	Morkhudna.
96.	,,	,,	Khakta.
97.	,,	,,	Bagli.
98.	,,	,,	Yehdabli.
99.	,,	,,	Rumganj.
100.	,,	,,	Laban.
101.	,,	,,	Guhata.
102.	,,	,,	Kota Khurd.
103.	,,	,,	Chahija.
104.	,,	,,	Jhapavada.
105.	,,	,,	Dei Khera.
106.	,,	,,	Khata-ka-Barana.
107.	,,	,,	Karirìya.
108.	,,	,,	Kakramej.
109.	,,	,,	Pali Baswara.
110.	,,	,,	Pipalda Thag.
111.	,,	,,	Makhida.
112.	,,	,,	Papri.
113.	,,	,,	Bara Khera.
114.	,,	,,	Jarla Mafi.
115.	,,	,,	Kesho Nagar.
116.	,,	,,	Patoliya.

447

1	2	3	4
117.	Bundi	Keshorai Patan	Patan.
118.	"	"	Azania.
119.	"	"	Korkiya.
120.	"	"	Kotri.
121.	"	"	Devpura.
122.	"	"	Baldevpura.
123.	"	"	Biga-Ka-Rora.
124.	"	"	Kharli Court.
125.	"	"	Thikoli.
126.	"	"	Arnetha.
127.	"	"	Kherli.
128.	"	"	Jaloda.
129.	"	"	Bhindi.
130.	"	"	Shripura.
131.	"	"	Budiya.
132.	"	"	Kodija.
133.	"	"	Maija.
134.	"	"	Karbala.
135.	"	"	Charakvara.
136.	"	"	Raghynathpura.
137.	"	"	Kanihera.
138.	"	"	Chhavachh.
139.	"	"	Jhavasa.
140.	"	"	Baniyani.
Left Canal			
1.	Kotah	Ladpura	Baletha.
2.	"	"	Sakatpura.
3.	"	"	Nayakhera.
4.	"	"	Devnagar.

1	3	3	4
5.	Kotah	Ladpura	Ramnagar.
6.	"	"	Goverdhenpura.
7.	"	"	Baragaon urf Nainda.
8.	"	"	Girdharpura.
9.	"	"	Nanta.
10.	"	"	Kundri.
Rights Canal			
11.	Kota	Ladpura	Ghaghtana.
12.	"	"	Manasgaon.
13.	"	"	Ramrajpura.
14.	"	"	Pipalda Shekhan.
15.	"	"	Ram Kherli.
16.	"	"	Kherli pandey.
17.	"	"	Notana.
18.	"	"	Dewali Machhiyan.
19.	"	"	Rangpur.
20.	"	"	Ganwri Jagir.
21.	"	"	Gangapacha Jagir.
22.	"	"	Kishanpura Nayagoan.
23.	"	"	Chaudesal.
24.	"	"	Roteda.
25.	"	"	Arjunpura.
26.	"	"	Manpura.
27.	"	"	Rangtalab.
28.	"	"	Sogeria.
29.	"	"	Bhadana.
30.	"	"	Ganeshpura.
31.	"	"	Daowara.
32.	"	"	Kherli Purohit Ji.

449

1	2	3	4
33.	Kota	Ladpura	Khand Gaonri.
34.	,,	,,	Dostpura.
35.	,,	,,	Ladpura.
36.	,,	,,	Rampura.
37.	,,	,,	Gunjanpura.
38.	,,	,,	Kansuwa.
39.	,,	,,	Takher.
40.	,,	,,	Ramchandpura.
41.	,,	,,	Kotri Jagir.
42.	,,	,,	Gordhanpura.
43.	,,	,,	Borkhera.
44.	,,	,,	Devli Arab.
45.	,,	,,	Hanuwat Khera.
46.	,,	,,	Nayanohra.
47.	,,	,,	Borkhandi.
48.	,,	,,	Hathi Khera.
49.	,,	,,	Kanwerpura.
50.	,,	,,	Rajnagar.
51.	,,	,,	Sukhpura.
52.	,,	,,	Haipura.
53.	,,	,,	Ummedgunj.
54.	,,	,,	Chatrapura.
55.	,,	,,	Dhakar Kheri.
56.	,,	,,	Arampura.
57.	,,	,,	Jalkhera Jagir.
58.	,,	,,	Rasulpura.
59.	,,	,,	Khera.
60.	,,	,,	Bhojpurachak.
61.	,,	,,	Charida.

(458)

1	2	3	4
62.	Kota	Ladpura	Mandaniya.
63.	,,	,,	Daslana.
64.	,,	,,	Jhalipura.
65.	,,	,,	Barejeshpura.
66.	,,	,,	Tathed.
67.	,,	,,	Arniya Jagir.
68.	,,	,,	Kaithon.
69.	,,	,,	Chainpura.
70.	,,	,,	Bhimpura.
71.	,,	,,	Motipura.
72.	,,	,,	Nagpura.
73.	,,	,,	Prahlad Pura.
74.	,,	,,	Chhatra Pura.
75.	,,	,,	Ladpura Kaithoon.
1.	Kota	Digod.	Gokulpura.
2.	,,	,,	Chhiperda.
3.	,,	,,	Nimoda.
4.	,,	,,	Onkarpura.
5.	,,	,,	Chandrawla.
6.	,,	,,	Balapura,
7.	,,	,,	Atraiiya.
8.	,,	,,	Bhagwanpura.
9.	,,	,,	Koraswan.
10.	,,	,,	Mandawari.
11.	,,	,,	Sholi.
12.	,,	,,	Nayagaon Ahira.
13.	,,	,,	Kasampura.
14.	,,	,,	Mundla Jagir.
15.	,,	,,	Bhimpura.
16.	,,	,,	Paliya.
17.	,,	,,	Dagariya.
18.	,,	,,	Polai-Khurd.
19.	,,	,,	Charheri.
20.	,,	,,	Char.
21.	,,	,,	Dhaba.

1	2	3	4
22.	कोटा	दीगोद	वोनारा
23.	,,	,,	गरपेन
24.	,,	,,	अमोरा
25.	,,	,,	खेरली मडित
26.	,,	,,	केरी का खेरा
27.	,,	,,	सिमलिया
28.	,,	,,	बम्बोरी
29.	,,	,,	देवपुरा
30.	,,	,,	कल्यानपुरा
31.	,,	,,	उकल्दा
32.	,,	,,	पाडसलया
33.	,,	,,	कनवरपुरा
34.	,,	,,	उम्मेदपुरा
35.	,,	,,	केलरवा
36.	,,	,,	दीगोद
37.	,,	,,	फतेहपुरा
38.	,,	,,	उदयपुरा
39.	,,	,,	दीगरजा
40.	,,	,,	थाराला
41.	,,	,,	खेरली
42.	,,	,,	सरिपुरा
43.	,,	,,	बगथरी
44.	,,	,,	जालिमपुरा
45.	,,	,,	कहोलिया जागीर
46.	,,	,,	मेहन्री
47.	,,	,,	तोरन

Page No 354

1	2	3	4
48.	कोटा	दीगोद	गुमानपुरा
49.	,,	,,	प्रेमपुरा
50.	,,	,,	सुल्तानपुरा
51.	,,	,,	रामपुरा/नयागांव
52.	,,	,,	अमरपुरा
53.	,,	,,	सुरेला
54.	,,	,,	छावडादी
55.	,,	,,	देवरीजी जागीर
56.	,,	,,	डाबर जागीर
57.	,,	,,	रीचा होरी
58.	,,	,,	जयहरि
59.	,,	,,	खेरली डकरान
60.	,,	,,	खेरली चट्टा
61.	,,	,,	सरोला जागीर
62.	,,	,,	कचनावदा
63.	,,	,,	ककरवदा
64.	,,	,,	चीनसा
65.	,,	,,	रुथनी
66.	,,	,,	पचारा
67.	,,	,,	बल्लभपुरा
68.	,,	,,	दोहरी
1.	कोटा	सांगोद	खेडली गुडला
2.	,,	,,	रामगढ़
3.	,,	,,	सलबेनिया
4.	,,	,,	राजगढ़
5.	,,	,,	गुडला
6.	,,	,,	गुवाडा

1	2	3	4
1.	कोटा	अन्ता	बांरा
2.	,,	,,	मुण्डला
3.	,,	,,	पटोन्दा
4.	,,	,,	पीपल्दा
5.	,,	,,	माधोपुर
6.	,,	,,	पाचल कालान
7.	,,	,,	पाचांल खुर्द
8.	,,	,,	सरकन्या
9.	,,	,,	कचरी
10.	,,	,,	खिकोद
11.	,,	,,	रूपपुरा
12.	,,	,,	बालखेरा
13.	,,	,,	बरखेरा
14.	,,	,,	लीसमरी .
15.	,,	,,	टाका
16.	,,	,,	मनकरी
17.	,,	,,	चमलियान जोगियान
18.	,,	,,	दबिरिया
19.	,,	,,	गोपालपुरा
20.	,,	,,	मेलकी
21.	,,	,,	चमलिया भटजी
22.	,,	,,	भोमा
23.	,,	,,	अन्ता
24.	,,	,,	दिलाया हरि
25.	,,	,,	नागदा
26.	,,	,,	बमोरी
27.	,,	,,	टिकरिया

1	2	3	4
28.	कोटा	अन्ता	पलायाथा जागीर
29.	,,	,,	बोजिया खेरी
30.	,,	,,	बिशना खेरी
31.	,,	,,	रायपुरा
32.	,,	,,	रिटौरिया
33.	,,	,,	अमलसरा
34.	,,	,,	गुलाबपुरा
35.	,,	,,	किशनपुरा
36.	,,	,,	बलदरा
37.	,,	,,	लाड़पुरा
38.	,,	,,	शोरा गोन
39.	,,	,,	गनेशपुरा
40.	,,	,,	थाकड़खेड़ी
41.	,,	,,	दुगारी
42.	,,	,,	तमखेदा
1.	कोटा	बांरा	समशापुरा
2.	,,	,,	लसड़िया
3.	,,	,,	पीतामपुरा उर्फ मथनी
4.	,,	,,	गोपालपुरा
5.	,,	,,	मथना
6.	,,	,,	बटोसी
7.	,,	,,	खेरदामन्डोलिया
8.	,,	,,	तसाया
9.	,,	,,	कोयाला जागीर
10.	,,	,,	मानपुरा जागीर
11.	,,	,,	मियौना
12.	,,	,,	उल्थी

1	2	3	4
13.	कोटा	बारा	कोटड़ी जागीर
14.	,,	,,	खेड़ली केशो
15.	,,	,,	मिजरावटा
16.	,,	,,	कल्याण टारगटा
17.	,,	,,	रारोटी
18.	,,	,,	तेजगढ़ जागीर
19.	,,	,,	सादीगरढ़ जागीर
20.	,,	,,	राटोदा जागीर
21.	,,	,,	पीपल्दा
22.	,,	,,	खेरी
23.	,,	,,	बम्बूलीया
24.	,,	,,	बदान
25.	,,	,,	रानीहेड़ा
26.	,,	,,	सैनकली
1.	कोटा	मांगरोल	मांगरोल
2.	,,	,,	महू
3.	,,	,,	करारीया
4.	,,	,,	रनीजा
5.	,,	,,	खानपुरीयाँ
6.	,,	,,	रामबोरी कलान
7.	,,	,,	जारेला
8.	,,	,,	बबूलून्दा
9.	,,	,,	काशीपुरा
10.	,,	,,	पाली
11.	,,	,,	धोकलखेरी
12.	,,	,,	मालबमोरी
13.	,,	,,	रामपुरा भरकान

Page No 358

(456)

1	2	3	4
14.	कोटा	मांगरोल	बालापुरा
15.	,,	,,	रावल जावल
16.	,,	,,	मारदी
17.	,,	,,	भटादीया
18.	,,	,,	भावगढ़
19.	,,	,,	रेनगड़
20.	,,	,,	पडलरया
21.	,,	,,	महुवा
22.	,,	,,	राकशपुरा
23.	,,	,,	रायथल
24.	,,	,,	मुथलीक
25.	,,	,,	सोखाण्डा
26.	,,	,,	बोरडा
27.	,,	,,	सिकिन्धानिया
28.	,,	,,	जयतल हेरो
29.	,,	,,	नडलिया
30.	,,	,,	कुशवा
31.	,,	,,	कुन्डला
32.	,,	,,	किशनपुरा
33.	,,	,,	इन्द्राहेरी
34.	,,	,,	सीसवाली
35.	,,	,,	सोनवा
36.	,,	,,	श्योपुरा
37.	,,	,,	रामपुरीया
38.	,,	,,	लटेडी
39.	,,	,,	उदयपुरीया
40.	,,	,,	बालापुरा

1	2	3	4
41.	कोटा	मांगरोल	पकल खेरा
42.	"	"	शाहपुरा
43.	"	"	नवलपुरा
44.	"	"	चतरोंपुरा
45.	"	"	जालोदा तेजाजी
46.	"	"	चन्द्रडा हेरी
47.	"	"	केका खेरी
48.	"	"	बलवन हेरी
49.	"	"	भजिया खेरी
50.	"	"	सिमलिया
51.	"	"	तिसाया
52.	"	"	पटपड़ा
53.	"	"	रामपुरा खजाद
54.	"	"	श्रीनमक
55.	"	"	धेमार खेरी
56.	"	"	कौण्डा
57.	"	"	गोदावरी
58.	"	"	श्रीनल जागीर
59.	"	"	पापारली
60.	"	"	इशरपुरा
61.	"	"	मण्डियों
62.	"	"	जरावदिया
63.	"	"	मेंहलपुरा
64.	"	"	नन्द गानरी
65.	"	"	गरावडियां
66.	"	"	ईसिगाला जागीर
67.	"	"	झाडवा

Page No 360

458

1	2	3	4
68.	कोटा	मांगरोल	गुदरावनी
69.	"	"	पगरा
70.	"	"	करादिया जागीर
71.	"	"	भगवानपुरा
72.	"	"	बोट
73.	"	"	भटवाड़ा
74.	"	"	हिंगोनिया
75.	"	"	चेनपुरा
76.	"	"	रामपुरा
1.	कोटा	बड़ौद	फतेहपुर
2.	"	"	खेरली खुशाक
3.	"	"	दुर्जनपुरा
4.	"	"	लखतानीजा
5.	"	"	कुन्तिया
6.	"	"	रामनगर
7.	"	"	मौराना
8.	"	"	मन्दिरिया
9.	"	"	जहारगन
10.	"	"	पीपल्दा सन्द
11.	"	"	मान्डवारा
12.	"	"	बल्देवपुरा
13.	"	"	जोथली
14.	"	"	निमली
15.	"	"	खेरली तवरान
16.	"	"	जहागीरपुरा
17.	"	"	हनोटिया
18.	"	"	मेहरमना

1	2	3	4
19.	कोटा	बड़ोद	डोबरली
20.	,,	,,	नयाखेरी
21.	,,	,,	पाली
22.	,,	,,	दिदाया खेरी
23.	,,	,,	खैरा भोपाल
24.	,,	,,	चोपर खेरी
25.	,,	,,	नपत खेरी
26.	,,	,,	जारोल
27.	,,	,,	रामपुरा
28.	,,	,,	कुमला
29.	,,	,,	हरिपुरा
30.	,,	,,	खेरली सहरान
31.	,,	,,	कोटडा जागीर
32.	,,	,,	निमोदा
33.	,,	,,	नृहसिंगपुरा
34.	,,	,,	बम्बोलियां समल
35.	,,	,,	मदनपुरा
36.	,,	,,	दीवानिया
37.	,,	,,	सांगोहेरी
38.	,,	,,	पीपल्दा सेमल
39.	,,	,,	मोहम्मद पुरा
40.	,,	,,	मगंहोरी
41.	,,	,,	अबरा
42.	,,	,,	रायालपटा
43.	,,	,,	कोटडा दीपसिंह
44.	,,	,,	पीपल्दा बीरान
45.	,,	,,	गनवरी जागीर

Page No 362

(३६०)

1	2	3	4
46.	कोटा	बड़ौद	बड़ौद
47.	"	"	किशनगंज
48.	"	"	टाकरवाड़ा
49.	"	"	बढाढीत
50.	"	"	उम्मेदपुर
51.	"	"	खैवादा
52.	"	"	इदलगढ़ जागीर
53.	"	"	बगावदा
54.	"	"	खेडली परसराम
55.	"	"	सनेजा बावरी
56.	"	"	बर्नेटिया
56.	"	"	धनवान
57.	"	"	बोरखेड़ा
58.	"	"	खैरला
59.	"	"	वेड
60.	"	"	बमोली रावत
61.	"	"	धनसरी
62.	"	"	मोरपरि
63.	"	"	नोताड़ा
64.	"	"	खडगांव
65.	"	"	शाहपुरा
66.	"	"	नापाहेड़ा
67.	"	"	किशोरपुरा
68.	"	"	चम्पाखेड़ा
69.	"	"	बिसलाई
70.	"	"	बाराना
71.	"	"	बन का जागीर

(५६१)

1	2	3	4
72.	कोटा	बड़ौद	जाखरोन
73.	,,	,,	ग्राटोन
1.	कोटा	इटावा	इटावा
2.	,,	,,	कोडवाड़ा
3.	,,	,,	गणेश गंज
4.	,,	,,	बंदी
5.	,,	,,	सुगेना
6.	,,	,,	हालडरी
7.	,,	,,	नोनेश
8.	,,	,,	खेडली नोनेश
9.	,,	,,	खेरावन
10.	,,	,,	रामपुरा
11.	,,	,,	अमलदा
12.	,,	,,	राजोपा
13.	,,	,,	केशोपुरा
14.	,,	,,	फतहपुरा
15.	,,	,,	गुरोंडिया
16.	,,	,,	डडवाड़ा
17.	,,	,,	नारायणपुरा
18.	,,	,,	झाडोल
19.	,,	,,	डोली
20.	,,	,,	किशनपुरा
21.	,,	,,	खेडली बीरदा
22.	,,	,,	खेरदा
23.	,,	,,	बिनायका
24.	,,	,,	मुण्डली
25.	,,	,,	किशनवास

(५६२)

1	2	3	4
26.	कोटा	इटावा	भेजवार
27.	,,	,,	नलायथा
28.	,,	,,	अयाना
29.	,,	,,	अयाना
30.	,,	,,	छत्रपुरा
31.	,,	,,	अयानी
32.	,,	,,	प्रेमपुरा
33.	,,	,,	रघुनाथ पुरा
34.	,,	,,	जोलोदा
35.	,,	,,	श्रीपुरा
36.	,,	,,	कनकरा
37.	,,	,,	कोलाना
38.	,,	,,	दौलतपुरा
39.	,,	,,	डिहोरी
40.	,,	,,	बर्मलिया घाटा
41.	,,	,,	लहावद
42.	,,	,,	गणेशपुरा
43.	,,	,,	गडावद
44.	,,	,,	गमेशखेरा
45.	,,	,,	खोडलीदेवी
46.	,,	,,	दर्जनपुरा
47.	,,	,,	बडोली
48.	,,	,,	मिठोल
49.	,,	,,	करजोदा
50.	,,	,,	बमेलिया खीरा
51.	,,	,,	खीरा
52.	,,	,,	हरिपुरा

1	2	3	4
53.	कोटा	इटावा	निर्मादा
54.	,,	,,	लक्ष्मीपुरा
55.	,,	,,	डण्ढोरा
56.	,,	,,	माथोली
57.	,,	,,	कनहाड़ा
58.	,,	,,	मानपुरा
59.	,,	,,	चडोदा
60.	,,	,,	बडली
61.	,,	,,	खोडली
62.	,,	,,	विजयपुरा
1.	कोटा	इन्द्रगढ़	गोरडा
2.	,,	,,	निमोला
3.	,,	,,	नियाना
4.	,,	,,	घाटोदा जागीर
5.	,,	,,	उदयपुरा
6.	,,	,,	गावड़ी
7.	,,	,,	बागली
8.	,,	,,	ठीकरदा
9.	,,	,,	गोवरा जागीर
10.	,,	,,	गेरा जागीर
11.	,,	,,	गोपाल जागीर
12.	,,	,,	ध्रासोदा
13.	,,	,,	भवनवा
14.	,,	,,	बरगोदा
15.	,,	,,	निलोद
16.	,,	,,	शिवदानपुरा
17.	,,	,,	नयागांव

1	2	3	4
18.	कोटा	इन्द्रगढ़	केथोदा
19.	,,	,,	गडला
20.	,,	,,	जैटवाड़ी
21.	,,	,,	चकगावड़ी
22.	,,	,,	रामपुरा
23.	,,	,,	बालिया ककरोदा
24.	,,	,,	शोरगंज
25.	,,	,,	सगामगंज
26.	,,	,,	बनिफलउर्फ सुमेरपुरा
27.	,,	,,	बेजुरा
1.	कोटा	पीपल्दा	खातोली
2.	,,	,,	कहिरपुरा
3.	,,	,,	देव निमरी
4.	,,	,,	लखमली
5.	,,	,,	छत्रपुरा
6.	,,	,,	मोरधपुरा
7.	कोटा	पीपल्दा	रामखेड़ा
8.	,,	,,	तलाख
9.	,,	,,	बन्जारी
10.	,,	,,	सभरेपुर
11.	,,	,,	गणेशखोड़ा
12.	,,	,,	सब्जीपुरा
13.	,,	,,	फतयपुर
14.	,,	,,	गोपालापुरा
15.	,,	,,	फसोदू
16.	,,	,,	डगरली
17.	,,	,,	सोहनगाड़

(465)

1	2	3	4
18.	कोटा	पीपल्दा	चिवाडा
19.	,,	,,	मरजना
20.	,,	,,	लोहली
21.	,,	,,	जोखारपुरा
22.	,,	,,	भेरूपुरा
23.	,,	,,	भवानीपुरा
24.	,,	,,	बन्डीला
25.	,,	,,	गिरधरपुरा
26.	,,	,,	मोरखेडानो
27.	,,	,,	बिरोदा
28.	,,	,,	फरेरा
29.	,,	,,	करवारा
30.	,,	,,	सोभागपुरा
31.	,,	,,	परली
32.	,,	,,	देवपुरा
33.	,,	,,	खेडली
34.	,,	,,	खवादा
35.	,,	,,	पीपल्दा खुर्द
36.	,,	,,	कजिलीया
37.	,,	,,	रोन
38.	,,	,,	कनवेनपुरा
39.	,,	,,	खेडली किशनपुरा
40.	,,	,,	खेडली पीपल्दी
41.	,,	,,	चाक खोडली
42.	,,	,,	पीपल्दा कला
43.	,,	,,	बडोदिया
44.	,,	,,	गोता
45.	,,	,,	स्वा खेडली

(466

1	2	3	4
46.	कोटा	पीपल्दा	रघुनाथपुरा
47.	,,	,,	किशनपुरा
48.	,,	,,	बोरदा
49.	,,	,,	सम्पानपुरा
50.	,,	,,	अटोली
51.	,,	,,	नीमखेरा
52.	,,	,,	ककरावदा
53.	,,	,,	सोनोदा
54.	,,	,,	रामगज
55.	,,	,,	शेरगंज
56.	,,	,,	ककावदा
57.	,,	,,	चक का कवदा
58.	,,	,,	पाडा
59.	,,	,,	बामेदिया कलान
60.	,,	,,	बमोदिया खुर्द
61.	,,	,,	राजपुरा
62.	,,	,,	किरपुरा
63.	,,	,,	उम्मेदपुरा
64.	,,	,,	शिवपुरा
65.	,,	,,	डिबरो
66.	,,	,,	भरूपुरा
67.	,,	,,	खोडली पेरा
68.	,,	,,	खोडली चाक
69.	,,	,,	दोडी
70.	,,	,,	चाक दोडी
71.	,,	,,	शेरपुर
72.	,,	,,	बगरोद
73.	,,	,,	शेरगंज
74.	,,	,,	खण्डीला
75.	,,	,,	भोपालगंज

(467)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 129 की सूची)

फहरिस्त खातेवार आसामीयान खसरा नं० 251 ग्राम किसमीदेसर तहसील बीकानेर ।

क्र. सं.	नाम आसामी मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नं०	रकबा (बीघों में)	खातेदारी या गैर खातेदारी
1.	दासू वल्द किशना कोम माली सा० देह खातेदार	654/251	26/4	खातेदार
2.	पन्नाराम वल्द राधाकिशन कोम माली सा० देह	565/251	4/111/3	खातेदार
		564/251	4/111/3	,,
		679/251	12/	,,
		किता 3	21/111/1	
3.	चौरूलाल, भोजूराम पि० सोहनलाल व मु० सुन्दर बेवा सोहनलाल माली सा० देह	687/251	14/111/ C	,,
4.	गणपत वल्द सूरजमल कोम माली सा० देह	688/251	10/11/2	,,
5.	शंकरलाल/राधाकिशन माली सा० देह	701/251	41/2	,,
6.	हनुमान/धाना ½ हि राधाकिशन/भभूताराम 1/2 हि कोम माली सा० देह	702/251	24/111/1	,,
		703/251	34/3	,,
7.	रामदेव, आसू, फकीरा पि० टींक मुकाम कस्तूरी बेवा टीकू व पाना पुत्री टीकू कोम माली सा० देह	704/251	45/1/2	,,
8.	नेमा/नत्थूराम कोम माली सा० देह	617/251	9/	,,
		681/251	4/111/4	,,
			205/111/4	

(468

फहरिस्त गैर खातेदार आसामीयान खसरा नं॰ 251
ग्राम किसमीदेसर तहसील, बीकानेर

क्र. स०	नाम गैर खातेदार आसामीवार मय पता	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार/गैर खा०
1	2	3	4	5
1.	धीरा/चेना जा० माली साकिन देह	436/251	22/11/	गै० खा०
2.	कन्हैयालाल, इशरराम, पि० शिवनाथराम व चन्दा बाबू मूली पुत्री शिवनाथ ब मुकाम मखतूली बेवा शिवनाथ कोम माली सा० देह	437/251	4/11/	,,
3.	गौरु/पशाराम कोम माली साकिन देह	435/251	20/	,,
		662/251	14/1/3	,,
		663/251	4/3	,,
4.	चम्पा/धुड़ा कोम माली सा० गंगाशहर	562/251	91/4	,,
		659/ 51	4/11/1	,,
5.	कालूराम भीटराम चम्पालाल केवलचन्द, अगरचन्द्र, घेवरचन्द्र, गवरा, लिछमी, पि० आसू 1/6 ब. हि. बराबरां, बाबूलाल चेराराम पि. गोरधन मेना धापी खेमी पुत्रीयान गोरधन ब. हि. व 5/6 हि. कोम माली सा० देह	549/251	19/11/2	,,
		660/251	8/	,,
		661/251	6/111/	,,
6.	भंवरलाल केवलचन्द्र, घेवरलाल माणकचन्द्र, लेहरचन्द्र मिमोल पि. पुसाराम इन्द्र ललछा बंका पि. गुमानारा व मु. सोनी देवाह गुमानाराम कोम माली सा० देह	464/224	0/3	,,
		667/251	8/111/1	,,
		654/215	10/3	,,

1	2	3	4	5
7.	इरखा चम्पा मेमा पि. नाथिया कौम माली सा० देह	472/251 473/251	4/ 2/111/1	गै. खा. ,,
8.	लूगा/माना कौम माली सा० देह	548/251	23/11/	,,
9.	सीताराम, इसरदास भंवर भंवरी छापी बरजी पुत्री इसरराम व मु. अणदी देवा इसरराम ब. हृ. 1/3 हि. व धीसाराम जसकरण पि. रतुराम व बाली जेका मखतुल दीपा पुत्री रतीराम ब. हि. बराबर 2/3 हि. कौम माली सा० देह	618/251	10/	,,
10.	मोडा गोपी गोरधन मुनीराम पि. रामदेव वा. मु. छोटी वेवा रामदेव व डाली जड़ीया पुत्री रामदेव कौम माली सा. देह	685/251/1 655/251/2	1/1/4 5/111/4	,, ,,
11.	रेखा लालू कौम माली सा. देह	686/251	12/2	,,
12.	भंवरलाल देवाराम धन्नाराम ओमप्रकाश मुगतूराम पि. अमरूराम व मु. रामप्यारी बेवा 1/2 हि. ब. हि. व जसकरण पुत्र रूपाराम कौम माली 1/2 हि. सा. देह खसरा नं० 461	706/251	25/2	,,
13.	छगनलाल सूरजमल कौम माली सा. देह	580/251	18/1/3	,,
14.	तुलछा राधाकिशन कौम माली सा. देह	581/251	20/2	,,
15.	राधाकिशन भभूताराम कौम माली सा. देह	582/251	5/11/2	,,

Page No 372

(470)

1	2	3	4	5
16.	पूना राधाकिशन कौम माली सा. देह	563/251	5/111/1	गै. खा.
17.	सोहनलाल वल्द किसना कौम सा. देह	684/251	3/1/4	,,
			271/1/2	
18.	आराजीराज रकबा	474/251	6/11/3	राजकीय
		694/251	21/11/2	,,
			9/11/2	
19.	श्मशान भूमि	247 मी.	8/3	श्मशान
	सड़क में छुटी भूमि	247 मी.	2/111/2	सड़क

(५७१)

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 134 की सूची)

सूची (अ)

पंचायत समिति पाली एवं सुमेरपुर में कृषि व घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की तालिका

क्र. सं.	वर्ष	पंचायत समिति पाली		पंचायत समिति सुमेरपुर	
		कृषि	घरेलू	कृषि	घरेलू
1.	1979-80	—	—	41	253
2.	1980-81	29	482	29	460
3.	1981-82	10	781	134	492
4.	1982-83	7	641	72	632
5.	1983-84 (अगस्त '83 तक)	4	361	21	252
	योग	50	2265	297	2089

(472)

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची)

सूची (अ)

पंचायत समिति अरनोद के स्वीकृत योजना के विद्युतीकृत ग्रामों में दिये गये कनेक्शनों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण दिनांक	दिये गये कनेक्शनों की संख्या
1.	नया खेड़ा	21/11/348	31-3-82	2
2.	अचलावदा	347	31-1-83	4
3.	बगड़ावद	372	28-2-83	6
4.	खरखड़ा	414	31-3-82	—
5.	ऊंचवानिया	341	मार्च, 80	11
6.	दीवाला	421	मार्च, 80	18
7.	बरखेड़ी	436	29-11-80	18
8.	कचनारा	445	29-11-80	9
9.	माल पीपरोड़ी	468	मार्च, 80	6
10.	झंकर	321	31-3-82	—
11.	खोरा	320	31-3-82	—
12.	मात सजिया	374	31-3-83	—
13.	पीपल्या	383	31-3-83	—
14.	ओड़ा	382	31-3-83	—
15.	रूपा घाटी	380	31-3-83	—
16.	तलाया	408	31-3-83	—
17.	आंकड़ियों का माल	410	31-3-83	—
18.	कराड़िया	368	31-3-83	—
19.	भूरी घाटी	375	31-3-83	—
20.	निसच	371	31-3-83	—
21.	गागा खोह	379	31-3-83	—
22.	छोटा धामनिया	378	31-3-83	—
			योग	74

(423)

(599

परिशिष्ट–8 सितम्बर, 1983–परिशिष्ट

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 141 की सूची)

कार्यालय राजकीय श्री बालकृष्ण विद्या भवन, उ. मा. वि. कांकरोली

विद्यालय में कार्यरत दि. 23–5–51 के कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम अध्यापक	पद	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामचन्द्र सनाढय	प्र.अ.	1-10-48		
2.	श्री रामचन्द्र पालीवाल	स.अ.	18-11-48	8-11-28	30-4-83
3.	श्री सोहनलाल	स.अ.	19-7-48	9-5-28	21-5-83
4.	श्री हरिदास दीक्षित	स.अ.	26-11-47	10-12-24	31-12-79
5.	श्री गोवर्धन जोशी	स.अ.	25-11-47		
6.	श्री मोहनलाल बापना	स.अ.	1-10-47	4-2-28	28-2-83
7.	श्री सोहनलाल गुप्ता	स.अ.	16-8-49	8-7-30	31-7-85
8.	श्री कन्हैयालाल उपा.	स.अ.	3-8-49		31-8-69
9.	श्री मोहनलाल पालीवाल	स.अ.	1-8-45	9-7-26	31-7-81
10.	श्री ब्रजलाल उपाध्याय	स.अ.	1-7-45		
11.	श्री हेमराज पालीवाल	स.अ.	18-7-49	19-9-28	30-9-83
12.	श्री गणेशलाल चौहान	स.अ.	15-7-49	8-4-28	30-11-83
13.	श्री अमरसिंह राणाना	स.अ.	2-12-45	4-3-24	31-3-79
14.	श्री श्यामलाल वर्मा	स.अ.	1-8-45	13-10-43	27-8-69
15.	श्री रघुनाथ सनाढय	च.क.	1-11-49	7-11-22	30-11-79
16.	श्री ओंकारलाल पालीवाल	स.अ.	1-8-48	20-4-27	30-4-82
17.	श्री नारायणलाल गोखा	च.क.	20-5-50		1-3-65
18.	श्री भंवरलाल जोशी	,,			

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 142 की सूचना)

क्र.सं.	नाम संस्थान	स्वीकृत एवं रिक्त पद का विवरण सी.ए.एस. स्वीकृत	सी.ए.एस. रिक्त	मेलमर्स श्रेणी–II स्वीकृत	मेलमर्स श्रेणी–II रिक्त	प्रसाविका स्वीकृत	प्रसाविका रिक्त	वार्ड ब्वाय स्वीकृत	वार्ड ब्वाय रिक्त	पार्टटईम हेल्पर स्वीकृत	पार्टटईम हेल्पर रिक्त	स्वीकृत बजट बैड संख्या भेषज एवं औषधि
1.	डिस्पेन्सरी गुढाभगवानदास	1	—	2	1	1	—	4	—	—	—	15,768
2.	,, पाचोड़ी	1	—	2	1	1	—	4	—	—	—	15,768
3.	,, बालोजो	1	—	2	2	1	1	4	—	—	—	15,768
4.	एडपोस्ट सिगोद	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	13,900
5.	उपकेन्द्र संधेरण	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2,000
6.	,, रायधनु	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2,000
7.	,, कुछड़ी	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	2,000
8.	,, बिरलोका	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2,000

428

(601

परिशिष्ट -8 सितम्बर 1983–परिशिष्ट

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची)

क्र.सं.	शिकायत	विभागीय कार्यवाही
1.	डा. कमल नयन जगोटिया	डा. टी एस. सहाय को जांच अधिकारी दिनांक 26–12–81 को नियुक्त किया गया । जांच रिपोर्ट अपेक्षित है ।
2.	रेफरल अस्पताल में डाक्टरों की लापरवाही	जांच के दौरान मामला निराधार पाया गया व कोई डा. दोषी नहीं पाया गया ।
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़	उपनिदेशक (जोन जोधपुर) को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है । जांच रिपोर्ट अपेक्षित है ।

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची)

जिले में डाक्टरों की रिक्त पदों की सूची मय स्थान व तिथि सहित

क्रमांक	रिक्त पद का नाम	रिक्त पद का स्थान	रिक्त पद की दिनांक	विवरण
1–	कनिष्ठ विशेषज्ञ			
1.	गायनाकोलोजी	झालावाड़	22–6–82	
2.	पेडीयाट्रीक	झालावाड़	फरवरी, 1982	
3.	ओपथमोलोजी	झालावाड़	22–7–83	
	सी. ए. एस.			
1.		1– जनाना चिकित्सालय, झालावाड़	मार्च, 83	
		2– न. पा. केन्द्र, झालावाड़	अगस्त, 83	
		3– एम.सी.डब्लू.सी. झालावाड़	मार्च, 83	
		4– राज. चिकित्सालय, अकलेरा	जुलाई, 83	
		5– प्रा. स्वा. केन्द्र पिढावा	जून, 83	
		6– सी.एच.बी., खानपुर	12–8–82	
		7– ,, मनोहरथाना	सन् 9979 से	
		7– राज. चिकि. भालता	जून, 83	
		9– राज. चिकि. गंगधार	27–8–83	
		10– ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र पिड़ावा	जुलाई, 80	

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची एवं प्रति)

1. रेफरल हास्पिटल भवन निर्माण समिति के सदस्यों की सूची

		गठन की तिथि
1. श्री जिलाधीश, उदयपुर	अध्यक्ष	17-9-74
2. श्री प्रमुख जिला परिषद्, उदयपुर	सदस्य	,,
3. श्री उप जिलाधीश, वल्लभनगर	,,	,,
4. श्री अधिषाशी अभियन्ता, सा. नि. वि.	,,	,,
5. श्री विकास अधिकारी, भीण्डर	सचिव	,,
6. श्री रूपलाल नन्दलाल चेयरमेन, नगरपालिका म.	सदस्य	15-10-74
7. श्री शंकरलाल नर्सिंगपुरा, भीण्डर	,,	,,
8. श्री मोहनलाल चौधरी, भीण्डर	,,	,,
9. श्री गोवंधनलाल चोवसा, भीण्डर	,,	,,
10. श्री भगवतीलाल अग्रवाल, भीण्डर	,,	,,
11. श्री फखरूद्दीन जी वोहरा, भीण्डर	,,	,,
12. श्री मनोहरलाल जी दक, भीण्डर	,,	,,

प्रमाणित प्रतिलिपि

बिकान नामा तावादी

मैं श्री चतरभुज पिता श्री कीसोर जो राजपूत निवासी भीण्डर का हूं जी कि मुझे रूपीयों की जरूरत होने से आप पास श्री शरफअली जी पिता श्री रसूल जो वोहरा 115) मुसलमान निवासी भीन्डर वाला थी लीदा रुपया 7000/ सात हजार रूपीया अक्षरे सात हजार रुपया साके नोट मौजूदा वजार चलान का जरिए बिल प्रवाज मारे वापोजी की आराजी रोकड़ नम्बरी 3093 वा 12 आना लगानी 9 आना नं. 3094 रखवा 1 रु. 4 आना 3 पाई लगनी 5 रु. 12 आना नं. 3095 रखवा

आठ आना 3 पाई लगानी 1 रु. 12 नं. 3097 रखवा 1 रु. 12 आना 1 पाई लगानी 9 रु. 2 आना नं. 3099/3102 रखवा आठ आना लगानी चार आना नं. 3907/2 रखवा 52 लगानी तीन आना जुमला रकवा 5 रु. 4 आना 6 पाई 17 रु. 12 आना को जो कस्बा भीन्डर के खेत हल्का आबादी में स्थित है वो इन रुपयों के बिल एवज विकवा कर सुपुर्द कर दीदी सो जो हक मुझे, प्राप्त है वो कुलिया हक हलूक आज से आपको प्राप्त हो चुके हैं अब मेरा उसत आराजी में आज से कोई हक व अधिकार कतई नहीं रहा है आप अपनी मुरजी माफिक आबादान कर उपयोग में लेने खुद कास्त करें तथा दूसरों को वास्ते काश्त सिपुर्द कर व आइन्दा रह न वे, वसीस, वगैरा करे जिनमें मुझे आइन्दा कोई उजर किसी किस्म का नहीं होगा हांसिल बंदोबस्ती आवे वो जमा करावे इसके बाद खाता रदोबदल करावलिजो उक्त आराजी सब प्रकार के करजा का भार से मुक्त है अगर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा का भार वगेरा होगा तो उसकी हर तरहा में मेरी जिम्मेवारी होगी एवं आराजी को मय मेरकोई पारी डारी रूखरखाव वाड करवाद व निकास तैयार वगेरा कुलिया हक हकूल मोजूदा के विकाव कर दोदो सो जोद अवर्जः भीखवा जी हर तरहा से आवाहान कर उपयोग में लीजो। यह रूपीया रोकड़ 17000 सात हजार रूपीया एक मुश्त सारे दिगर जमीन खरीद करवा सार ले कर ऊपर लिखा माफिक आराजी विकाव कर कब्जे कर दोदो सो सही है इस विकाव नामा में आइन्दा मेरा कोई वारिस हकरदार तथा गहनातटयावगेरा किसी किस्म का उजर व एतराज करेगा नहीं अगर किसी किस्म का उजर व एतराज करेगा तो वे राजपचा में झूटा रहेगा और उसकी हर तरहा से मेरी जिम्मेवारी हो कर उनका एवज में पराधक मानाउगा। अतः यह विकावनामा मैंने अपनी राजीखुशी अकलहोसीयारी व बिना किसी दबाव व बहकावट के स्टाफ नम्बरी 166/200, 167/40, 168/6 कुल 246/- का स्टाम्प तीन पर भीन्डर में बैठा लिखय दोनों जो सनारूम है वगत पर काम आवे ईसवी 2024 का अखड विवे 7 ता. 17-6-68 ईसवी दः रामप्राल माहेश्वरी की श्री चतरभुजो राजपुत दरोगा का कैलासु उक्त विकावनामा भीन्डर में वैठा लिखा दीनों सुनाया तो खुद के लिखाने माफिक कहा द रामपाल महेश्वरी का भीन्डर वेल द चतरभुजो साख मनोहर लाल कोठारी को भी चतरभुजजीरा केवासु दीदीदः मनोहर लाल कोटारी साख। कनकमल जेतावावतरी श्री चतभुजजीरा कशासु पीदीदः कनकमल जेतावतराद चतुर्भजजी मुनम्मी श्री चतरभज पिता कसोर जाति राजपूत को भीन्डर उमर 60 साल पेशा काश्त ने तारिख इसरोजा दिनांक 18-6-68 ई० मंगलवार वक्त 11 बजे दिन वेनामा तादादी ने विक्रम ओरोणीयात व हीस्सा कुआ पर आप केतागण का अधिपत्य करा हमरे स्वस्थ्य चित व स्थित बुद्धी से भीन्डर में बैठा सम्पूर्ण विक्रय राशि 10000/- दस हजार रूपीया उपर मुजिब प्राप्त कर पूर्ण प्रशन्न चित से स्टाम्प नम्बरी 535/150, 536/150,

(479)

536/50, 538/4 जुगला स्टाम्प किता चार किसती 354 तीन सौ चोपन रुपीया के स्टाम्प पर सम्पादित कराया गया है। कि प्रमाण रहे समय पर काम में उनके 2030 बावनी सम्वत असाड सुद 5 सोमवार ता. 28-6-74 ई. द: वसीलाल श्रामेटा श्री गोक ली नाई दस मोहनलाल जी शंकरलाल जी नाई का के बाद लिखा सुणाया गया तें अपने कहने मुताबिक स्वीकार किया श्रोर रूपीया 3000/तीन हजार मेरे समक्ष प्राप्त किए एस. डी. द: वन्सीलाल श्रामेटा नि. गोकल जी नाई विक्रेता को एस. डी. द: मोहनलाल एस. डी. द: शंकर/मुकरीय हो कि इस विक्रय को लाइन नम्बर 63 में व हीस्सा कुवा ऊपर वढ़ाया हुम्रा होकर लोक के छोटे दस्तखत किए हुए हैं। ता. सतर द: एस. डी. वन्सीलाल श्रामेटा।

श्री गोकल जी चरस सोहनलाल जी शंकरलाल नाई का कैलास लिखा एस. डी. द: वन्सीलाल श्रामेटा नि. गोकल एस. डी. मोहनलाल द: शंकरलाल 1 साख 1 भगवतीलाल जी अग्रवाल नाई गोकल जी चरण महोनलाल शंकरलाल का केवासु दोदी रूपीया तीन हजार मारे सामने लिये हैं. भगवतीलाल अग्रवाल साख 1 धनराज नागदा की नाई गोकल जी चरण मोहनलाल शंकर रा केवासु दीदो रु. 3000/तीन हजार मारे सामने हर तीनों ने प्राप्त किये एस. डी. द: धनराज नागदा एस. डी. द: मोहनलाल एस. डी. द: शंकरलाल।

श्राज दिनांक 25 मास 6 सन् 1974 को 7.30 से 8 बजे के मध्य दिन के उप पंजियक कार्यालय में श्री गोकल पुत्र नवला की कोम नाई व्यवसाय खेती भीन्डर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

नि. गोकल
हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

ह. रामसिंह 25.6.74
सब रजिस्ट्रार भीण्डर
जिला उदयपुर (राज०)

फीस रजिस्टर	प्रतिलिपि फीस	इन्डोसमेन्ट फीस	योग
52.50	4.00	0.50	57/00

सतावन रूपीया श्राज चेक नम्बर 5/14 द्वारा जमा ता. 25-6-74 एस. डी. सोहनलाल।

ह. रामसिंह 25-6-74
सब रजिस्ट्रार भीण्डर
जिला उदयपुर (राज०)

(580)

निष्पादन कर्ता श्री गोकल उम्र 70 साल पिता दीपा उर्फ नवला जी श्री मोहनलाल उम्र 45 वर्ष श्री शंकरलाल उम्र 33 वर्ष पिता गोकुल जी नाई निवासी भीन्डर ने बहनामा सम्पादन करना तहलीस कर प्रतिफल के रु. 10000 दस हजार रूपीया में से 3000 तीन हजार रूपीया पूर्व में प्राप्त करना व रु. 7000 सात हजार रूपीया वक्तरजिस्ट्री रूबर रजिस्ट्रार प्राप्त कर योग 10000 दस हजार रूपीया प्राप्त करना स्वीकार किया ।

ता० 25-6-74
ह० नि० कर्ता
1. नि. गोकल 2. एस. डी. मोहनलाल
3. एस. डो. शंकरलाल

ह० रामसिंह 25-6-74
सब रजिस्टार भीण्डर
जिला उदयपुर (राज०)

इनको श्री फकीर मोहम्मद पुत्र श्री अली मोहम्मद जी जाति मुसलमान आयु 50 व्यावसाय नोकरी निवासी भीण्डर ने पहिचाना एस. डो. फकीर मोहम्मद

इनको श्री जीवराज पुत्र श्री रामकिशन जी जाति सेवक 51 आयु 51 अन्नलाल नौकरी निवासी भीण्डर ने पहिचाना ह० जीवराज

अतः पंजिका स्वीकार किया गया 25-6-74

ह० रामसिंह 25-6-74
सब रजिस्टार भीण्डर
जिला उदयपुर (राज०)

निष्पादनकर्ता की नियमानुसार अंगुष्ठ निशानी ली गई 25-6-77

ह० रामसिंह 25-6-78
सब रजिस्टार भीण्डर
जिला उदयपुर (राज०)

1. नि. गोकुल 2. नि. मोहनलाल 3. नि. शंकर

नोट आज दिनांक 5 मास 7 सन् 1974 ई. को पुस्तक संख्या 1 जील्द संख्या 30 क्रम संख्या 389, पृष्ठ संख्या 149 से 152 पर पंजिबद्ध किया गया ।

सूची प्रतिलिपि
ह० रामसिंह 5-7-74
सब रजिस्टार भीण्डर
जिला उदयपुर (राज०)

नकल की मोहनलाल पेंजेने 20-9-77

सत्य प्रति
ह० उप तहसीलदार
भीण्डर जिला उदयपुर (राज०)

(५४१)

प्रतिलिपि : विक्रय पत्र 10000 दस हजार रुपया।

हम मुसमनियाज गोकल पिता दीपा उर्फ नवजा जी उम्र 70 वर्ष चरण मोहनलाल उम्र 45 वर्ष एवं शंकरलाल उम्र 33 वर्ष पिता गोकल नाई निवासी भीन्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान के हैं जो इस विक्रय पत्र के सम्पादन कर्ता और विक्रेता हैं। आप श्री भवन निर्माण समिति अस्पताल भीन्डर के कार्यकर्ता श्री शंकरलाल जी पिता श्री गणेशलाल जी लोखमावत श्री गोरधनलाल जी पिता परथीराज जी लखावत चोरोसा ब्राह्मण श्री मनोहरलाल पिता कन्हैयालाल जी देव श्री रूपलाल जी पिता माघवलाल जी नन्दावत निवासी भीन्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान के हैं जो कि इस पत्र के ग्रहणकर्ता हैं और क्रेता हैं जिन्हें इस विकल्प पत्र में क्रेता के नाम से सम्बोधित किये गये हैं। खास भीन्डर में वेरून हलके आवादी सूरजपोल दरवाजा बाहर उदयपुर टू मारीया बाद रोड़ के पूर्व में हमारे बाजी खाते की आराजी नं० 3098/1 रुपया आठ आने चार पाई 3909/तीन पाई 3095/आठ आने और एक रुपया तेरह आने 3079/तीन आने जुमला आराजीनकिता 4 रकबा 2 रुपया आठ आना लगानी 10 रुपये बारह आने सम्पूर्ण व रोड से पश्चिम में नम्बर 392 रुकबा 1 का हिस्सा 1/3 जिसका पड़ोस इस प्रकार है। पुरवे शंकर ऊंकार भागचन्द होरालाल जेचन्द पिता कना भोई को आराजी पश्चिम आम रोड टू थारीवाद उत्तर आप क्रेता गण को ही जमाने दक्षीण आप क्रेता गण की ही जमीन है। उपरोक्त चार ही लोग मध्य को आराजीयात व हिस्सा कुवा हमारा हो कर हमारे ही कब्जे काश्त में है और हम ही इसका उपभोग कर रहे है। आज हम विक्रेता को रुपयों के की आवश्यकता होने व आप क्रेता नि. कोगल मोहनलाल एस. डी. शंकर को अस्पताल भवन निर्माण में जमीन की आवश्यकता होने से ऊपर अंकित मुदाकुल आराजीमात रकवा 2 रुपया आठ लगानी 10 रुपया बारह आने व कुवा को हिस्सा 1/3 आज की तारीख रूख वृक्ष डाली पाली झाडे कोर बाढ कटवाढ़ निकाल पेसार सम्पूर्ण अधिकार सहित व हकसर कुवा बीरा केरा दावडा पानी आदी 10000/दस हजार रुपया के प्रतिफल में आप क्रेता गण को विक्रय कर देते है और कब्जा आप क्रेता को दे दिया है तो इसे अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ करें या क्रेता गण स्वयं काश्त करें तथा वास्ते काश्त मजदूरों पर दूसरे कृषक को सोपें व कुआ से हकसर उपयोग करें इ द्वारा अनुकुल आबंटन करें व आपका आप डेतागण रहन वे पुन्य बख्सीस वसीयत आदि करें हम विक्रेता को कोई उजर नहीं है। इन विक्रेता आराजीमान व हिस्सा कुआ के हम विक्रेता पूर्ण रूप से स्वामी हैं। और हमारे ही आदि पत्र है इसमें किसी का कोई हक व हिस्सा नहीं है हम विक्रेता कर्ता हैं। विक्रय करने का हमको अधिकार होने से आप क्रेतागण को विक्रय कर कब्जा आप क्रेतागण को दे दिया है तो इस विक्रय आराजीयात व हिस्सा कुआ पर जैसा स्वामित्व व अधिपत्य हम विक्रेता का

५८३

है ऐसा ही आज की तारीख से आप क्रेतागण का हो चुका है। अब हम विक्रेता का कोई भी स्वामित्व व आधिपत्य कतई शेष नहीं रहा है। यह विक्रय आराजोयात व हिस्सा व कुआ सब प्रकार के करण के भार से पवित्र है किसी दूसरे कृषक के यहां रहने किया हुआ नहीं। अगर फिर भी कोई करजा निकल जायगा तो उसके अदायगी की जिमेवारी हम विक्रेता की ही है। यदि हम विक्रेता के दौरा से यह निकल आरीजीयात कुआ या इसका कोई भाग आप क्रेतागण के अधिपत्य से निकल जायगा तो विक्रय राशि व आप क्रेतागण के हर प्रकार के हरजा व खर्चा (नि. गोकल नाई एस. डी. मोहनलाल एस. डी. शंकर) को जिम्मेवारी हम विक्रेता की जात खास व हमारी द गर हर किशमी जायदाद कोठी तो उससे आप क्रेतागण विधिवत वसूल करा लेंवे। इस विक्रय पत्र के द्वारा खाता आप अपने नाम परिवर्तन करा लेंवे और अब से लगान आप जमा करावें। स्टाम्प फीस रजिस्टी व अन्य साधारण सब ही खर्चे आप क्रेतागण के जिम्मे है। विक्रय राशि 10000 दस हजार रुपया मदे 3000 तीन हजार रूपीया तो हम विक्रेता ने आप क्रेतागण से प्राप्त कर लिया है शेष 7000 सात हजार रुपीया लेने रहे तो पत्र कराने, रजिस्टी रूबरन रजिस्टार साहब प्राप्त करेंगे इस विक्रय पत्र बावत हम क्रेता का व हमारे बंसज भाई गारसीया आदि का भविष्य के लिए कोई ऊपर व एजराज नहीं डाल सकेगा। अगर किसी की ओर से किसी भी प्रकार की आई पान्टी उपजाई जो गा तो उसकी भी सब प्रकार की जिम्मेवारी में विक्रेता की है और उसका मल हम विक्रेता अपने घराघर के चलादेंगे अतः यह विक्रय पत्र हम विक्रेता 70000 वास्ते रजिस्ट्री दफ्तर सब रजिस्टार भीण्डर में प्रस्तुत किया ता० 18-6-68 ई. कुन्दनलाल

(छाप) सब रजिस्टार भीण्डर राजस्थान जिला उदयपुर हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता द: चतुर्भजजी सिल सिला चेक रसीद नं० 2/73, किस्म रजिस्ट्री 40-50, प्रतिलिपि 3, इन्डोमेन्ट 40-50, जुमला 44-00 जमा हुआ ता० 18-6-68 ई० कुन्दन लाल

किस्तुरचन्द भादावत (छाप) सब रजिस्टार भीण्डर मुसम्मी श्री चरतभुज पिता किशोर राजस्थान जिला उदयपुर जाति राजपूत उम्र 60 साल पेशा काश्त हाजोर अपयावा वेनामा शिरू से आखिर तक पढ़ कर सुनाया समजाया गया तो जो में 7000 सात हजार रुपया वेरून अदालद प्राप्त कर लेना व मजबून बेनामा लिखये से कबूल व स्वीकार किया गया था में सब रजिस्टार स्वयं पहचानता हूं अतः सब रजिस्टार मई 18-6-68 इास्वी कुन्दनलाल

हस्ताक्षर वाया   (छाप) सब रजिस्टार

ह० चतुरभुजजी   भीण्डर राजस्थान जिला उदयपुर

(483)

थाया श्री चतुरभुज जी पिता कसोर जाति राजपूत उम्र 60 साल पेशा काश्त नि० भीन्डर के प्रस्तुत पो० नोशनी नियमानुसार ली मई 18-6-68 ई० कुन्दनलाल (छाप) सब रजिस्टार भीन्डर जिला उदयपुर नि० चूतरभुज

नोट नकल इसकी रजिस्टार नं० 1 (क) की जिल्द संख्या 3 क्रम संख्या 198 पृष्ठ संख्या 55-21 पर की गई ता० 24-6-68 ई०

सच्ची प्रतिलिपि

कुन्दनलाल

सब रजिस्ट्रार भीन्डर

राजस्थान जिला उदयपुर

---

(584)

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 147 का ब्योरा)

परिशिष्ट (क)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र का मदवार वर्ष 1982-83 का आवंटन एवं व्यय तथा 1983-84 का आवंटन

(रु. लाख)

	मद	वर्ष 1982-83			वर्ष 1983-84
		आवंटन	अन्तिम व्यय	शेष राशि	आवंटन
1.	कृषि एवं सम्बन्ध सेवायें	1111.91	1073.85	38.06	1227.98
2.	सहकारिता	131.58	105.11	26.47	168.76
3.	जल एवं विद्युत विकास	3270.00	2785.79	484.21	3343.00
4.	उद्योग एवं खनिज	283.34	236.99	46.35	330.54
5.	यातायात एवं संचार	142.10	184.69	42.59	157.10
6.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	706.93	576.36	130.57	895.35
7.	आर्थिक सेवाएं	2.30	2.13	0.17	2.31
8.	सामान्य सेवाएं	47.03	38.72	0.31	55.45
		5695.19	5003.64	691.55	6180.49

महालेखाकार से अभी विभिन्न विभागों के मिलान शुदा आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं अतः वास्तविक व्यय एवं बचत दर्शाया जाना सम्भव नहीं है।

485

(611

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची)

DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE RAJASTHAN, JAIPUR

LIST of Denotified Tribes, Nomedic Tribes and Semi Nomedic Tribes as approved vide Government in Social Welfare Department Order No. F. 1 (2) SW/63/dated 24-2-1964

DENOTIFIED TRIBES

1. Badri
2. Kanjar
3. Sansi
4. Dagri (Bawaria)
5. Mogia
6. Nut
7. Naik
8. Multains
9. Bhat

NOMEDIC TRIBES AND SEMI NOMEDIC TRIBES

A. Nomedic Tribes

1. Baldias (Banjaras)
2. Bardhis
3. Domabaris
4 Gadia Lohar
5. Iranis
6. Jogi Kalbelia
7. Jogi Kanphate
8. Dhirpalts (Kuphaltas)
9. Shikkaliger
10. Ghisadis

B Semi-Nomedic Tribes

1. Sarangiwala-Bhoas
2 Rebaris
3: Raths
4. Mangalisa
5. Bhaayas
6. Kannis
7. Kanglus
8. Jalukus
9. Khangas
10. Sindlus
11. Jogis Other than those in Nomedic Tribes :
    (1) Girinaths
    (2) Ajaipals
    (3) Agamnaths
    (4) Namnaths
    (5) Jalandhars
    (6) Masanis
12. Ramaswamies
13. Bharaddajadhavs.

(486)

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 153 की सूची)

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर

जैतारण जिला पाली में सामान्य पंजीकरण योजना 1981 एवं 1982 में चालू की गई थी पंजीकृत आवेदकों का नाम व विवरण निम्न प्रकार है

नाम शहर : **जैतारण**

क्र. सं.	नाम आवेदक	जमा राशि	सामान्य पंजीकरण
1	2	3	4
1. मध्यम आय वर्ग (ब) :			
1.	श्री लाडकंवर	4600	1981
2.	श्री रामकिशोर मून्दड़ा	4600	,,
3.	श्री रामचन्द्र	4600	,,
4.	श्री शान्तीलाल	4600	,,
5.	श्री प्रवीणचन्द	4600	,,
6.	श्री जौहरीलाल	4600	,,
1. मध्यम आय वर्ग (अ) :			
1.	श्री अमृतलाल	3000	,,
2.	श्री भंवरलाल	3000	,,
3.	श्री भंवरदामेर	1500	,,
4.	श्री ढागलचन्द	3000	,,
5.	श्री देवाराम रेबारी	3000	,,
6.	श्री दीनदयाल सोनी	3000	,,
7.	श्री ज्ञानचन्द	3000	,,
8.	श्री हरिओमप्रकाश शिशोदिया	1500	,,
9.	श्री ताराचन्द	3000	,,

1	2	3	4
अल्प आयवर्ग :			
1.	कु० राम कन्या	1800	1981
2.	श्री खिवजी	900	"
3.	रामदेव	1800	"
कमजोर आय वर्ग :			
1.	श्री अब्दुल गनी	500	"
2.	श्री अब्दुल कबीर	500	"
3.	श्री गोपाल राम	250	"
4.	श्री गुलाराम रेगर	250	"
5.	श्री मोहम्मद जफर	500	"
6.	श्रीमति नर्वदा देवी	500	"
7.	श्री रामसिंह राजपूत	500	"
8.	श्री पार्वती	500	"
9.	श्री रतनलाल	250	"
10.	श्री शान्तीलाल कलाल	500	"
11.	श्री शिम्भूसिह टाक	500	"
कमजोर आय वर्ग :			
1.	श्री मांगीलाल देवड़ा	500	1982
2.	श्री हीरालाल	500	"
अल्प आय वर्ग :			
1.	श्री भंवरलाल गुर्जर	1800	"
2.	श्री मदनलाल	900	"
मध्यम आय वर्ग (ब) :			
1.	श्री जोरावरसिंह	4600	"

(488)

संलग्नक (ब)

नाम शहर : सुमेरपुर, जिला पाली

क्र. सं. 1	आवेदक का नाम 2	राशि 3
1.	श्रीमती मेल कँवर	500
2.	श्री शंकर लाल	500
3.	श्री हिम्मत राज भाटी	500
4.	श्री नरसिंह दास	500
5.	श्री कुन्दन मल सोनी	500
6.	श्री कपूर चंदमाली	500
7.	श्री अन्दाराम सी. एस./एस. टी.	250
8.	श्री गयान प्रकाश चोटरा एस. सी./एस. टी.	250
9.	श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	500
10.	श्रीमती सीता देवी	500
11.	श्री बुद्ध प्रकाश	500
12.	श्री फेथ सिंह रोग	500
13.	श्री पेप सिंह	500
14.	श्रीमती रमीदा बानु	500
15.	श्रीमती सुमरी बाई	500
		7000

अल्प आय वर्ग

1.	श्री मूल शंकर	1800
2.	श्री मनोहन लाल टोलनी	1800
3.	श्री राम लाल	1800
4.	श्री घनश्याम	1800
5.	श्री रामचन्द्र हरचन्दानी	1800

1	2	3
6.	श्री हजारी मल असलाजी	1800
7.	श्री लाल चन्द	1800
8.	श्री मनभा राम	1800
9.	श्री रेवा शंकर	1800
10.	श्री सोहन लाल दुबे	1800
11.	श्री प्यारे लाल	900
12.	श्री भंवर लाल ओझा	1800
13.	श्री मोहब्बत सिंह	1800
14.	श्री इन्दर मल सिंघी	1800
15.	श्री भंवर लाल आदित्य	1800
16.	श्री जावर सिंह	1800
17.	श्री मोहन बाल	1800
18.	श्री दाधाराम पंशानी	1800
19.	श्री अशोक कुमार नवलानी	1800
20.	श्रीमती भंवरी देवी राठोड़	900
21.	श्री भंवर लाल	1800
22.	श्री एस. एन. अग्रवाल	1800
23.	श्री भवर सिंह	1800
24.	श्री मनपत राज	1800
25.	श्री रेवा शंकर	1800
26.	श्री हरीश कुमार	1800
27.	श्री गोविन्द राम	1800
28.	श्री जेठा राम	1800
29.	श्री खेमराज नागर	1800
30.	श्री सवाई सिंह	1800
31.	श्री चन्दू लाल	1800

490

1	2	3
32.	श्री छोगा लाल	1800
33.	श्री पुखराज पुरोहित	1800
34.	श्री गणेश राम	1800
35.	श्री कन्हैया लाल	1800
36.	श्री दलपत सिंह	1800
37.	श्री मोहन सिंह राव	1800
38.	श्रीमती सलमा बाई	1800
39.	श्रीमती साबत्री	1800
40.	श्रीमती कौशल्या	1800
41.	श्रीमती सुनिता	1800
42.	श्री जितेन्द्र सिंह	1800
43.	श्री पृथ्वी सिंह	1800
44.	श्रीमती लक्ष्मी बाई	1800
	सुमेरपुर (मध्यम आय वर्ग "अ")	
1.	श्री माल चन्द	3000
2.	श्री बाबू खां	,,
3.	श्री जावत राज राठोड़	1500
4.	श्री चन्द्र पाल	3000
5.	श्री मोहम्मद हनीफ	,,
6.	कुमारी कमला	1500
7.	श्री गोपाल कृष्ण	3000
8.	श्री प्रकाश राज	,,
9.	श्री रतन चन्द	,,
10.	श्री हरीशंकर	,,
11.	श्री देवेन्द्र कुमार	,,
12.	श्री जय नारायण	,,

491

(617

1	2	3
13.	श्री मिठ्या लाल परीयार	3000
14.	श्री गुलाब राय	"
15.	श्री ईश्वर दास ललवानी	"
16.	श्री हीरा नन्द ललवानी	"
17.	श्री दीपक कुमार	"
18.	श्री छोगा लाल	"
19.	श्री बजरंग लाल	"
20.	श्री मांगे	"
21.	श्रीमती छोगी देवी	1500
22.	श्री सेटा राम	"
23.	श्री लक्ष्मण सिंह	3000
24.	श्री रतन कुमार शर्मा	"
25.	श्री प्रताप सिंह	"
26.	श्रीमती मोहन कंवर	"
27.	श्री चेना राम	1500
28.	श्री लाल चन्द	3000
29.	श्रीमती मोहनी	"
30.	श्री बी. एल. सोनी	"
31.	श्री मेठा लाल	"
32.	श्री मोहन लाल	1500
33.	श्री फयाज खांन	3000
34.	श्री भूरा मल	"

1	2	3
35.	श्री नियाज	3000
36.	श्री लक्ष्मी नारायण	1500
37.	श्री अल्लाह नूर	3000
38.	श्री मिठा लाल परिहार	1500
39.	श्री रमेश राठोड़	3000
40.	श्री मरूधर कंवर	"
41.	श्रीमती अवेता खातुन	"

सुमेरपुर (मध्यम आय वर्ग "ब")

1.	श्री कस्तूर मल	4600
2.	श्री माली परमा राम	"
3.	श्री रमेश कुमार	"
4.	श्री मुन्ना लाल	"
5.	श्री सुरेश कुमार	"
6.	श्री आर. ए. सिंघल	"
7.	श्री मोहम्मद सलीम	"
8.	श्रीमती माधो देवी	"
9.	श्री सोहन लाल	"
10.	श्री कन्हैया लाल	"
11.	श्रीमती उमरावती देवी	"
12.	श्रीमती देव कन्या देवी	"
13.	श्री राम लाल	"
14.	श्री पन्ना लाल	"
15.	श्रीमती मोहनी सोलंकी	"
16.	श्री कपूर चन्द	"
17.	श्री हरी प्रसाद चौधरी	"

1	2	3
18.	श्री रमेश कुमार	4600
19.	श्री नारायण लाल	"
20.	श्री नवीन कुमार जैन	"
21.	श्री श्याम लाल अग्रवाल	"
22.	श्री अरुण कुमार शर्मा	"
23.	श्री गणेश मल	"
24.	श्री प्यारे लाल	"
25.	श्री जलनारायण अग्रवाल	"
26.	श्री जे. के. रामचन्दानी	"
27.	श्री गुरु बक्स गुप्ता	"
28.	श्री मुंशी लाल	"
29.	श्री श्याम लाल	"
30.	श्रीमती तीसा आर्य	"
31.	श्री महेश चन्द कोठारी	"
32.	श्री ताराचन्द सुराना	"
33.	श्री जुझर सिंह	"
34.	श्री मोहरी लाल	"
35.	श्री जे. सी. जेताणी	"
36.	श्री बाबू लाल गुप्ता	"
37.	श्री अशोक कुमार जैन	"
38.	श्री बंसी लाल	"
39.	श्री सुरेन्द्र कुमार	"
40.	श्री गोपाल सिंह	"
41.	श्री खेमचन्द	"
42.	श्री संपत राज	"
43.	श्री इमांम खाँ	"

(५७१)

1	2	3
44.	श्री समेर सिंह	4600
45.	श्री अशोक कुमार महता	"
46.	श्री रणजीत कुमार	"
47.	श्री बाबू लाल अग्रवाल	"
	सुमेरपुर (उच्च आय वर्ग)	
1.	श्री पारस मल कोठारी	10000
2.	श्री आर. पी. गुप्ता	"
3.	श्री सूर्य प्रकाश पुरोहित	"
4.	श्री डी. सी. सुराना	"
5.	श्री एम. जी. जाजू	"
6.	श्री सुरतन मल	"
		60,000,00

495

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 154 का ब्यौरा एवं विवरण)

ब्यौरा

क्र.सं.	कालोनी का नाम	पूर्ण मकानों की संख्या	वर्ष	निर्माणाधीन अपूर्ण मकानों की संख्या	वर्ष
1.	विज्ञान नगर	2981	1980 तक	1202	1981 के बाद
2.	दादाबाड़ी	570	1980 तक	216	1982 के बाद
		1027	1983 तक	—	—
3.	साबरमती	111	1980 तक	—	—
4.	तलवंडी	1951	1983 तक	632	1980 के बाद
5.	महावीर नगर-I	1854	1982	—	—
6.	महावीर नगर-II	—	—	1787	1981 के बाद
7.	महावीर नगर विस्तार	—	—	2392	1983 के बाद
8.	रामचन्द्रपुरा	177	1982 तक	—	—
9.	सकतपुरा	144	1982 तक	—	—
10.	केशवपुरा	704	1980 तक	38	1980 के बाद
11.	बल्लभबाड़ी	—	—	88	1980 के बाद
	कुल	9519		6355	

उपरोक्त सभी पूर्ण तथा अपूर्ण मकानों में से शेष 999 मकानों को छोड़ कर सभी आवंटित कर दिये गये हैं। ये 999 मकान इसी वर्ष हाल ही में शुरू किये गये हैं, तथा इनका आवंटन शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट "ब"

तलवंडी योजना के पूर्ण अपूर्ण मकानों का विवरण

क्रमांक	मकानों का ग्रुप	कुल मकानों की संख्या	शुरू करने की तिथि	पूर्ण हुए मकान	अपूर्ण मकान	अपूर्ण मकान पूर्ण होने की तिथि
1.	कमजोर आय वर्ग	869	जनवरी, 78	703	166	मार्च, 84
		199	जनवरी, 79	199	—	—
2.	अल्प आय वर्ग	362	जनवरी, 78	314	48	दिसम्बर, 83
		57	दिसम्बर, 78	42	15	,,
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	389	जनवरी, 78	284	105	मार्च, 84
		427	दिसम्बर, 78	262	165	,,
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	105	जनवरी, 78	105	—	,,
		97	दिसम्बर, 79	42	53	दिसम्बर, 83
5.	उच्च आय वर्ग	—	—	—	—	—
	कुल योग	2503		1951	552	

497

परिशिष्ट 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 156 का मानचित्र)

जिलेवार राष्ट्रीयकृत के प्रतिशत की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल सड़कों की लम्बाई 31-3-80 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार				दि. 15-3-81 को राष्ट्रीयकृत कि.मी.				प्रतिशत			
		(ए) श्रे.	(बी) श्रे.	(सी) श्रे.	कुल कि.मी.	(ए) श्रे.	(बी) श्रे.	(सी) श्रे.	कुल कि.मी.	(ए) श्रे.	(बी) श्रे.	(सी) श्रे.	कुल कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अजमेर	1170	172	334	1670	627	—	—	627	53.59	—	—	37.41
2.	अलवर	1305	175	81	1561	959	—	—	959	73.03	—	—	61.05
3.	बांसवाड़ा	553	70	119	742	400	31	—	431	72.33	44.28	—	58.09
4.	बाड़मेर	1530	257	908	2695	524	—	7	611	34.05	—	9.58	22.67
5.	भरतपुर	1229	183	78	1490	426	—	—	426	24.66	—	—	28.59
6.	भीलवाड़ा	848	241	319	1408	461	—	—	461	54.36	—	—	32.74
7.	बीकानेर	1140	81	145	1366	646	—	—	646	56.67	—	—	47.29
8.	बून्दी	542	47	296	886	300	—	—	300	55.35	—	—	33.86
9.	चित्तौड़गढ़	856	185	285	1326	297	—	—	297	34.69	—	—	22.40
10.	चुरू	979	84	297	1360	600	84	—	690	70.40	—	—	50.74
11.	डूंगरपुर	531	81	306	918	294	—	—	294	55.37	—	—	32.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	जयपुर	1971	02	50	2023	1437	—	—	1437	70.68	—	—	72.68
13.	गंगानगर	1760	236	33	2029	1054	—	—	1054	59.89	—	—	51.95
14.	जैसलमेर	1094	100	782	1976	225	—	—	235	21.48	—	—	12.80
15.	जालौर	491	134	611	1236	300	—	170	470	61.10	—	27.82	38.03
16.	झालावाड़	493	172	76	741	436	172	76	684	80.60	—	—	89 03
17.	झुंझुनू	592	29	105	726	295	—	—	295	49.83	—	—	40.63
18.	जोधपुर	2038	280	1622	3940	869	—	—	869	42·64	—	—	22.06
19.	कोटा	1102	165	176	1443	756	—	—	756	68.60	—	—	52.39
20.	नागौर	963	52	1102	2117	760	—	—	760	78.92	—	—	35 90
21.	पाली	773	332	718	1823	438	—	—	438	56.66	—	—	24.03
22.	सवाईमाधोपुर	844	133	78	1055	157	—	—	157	18.60	—	—	14.88
23.	सीकर	754	69	165	988	522	69	—	591	66.31	—	—	59.82
24.	सिरोही	511	166	190	867	316	—	—	316	61.84	—	—	36.45
25.	टौंक	431	132	165	728	324	--	—	324	75.17	—	—	44.51
26.	उदयपुर	1753	257	1270	3280	682	50	—	732	41.76	19.46	—	22.32
	कुल योग	26253	3855	10311	40399	14121	406	333	14860	54.84	10 52	3.23	36.78

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 187 का मानचित्र

सम्भाग (खण्ड)

	बीकानेर	अलवर	जयपुर	सीकर	कोटा	अजमेर	जोधपुर	उदयपुर
1. स्वीकृत निर्धारित वाहनें	290	266	319	174	255	239	270	216
2. कार्यरत कुल कर्मचारी/अधिकारी	1934	1883	2255	1268	1650	1817	1924	1909
3. कर्मचारी वाहन अनुपात	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.11

(626 (5002)

परिशिष्ट 23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 का विवरण)

एकीकृत बस स्टेण्ड की स्थापना के पश्चात् यात्रियों के लिये उपलब्ध कराई गई सुविधाएं।

1. निगम ने 66,500.00 रुपये की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर से पक्का यात्री शेड, 3 बुकिंग केबिनें, पक्का प्लेट फार्म, शौचालय व मूत्रालय तैयार करवाये हैं जो बनकर तैयार हो चुके हैं।

2. एकीकृत बस स्टेण्ड पर यात्रियों को पानी पिलाने हेतु जन सहयोग से पक्की प्याऊ का निर्माण कराया जा चुका है जिस पर पानी पिलाने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

3. एकीकृत बस स्टेण्ड पर पूछताछ व टिकट आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है।

4. बस स्टेण्ड पर यात्रियों की सुविधा के लिए टी-स्टाल, पान स्टाल, फल स्टाल व बुक स्टाल के लाईसेन्स जारी किये जा चुके हैं।

5. सीकर शहर में आने व जाने वाले आसपास के यात्रियों की सुविधा हेतु सीकर-झुंझुनू, सीकर-उदयपुरवाटी, सीकर-रतनगढ़ व सीकर-सालासर मार्गों पर क्रमशः चुंगी नाका, सदरथाना, कोर्ट व नगर परिषद के कार्यालय के पास बस स्टेण्ड कायम कर अतिरिक्त टिकट घरों की व्यवस्था भी की गई है।

———